Friday, 18 April, 1969

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

## SUMMARISED TRANSLATED VERSION
## OF

## 4th
## LOK SABHA DEBATES

[ सातवां सत्र Seventh Session ]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

[ खंड 28 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 41 to 50 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price : One Rupee*

अंक 43, शुक्रवार, 18 अप्रैल, 1969/28 चैत्र, 1891 (शक)
*No. 43, Friday, April 18, 1969/Chaitra 28, 1891 (Saka)*


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/ PAGES |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | | |
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 1171. मध्यावधि चुनावों के दौरान मंत्रियों के साथ गए सरकारी पदाधिकारी | Government officials accompanying Ministers on Midterm Election Tours .. | 1—7 |
| 1172. होटल उद्योग में विदेशी सहयोग | Foreign Collaboration in Hotel Industry .. | 7—9 |
| 1173. 1967 का सचेतक सम्मेलन | Whip's Conference held in 1967 .. | 9—12 |
| 1174. शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं तथा प्रतिवेदन | Magazines, Booklets and Reports Published by Education Ministry .. | 12—16 |
| 1177. भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां | Adverse observations against former Chief Justice of India .. | 16—18 |
| अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No. | | |
| 15. बरौनी में विद्युत जनन यूनिटों का खराब हो जाना | Failure of Generator Units at Barauni .. | 18—21 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | | |
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 1175. इण्डियन एयर लाइंस कारपोरेशन और एयर इंडिया का विलय | Amalgamation of IAC and Air India .. | 21—22 |


* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| विषय<br>ता० प्र० संख्या<br>S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 1176. औषध निर्माण संकाय | Faculty of Pharmacy .. | 22 |
| 1178. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर | I. T. T. Kanpur .. | 22—23 |
| 1179. दिल्ली प्रशासन के कार्यों में केन्द्र द्वारा तथाकथित हस्तक्षेप | Alleged Central Interference in the working of Delhi Administration .. | 23 |
| 1180. समाज शिक्षा के लिए धन का नियतन | Allotment of Funds for Social Education.. | 23—24 |
| 1181. भारत में विदेशी धार्मिक मिशनों का भारतीयकरण | Indianisation of Foreign Religious Missions in India .. | 24 |
| 1182. त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान | Place for Sanskrit in Three Language Formula .. | 25 |
| 1183. विश्व पर्यटकों की भारतीय वन्य जीवन में रुचि | World Tourists Attraction to Wild Life of India .. | 25 |
| 1184. दिल्ली में बिक्री कर अधिनियम का सरलीकरण | Simplification of Sales Tax Act in Delhi.. | 26 |
| 1185. दिल्ली में चुंगी पद्धति का समाप्त किया जाना | Abolition of Octroi System in Delhi .. | 26 |
| 1186. प्राथमिक शिक्षा आयोग | Primary Education Commission .. | 26—27 |
| 1187. पाकिस्तानी लोगों द्वारा ले जाये गये पशु | Cattle Removed by Pakistanis .. | 27 |
| 1188. सोफिया युवक समारोह में टिप्पण 'लेनिन द्वारा भारत को स्वतन्त्रता की प्राप्ति' | 'India got Freedom Through Lenin' Remark at Sofia Youth Festival .. | 27 |
| 1189. मिनिकाय में पुलिस द्वारा अत्याचार | Police Excess in Minicoy .. | 28 |
| 1190. प्रतिलिप्यधिकार पर बर्न अभिसमय में भारत की सदस्यता | India's Membership of Berne convention on Copyright .. | 28—29 |
| 1191. पत्तन विकास कार्यक्रम | Port Development Programme .. | 29 |
| 1192. राजमाता विजयाराजे सिंधिया को ग्वालियर में प्लांट का आवंटन | Allotment of Plot of Land at Gwalior to Rajmata Vijaya Raje Scindia .. | 29 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| ता० प्र० संख्या<br>S. Q. Nos. | | |
| 1193. भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें | Text Books in Indian Languages .. | 29—30 |
| 1194. बमियान (अफगानिस्तान) में महत्मा बुद्ध की प्रतिमाओं तथा चित्रों का संरभण और रसायनों द्वारा परिरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम | Programme of conservation and Chemical preservation of Buddha Images and Painings at Bamiyan (Afghanistan) .. | 30—31 |
| 1195. सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये आयु सीमा | Age Limit for Recruitment to Government Service .. | 31 |
| 1196. हिमाचल प्रदेश में अराजपत्रित कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के वेतन-मान | Central Pay Scales to Himachal Pradesh Non-Gazetted Employees .. | 31—32 |
| 1197. मध्य एशिया के देशों में पुरातत्वीय सम्बन्धी जांच | Archaeological Investigations in Central Asian States .. | 32 |
| 1198. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग | Use of Hindi in UPCS Examinations .. | 32—33 |
| 1199. प्रधान मंत्री के चुनाव दौरों के दौरान की गई व्यवस्था | Arrangements made during P.M's Election Tours .. | 33 |
| 1200. विस्थापित लोगों की पिछली सरकारी सेवा को मान्यता | Recognition of Past Government Service of displaced persons .. | 33—34 |
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 6742. खनन इंजीनियरों द्वारा विदेशों में रोजगार प्राप्त करना | Mining Engineers seeking Employment Abroad .. | 35 |
| 6743. फ्लाइंग क्लबें | Flying Clubs .. | 35—37 |
| 6744. गुजरात राज्य में केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपे गये मामले | Cases referred to CBI in Gujarat State .. | 37 |
| 6745. इसरायल से आने वाले पर्यटकों को बीजा देना | Visas granted to Tourism coming from Israel .. | 37—38 |
| 6746. भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्धी परिषद् | Indian Council for Cultural Relations .. | 38 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
| --- | --- | --- |
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 6747. केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियम, 1964 का उल्लंघन | Violation of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 .. | 38—39 |
| 6748. बेरी आयोग का प्रतिवेदन | Beri Commission Report .. | 39 |
| 6749. चित्रगुप्त रोड और आराम-बाग, नई दिल्ली में चोरियां | Thefts in Chitragupta Road and Aram Bagh, New Delhi .. | 40 |
| 6750. कर्मचारियों के लिये टिकट वारंट का जारी किया जाना | Issue of Warrants of Tickets to Employees .. | 40 |
| 6752. चौथी योजना में राडारों का लगाया जाना | Installation of Radars during Fourth Plan .. | 41 |
| 6753. त्रिपुरा में पुलों का निर्माण | Construction of Bridges in Tripura .. | 41 |
| 6754. मनीपुर और त्रिपुरा में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमें | Cases pending in Judicial Commissioner's Court of Manipur and Tripura .. | 42 |
| 6755. त्रिपुरा में बरामद हुये हथियार | Arms Recovered in Tripura .. | 42 |
| 6757. विदेशी छात्रवृत्तियों के लिये उम्मीदवारों का चयन | Selection of Candidates for overseas Scholarships .. | 43 |
| 6558. आसाम जाने वाले पर्यटकों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयां | Difficulties experienced by Tourists visiting Assam .. | 43—44 |
| 6759. श्रेणी 1 और 2 के अधिकारियों की 50 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्ति | Retirement of Class I and II Officers at the Age of 50 years .. | 44—45 |
| 6760. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ | ya Swaya m Sewak Sangh .. | 45 |
| 6761. जुम्मे की नमाज के पश्चात् भारत विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक राज नीतिक भाषण | Political Speeches/Anti-Indian and Pro Pakistani propaganda after Jumma Prayers .. | 46 |
| 6762. अहमदाबाद महापौर का टिप्पण | Ahmedabad Mayor's Remarks .. | 46 |
| 6763. लक्कदीव प्रशासन के भर्ती सम्बन्धी नियम | Recruitment Rules in Laccadive Administration .. | 47 |
| 6764. भारतीय तेलवाहक पोत को क्षति | Damage to an Indian Tanker .. | 47 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 6765. फालतू धन | Surplus Money | .. | 48 |
| 6766. सेवा रिकार्ड आदि का हिन्दी में रखना | Maintenance of service records etc. in Hindi | .. | 48—49 |
| 6767. शिक्षा मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारी | Officers working in Education Ministry | .. | 49—50 |
| 6768. शिक्षा मंत्रालय में अपर डिवीजन क्लर्क | Upper Division Clerks in Education Ministry | .. | 50 |
| 6769. प्रशासनिक कार्य में हिन्दी का प्रयोग | Use of Hindi for Administrative work | .. | 51 |
| 6770. दिल्ली प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य | ARC Chairman's statement on Central Interference in Delhi Administration | .. | 51 |
| 6771. पन्त पोलिटेक्निक, दिल्ली के छात्रों को छात्रवृत्ति | Scholarships to Students of Pant Polytechnics, Delhi | .. | 52 |
| 6772. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रपत्रों तथा नियमावलियों का अनुवाद | Translation of Forms and Manuals by Central Hindi Directorate | .. | 52—53 |
| 6773. पन्त पोलिटेक्निक, दिल्ली के छात्रों से शुल्क लिया जाना | Charging of tuition fee from students of Pant Polytechnic, Delhi | .. | 53 |
| 6774. कच्छ क्षेत्र का विकास | Development of Kutch Area | .. | 53—54 |
| 6775. सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार किया जाना | Private business run by Border Security Force Personnel | .. | 54—55 |
| 6776. उत्तर प्रदेश में स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में से कटौती | Deductions from Salaries of School Teachers in U. P. | .. | 55—56 |
| 6777. श्री एस० जी० नूरानी द्वारा काश्मीर के बारे में लिखी गई पुस्तक | Book on Kashmir written by Shri A. G. Noorani | .. | 56 |
| 6778. श्री गिबसन को पद्मश्री से विभूषित किया जाना | Award of Padmashri to Mr. Gibson | .. | 56 |
| 6779. भारतीय नौवहन की स्थिति | Position of Indian Shipping | .. | 56—57 |
| 6780. समाचार-पत्रों के विरुद्ध दायर मुकदमें | Cases Filed against newspapers | .. | 57—58 |

| विषय | SUBJECT | | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | | |
| 6781. भारत में ईसाई धर्म प्रचारक | Christian Missionaries in India | .. | 58—59 |
| 6782. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल | Central Advisory Board of Education | .. | 59—60 |
| 6783. ग्रामीण विश्वविद्यालय | Rural Universities | .. | 60 |
| 6784. लक्कदीव में नियुक्तियां | Appointments in Laccadies | .. | 60—61 |
| 6785. एयर इंडिया | Air India | .. | 61 |
| 6786. आसाम में विदेशी पर्यटकों पर प्रतिबन्ध | Restrictions on Foreign Tourists in Assam | | 61—62 |
| 6787. फ्लाइंग क्लब, चंडीगढ़ | Flying Club, Chandigarh | | 62 |
| 6788. चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिक्त स्थान | Vacancies in Punjab and Haryana High Court, Chandigarh | .. | 62—63 |
| 6789. पत्रकारों को चंडीगढ़ में प्लाटों का आवंटन | Allotment of plots to Journalists in Chandigarh | .. | 63 |
| 6790. द्वारकाधीश मन्दिर का जीर्णोद्धार | Renovation of Dwarkadish Temple | .. | 64 |
| 6791. पूंछ क्षेत्र में पाये गये पाकिस्तानी वायरलेस सेट | Pak Wireless Set found in Poonch Area | .. | 64—65 |
| 6792. दुर्व्यवहार के आरोप में निलम्बित अधिकारी | Officers suspended for Misbehaviour | .. | 65 |
| 6793. केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये गये मामले | Cases enquired into by the C.B.I. | .. | 65 |
| 6794. दिल्ली में कारतूस कारखाने में विस्फोट | Explosion in Cartridges Factory in Delhi | .. | 66 |
| 6795. बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान | Grants to various Universities and Colleges of Bihar | .. | 67 |
| 6796. दिल्ली में नये कालेजों का खोला जाना | Opening of new colleges in Delhi | .. | 67 |
| 6797. महर्षि भवन का रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रयोग | Use of Maharshi Bhavan as Rabindra Bharti University | .. | 67—68 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 6798. इण्डियन टूरिस्ट डिवेलपमेंट कारपोरेशन, अशोका होटल लिमिटेड तथा जनपथ होटल लिमिटेड के अध्यक्षों की अर्हतायें तथा भत्ते | Qualifications and allowances of Chairman of India Tourism Development Corporation, Ashoka Hotels Ltd. and Janpath Hotels Ltd. .. | 68—69 |
| 6799. एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष की नियुक्ति | Appointment of Chairman of Air India and Indian Airlines .. | 69—70 |
| 6800. राज्य स्तर पर एकता परिषदें | Integration Councils at State Level .. | 70 |
| 6801. गृहमंत्री की स्वविवेकीय निधि | Home Minister's Discretionary Fund .. | 70—71 |
| 6802. कटक में साम्प्रदायिक दंगे | Communal Riots in Cuttack .. | 71 |
| 6803. भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 1947 का विमान सेवा करार | Air Services Agreement of 1947 between India and France .. | 71—72 |
| 6804. मध्य एशिया पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन | International Conference on Central Asia.. | 72—73 |
| 6805. हिन्दी सीखने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार | Awards to Government staff learning Hindi .. | 73—74 |
| 6807. अन्तर्देशीय नौवहन विभाग | Development of inland water Transport .. | 74 |
| 6808. नीचे के स्तर के पदों की भर्ती पर प्रतिबन्ध | Ban on Recruitment to lower-level Posts .. | 74—75 |
| 6809. केन्द्रीय विशेष पुलिस दल का गठन | Creation of Central Special Police Force .. | 75 |
| 6810. नौवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण | Nationalisation of Shipping Industry .. | 76 |
| 6811. शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति | National policy on Education .. | 76 |
| 6812. केरल में गोपाल सेना | Gopal Sena in Kerala .. | 76—77 |
| 6813. सड़क परिवहन से यात्रा करने वाले व्यक्ति | Passenger Traffic by Road Transport .. | 77—78 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | | |
|---|---|---|
| 6814. महाराष्ट्र तथा मैसूर के सीमा विवाद के बाद केन्द्रीय मंत्रियों को बम्बई में प्रवेश न करने दिया जाना | Central Ministers' entry into Bombay not allowed consequent to border disputes between Maharashtra and Mysore .. | 78 |
| 6815. राज्य सरकारों के कर्मचारियों को केन्द्रीय दरों पर महंगाई भत्ता देना | Payment of Dearness Allowance to State Government Employees at Central Rates .. | 79—80 |
| 6816. युवकों सम्बन्धी क्रियाकलाप | Youth Activities .. | 80 |
| 6817. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग इलाहाबाद | Hindi Sahitya Sammelan, Prayag Allahabad .. | 81 |
| 6818. जम्मू तथा काश्मीर में अध्यापकों की पदावनति | Demotion of Teachers in Jammu and Kashmir .. | 81—82 |
| 6819. जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कनिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति | Promotion of Junior Teachers in Jammu and Kashmir State .. | 82 |
| 6820. दिल्ली अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन | Memorandum submitted by Delhi Non-Gazetted Police Employees' Union .. | 82 |
| 6821. भारत तथा श्रीलंका का अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड | Inter University Board of India and Ceylon .. | 83—84 |
| 6822. मनीपुर में मोगल्हन में विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़ | Encounter with Rebel Nagas in Monglhan in Manipur .. | 84 |
| 6823. अवैध रेडियो पारेषण केन्द्र | Clandestine Radio Transmitting Stations .. | 84—85 |
| 6824. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान सम्बन्धी विषयों के विकास के बारे में शिक्षा आयोग की सिफारिशें | Recommendations of Education Commission on Development of science subjects in Higher Secondary Schools .. | 85 |
| 6825. क्लास फोर म्यूचूअल बेनीफिट सोसायटी, कस्तूबा नगर नई दिल्ली | Class IV Mutual Benefit Society, Kasturba Nagar, New Delhi .. | 85—86 |
| 6826. मध्य प्रदेश में पर्यटक केन्द्र | Tourists Centres in Madhya Pradesh .. | 86 |
| 6827. मध्य प्रदेश में इंडियन सिविल सर्विस/भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या | Number of ICS/IAS/IPS, Officers in Madhya Pradesh .. | 86—87 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 6828. मध्य प्रदेश में पुरातत्वीय सर्वेक्षण तथा खुदाई कार्य | Archaeological Survey and Excavation work in Madhya Pradesh .. | 87 |
| 6829. मध्य प्रदेश में दंगे | Riots in Madhya Pradesh .. | 88 |
| 6830. भारत में हिप्पी | Hippies in India .. | 88—89 |
| 6831. आन्ध्र प्रदेश में पादरी फेरेर द्वारा धार्मिक प्रचार | Religious propaganda by Father Ferrer in Andhra Pradesh .. | 89 |
| 6832. बीकानेर तथा दिल्ली के बीच फासला कम होना | Curtailment of distance between Bikaner and Delhi .. | 89 |
| 6834. बंगलौर में हरिजन की हत्या | Murder of a Hirijan in Bangalore .. | 90 |
| 6835. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें लिखी जाना | Writing af confidential Reports of Employees of Survey of India .. | 90 |
| 6836. भूतपूर्व मद्रास राज्य के अधिकारियों द्वारा लेख याचिकायें दायर की जाना | Write petitions filed by Officers of Former Madras State .. | 91 |
| 6837. तूतीकोरिन पत्तन का निर्माण | Construction of Tuticorin Harbour .. | 91—92 |
| 6838. स्नातकोत्तर कक्षाओं में उपस्थिति | Attendance in Post Graduate Classes .. | 92 |
| 6839. आसनसोल में केन्द्रीय रक्षित पुलिस का भेजा जाना | Deployment of CRP in Asansol .. | 92—93 |
| 6840. कलकत्ता के निकट पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ | Intrusion of Pakistanis near Calcutta .. | 93 |
| 6841. उड़ीसा के विश्वविद्यालयों को अनुदान | Grants to Universities in Orissa .. | 93—94 |
| 6842. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 | National Highway No. 39 .. | 94—95 |
| 6843. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 | National Highway No. 39 .. | 95—96 |
| 6844. सामूहिक पर्यटन कार्यक्रम (पैकेज टूर्स) | Package Tours .. | 96 |
| 6845. पर्यटक होटलों के लिए विकास ऋण | Development loans for Tourists Hotels .. | 97 |
| 6846. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर चलने वाली बस सेवा | Bus Service at National Highway No. 39 .. | 97 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 6847. मनीपुर में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में मुकदमों का निपटाया जाना | Disposal of cases in Judicial Commissioner's Court Manipur .. | 97—98 |
| 6848. मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद करने के लिए विशेष कर्मचारी | Special Translation staff in Ministries/ Departments | 98 |
| 6849. काकीनाडा और कुड्डालोर के बीच जलमार्ग में सुधार | Improvement in the Waterway between Kakinada and Cuddalore .. | 99 |
| 6850. धर्मशाला ट्रांजिट स्कूल का बन्द करना | Closure of Dharmala Transit School .. | 99—100 |
| 6851. तिब्बती बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा | School Facility for Tibetan Children .. | 100 |
| 6852. सीमा सड़क विकास बोर्ड में स्थानान्तरित किये गए अधिकारियों को लाभ | Benefit to Officers transferred to Border Roads Development Board .. | 100—101 |
| 6853. सरकारी कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता | Inter Seniority of Government Employees .. | 101—102 |
| 6854. भारतीय न्यायिक सेवा | Indian Judicial Service .. | 102 |
| 6855. बिहार में पर्यटन स्थलों का विकास | Development of Tourists spots in Bihar .. | 102—103 |
| 6856. राज्यपालों की शक्तियों को कम करना | Curtailment of Governor's Powers .. | 103—104 |
| 6857. राजस्थान में हवाई अड्डों का विकास | Development of Airports in Rajasthan .. | 104 |
| 6858. धनुष कोडी पुल (पायर) | Dhanushkodi Pier .. | 104—105 |
| 6859. बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रेजीडेंसी नगरों में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार | Jurisdiction of High courts in Presidency cities of Bombay, Calcutta and Madras .. | 105 |
| 6860. पालम हवाई अड्डे पर नियंत्रण बुर्ज (कन्ट्रोल टावर) | Control Tower at Palam Airport .. | 105—106 |
| 6861. इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के पास बेकार विमान | Unserviceable Aircrafts with IAC .. | 106 |
| 6862. दयाल आयोग का प्रतिवेदन | Dayal Commission's Report .. | 107 |

अता० प्र० संख्या
U.S.Q. Nos.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 6863. | राज्य विधान मण्डलों की कार्यवाही का वृतान्त प्रकाशित करने तथा प्रसारित करने के लिए उन्मुक्ति देने हेतु विधान | Legislation for giving immunity to reproduce and broadcast proceedings of state legislature .. | 107—108 |
| 6864. | हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड | Hindustan Shipyard Ltd. .. | 108—109 |
| 6865. | दिल्ली विश्वविद्यालय में एल०एल० बी० पाठ्यक्रम में दाखिला | Admission to LLB Course in Delhi University .. | 109 |
| 6866. | केरल के लोगों के पूर्व इतिहास की जांच | Verification of antecedents of Kerala People .. | 110 |
| 6867. | केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को राज्यों में भेजना | Sending of Central Government Employees to States .. | 110—111 |
| 6868. | सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सेक्सन आफिसरों जैसा पदनाम लागू करना | Introduction of Designation similar to section officer in attached and subordinate offices .. | 111 |
| 6869. | वाणिज्यिक विमान चालकों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय उड्डयन प्रशिक्षा संस्था | Central flying training school for training commercial Pilots .. | 111—112 |
| 6870. | भारत में के० जी० बी० के समारोह | Holding of function by KGB in India | 112 |
| 6871. | नवीकृत पालम हवाई अड्डे के उद्घाटन अवसर पर चित्रों का प्रदर्शन | Display of portraits at the opening of Renovated Palam Airport .. | 112—113 |
| 6872. | लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तथा व्यावसायिक केन्द्र | Small scale and cottage industries and occupation centres .. | 113 |
| 6873. | पंजाब इंजीनियरी कालिज के प्रधानाचार्य की नियुक्ति | Appointment of principal, Punjab Engineering College .. | 113—114 |
| 6874. | परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए समिति | Committee on Reforms in Examination System .. | 114—115 |
| 6875. | पत्राचार पाठ्यक्रम | Correspondence courses .. | 115 |
| 6876. | शिक्षा का विकास | Development of Education .. | 116 |
| 6877. | होटलों में रहने के स्थान में वृद्धि | Increase in Hotel Bed capacity . | 116—117 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 6878. | पथ कर वाली सड़कें तथा पुल | Toll Roads and Bridges .. | 117 |
| 6879. | कन्टेनर प्रकार के जहाजों के रखने का कार्यक्रम | Programme of containerisation | 117 |
| 6880. | भारतीय विश्वविद्यालयों में पश्चिम जर्मनी के प्राध्यापक | West German Lecturers at Indian University .. | 117—118 |
| 6881. | गैर-सरकारी एयरलाइनों द्वारा संकट का सामना | Crisis faced by private Airlines .. | 118—119 |
| 6882. | जयंती शिपिंग कम्पनी में श्री धर्म तेजा के शेयर | Shri Dharma Teja's shares in Jayanti Shipping Company .. | 119—120 |
| 6883. | गांधीधाम (कच्छ) में लाल सेना के सदस्यों की गिरफ्तारी | Arrest of Lal Sena's Members in Gandhidham (Kutch) .. | 120 |
| 6884. | पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय सभ्यता के अवशेषों की खोज | Discovery of Ruins of Indian Civilization in East Asian Countries .. | 120—121 |
| 6885. | जेब कतरने वाली लड़की का गिरफ्तार किया जाना | Arrest of Girl pick pocket in Delhi .. | 121 |
| 6886. | अन्दमान के अधिवासी व्यक्तियों की सेवा की शर्तें | Service conditions of persons of Andaman .. | 121—122 |
| 6887. | कपूर आयोग को उप-प्रधान मंत्री का पत्र | Deputy Prime Minister's letter to Kapoor Commission .. | 122 |
| 6888. | दिल्ली में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को वेतनों का भुगतान | Payment of salaries to teachers of Government and Government aided schools in Delhi .. | 123 |
| 6889. | पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी | Arrest of Pakistanis .. | 123 |
| 6890. | इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों का कलकत्ता से गौहाटी को और गौहाटी से कलकत्ता को तबादला | Transfer of IAC staff from Calcutta to Gauhati and vice versa .. | 123—124 |
| 6891. | भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक गतिविधियां | Cultural activities between India and Soviet Union .. | 124 |
| 6892. | शेख अब्दुल्ला के भाषण | Sheikh Abdullah's speeches .. | 124—125 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 6893. होटलों की स्थापना के लिए पश्चिम जर्मनी की एक फर्म की सलाहकार रूप में नियुक्ति | Appointment of West German firm as consultant for setting up Hotels .. | 125 |
| 6894. कोटा (राजस्थान) में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के छात्रों से ज्ञापन | Memorandum from students of Technical Training Centre, Kota (Rajasthan) .. | 125—126 |
| 6895. नीदरलैंड में कृषि और अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा की योजनाओं को स्थगित करना | Suspension of schemes for higher Studies in Agriculture and Economics in Netherlands .. | 126 |
| 6896. दिल्ली में मोटर दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में दावे | Motor Accidents claims in Delhi .. | 126—127 |
| 6897. दिल्ली में मोटर दुर्घटनाओं के दावे | Motor Accidents claims in Delhi .. | 127 |
| 6898. दिल्ली में मोटर दुर्घटनाओं से सम्बन्धित दावे | Motor Accidents claims in Delhi .. | 128 |
| 6899. राष्ट्रीय राजपथ विकास तथा विस्तार प्रणाली | National Highway Development and Extension system .. | 128—129 |
| 6900. पश्चिम बंगाल में नेताओं के बुतों को खराब किया जाना | Disfiguring of statues of leaders in West Bengal .. | 129 |
| 6901. हिमाचल प्रदेश का प्रौद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण | Techno Economic Survey of Himachal Pradesh .. | 129—130 |
| 6902. बिहार विद्यापीठ में स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की स्मृति में संग्रहालय की स्थापना | Museum in Memory of Late Dr. Rajendra Prasad in Bihar Vidyapith Patna .. | 130 |
| 6903. भारत स्थित चीनी दूतावास से माओवादी लोगों को सहायता | Assistance to Maoists from Chinese Embassy in India .. | 130—131 |
| 6904. स्कूलों में दक्षिणी भारत की भाषाओं की शिक्षा | Teaching of South Indian Languages in Schools .. | 131 |
| 6905. भाखड़ा बांध का नियंत्रण | Control of Bhakra Dam .. | 131—132 |
| 6906. महाराष्ट्र में प्राचीन अवशेष | Ancient remains in Maharashtra | 132 |
| 6908. दिल्ली विश्वविद्यालय में नक्सलवादी इश्तहार | Naxalite Posters in Delhi University .. | 132—133 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/ Pages |
|---|---|---|
| 6909. दिल्ली से हैदराबाद तक इण्डियन एयर लाइण्स की उड़ान के समय जेवरात की चोरी | Theft of Jewellery in Indian Airlines Flight from Delhi to Hyderabad | 133 |
| 6910. राजस्थान से बीस परिवारों का पाकिस्तान को जाना | 20 Rajasthan Families left for Pakistan .. | 133—134 |
| 6911. अन्तरिक्ष इंजिनियरी तथा राकेट-विज्ञान के छात्रों को अधिछात्रवृत्तियां | Fellowships to students of Space Engineering and Rocketry .. | 134—135 |
| 6912. बौद्ध पर्यटक केन्द्रों का विकास | Development of Buddhist Tourist Centres .. | 135 |
| 6913. राजस्थान में पर्यटन स्थल | Tourist spots in Rajasthan .. | 135 |
| 6914. बम्बई में किराये पर हैलीकाप्टर विमान सेवा | Commercial Helicopter Service in Bombay.. | 136 |
| 6915. एयर इण्डिया की स्कैन्डिनेविया के लिए विमान सेवा योजनाएं | Air India plans for touching Scandinavia .. | 136 |
| 6916. बम्बई में होटल | Hotels in Bombay .. | 136—137 |
| 6917. मध्य प्रदेश में सड़कों का विस्तार | Extension of Roads in Madhya Pradesh .. | 137—138 |
| 6918. मध्य प्रदेश में निरक्षरता | Illiteracy in Madhya Pradesh .. | 138 |
| 6919. पतवार से चलाई जाने वाली नौका दल द्वारा अन्दमान तक समुद्र यात्रा को मान्यता | Recognition to Rowing Boat Expedition Team to Andmans .. | 138—139 |
| 6920. दिल्ली में हवाई हमले का अभ्यास | Air Raid Exercise in Delhi .. | 139 |
| 6921. दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ अनुसचिवीय कार्यकारी सेवा, 1967 | Delhi Administration Subordinate Ministerial Executive Service, 1967 .. | 139—140 |
| 6922. मध्यावधि चुनावों में विदेशी धन का उपयोग | Use of Foreign Money in Midterm Elections .. | 140 |
| 6923. दिल्ली में चोरी के मामलों का पंजीयन | Registration of Theft cases in Delhi .. | 140 |
| 6924. पटना में गंगा नदी पर पुल | Bridge on river Ganga at Patna .. | 141 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 6925. पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोली चलाई जाना | Firing by East Pak. Rifles .. | 141—142 |
| 6926. दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को वेतन का भुगतान | Payment of salaries to teachers of aided schools in Delhi .. | 142 |
| 6927. दिल्ली में हत्याएं | Murders in Delhi .. | 142—143 |
| 6928. शेख अब्दुल्ला | Sheikh Abdullah .. | 143 |
| 6929. शेख अब्दुल्ला पर उसकी हिरासत के दौरान किया गया व्यय | Expenditure incurred on Sheikh Abdullah during his detention .. | 143 |
| 6930. हवाई अड्डों में रोशनी की व्यवस्था का अभाव | Lighting Facilities at Airports .. | 144 |
| 6931. उमरसू (उत्तर प्रदेश) में गंगा नदी पर पुल का निर्माण | Demand for Construction of Bridge on Ganges at Umarasoo (U. P.) .. | 144 |
| 6932. केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर वार्ता | Dialogue on Centre State relations .. | 144—145 |
| 6933. मनीपुर में इण्डो-बर्मा पाय-नीअर मिशन | Indo Burma Pioneer Mission in Manipur .. | 145 |
| 6934. दिल्ली में गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं द्वारा सारकारी अनुदानों का दुरुपयोग | Misuse of Government Grants by Private Educational Institutions in Delhi .. | 146 |
| 6935. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आई० सी० एस०/आई० ए० एस०/आई० ए० एण्ड ए० एस० के अधिकारी | ICS/IAS/IA and A.S. Officers in Public Undertakings .. | 146—147 |
| 6936. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों तथा अन्य केन्द्रीय छात्रवृत्तियों की राशि लौटाना | Amount of National Scholarships and Central Scholarships Surrendered .. | 147 |
| 6937. प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी | IAS/IPS Officers of M. P. Cadre on Deputation .. | 147—148 |
| 6938. भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद में छंटनी | Retrenchment in ICCR .. | 148 |
| 6939. उपूसी (नेफा) में चीनी घुसपैठ का खतरा | Threat of Chinese infiltration in NEFA .. | 148 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 6940. केरल में पेकिंग समर्थक प्रकाशन | Pro-Peking Publications in Kerala .. | 149 |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table .. | 149—150 |
| लोक लेखा समिति | Public Accounts Committee— | |
| 46वां और 51वां प्रतिवेदन | Forty-sixth and Fifty-first Reports | 150 |
| सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति | Committee on Public Undertakings— | |
| 42वां प्रतिवेदन | Forty-second Report .. | 151 |
| निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य और मंत्री द्वारा उसका उत्तर | Statement by Member under Direction 115 and Minister's reply thereto .. | 151 |
| श्री हुकम चंद कछवाय | Shri Hukam Chand Kachwai .. | 151 |
| श्री परिमल घोष | Shri Parimal Ghosh .. | 151 |
| अनुदानों की मांगें | Demands for Grants .. | 151—175 |
| सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय | Ministry of Information and Broadcasting.. | 151—175 |
| श्री जे० मोहम्मद इमाम | Shri J. Mohamed Imam .. | 152—153 |
| श्री नरदेव स्नातक | Shri Nardeo Snatak .. | 153—154 |
| श्री भारत सिंह चौहान | Shri Bharat Singh Chauhan .. | 154—155 |
| श्री तुलसीदास जाधव | Shri Tulshidas Jadhav .. | 155—156 |
| श्री इसहाक सम्भली | Shri Ishaq Sambhali .. | 156—157 |
| श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा | Shri Inder J. Malhotra .. | 157—159 |
| श्री क० अनिरुद्धन | Shri K. Anirudhan .. | 159—160 |
| श्री इ० कु० गुजराल | Shri I. K. Gujral .. | 160—164 |
| श्री एस० एम० जोशी | Shri S. M. Joshi .. | 171—172 |
| श्री समर गुह | Shri Samar Guha .. | 172—173 |
| श्री प्रेम चन्द वर्मा | Shri Prem Chand Verma .. | 173—174 |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh .. | 174 |
| श्री अचल सिंह | Shri Achal Singh .. | 174 |
| श्री प्रकाश वीर शास्त्री | Shri Prakash Vir Shastri .. | 174 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| विधेयक पुरस्थापित | Bill Introduced | |
| 1. संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 39 का संशोधन (1969 का विधेयक संख्या 33) श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा | Constitution (Amendment) Bill Amendment of article 39 (Bill No, 33 of 1969) by Shri Om Prakash Tyagi | .. 178 |
| 2. संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 39 का संशोधन (1969 का विधेयक संख्या 32) श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा | Constitution (Amendment) Bill Amendment of Article 39 (Bill No. 32 of 1969) by Shri Om Prakash Tyagi | .. 178 |
| 3. पहिचान पत्र विधेयक श्री महाराज सिंह भारती द्वारा | Identity Card Bill by Shri Maharaj Singh Bharati | .. 179 |
| 4. संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक धारा 4, 5 आदि का संशोधन श्री प० ला० बारूपाल द्वारा | Salaries and Allowance of Members of Parliament (Amendment) Bill Amendment of Sections 4, 5 etc. by Shri P. L. Barupal | .. 179—180 |
| उच्चतम न्यायालय के अपीलीय (आपराधिक) क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक श्री आनन्द नारायण मुल्ला द्वारा प्रवर समिति को सौंपा गया | Enlargement of the Appellate (Criminal) Jurisdiction of the Supreme Court Bill —by Shri A. N. Mulla referred to Select Committee | .. 180—193 |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | Motion to Consider | .. 177 |
| श्री आनन्द नारायण मुल्ला | Shri A. N. Mulla | .. 180—183 |
| श्री नि० चं० चटर्जी | Shri N. C. Chatterjee | .. 183—184 |
| श्री हनुमन्तैया | Shri Hanumanthaiya | .. 184—185 |
| श्री कृ० मा० कौशिक | Shri K. M. Koushik | .. 185 |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh | .. 185—186 |
| श्री हुमायून कबिर | Shri Humayun Kabir | .. 186—187 |
| श्री रबी राय | Shri Rabi Ray | .. 187 |
| श्री तेन्नेटि विश्वनाथम | Shri Tenneti Viswanatham | .. 188 |
| श्री शिवाजीराव शं० देशमुख | Shri Shivajirao S. Deshmukh | .. 188—189 |
| श्री एम० नारायण रेड्डी | Shri M. N. Reddy | .. 189 |
| श्री एस० एम० कृष्ण | Shri S. M. Krishna | .. 189—190 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा | Shri Erasmo de Sequeira | .. 190 |
| श्री जार्ज फरनेन्डीज | Shri George Fernandes | .. 190—191 |
| श्री गोविन्द मेनन | Shri Govind Menon | .. 191—192 |
| संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75, 164 आदि का संशोधन) | Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 75, 164, etc.) by Shri Kameshwar Singh | .. 193—195 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to Consider | .. 193 |
| श्री कामेश्वर सिंह | Shri Kameshwar Singh | .. 193—194 |
| आधे घन्टे की चर्चा | Half-an-hour discussion | .. 195 |
| बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता | Per capita availability of Power in Bihar | .. 195 |

# लोक-सभा
## LOK SABHA

शुक्रवार, 18 अप्रैल, 1969/28 चैत्र, 1891 (शक)
*Friday, April 18, 1969/Chaitra 28, 1891 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**MR. SPEAKER** *in the Chair* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Government Officials Accompanying Ministers on Mid-Term Election Tours**

\+

*1171. **Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Central Ministers who went on tour in connection with the mid-term elections and the number of Government Officials who accompanied each one of them ;

(b) the amount paid to the employees as daily allowance and travelling allowance in connection with these tours ;

(c) whether Government would examine the question of recovering this amount from the party in power ;

(d) if not, the reasons therefor ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जायगी ।

(ग) और (घ). मंत्री, चुनाव सम्बन्धी दौरे में भी सरकारी कामकाज करते रहते हैं और उन्हें कई सरकारी मामलों को निपटाना पड़ता है । अतः वे सरकारी कर्तव्यों के पालन में, सुविधा के लिये, वैयक्तिक सहायकों तथा चपरासियों को ऐसे दौरों में अपने साथ ले जा सकते हैं । ऐसा कर्मचारी वर्ग सरकारी दौरे की यात्रा के लिये यात्रा भत्ता लेने का अधिकारी होता है । अतः इन दौरों के सम्बन्ध में कर्मचारियों को दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्तों के रूप में दी गई रकम को सत्तारूढ़ दल से वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Shri Om Prakash Tyagi :** Hon. Speaker, I want to know whether the allowances to the C.I.D. and other police officers, accompanied in plain clothes with the Ministers on General election or mid-term election tours, are paid by the ruling party or by the Government?

**श्री के० एस० रामास्वामी :** मंत्री लोग जब चुनाव के दौरे पर जाते हैं तो भी उन्हें सरकारी काम करने होते हैं । उन्हें इससे वंचित नहीं रखा जा सकता । वे अपने निजी सचिव व चपरासियों को अपने साथ ले जाते हैं । अत: इस धनराशि को दल से प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

**Shri Om Prakash Tyagi :** Hundreds' of C.I.D. (in plain clothes) accompanied the Prime Minister at the time of her election tours. These police men not only belong to that district alone but they came from different districts. I have no objection in accompanying these officers with the Prime Minister or any other Minister. As these tours are not official tours, the expenses incurred on them should be paid by the party concerned.

**श्री शिव नारायण :** अपने प्रधान मंत्री को संरक्षण देना उनका कर्तव्य है ।

**श्री के० एस० रामास्वामी :** किसी भी दौरे के समय प्रधान मंत्री तथा विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा करने का दायित्व राज्य सरकार पर है । उनके साथ जाने वाले अधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव अभियान में भाग नहीं लेते । उन्हें निष्पक्ष रहना होता है । किसी भी दल से इस सम्बन्ध में कोई भी धनराशि वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री बलराज मधोक :** मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं तो उनके उत्तर से इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि यह धनराशि किसी भी दल से वसूल नहीं की जा सकती ।

**श्री बलराज मधोक :** जब प्रधान मंत्री चुनाव दौरे पर जातीं हैं तो वे कांग्रेस के नेता की हैसियत से जातीं हैं और कांग्रेस दल उन्हें संरक्षण देने में समर्थ है । हम जनसंघ के नेता की हैसियत से जाते हैं और हमारी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाती है । लेकिन जब अधिकारी सैकड़ों और हजारों की संख्या में जाते हैं, तो उन पर खर्च होने वाली राशि का कौन भुगतान करता है ? प्रधान मंत्री अपने साथ लगभग एक हजार व्यक्तियों को ले जाती हैं । उनका खर्च कौन देता है ?

**श्री के० एस० रामास्वामी :** संरक्षण देने की व्यवस्था न केवल प्रधान मंत्री के लिये ही की जाती है बल्कि अन्य विशिष्ट व्यक्तियों तथा संसद् सदस्यों के लिये भी **(अन्तर्बाधाएं)**

**श्री न० कु० सोमानी :** किस संसद् सदस्य के लिये सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ?

**Shri Om Prakash Tyagi :** I want to ask a specific question. I want to know the number of C.I.D. staff (in plain clothes) and her personnel staff who accompanied the Prime Minister at the time of her election tours and the amount of money spent on them in the form of salary, allowances and travelling allowances?

**श्री के० एस० रामास्वामी** : मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि किसी विशेष अवसर पर उनके साथ कितने कर्मचारी गये। लेकिन उनके लिये पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी।

**श्री सु० कु० तापड़िया** : इस समय हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे से कोई संरक्षण नहीं मिल सकता।

**Shri George Fernandes** : Specific question has been asked in Part (B) of the question. Hon. Minister may please reply specifically.

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि प्रधान मंत्री के साथ कितने गुप्तचर तथा अन्य कर्मचारी गये। उनके पास इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होगी।

**श्री बलराज मधोक** : यह विशेष प्रश्न ही पूछा गया था।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि वे इस बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और इसे सभापटल पर रखेंगे।

**एक माननीय सदस्य** : इसमें उन्हें कितना समय लगेगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि प्रधान मंत्री ने बहुत से स्थानों का दौरा किया है अतः सरकार को इस बारे में ब्योरा एकत्रित करने में समय लगना स्वाभाविक ही है।

**Shri Ram Swarup Vidyarthi** : The notice of that question was given in December. Four months have passed. How much further time Government will require for this purpose ? Hon. Minister has stated that Government officials accompanied the Minister for doing official work. Therefore, some Government officials must accompany her. I want to know whether it is not a fact that at the time of the Prime Minister's tour of U. P., her private Secretary Mr. Kapoor delivered a speech in a meeting there. If it is so, I want to know the number of such Government employees and whether Government will not stop utilising their services for its own party ? If it fails to do so, whether there will not be anarchy in the country and the election work will not go smoothly ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : I can state authentically that none of the Government officials has done so.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : His speech has been printed in a newspaper.

**Shri Vidya Charan Shukla** : I fully contradict it. No Government employee has done so.

**Shri Ram Swarup Vidyarthi** : The notice of the question was given in December, but the reply of my question has not been given even after four months. How much time Government would require for it ? My second question is : it is said that the Prime Minister left for doing public work whereas according to the notification issued in the newspaper, it was an electoin tour. Therefore it cannot be said as an official tour. I want to know what public work these Government employees do ?

**Shri Vidya Charan Shukla** : If the Hon. Member has heard the main question he would have not asked this question. The Ministers do Government work on their tours. Whether the tour may be for a day or it may be fourteen days.

As they have to do some official work they have to take some employees with them. The personal staff goes for official work and not for election work. As they go for official work all the expenses on their tours are paid by the Government.

**श्री रंगा** : यह धोखा है ।

**श्री पीलू मोडी** : क्या वह यह सुझाव दे रहे हैं कि वे दिल्ली में कार्य नहीं करते ।

**Shri Narain Swarup Sharma** : The Hon. Minister has just stated that one Minister is always on official tours.

The stage of the election meeting in the Basti District was constructed by the C. P. W. D. engineers. This I saw personally. Wooden barriers were fixed in the bazars of Basti, it was not done in Nehruji's time. I want to know such wastage of money will be stopped atleast at the time of election?

**Shri Vidya Charan Shukla** : There is no question of always performing the duty. I have told that at the time of tours Ministers have to do official work and therefore it is necessary to take the personnel staff. It is not only the Prime Minister but the Minister in power in the opposition like Shri Namboodripad also takes his personnel staff with him. There are security arrangement for which the State Government is responsible. Such arrangements were not only made for the Prime Minister, but such arrangements were made for the Chief Minister of Kerala, Shri Namboodripad also. Such arrangements were not made for the Minister of some particular party. The responsibility of protection lies on the State Governments and those State Governments use their discretion for making such arrangements. It is not proper to comment like this.

**Shri Narain Swarup Sharma** : Wooden barriers were not fixed during the days of Shri Nehru.

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

**Shri Sita Ram Kesri** : I want to know whether the Congress or the other organisations have paid anything for the tours of their Ministers?

**Shri Vidya Charan Shukla** : So far as I know those organisations have paid for their Ministers. The Government has not spent anything on them.

**श्री पीलु मोडी** : यह सरकार इतनी बेशर्म हो गई है कि यह ऐसे मामलों में अनुपात को बिल्कुल भूल गई है । समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि सुरक्षा के अतिरिक्त प्रधान मंत्री के दौरे पर बिहार में 4 से 6 लाख रुपये तक खर्च किये गये । उनके दो दिन के बंगाल के दौरे पर सुरक्षा की आवश्यकताओं पर खर्च की गई धनराशि के अतिरिक्त 98,000 रुपये खर्च किये गये । हाल ही में श्री चह्वाण ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था उनके साथ सात मोटर गाड़िया थीं जिनमें अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति थे । वह गोधरा से 7 मील दूर सार्वजनिक सभा में भाषण देने जा रहे थे और वे वहां भाषण देकर वापिस आये थे और सम्भवतया वह मार्ग में कुछ कार्य भी नहीं कर सकते थे । लेकिन फिर भी उनके साथ लोहे की टोपी पहने पुलिसवालों के अतिरिक्त सब वर्ग के अधिकारी थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश में ऐसी परम्परा स्थापित करना चाहती है जिसके अनुसार जिसके हाथ में सत्ता होगी उसे हर प्रकार सरकारी संयंत्र का प्रयोग करने की अनुमति होगी जिससे

कि उसे राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त हो सके या क्या सरकार कोई ऐसा कानून बना रही है जिससे भविष्य में ऐसा न हो ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री ने मेरे उत्तर की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं उसको फिर से दोहराऊंगा ताकि वह यह समझ सकें कि मंत्री जब गैर-सरकारी दौरे पर जाते हैं तो उनके लिये क्या प्रबन्ध किये जाते हैं। यह किसी मंत्री या श्री चह्वाण के लिये आवश्यक नहीं है कि वे यह बतायें कि उनके साथ कौन से अधिकारी जायें या कौन से अधिकारी न जायें या उनके साथ कितने पुलिसवाले या सुरक्षा कर्मचारी जायें। यदि सरकार कुछ अधिकारियों या सुरक्षा अधिकारियों को उनके साथ भेजना चाहती है तो सम्बद्ध मंत्री इस बारे में आपत्ति नहीं कर सकते। किसी भी बारे में बुरी परम्परा नहीं डाली जा रही है। मंत्रियों के लिये एक कानून बनाया गया है जिसमें व्यवस्था की गई है कि जब मंत्री गैर-सरकारी दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ कितने अधिकारी वा उनके निजी कर्मचारी जा सकते हैं और उनका खर्च कौन वहन करेगा। इस बारे में सरकार ने उचित कानून बनाया हुआ है .....

**श्री पीलु मोदी** : क्या ये बातें सार्वजनिक शिष्टता के अनुरूप हैं ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : हमने स्वास्थ्यप्रद सिद्धान्त बनाये हैं और हम उनका अनुकरण कर रहे हैं।

**श्री पीलु मोदी** : वे बहुत ही अस्वास्थप्रद हैं।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : कठिनाई केवल यह है कि माननीय सदस्य अनावश्यक तौर पर मंत्रियों के दौरों के समय केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकार से अपेक्षित कर्त्तव्यों को मिला रहे हैं।

**श्री पीलु मोदी** : मैंने बिहार तथा पश्चिम बंगाल के दो उदाहरण दिये हैं जहां सुरक्षा के लिये आवश्यक धनराशि से अतिरिक्त धनराशि व्यय की गई। वास्तव में बिहार सरकार के राज्यपाल असमंजस में थे क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह धनराशि किससे वसूल की जाये। इस बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : जहां तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है जिस किसी भी बिल का केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा भुगतान नहीं किया जाता उनका दल या प्रधान मंत्री द्वारा भुगतान किया जाता है। अतः सरकार द्वारा भुगतान का प्रश्न नहीं उठता। **(अन्तर्बाधाएं)**

**श्री जयपाल सिंह** : शिष्टता संहिता के चक्कर में मुख्य विषय पर चर्चा नहीं की गई है। यह सब सुरक्षा का प्रश्न है चाहे वह सुरक्षा प्रधान मंत्री या असैनिक उड्डयन मंत्री डा० कर्ण सिंह के लिए की जाये। मुझे माननीय मंत्रियों के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न यह है कि ये सुरक्षा प्रबन्ध न केवल मंत्रियों के लिए ही आवश्यक है बल्कि श्री पीलु मोदी के लिए भी। माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रबन्ध राज्य सरकारों

द्वारा किये जाते हैं। प्रधान मंत्री या डा० कण सिंह ये अनुरोध नहीं करते कि उनके लिये मोटर वाहनों या अन्य वाहनों या घुड़सवारों की व्यवस्था की जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है ?

**श्री जयपाल सिंह :** मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रश्न को नहीं उठाया जाना चाहिए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर दिया जाना चाहिये लेकिन स्थानीय प्रबन्ध राज्य सरकारें करती हैं। यह प्रश्न यहां उठता ही नहीं।

**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा ही माननीय मंत्री ने कहा है।

**श्री हेम बरुआ :** चुनाव सभाओं में भाग लेने के अतिरिक्त मंत्रियों के दिल्ली से बाहर अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में सरकारी दौरे के कार्यक्रम के साथ-साथ भाग लेने के मामले सामने आये हैं। दिल्ली के "स्टेट्समैन" ने ऐसे मंत्रियों की सूची प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि किन-किन मंत्रियों ने ऐसा किया और उन्होंने सरकारी दौरे पर कितनी धन-राशि व्यय की। वे ऐसे नगर के आसपास सरकारी कार्यक्रम बनाते हैं जहां अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन की बैठकें होती हैं। यह सबसे निचले दर्जे के भ्रष्टाचार का एक नमूना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं, सौभाग्य से प्रधान मंत्री उपस्थित नहीं हैं कि क्या सरकार का विचार सम्बद्ध मंत्रियों को ये अनुदेश देने की है कि वे चुनाव के दौरान सार्वजनिक सभा में भाषण देने या अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन जैसे गैर-सरकारी कार्यों में भाग लेने जाते समय अपनी सरकारी स्थिति का दुरुपयोग न करें ? इस सम्बन्ध में नैतिकता का प्रयोग किया जाना चाहिये।

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि इस बारे में पहले ही अनुदेश हैं और मेरे विचार से इस बारे में कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है। अतः इस बारे में कोई नये अनुदेश जारी करने का प्रश्न नहीं। जहां तक कुछ सदस्यों का अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भाग लेने का प्रश्न है, तो ऐसा सामान्यता होता नहीं। हो सकता है कहीं ऐसा कभी हुआ हो जबकि किसी मंत्री को रास्ते में या उस स्थान के निकट सरकारी काम से जाना पड़ा हो। लेकिन ऐसा जानबूझकर नहीं किया जाता।

**श्री पीलु मोदी :** प्रधान मंत्री के बारे में ऐसा कैसा हुआ ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** किसी को इन दो बातों को नहीं जोड़ना चाहिए। मैं तो यह कह सकता हूं कि जहां तक सम्भव हो मंत्रियों को ऐसे नहीं करना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस प्रश्न पर हम सब समय गुजार देंगे ? इस प्रश्न पर मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है जिससे आप सहमत नहीं हैं। मंत्री महोदय अपने विचारों को अब परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं हैं।

**श्री बलराज मधोक :** यदि आप संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे संतुष्ट होने का प्रश्न ही नहीं । प्रश्न तो यह है कि क्या इस तरह प्रश्नकाल का समय नष्ट किया जाना चाहिए ?

**श्री रंगा** : मंत्रियों के बारे में आचरण संहिता का क्या हुआ ?

**अध्यक्ष महोदय** : यदि मंत्रियों के बारे में कोई आचरण संहिता है तो मंत्री महोदय इस बारे में बाद में जानकारी दे सकते हैं ।

## होटल उद्योग में विदेशी सहयोग

* 1172. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटल उद्योग में विदेशी सहयोग की पहले अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में कौन-कौन से वर्तमान होटल विदेशियों तथा भारतीयों द्वारा संयुक्त रूप से चलाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या इस सहयोग के कोई अच्छे परिणाम निकले हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी)** : (क) जी, हां ।

(ख) फिलहाल ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड द्वारा यू० एस० ए० के इंटरकौंटिनेन्टल होटल्स कारपोरेशन के सहयोग से केवल एक होटल, नई दिल्ली का ओबेराय इंटरकौंटिनेन्टल, चलाया जा रहा है ।

(ग) जी, हां । विदेशों से होने वाले पर्यटन के विकास किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला से संबंधित होटल विशेषतया लाभकारी होते हैं, क्योंकि वे देश में पर्यटकों के और अधिक संख्या में आयात को प्रोत्साहित करते हैं, तथा काफी बड़ी विदेशी मुद्रा के उपार्जन में सहायक होते हैं ।

**श्री वेदव्रत बरुआ** : हिलटन्स, टाटा-इंटरकौंटिनेन्टल आदि के साथ नए सहयोग समझौते किए जाने के समाचार मिले हैं । हमें विदेशी सहयोग के बारे में फिर से विचार करना चाहिए । विदेशी सहयोग से हमारे उद्योगों को कोई सहायता नहीं मिली है । इस कारण हमारे इंजीनियर हतोत्साह हो गए हैं । क्या मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे कि उपयुक्त सहयोग से पर्यटकों की संख्या में तथा विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि हो ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : जी हां । जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, निश्चय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग श्रृंखला से लाभ होते हैं । इस समय दिल्ली में इस प्रकार का केवल एक होटल है जिसका नाम ओबराय इंटरकौंटिनेन्टल है । एक ही होटल से हमें एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आय हो रही है । इस होटल के लगभग 95-98 प्रतिशत

कमरे किराये पर लगे रहते हैं। वर्ष 1968 में इस होटल में 50,000 से अधिक लोग रहे थे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** यह स्थिति अशोका होटल की अपेक्षा का परिणाम है।

**डा० कर्ण सिंह :** मूल बात यह है कि इनमें भारतीय पूंजी विनियोजन होता है। परन्तु हमें काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आय होती है। इसलिये नये विदेशी सहयोगों से आरम्भ किये गये होटलों से जिनमें से तीनों गेटवे सिटी आफ बम्बई में हैं—इंटरकांटिनेन्टल, शेरटन और हिल्टनस से विदेशी मुद्रा की आय में तथा पर्यटन यातायात में काफी वृद्धि होगी ?

**श्री पीलुमोडी :** यह उत्तर अधूरा है। क्या मैं इसको पूरा करूं ?

**श्री बेदब्रत बरुआ :** इन विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग की शर्तें क्या हैं, क्या उनमें प्रशिक्षण की सुविधा कम से कम अशोका तथा अन्य होटलों के लिये कर्मचारियों के लिये सम्मिलित है और क्या इस प्रकार के प्रशिक्षण से हमें वास्तव में लाभ होगा ? क्या इस प्रशिक्षण का उपयोग हम अपने देश के अन्य होटलों के सम्बन्ध में कर सकेंगे और क्या हम एफ्रो-एशियाई देशों में उन देशों के सहयोग के साथ अपने होटल स्थापित कर सकेंगे ?

**डा० कर्ण सिंह :** प्रशिक्षण की बात महत्वपूर्ण है। इन सहयोगों के कारण कम से कम गैर-सरकारी क्षेत्र में इन परियोजनाओं के बनने से काफी मात्रा में अतिरिक्त प्रशिक्षण मिलेगा। इन सहयोगों का सरकारी क्षेत्र के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इनका सम्बन्ध गैर-सरकारी क्षेत्र से है। सरकारी क्षेत्र में भी हम होटलों की एक श्रृंखला बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में तकनीकी सहायता के लिये हम एक विदेशी फर्म के साथ बातचीत कर रहे हैं। अन्त में एक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है जो सरकार तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये सहायक होगी।

अन्य देशों में होटल खोलने की बात पर मैं पूर्णतया सहमत हूं। जब अमरीकी फर्में भारत के साथ सहयोग कर सकती हैं तो कोई कारण नहीं भारतीय फर्में विदेशों के साथ सहयोग न कर सकें।

**श्री पीलु मोडी :** ईथोपिया में ?

**डा० कर्ण सिंह :** ईथोपिया में ही नहीं। हम जापान, आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में भी होटल खोल सकते हैं। बात यह है कि यह कार्य दो तरीकों से किया जा सकता है—गैर-सरकारी क्षेत्र के माध्यम से अथवा पहले सरकारी क्षेत्र में होटल खोले जायें, फिर गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में भी विचार किया जा सकता है।

**श्री सु० कु० तापड़िया :** हमारे देश में तीन प्रकार का सहयोग चल रहा है। पहले प्रकार के सहयोग में सहयोगकर्ता का प्रबन्ध में कोई हिस्सा नहीं होता, दूसरे में लाभ में प्रतिशत निश्चित होता है और तीसरे में विदेशी कम्पनी होटल का प्रबन्ध करती है और लाभ का कुछ प्रतिशत प्राप्त करती है। मंत्री महोदय ने कहा है कि विदेशी सहयोग के साथ केवल

एक होटल चल रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि देश में होटलों का प्रबन्ध विदेशियों के हाथों में क्यों दिया जाता है और दूसरे यदि हम पहले से उदार शर्तें रखें तो क्या भविष्य में इससे हमें लाभ पहुंचेगा ?

**डा० कर्ण सिंह** : यह प्रश्न भारत में विदेशी सहयोग के साथ चलाये जाने वाले वर्तमान होटलों के बारे में है। ऐसा होटल दिल्ली में केवल ओबराय इन्टरकांटीनेन्टल ही है। नये सहयोग बम्बई में एक शेरटन्स दूसरा इण्टरकांटिनेन्टल और तीसरा हिल्टन्स के साथ किये गये हैं। प्रत्येक सहयोग की शर्तें भिन्न-भिन्न हैं। सहयोग का कोई विशेष ढांचा निश्चित नहीं है। यह फर्मों के बीच बातचीत पर निर्भर करता है। जैसे हिल्टन के बारे में बातचीत के दौरान कुछ शर्तें रखी गई थीं परन्तु सरकार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। अब दो वर्ष के बाद जब हिल्टन्स मूल्यह्रास प्रभार, ब्याज प्रभार और अन्य प्रकार के प्रभारों की कटौती के बारे में सहमत हो गये है तभी हमने उनके सहयोग को स्वीकार किया है। अतः कोई निश्चित ढांचा नहीं है। यह कम्पनी और भारतीय फर्म पर निर्भर करता है और निश्चय ही हम लाभप्रद शर्तों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

**Shri Shashi Bhushan :** Our people have been running excellent hotels in France and England. In fact we have been accustomed to seek foreign collaboration in every field. We should not let the foreigners exploit the economic situation of our country. I suggest that foreign collaboration should be brought to an end and we should build our own industry ?

**Dr. Karan Singh :** Foreign collaboration is useful for chain booking in tourism. When a tourist plans his tour, he books his accommodation right from his country through a Zonal Agent and not by coming over here. Such type of chain booking is useful for the purpose of publicity also. We get publicity through that particular firm for which we spend lakhs and crores of rupees. We do not want to invite foreigners as such, we want to give publicity to our culture and civilisation. The second thing is that we earn a lot of foreign exchange. The third thing is that if five or seven hotels of the standards of 5 star are established in our country, the standard of hotel industry will go up.

## 1967 का सचेतक सम्मेलन

\+

1173. **श्री सूरज भान :** **श्री रणजीत सिंह :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :** **श्री बृज भूषण लाल :**

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967 में हुए सचेतकों के सम्मेलन में जो सिफारिशें की गई थीं ; उनका ब्योरा क्या है ;

(ख) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह)** : (क) अक्टूबर, 1967 में शिमला में हुए अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में अपनाई गई सिफारिशों की एक प्रति अतारांकित प्रश्न सं० 199 के उत्तर में 14 नवम्बर, 1967 को सभा-पटल पर रख दी गई थी।

(ख) और (ग). वे सिफारिशें इस प्रकार की हैं कि जिन पर विचार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये केन्द्र और राज्यों दोनों की सरकार और उन दोनों के विधान मण्डलों के अधिष्ठाताओं द्वारा कार्यवाई आवश्यक है। तदनुकूल संसदीय प्रणाली के कार्य से सम्बन्धित अपने-अपने कार्य क्षेत्र में यथाशक्य क्रियान्वित करने के लिये उन सिफारिशों को राज्य सरकारों और संसद् तथा राज्य विधानमंडलों के अधिष्ठाताओं के पास संचारित कर दिया गया था। उनसे उन सिफारिशों की क्रियान्विति की नवीनतम रिपोर्टों की अभी भी प्रतीक्षा है। अगले अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में इस स्थिति पर पुनर्विलोकन किया जायेगा। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है उनमें से कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा चुका है और अन्य सिफारिशों पर तत्परता से विचार किया जा रहा है।

**Shri Suraj Bhan :** One of the recommendations of Whips' Conference was that there should be an end to defections. May I know the action taken by the Government in this regard ?

**संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : जैसा कि सभा को पता है श्री पें० वेंकटासुब्बया द्वारा प्रस्तुत संकल्प के अनुसरण में इस समस्या पर विचार करने के लिए गृह-कार्य मंत्रालय ने एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई है। उस समिति का प्रतिवेदन 18 फरवरी 1969 को सभा-पटल पर रखा गया था। मांगों पर मतदान के पश्चात् कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निश्चित किये जाने वाले समय पर इस प्रतिवेदन पर चर्चा की जाने की सम्भावना है।

**Shri Suraj Bhan :** One of the recommendations was that Whips of recognised opposition parties should be given maximum facilities rather they should be given the status of Deputy Minister. May I know the reaction of the Hon. Minister to this recommendation ?

**श्री रघुरामैया :** विरोधी दलों के सचेतकों तथा प्रादेशिक सचेतकों के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की गई हैं, उन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

**Shri Brij Bhushan Lal :** Whips' Conference was convened keeping in view the defections in Legislatures and the consensus of opinion was that the defections should be stopped through legislation. May I know whether Congress party is deliberately hesitating in introducing the legislation for this purpose ?

**श्री रघुरामैया :** मेरे विचार में दल बदले जाने के कारण कांग्रेस दल की अधिक क्षति हुई है।

**Shri Molahu Prasad :** They are being benefited in Bihar.

**अध्यक्ष महोदय :** अब अन्य दलों के भी सदस्य कांग्रेस में सम्मिलित होते हैं। पहले केवल कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस से निकलकर अन्य दलों में सम्मिलित होते थे।

**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** इस विवरण में दो वाक्य अस्पष्ट हैं। पैराग्राफ 9 (ख) में लिखा है कि अध्ययन सम्बन्धी दौरे करने के लिए नवयुवक विधायकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और पैराग्राफ 10 (ख) में लिखा है कि नवयुवक विधायकों को विभिन्न समितियों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस आयु-सीमा से कम आयु वाले सदस्य कमजोर दिल वाले होते हैं जिन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है ?

**श्री रघुरामैया :** मेरे विचार में माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह समझते हैं।

**श्री रंगा :** क्या गत बैठक में सभा में अनुशासन, शिष्टता तथा शान्ति बनाये रखने पर तथा सचेतक के सहयोग से अध्यक्ष के साथ सहयोग करने के बारे में भी कोई विचार किया गया था ? सचेतकों को सभी प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिये परन्तु इसके साथ-साथ सचेतकों तथा उनके नेताओं के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिये, विशेषकर सचेतकों के क्योंकि वे आपस में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी हैं।

क्या इस बात पर भी विचार किया जायेगा कि सचेतक अन्य दलों के सदस्यों को फुसलाने का प्रयत्न न करें और यदि वे अन्य दल के किसी सदस्य को अपने दल में सम्मिलित करना चाहें तो वे सम्बन्धित दलों के नेताओं तथा सचेतकों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श करेंगे ?

**श्री रघुरामैया :** माननीय सदस्य श्री रंगा द्वारा उठाये गये प्रथम प्रश्न के बारे में अनेक सुझाव दिये गये हैं। मुझे यह बताने की अनुमति दी जाये कि सम्मेलन ने इस बात पर जोर देते हुये कि व्यवस्था के प्रश्न उठाने के विशेषाधिकार में किसी प्रकार कटौती नहीं की जानी चाहिए। सिफारिश की है कि इस विशेषाधिकार का केवल अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। इस सम्मेलन ने इस प्रकार सभा में शिष्टाचार को नियमित करने का यत्न किया है। उसमें अन्य भी कई बातें कही गई हैं। इसको पहले ही सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह सिफारिश सबसे महत्वपूर्ण है।

**श्री रघुरामैया :** जहां तक सचेतकों द्वारा सदस्यों को तोड़ने का सम्बन्ध है ऐसा चाहे सचेतकों द्वारा किया जाये अथवा किसी अन्य ढंग से, दल बदलना वास्तव में दल बदलना ही है और हम सब इसके विरुद्ध हैं। मैंने पहले ही बताया है कि यह मामला चर्चा के लिये पुनः उठाया जायेगा।

**Shri M. A. Khan :** Large Scale defections have started after the 1967 general elections. I want to know from the Hon. Minister the number of Congress Members defected to the opposition and also the number of opposition Members who have defected to Congress ?

**श्री रघुरामैया :** मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

**Shri M. A. Khan :** He should have the figures. If he is in possession of those figures then he should place them on the Floor of the House.

**श्री रघुरामैया** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं क्योंकि यह आंकड़े प्रतिदिन बदलते रहते हैं ।

**Shri M. A. Khan :** I want figures uptil to-day. If he has got those figures then he should place them on the Floor of the House.

**Mr. Speaker :** Even yesterday defection has taken place in Punjab.

वह आपको आंकड़े किस प्रकार बता सकते हैं जब कि अभी कल ही इनमें कुछ परिवर्तन हुआ है ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : इस बैठक विशेष में जिसमें मैं और माननीय सदस्य श्री कंवर लाल गुप्त उपस्थित थे तथा अन्य सदस्य भी थे, हमने दल बदलने पर चर्चा की थी और मैंने यह कहा था दल बदलने का एक लम्बा इतिहास है । विभीषण ने सर्वप्रथम रावण को छोड़कर राम का साथ दिया था । यह बात रामायण में है । अतः यह एक गम्भीर समस्या है ।

इसके अतिरिक्त उसमें अनेक सिफारिशें की गई हैं जैसे कि राज्यों में गैर-सरकारी व्यक्तियों को उन समितियों का जिनमें इस समय जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधिकारीगण अध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष बनाया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण समिति का—चाहे कांग्रेस की अथवा विरोधी दल की—एक मत था और इस सम्मेलन के अध्यक्ष डा० राम सुभग सिंह का भी यह मत था कि संसद् सदस्यों अथवा राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिये और सम्मान देना चाहिये तथा इन सदस्यों को जिला अधिकारियों द्वारा जो कि सदा इन समितियों के चेयरमैन होते हैं परेशान नहीं किया जाना चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सिफारिश राज्य सरकारों को भेजी गई है और यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री रघुरामैया** : अन्य सिफारिशों के साथ इस सिफारिश को भी राज्य सरकारों को भेजा गया है । राज्य सरकारों से पूर्ण रूप से उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं ।

**Magazines, Booklets and Reports Published by Education Ministry**

*1174. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of magazines, booklets and yearly, monthly and fortnightly reports published by his Ministry ;

(b) the number out of them published in Hindi and English ;

(c) whether there is any proposal to publish all these magazines and booklets both in English and Hindi languages in the near future ;

(d) if so, by what time ;

(e) if not, the utility of bringing out magazines and reports in English for the majority of the people of India who do not know English ; and

(f) the justification for spending public money on bringing out such publications in English ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan)**: (a) to (f). A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) and (b). The Ministry and its attached and subordinate offices brought out the following periodical publications in Hindi and English :

| | Yearly | Half-Yearly | Quarterly | Monthly | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindi only | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Hindi and English | 7 | — | 2 | — | 9 |
| English only | 21 | 3 | 7 | 2 | 33 |
| Total : | 28 | 3 | 10 | 4 | 45 |

In addition, they also bring out several occasional and ad-hoc publications, e. g. Guide-books, folders, by the Archaeological Survey of India ; Records, Memoires, and scientific papers by the Zoological and Anthropological Surveys of India ; technical papers, pamphlets, tide tables by the Survey of India, etc. The number of these publications varies from time to time according to the needs of the situation. Some of these are in Hindi also.

(c) and (d). Periodicals and other publications which are meant for international consumption, or are of a highly technical nature or are meant for a small specialised clientele, are generally brought out in English only. Periodicals of a popular type or booklets meant for large circulation within the country are brought out in Hindi also ; and where necessary in other Indian languages as well. The decision to bring out a publication in Hindi or in any other Indian languages in addition to English is taken on merits in each case ; and the general policy is to increase publications in Hindi and in other Indian languages.

Out of the 33 periodical publications brought out in English only at present :
—30 are either of a highly technical nature or meant for international consumption ; and
—3 are proposed to be brought out in Hindi.

(e) and (f). Publications in English are needed for scientific and technical clientele and for international purposes.

**Shri Molahu Prashad** : It has been stated in the statement laid on the table of the House that three magazines one quarterly and two monthly are published in Hindi only. Nine magazines, 7 yearly and two quarterly are published both in Hindi and English. It has also been stated in the statement that out of the thirty three magazines being published in English thirty magazines are either of highly technical nature or for international distribution. It has been further stated in the statement that in addition to the above magazines some occassional and Ad-hoc publications such as Guide books, folders by the Archaeological Survey of India and Records, Memoires and scientific papers by the zoological and Anthropological Surveys of India and technical papers, pamphlets, tide-tables by the Survey of India, are also brought out. The number of these publications varies from time to time according to the needs of the situation. Some of these are in Hindi also.

Thirty three publications are brought out in English only. These are circulated for international use. Majority of the people of our country do not know English. They know only Indian languages or regional languages. I want to know that percentage of English and Hindi, Urdu, Tamil, Uria, Telugu, Kannad, Malyalam and Bangla etc. knowing persons in India. I want to know whether there is any proposal under consideration to bring out the magazines or booklets on the said percentage basis ?

**Shri Bhakt Darshan :** The policy in this matter is that magazines or books or reports which are to be sent abroad are generally published in English only, and which are meant for internal use are published both in Hindi and English. You must have seen in the statement that some magazines are published in Hindi only. This is done according to the need. I assure you that publications being brought out in English will be scrutinised and it shall be our endeavour to bring out more and more of them in Hindi.

**Shri Molahu Prashad:** I want to know the percentage of English and Indian languages knowing persons in the country.

**Shri Bhakt Darshan :** There is no need of telling the percentage. It can be seen from the census figures. I have already stated that English publications are meant for English knowing people only.

**Shri Molahu Prashad :** I want to know the progress made by your ministry and rate thereof in accordance with orders issued by the Ministry of Home Affairs on the 6th July, 1968 ?

**Shri Bhakt Darshan :** I want to give you an assurance that the orders of the Ministry of Home Affairs are being implemented in full. My ministry is making good progress. On the other hand I would say that my ministry is making better progress than other ministries.

**Shri Molahu Prasad :** You may please tell me the number of Secretaries, Joint Secretaries and Deputy Secretaries who are writing their notes and drafts in Hindi. I want categorical reply.

**Shri Bhakt Darshan :** If prior notice is given for this question I will give a reply.

**Shri Rabi Ray :** He has tried to mislead the House in his answer. Hindi and English both have been mentioned therein. In the reply it is said that Hindi or other languages, I want to know the number of publications being brought out in other languages of India ? The Hon. Minister is of the view that it is necessary to get technical and scientific material printed for the English knowing people only. May I know whether the material being published in English is not needed by the other people who do not know Hindi ? May I also know whether you will try to get these things published in Hindi also which are being published at present in English only ?

**Shri Bhakt Darshan :** I can not tell at present the number of publications being brought out in other Indian languages than Hindi. But I want to tell you that the report of the Education Commission which is a voluminous one, has either been translated or is being translated in almost all the regional languages. The difficulty is this that equivalent technical and scientific terms in Hindi have not yet been coined and that is why they are not being taken in full use. As soon as they are coined we will consider that aspect also.

**Shri Nitiraj Singh Chaudhary:** The Hon. Minister has just now stated that 33 magazines are brought out in English only. These are of technical nature and which are meant for international use. Three magazines are published in Hindi also. I want to know whether these magazines leaving aside three magazines which are being published in Hindi

have no use for the people who know other languages than English ? If they have some use for them whether a scheme will be prepared to publish them in Hindi also ?

**Shri Bhakt Darshan :** I have already given an assurance and I want to repeat it again that the list will be scrutinised and efforts will be made to bring out more and more publications in Hindi.

**श्री दिनकर देसाई** : ऐसी भावना है कि सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं में कुशलतापूर्वक काम नहीं किया जाता और इसके परिणामस्वरूप इन पत्रिकाओं का बहुत कम परिचालन होता है। क्या माननीय मंत्री से मैं यह जान सकता हूं कि इन पत्र-पत्रिकाओं का औसतन परिचालन क्या है ?

**श्री भक्त दर्शन** : इस समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

**Shri Prem Chand Verma :** I want to bring one thing to your notice. There is huge wastage in these publications. On page 10 of the P. A. C. report pertaining to the year 1964-65 it is mentioned that out of these publications 24 percent publications were sold and 68 percent publications could not be sold upto 31st and they remained there. It has also been mentioned in one of the notes of the report that out of the fifty thousand publications seventeen thousand publications were sold as waste paper i. e. about one third could not be sold. There is no account for it. It is in the report of the Public Accounts Committee.

I want to know the expenditure incurred on bringing out these publications in one year, and how many of these remained unsold after the year, how many of them were sold, how much you got on the sale of these publications and loss incurred ? I also want to know whether the remaining publications were sold as waste peper ?

**Shri Bhakt Darshan :** The hon. Member has drawn my attention to the P. A. C. report. I will see to it. I cannot say anything without seeing the report.

**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या मैं जान सकता हूं कि ये प्रकाशन मुख्य रूप से भारतीय लोगों के बहुमत के लिए हैं जोकि अनपढ़ हैं अथवा वे भारत के विभिन्न भाषायी क्षेत्रों के शिक्षित लोगों के लिए हैं, यदि ये प्रकाशन शिक्षित लोगों के लिए हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दी के ये प्रकाशन कोई लाभदायक प्रयोजन के बजाय हिन्दी के कटुपंथियों को संतुष्ट करने के लिए हैं ?

**श्री भक्त दर्शन** : मेरे विचार में इस प्रश्न का कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

**Shri Prakash Vir Shastri :** The hon. Minister has just now stated that the member of English publications being brought out in one year is 33 and the reason for this is that they are sent abroad. Twelve publications are brought both in Hindi and English for internal use and the number of publications which are being brought out for international use is thirty-three. I want to know whether the most of the publications of the Education Ministry are meant for international use and not for internal use ? Secondly it has been written therein that a programme has been chalked out to increase their number. I want to know the details of that programme.

**Shri Bhakt Darshan :** I want to make it clear that these publications are not meant for foreign countries only. But these technical and scientific subjects are so difficult subjects

e. g. the Geological Survey or many other subjects of this survey of India that it is becoming difficult to translate them otherwise there is no hitch.

## भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां

+

*1177. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हरिदास मुंदड़ा की एक फर्म "मैसर्स टर्नर मोरिसन एण्ड कम्पनी" सम्बन्धी एक मुकदमे में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री पी० बी० मुकर्जी द्वारा हाल में दिये गये एक निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें मुंदड़ा फर्मों से सम्बद्ध होने के कारण भारत के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री बी० पी० सिन्हा के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने श्री सिन्हा से कोई स्पष्टीकरण मांगा है ; और

(ग) क्या सरकार भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को पेंशन देना बन्द करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करेगी, क्योंकि वह मुंदड़ा कम्पनियों की सेवा में है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). सरकार ने उक्त मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री पी० बी० मुकर्जी द्वारा दिया गया फैसला देखा है। उच्च न्यायालय की टिप्पणियां समवाय अधिनियम 1956 की धारा 388-बी में उल्लिखित अपकरण, जालसाजी अथवा अन्य दुराचार का स्पष्ट मामला प्रगट नहीं करती हैं। फिर भी समवाय कार्यों के विभाग से समवाय अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए मामले की और अधिक जांच करने का अनुरोध किया जा रहा है।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 125 (2) के परन्तुक को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन सम्बन्धी अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री बी० पी० सिन्हा की पेंशन के भुगतान को बन्द करने की केन्द्रीय सरकार को अनुमति नहीं है।

**Shri George Fernandes** : It is good that the hon. Minister has accepted the Constitution of India as the basis of his reply. I want to know from the hon. Minister whether the several committees of Parliament e. g. Public Accounts Committee, Estimates Committee and Public Undertaking Committee have not recommended that the officials should not accept jobs in private firms after their retirement. The Government should form some policy in this regard because if this practice continue, the officers got established their relations in many forms, with these private firms. Keeping in view the matter of former Chief Justice of India which has come before us whether the Government will bring some amendment in the Constitution so that

such a situation that any court pass remarks about any Chief Justice of India may not arise in future ?

**Shri Vidya Charan Shukla :** What the hon. Member has said about the officers is correct that if the officers join private service after the government service or retirement then it is possible that a tendency may arise to give some benefits to the private firm which he may join after retirement. The Government have made arrangements to check this tendency. Under this arrangement the officers who get pension and who intend to join private firms cannot do so without the permission of the Government upto two years after the retirement. After two years he wishes to do so he can. This is a check we have provided, so if the officers working on pensionable jobs and desirous of joining private firms within two years of their retirement send their applications for permission to us. We scrutinise the applications and if it is found that the officer was not connected with the firm during his carrear of Government service and there is no possibility of any mingling we allow him to join the desirous firm otherwise not.

So far as the question of Judges is concerned it is a complicated one. So far as the question of reducing or increasing their pension is concerned, it has been clearly mentioned in the Constitution that it can not be reduced in the disadvantage of the Judge and this provision has been made not to hurt the liberty of the Judge. If any Government is empowered to reduce the pensions of the judges as a punishment to them then a feeling may arise in the minds of the Judges that Government can reduce their pension after retirement howsoever good work they might have done then and it will hurt their liberty. Therefore the said provision has been made in the Constitution so that such a feeling may not arise in their minds. So far this particular matter is concerned it is very unfortunate. But I hope it will not happen in future. As I have said in my original reply we are awaiting the reply of the Company Affairs Department after then we will see whether we can take any action in this matter or not.

**Shri George Fernandes :** Perhaps the hon. Minister has failed to follow my question or I could not put the question properly. I wanted to know why an amendment is not made in the Constitution to ban the Judges from joining private service after retirement.

There should be provision for such a pension for them.

When this judgement was delivered, it was stated that Company Law Department was considering it. Has the Home Ministry considered it ? It is a matter of propriety therefore may I know what steps are being taken ?

**Shri Vidya Charan Shukla :** So far as the Judges are concerned, the conference of judges has adopted a code of conduct. According to this certain norms have been laid down for practicing and for accepting employment after retirement. My information is that there is no provision in that in regard to joining private employment. It is expected from them that they will think over the matter before taking any step. It is not proper to frame rules and amend constitution for such things. We take them to be responsible persons and respect their sentiments.

We have studied the judgement and have reached to the conclusion that it should be sent to Company Law Department and it should be requested to look into this and see whether any infringement has been made. No other action is being taken by us on it.

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : सेवा से निवृत्ति होने के बाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों ने रोजगार स्वीकार किया है ? श्री बी० पी० सिन्हा का कुल वेतन कितना है और उन्हें क्या-क्या विशेष उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 'दर्पण' नामक साप्ताहिक में भूतपूर्व विधि मंत्री श्री अ० कु० सेन के विरुद्ध छपे लेख की ओर दिलाया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। मंत्री महोदय इसका उत्तर न दें।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत न्यायाधीशों के लिये यह आवश्यक है कि वे निजी क्षेत्र में नौकरी पाते समय सरकार को सूचित करें। इस बारे में हमारे पास आंकड़े नहीं हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : उनका कुल कितना वेतन है ?

**अध्यक्ष महोदय** : उनके पास जानकारी नहीं है। मेरे विचार में यह लगभग 23,000 रुपये प्रतिवर्ष है।

**Shri Sheo Narain** : Sir, moral character and integrity is respected in this country. I request to the Government that it should not reopen the previous cases. For future it should be ensured that no retired person should accept private employment. I want to know whether a law would be made for this.

**Shri Vidya Charan Shukla** : I think we cannot make such a law under the constitution. As far as possible, we put restrictions on this.

## अल्प सूचना प्रश्न
## SHORT NOTICE QUESTION

### बरौनी में विद्युत जनन यूनिटों का खराब हो जाना

+

**अ०सू० प्र०सं० 15. श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के सप्ताहों में बरौनी में अधिकतर विद्युत-जनन यूनिटों के बार-बार खराब हो जाने के कारण उत्तर बिहार में बिजली की सप्लाई, जो पहले ही असाधारणत: बहुत कम है, सामान्य से लगभग 25 प्रतिशत कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)**: (क) जी, हां। लगभग 30 प्रतिशत बिजली कब उपलब्ध हुई थी।

(ख) और (ग). एक जनित्र के इंसूलेशन में खराबी आ जाने के कारण तथा एक वायलर के 'ड्राफ्ट फैंस और इकानोमाईसर ट्यूबों' में खराबी आ जाने के कारण बिजली फेल हो जाया करती थी। एक यूनिट की मरम्मत कर दी गई है और दूसरे यूनिट की मरम्मत की जा रही है। इस समय बरौनी में दो बिजली उत्पादन यूनिटें प्रतिष्ठापित की जा रही हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 50 मैगावाट है। जून, 1969 के अन्त तक 50 मैगावाट की प्रथम यूनिट जैसे ही चालू होगी, उत्तर बिहार में बिजली कमी की वर्तमान स्थिति समाप्त हो जाएगी। गया को बरौनी से, मोकामाह के रास्ते, मिलाने के लिये एक पारेषण माइन भी बनाई जा रही है ताकि बरौनी में एक या दो बिजली उत्पादन यूनिटों के खराब हो जाने से, उत्तर बिहार में बिजली की सप्लाई पर कुप्रभाव न पड़े।

**श्री सु० कु० तापड़िया**: यह बताया गया है कि बिजली की सप्लाई में 30 प्रतिशत की कमी हुई है और उसके लिये कुछ कारण दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यूनिटों के इतनी अधिक संख्या में खराब होने के क्या कारण हैं और क्या एक के कारण दूसरों में हुआ है? कितनी मात्रा में फालतू पुर्जे रखे जाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह उपलब्ध हो और इस बारे में भविष्य के लिये क्या कार्यक्रम है ताकि पता चलाया जा सके कि कहां पर बड़ी खराबी उत्पन्न होती है और उन्हें रोकने के उपाय किये जा सकें?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)**: बिजली की पहले ही कमी है और यूगोस्लाविया द्वारा सप्लाई किये गये यूनिट ठीक प्रकार से नहीं चल रहे थे। सामान्यतः हम एक मशीन रिजर्व में रखते हैं। दो मशीनों द्वारा उत्पादित बिजली पर्याप्त नहीं होती। मैं मानता हूं कि इसी कारण यह कठिनाई हुई थी।

**श्री सु० कु० तापड़िया**: माननीय मंत्री ने यूगोस्लाविया द्वारा खराब मशीनों की सप्लाई की बात की है। मैं जानना चाहता हूं कि: (क) आपने कितना प्रतिकर प्राप्त किया है और क्या आपने यह मांगा है, और (ख) इस प्रकार की खराबियां खड़ी होना बहुत साधारण बात हो गई है। यह अब समूचे देश में होने लगा है और इससे उत्पादन में हानि होती है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार औद्योगिक उपभोक्ताओं को मुआवजा देने पर विचार करेगी? एक समय था जब गैर-सरकारी क्षेत्र विद्युत जनन यन्त्र चलाता था, उस समय बन्द हो जाने के समय हुई हानि के लिये औद्योगिक उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाता था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विद्युत जनन केन्द्रों को आदेश देगी कि कृषि तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को इससे होने वाली हानि के लिये मुआवजा दें।

**डा० कु० ल० राव**: इन मशीनों के लिये गारंटी की एक अवधि नियत है। उस अवधि के दौरान सप्लाई करने वाले मरम्मत करेंगे। अब वह अवधि समाप्त हो चुकी है। बिजली

की सप्लाई की गारंटी हम नहीं दे सकते क्योंकि विभिन्न केन्द्रों को जोड़ने वाला हमारे पास अखिल भारतीय ग्रिड नहीं है । उदाहरणार्थ, जैसे कि मेरे सहयोगी ने कहा है, हम बरौनी को गया से जोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। जब यह व्यवस्था हो जायेगी तब बिजली की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आयेगी । इसी तरह भारत के अन्य भागों में गारंटी से सप्लाई देना उस समय तक सम्भव नहीं है जब तक पर्याप्त संख्या में पारेषण लाइनें नहीं बनतीं ।

**श्री सु० कु० तापड़िया** : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हैं। मैंने पूछा था कि क्या सरकार वह व्यवस्था पुनः चालू करेगी जिसके अर्न्तगत बिजली केन्द्र के खराब हो जाने पर औद्योगिक तथा कृषि उपभोक्ताओं को होने वाली हानि का मुआवजा मिला करता था ?

**डा० कु० ल० राव** : मैंने इसी का उत्तर दिया था। कलकत्ता, मद्रास अथवा बम्बई जैसे बड़े नगरों में यह सम्भव है । परन्तु यदि आप समूचे देश की बात करें तो इस समय गारंटी देना सम्भव नहीं है । सर्वप्रथम हमें दोहरी पारेषण लाइनों की व्यवस्था करनी होगी और विभिन्न राज्यों के स्टेशनों को जोड़ना होगा ताकि एक स्टेशन के बन्द हो जाने पर अन्य स्टेशनों से बिजली सप्लाई की जा सके । अतः इस समय मुआवजा अदा करना असम्भव है ।

**श्री सु० कु० तापड़िया** : अब क्या किया जा रहा है ?

**Shri Mrityunjay Prasad :** Sir, I have been staying in North Bihar during the months of February, March and April for a pretty long time. I am referring to my village. There the power supply breaks down at six in the evening and this state of affairs continues till next morning. I have made enquiries from engineers, but no satisfactory answer has been given. May I know whether they will advise the Bihar Electricity Board that when such a situation is anticipated, they should make advance announcement, so that people could make necessary arrangements. When the supply is not there in the evening, what is the use ?

**डा० कु० ल० राव** : उत्तरी बिहार में बिजली की मांग की अपेक्षा सप्लाई कम है। वहां पर पारेषण लाइनें भी कम हैं । इस विषय पर आज हम आधे घण्टे की एक चर्चा करने जा रहे हैं । उसमें और जानकारी दूंगा । मुझे कठिनाई की जानकारी है ।

**Shri Mrityunjay Prasad :** Sir, I want to know whether he would ask them to make the announcement in advance.

**डा० कु० ल० राव** : यह नहीं किया जा सकता है ।

**श्री बलराज मधोक** : भारत सरकार कहती है कि हमने बिजली के उत्पादन में वृद्धि की है परन्तु मन्त्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि ऐसी बात नहीं है । कुछ राज्यों में फालतू बिजली है और कुछ में मांग पूरी नहीं होती । बरौनी संयंत्र तो तापीय संयंत्र है । वहां पर कोयले की कमी नहीं है । क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पुनः इस प्रकार स्थिति खड़ी न हो ।

**डा० कु० ल० राव** : मैंने पहले भी बताया है कि बरौनी स्टेशन किसी और स्टेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर उत्तरी बिहार में बहुत कमी है । मैं मानता हूं कि उत्तरी बिहार में बिजली के लिये व्यवस्था करने में गलती हुई है ।

**Shri K. N. Tiwari :** North Bihar gets power from Gandak Project and Barauni. I want to know the demand of North Bihar and the capacity of these two stations.

**डा० कु० ल० राव :** गंधक से बिजली प्राप्त नहीं होती । वहां पर निर्माण-कार्य के लिये बिजली मुहैया करने के लिये एक छोटा स्टेशन स्थापित किया गया है । जब परियोजना पूरी हो जायेगी कुछ बिजली तो नेपाल को दी जायेगी । गंडक से भारत को बिजली नहीं मिलेगी ।

**Shri K. N. Tiwari :** Power is being supplied to Nartakiaganj, Ram Nagar and Bagah from Bhanslulotan and it is being supplied to Barauni, Betiah andother places from Barauni. I want to know the total demand of North Bihar and supply.

**डा० कु० ल० राव :** मेरा विचार था कि मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा के समय प्रकाश डालता । गंडक से हमें बिजली प्राप्त नहीं हो रही है । बरौनी में 15 मैगावाट के तीन यूनिट हैं । आज कल कुल 34 मैगावाट बिजली की सप्लाई है और 40 मैगावाट की मांग है । 50 मैगावाट की दो मशीनें लगाने का प्रस्ताव है । उसके बाद वहां पर्याप्त मात्रा में बिजली होगी ।

**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने का बिजली उत्पादन के लिए अपना प्रबन्ध नहीं है ?

**डा० कु० ल० राव :** बरौनी तेल शोधक कारखाने की बिजली जनन की अपनी व्यवस्था है और वह 2-3 मैगावाट ग्रिड को भी सप्लाई कर रहा है ।

**Shri M. A. Khan :** The local staff stops the supply. There are certain oil engine generators. The owners of these generators pay bribe to the operators and get the supply stopped. This corrupt practice is very common there. May I know whether the hon. Minister will look into this and set the matters right.

**डा० कु० ल० राव :** मुझे इसकी जानकारी नहीं हैं । मैं पता करूंगा ।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर
## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन और एयर इंडिया का विलय

*1175. **श्री जि० ब० सिंह :**
**श्री श्री गोपाल साबू :**
**श्री शारदानन्द :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि "इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन" और "एयर इण्डिया" का विलय कर दिया जाय तो बहुत से धन की बचत हो जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बचत होगी ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन निगमों का विलय करने का है ; और

(घ) यदि, नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग). चूंकि दोनों एयर कारपोरेशनों के बीच अपेक्षित निकट सहयोग एवं समन्वय की पूर्ति निदेशकों के एक साझे बोर्ड द्वारा हो जाती है, इसलिए फिलहाल दोनों कारपोरेशनों के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह महसूस किया जाता है कि विलय से उसके अनुरूप लाभ न होने के अलावा कार्य दुःसाध्य हो जायेगा ।

**औषध निर्माण संकाय**

*1175. **श्री रा० की० अमीन :**

**श्री द० रा० परमार :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय औषध निर्माता कांग्रेस के 20वें सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचार के अनुसार विश्वविद्यालयों में एक पृथक औषध निर्माण संकाय को खोलने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) और (ख). भारतीय भेषज कांग्रेस ने दिसम्बर, 1968 को हुए अपने 20वें सम्मेलन में यह सिफारिश की है कि भेषजीय शिक्षा के विकास तथा ठीक-ठीक आधार पर अनुसंधान करने के लिए, देश के विश्वविद्यालयों में इस विषय के लिये अलग से संकाय होना चाहिए ।

इस सिफारिश को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को विश्वविद्यालयों के परामर्श से उनके विचारार्थ भेजा जा रहा है ।

**भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान, कानपुर**

*1178. **श्री ए० श्रीधरन :**

**श्री क० लकप्पा :**

**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **शिक्षा तथा युवक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान, कानपुर के 3000 कर्मचारी पिछले तीन वर्षों से दैनिक मजूरी के आधार पर काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी सेवाओं को नियमित बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी नहीं। संस्थान में 31-3-1969 को 2193 कर्मचारी थे, जिनमें से केवल 135 व्यक्ति पिछले तीन वर्षों से दैनिक मजदूरी के आधार पर काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग). क्योंकि संस्थान अभी तक विकाशशील स्थिति में है, इसलिए निर्माण, उद्यान, सफाई कार्यों और अन्य कार्यों के लिये, समय-समय पर वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार कामगर नियुक्त किए जाते हैं। इन कामगरों को उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियमित रूप से नियुक्त करने पर विचार किया जाता है।

**Alleged Central Interference in the Working of Delhi Administration**

*1179. **Shri Onkar Singh :**
**Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a deputation of some Jan Sangh M.Ps., had met him, under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee and had complained that the Central Government are unduly interfering in the working of the Delhi Administration ;

(b) if so, the demands put forth by the said deputation ; and

(c) the assurance given to the deputation in the matter ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) to (c). A deputation of Jan Sangh Members of Parliament led by Shri Atal Bihari Vajpayee had met the Home Minister. The delegation put forward their views about various subjects like nominations of N.D.M.C., relations between N.D.M.C. and Delhi Administration, attitude of the Central Government towards Delhi Administration etc. The Home Minister had assured them that the attitude of the Central Government in matters relating to Delhi Administration has always been and will continue to be of understanding and co-operation.

**समाज शिक्षा के लिए धन का नियतन**

*1180. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय योजना दल ने समाज शिक्षा के लिए जिसमें राज्यों में पुस्तकालयों आदि का विस्तार शामिल है, 22.80 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है जबकि राज्यों ने इस कार्य के लिए केवल 7.42 करोड़ रुपए नियत किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी हां। आयोजना दल ने 22.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की सिफारिश की थी, किन्तु राज्यों के प्रस्तावित मसौदों में तदनुरूपी नियतन केवल 7.42 करोड़ रुपए तक बढ़े।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार को कारण नहीं बताए गए हैं। सम्भवतः इसका कारण राज्यों के सीमित वित्तीय साधन तथा शिक्षा की अन्य शाखाओं पर जोर देना है। फिर भी, निरक्षरता को शीघ्रता से दूर करने की आवश्यकता की ओर बार-बार राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

**Indianisation of Foreign Religious Missions in India**

*1181. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the concrete steps taken by Government every year during the past 21 years in the direction of successive Indianisation of foreign religious missions in India and the outcome thereof and details of the future plan in this respect ;

(b) the number of foreign religious missionaries active in India during the past 21 years and the amount of foreign funds which flowed into India through them ;

(c) the result of the successive Indianisation of these missions every year ; and

(d) whether Government propose to consider the memoranda of the Indian National Church ; and if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) and (c). Indianisation of foreign Christian missions is proposed to be achieved progressively by allowing fresh foreign missionaries only if they possess outstanding qualifications or specialised experience and no suitable Indians are available for the work. The decision was taken in 1954. A statement showing the number of foreign Christian missionaries in India since 1953 is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-806/69.]** There has been gradual reduction in the number of Foreign Christian Missionaries.

The same policy is proposed to be followed in this respect in future.

(b) Information in respect of the number of foreign Christian missionaries in India since 1953 has been given in reply to part (a) above. Information in respect of earlier years is not available.

As regards foreign funds, remittances received by Christian missionary organisations are not classified separately in the exchange accounts. These inward remittances come under the general head 'Private Donations'. A sub-head under this head accounts for receipts by missionaries, charitable institutions and other individuals. During 1966 and 1967, the coverage under this sub-head also included receipts under Titles II and III of PL 480 and the National Defence Remittance Scheme. A statement showing the receipts from abroad accounted for under the said sub-head during the period from July, 1955 to 1967 for which information is available is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-806/69.]**

(d) Certain memoranda have been received from the Indian National Church and the points made therein have been given due consideration.

**Place for Sanskrit in three Language Formula**

*1182. **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have received certain proposals in regard to giving Sanskrit her due place in the Three-Language Formula ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) whether taking into consideration the usefulness of Sanskrit, his Ministry proposes to the certain new decisions in this respect ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :** (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Government recognises the importance of the study of Sanskrit in the national system of Education. The current thinking of the Education Commission and that of the Central Advisory Board of Education is that Sanskrit or other classical languages cannot be included in the Three-Language Formula, because this formula, for various reasons, had to be restricted to Modern Indian languages only. The Government of India is, however, giving further consideration to the matter ; meanwhile a larger Plan allocation has been made during the Fourth Plan period for the propagation and development of Sanskrit.

**विश्व पर्यटकों की भारतीय वन्य जीवन में रुचि**

*1183. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल 1 प्रतिशत विश्व पर्यटक तथा 3.5 प्रतिशत भारतीय पर्यटक ही भारत में उन पर्यटक केन्द्रों में भ्रमण के लिये जाते हैं जिनमें वन्य पशु विचरते हैं जबकि ये वन्य पशु तथा पक्षी भारत में काफी संख्या में हैं; और

(ख) यदि हां, तो हमारे राष्ट्रीय उद्यानों का भ्रमण करने के लिये और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु समुचित सुविधाएं प्रदान न करने के क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) यद्यपि शिकारगाहों (गेम सैंक्चुअरीज) को जाने वाले पर्यटकों के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते, यह निःसन्देह सत्य है कि भारतीय वन्य पशुओं को देशीय तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के बहुत कम पर्यटक देखने जाते हैं ।

(ख) उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत, शिकारगाहों में सुविधाओं का सुधार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस प्रयोजन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 50.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । इसके अलावा, चूंकि 'वन' राज्य सरकार का विषय है, इसलिए राज्यों के वन विभागों के साथ समन्वय-कार्य भी आवश्यक है ।

**Simplification of Sales Tax Act in Delhi**

*1184. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have a proposal under consideration to simplify the Sales Tax Act in Delhi ;

(b) if so, the aspects which Government are examining ;

(c) whether Government propose to bring forward a legislation in this connection ; and

(d) if so, when and on what aspects ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) to (d). A proposal is under the consideration of the Delhi Administration to replace the existing sales tax law applicable in Delhi by a new enactment. Under Section 22(1)(a) of the Delhi Administration Act, 1966, the Metropolitan Council has the right to discuss and make recommendations in regard to such proposals. No concrete proposal, finally approved by the Council has so far come to the Government of India.

**Abolition of Octroi System in Delhi**

*1185. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration has proposed abolition of the Octroi system in the Union Territory of Delhi in order to make the Road Transport quicker and smooth ;

(b) whether this proposal cannot be implemented without an amendment of the Delhi Municipal Corporation Act 1957 ; and

(c) If so, whether Government propose to amend the aforesaid Act suitably ?

**The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) :** (a) Presumably, the question refers to the terminal tax which is levied by the Delhi Municipal Corporation on goods brought into Delhi. No proposal for the abolition of this tax has been received from the Delhi Administration.

(b) and (c). Do not arise.

**प्राथमिक शिक्षा आयोग**

*1186. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों ने एक प्राथमिक शिक्षा आयोग नियुक्त करने की मांग की है;

(ख) क्या प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की ऐसी कुछ समस्यायें हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है; और

(ग) इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) से (ग). प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक प्राथमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की मांग करते रहे हैं, किन्तु आयोग को सौंपे जाने वाले प्रस्तावित कार्यों में भिन्नता रही है। कोठारी आयोग ने हाल ही में, प्राथमिक शिक्षा सहित शिक्षा की सभी विभिन्न समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के लिए किसी नए आयोग की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझी गई है।

**Cattle Removed by Pakistanis**

*1187. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri R. K. Birla :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistani people had taken away a large number of cattle heads to Pakistan from the Ravipur Phulmasi border of District Malda in West Bengal in the months of November and December, 1968 and in January, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that they had violated the border with the help of the armed persons of the Pakistan Rifles ; and

(c) if so, the action being taken by Government to check such activities ?

**The Minister of Home AAairs (Shri Y. B. Chavan)** : (a) and (b). In the month of December, 1968, Pakistani nationals, backed by the East Pakistan Rifles took away 136 Heads of Cattle from Asrafpur Falimari border (not Ravipur Phulmasi border) area, falling in Police Station Habibpur, District Malda. No cattle was taken away from this area during the months of November, 1968 or January, 1969.

(c) The Border Security Force and the local police have intensified vigilance in the area.

**"India Got Freedom Through Lenin" Remark at Sofia Youth Festival**

*1188. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government will make an enquiry into the news that a member of the delegation participating in the 9th Youth Festival at Sofia had remarked at the ceremony organised by the Indo-Uzbeck Friendship Association that "India got freedom because of Lenin" ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the action of Government propose to take in this respect ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao)** : (a) Government has not received any report which indicated that such a remark was made by any member of the delegation participating in the 9th Youth Festival of Sofia.

(b) and (c). Question does not arise.

## मिनिकाय में पुलिस द्वारा अत्याचार

*1189. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिनिकाय द्वीप के निवासियों पर अत्याचार करने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं, उन्होंने किस-किस प्रकार के अत्याचार किये और प्रमुख 10 पीड़ितों के नाम क्या हैं;

(ख) मामले की जांच करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा दिये गये प्रतिवेदन की उपपत्तियों का ब्योरा क्या है; और

(ग) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):** (क) से (ग). एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 807/69]**

## प्रतिलिप्यधिकार पर बने अभिसमय में भारत की सदस्यता

*1190. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री रवि राय :**
**श्री श्रीनिवास मिश्र :**
**श्री एस० एम० कृष्ण :**
**श्री स० कुन्दू :**
**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
**श्री रामावतार शर्मा :**
**श्री रा० वें० नायक :**
**श्री मुहम्मद इमाम :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री लोबो प्रभु :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने, जो प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी बर्न अभिसमय का मुख्य लाभ प्राप्तकर्ता है, प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी अधिकार को उदार बनाने तथा विकासशील देशों के लाभार्थ बनाये गये सामान्य करार द्वारा बनाई गई रियायतों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन की सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि वह बर्न अभिसमय के स्टाकहोम संस्करण से सम्बद्ध विकासशील देशों के बारे में करार सम्बन्धी व्यवस्था को क्रियान्वित नहीं करना चाहती थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने बर्न अभिसमय की सदस्यता छोड़ने का निश्चय किया है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

**पत्तन विकास कार्यक्रम**

*1191. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

**श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने योजना आयोग को, चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु एक पत्तन विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे इस बीच स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) उसकी रूपरेखा क्या है ?

**संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रस्तावों को अभी अंतिमरूप नहीं दिया गया है क्योंकि चौथी योजना का अभी अनुमोदन होना है ।

**Allotment of Plot of Land at Gwalior to Rajmata Vijaya Raje Scindia**

*1192. **Shri Bibhuti Misra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government had requested the Central Government to allot a certain plot of land of Jai Vilas Palace in Gwalior to Rajmata Vijaya Raje Scindia ; and

(b) if so, the decision taken by the Government in this regard ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan)** : (a) No, Sir.

(b) Does not orise.

**भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तक**

*1193. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

**श्री लताफत अली खान :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भाषाओं में तकनीकी तथा वैज्ञानिक विषयों पर प्रमाणिक पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिये राज्यों और विश्वविद्यालयों को कितनी राशि दी गई है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) सम्भवतः आदरणीय सदस्य के प्रश्न का संबंध विश्वविद्यालय स्तर की मानक पाठ्य पुस्तकों से है। राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन के लिए 1968-69 के दौरान राज्य सरकारों को निम्नलिखित अनुदान दिए गए थे :—

| राज्य सरकार का नाम | अनुदान की राशि रुपये |
|---|---|
| राजस्थान | 5,00,000.00 |
| बिहार | 5,00,000.00 |
| उत्तर प्रदेश | 2,00,000.00 |
| हरियाणा | 2,00,000.00 |
| आन्ध्र प्रदेश | 10,00,000.00 |
| मध्य प्रदेश | 1,00,000.00 |
| तमिल नाडु | 1,72,000.00 |
| पश्चिम बंगाल | 32,778.00 |
| केरल | 43,050.00 |
| मैसूर | 5,00,000.00 |
| महाराष्ट्र | 1,00,000.00 |
| असम | 1,00,000.00 |
| जोड़ | 34,47,828.00 |

तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों की मानक पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन के लिए इस अनुदान में से अलग से कोई राशि निश्चित नहीं की गई थी। विषयवार नियतन विश्वविद्यालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है।

**बमियान (अफगानिस्तान) में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं तथा चित्रों का संरक्षण और रसायनों द्वारा परिरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम**

*1194. **श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री बेणी शंकर शर्मा :**
**श्री बलराज मधोक :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग वर्ष 1969-70 में अफगानिस्तान के

बमियान नामक स्थान में महात्मा बुद्ध की विश्व विख्यात प्रतिमाओं तथा चित्रों के संरक्षण और रसायनों द्वारा परिरक्षण का एक कार्यक्रम आरम्भ करेगा;

(ख) यदि हां, तो बनाये गये कार्यक्रम का ब्योरा क्या है तथा उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को कौन वहन करेगा ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहां आरा जयपाल सिंह)** : (क) जी हां । बामियान स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं तथा चित्रों के संरक्षण और रसायनों द्वारा परिरक्षण के कार्य को 1969-70 के दौरान शुरू करने का विचार है ।

(ख) इस कार्यक्रम में शामिल हैं : (i) चट्टानों के अग्रभाग पर बहने वाले पानी के बहाव को मोड़ने, चट्टानों के अग्रभागों में दरारों और कटावों को भरने, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं के क्षतिग्रस्त भागों तथा उनके चारों ओर गुफाओं की मरम्मत जैसी इमारती मरम्मतें करना और (ii) चित्रों का रसायन द्वारा परिरक्षण करना जिसमें चित्रित सतह को साफ करना, टूटे सिरों को ठीक करने समेत ऐसे प्लास्टर को मजबूत करना जिस पर चित्र हों तथा चित्रों पर परिरक्षक का प्रयोग शामिल है । इस कार्य का अनुमानित खर्च 20.30 लाख रुपये है ।

(ग) आशा है कि इस प्रायोजना के लिए यूनेस्को सहायता देगा । अफगान सरकार सम्भवतः स्थानीय खर्च उठाएगी । बातचीत चल रही है ।

**सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए आयु सीमा**

*1195. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये आयु सीमा में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) क्या कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण, सेवा निवृत्ति के समूचे प्रश्न और रोजगार की स्थिति में सुधार करने के बारे में दिये गये अनेक सुझावों पर भी विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया है और उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (घ). प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन बातों पर अभी तक अपने विचारों को अंतिमरूप नहीं दिया है ।

**हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के वेतन-मान**

*1196. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों ने अपने अराजपत्रित सेवा संघ के

माध्यम से केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन भेजा है कि उन्हें केन्द्रीय सरकार के वेतन-मान दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मांग स्वीकार नहीं की गई है।

**मध्य एशिया के देशों में पुरातत्वीय संबंधी जांच**

*1197. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य एशिया के देशों में पुरातत्वीय सम्बन्धी जांच कराने की सरकार की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बद्ध सरकारों से बातचीत की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहां आरा जयपाल सिंह)** : (क) भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण, ईरान, अफगानिस्तान और सोवियत केन्द्रीय एशिया के कुछ प्रत्याशित स्थानों पर पुरातत्वीय खुदाई कराने की सम्भावना की जांच कर रहा है।

(ख) और (ग). भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण ने, ईरान और अफगानिस्तान के पुरातत्वीय महानिदेशकों तथा केन्द्रीय एशिया की सभ्यता के अध्ययन की सोवियत समिति के अध्यक्ष और सोवियत रूस की वैज्ञानिक अकादमी तथा एशिया संस्थान के निदेशक से अनौपचारिक रूप से पत्र व्यवहार किया है। उक्त संस्थाओं के उत्तरों की प्रतीक्षा है।

**Use of Hindi in Union Public Service Commission Examination**

*1198. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
**Shri C. Chittyababu :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Hindi has been adopted as a medium in the examinations conducted by the U. P. S. C.;

(b) if not, the reasons therefor and the time by which it is likely to be adopted ; and

(c) the progress made in adopting the regional languages in the examinations of the U. P. S. C. ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) to (c). The earlier decision to introduce Hindi as an alternative medium of the Union Public Service Commission Examination was subsequently altered to one for permitting

all the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution, in addition to English, as media of the All India and Higher Central Services Examinations conducted by the Union Public Service Commission.

For the Combined Competitive Examination to be held in October, 1969, the paper in **'Essay'** and **'General Knowledge'** can be answered in English, or in any **one** of the Languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution including Hindi. Since 1964, Hindi has also been permitted as an alternative medium for **'Essay'** and **'General Knowledge'** papers at the Assistants Grades and Lower Division Clerks' Examinations conducted by the Union Public Service Commission. It is hoped that with the experience gained during the Combined Competitive Examination 1969 the Commission will be in a position to progressively extend the use of regional languages for answering questionpapers in other subjects also. It is not possible at this stage to indicate precisely the time by which this is likely to be done.

**प्रधान मंत्री के चुनाव दौरों के दौरान की गई व्यवस्था**

*1199. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि प्रधान मंत्री के हाल के चुनाव दौरों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा बल्लियां तथा बाड़ आदि लगाने और पुलिस मैनों को 24 घंटों के लिए तैनात करने आदि के प्रबन्ध किये गये थे;

(ख) क्या इन प्रबन्धों पर होने वाला खर्च सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए तथा लोगों की किसी भीड़ में व्यवस्था बनाए रखने के प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं । प्रधान मंत्री की चुनाव सभाओं के संबंध में मंचों, रोशनी, ध्वनिविस्तारकों इत्यादि के प्रबन्ध पर व्यय के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों से मालूम की जा रही है ।

**विस्थापित लोगों की पिछली सरकारी सेवा को मान्यता**

*1200. **श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से आये उन विस्थापित लोगों की जिन्हें विवश होकर भारत आना पड़ा था, पिछली सरकारी सेवा को पेंशन और सेवा-समाप्ति पर मिलने वाले अन्य लाभों के लिये मान्यता देने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों के ऐसे कितने मामलों पर 1948 से विचार किया गया है ;

(ग) पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों के और ऐसे कितने मामले सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(घ) उन मामलों में शीघ्रतापूर्वक निर्णय करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

वित्त मंत्रालय जो मूलरूप से प्रश्न के विषय-वस्तु से सम्बन्धित है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :

(क) सिन्ध अथवा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रान्त की भूतपूर्व प्रान्तीय सरकारों के विस्थापित उन स्थायी सरकारी कर्मचारियों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप में भारत सरकार के अन्तर्गत की गई सेवा के साथ सिन्ध अथवा उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रान्त में की गई अर्हक सेवा के आधार पर परिकलित पूरी पेंशन स्वीकृत की गई है, जिनका 15 अगस्त, 1947 के बाद सिन्ध में और 1 मार्च, 1947 के बाद उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रान्त में प्रबल हो रही असाधारण परिस्थितियों के कारण 31 दिसम्बर, 1951 तक भारत में प्रव्रजन किया था और जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले भारत सरकार में नियुक्त कर दिये गये थे ।

(ख) अविभाजित बंगाल की भूतपूर्व प्रान्तीय सरकार के उन विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के लिये पेंशन स्वीकृत करने की भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान में सेवा करना पसन्द किया और जो 15 अगस्त, 1947 को अथवा उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया । सिन्ध अथवा उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रान्त के विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के उन मामलों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिन पर 1948 से विचार किया गया था । ये व्यक्ति भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन के पात्र हो गये अत: सारे भारत में फैले विभिन्न पेंशन मंजूर करने वाले प्राधिकारियों से सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी और इसके लिए अधिक समय और श्रम की आवश्यकता पड़ेगी ।

(ग) और (घ). सिन्ध अथवा उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रान्त से आये विस्थापित सरकारी कर्मचारियों विचाराधीन पेंशन के मामलों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के मामलों की प्रक्रिया सामान्य रूप से अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की भांति इस आशय से की जाती है कि पेंशन के मामले को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि के 12 महीने पूर्व आरम्भ की जा सके । सम्बन्धित पेंशन मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा पेंशन के मामलों को अन्तिम रूप दिया जाता है ।

**खनन इन्जीनियरों द्वारा विदेशों में रोजगार प्राप्त करना**

6742. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विदेशों में देशवार कितने भारतीय खनन इन्जीनियरों को रोजगार मिला ;

(ख) देश में कितने खनन इन्जीनियर अब भी बेरोजगार हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष कितने नए खनन इन्जीनियर तैयार किए जा रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में उनकी मांग नहीं है, शिक्षा पाकर निकलने वाले इन इंजीनियरों की संख्या को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा विशेषज्ञों की आवश्यकता का प्रति वर्ष अनुमान न लगाने तथा उम्मीदवारों और उनके माता पिता को वर्ष प्रतिवर्ष उनकी मांग की सूचना न देने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, किसी भी भारतीय खनन इन्जीनियर, पिछले दो वर्षों के दौरान भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय अथवा विभाग के प्रयत्नों से विदेशों में रोजगार प्राप्त नहीं किया है ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1968 को रोजगार निदेशालय के चालू रजिस्टर में 325 खनन इन्जीनियरों के नाम दर्ज थे ।

(ग) 1968-69 में खनन इन्जीनियरी के डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिलों की संख्या कम करके 77 कर दी गई थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 140 थी ।

(घ) खनन इन्जीनियरों की मांग की लगातार जांच की जा रही है और संस्थाओं में दाखिले की संख्या यथासम्भव अनुमानित मांग के अनुसार रखी जा रही है ।

**फ्लाइंग क्लबें**

6743. **श्री बाबूराव पटेल** :

**श्री रा० कृ० बिड़ला** :

**श्री मनुभाई पटेल** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी फ्लाइंग क्लबें हैं, वे कहां-कहां स्थित हैं तथा क्लबवार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी राज्य सहायता और अनुदान दिया जाता है ;

(ख) इन क्लबों में क्लबवार शिक्षकों के नाम और उनकी अर्हताएं क्या हैं तथा पिछले दो वर्षों में उन्होंने प्रतिवर्ष लाइसेंस प्राप्त तथा क्लबवार कितने विमानचालक सेवा से हटाये हैं ;

(ग) पिछले दो वर्षों में ऐसे कितने विमानचालकों को वाणिज्यिक उड्डयन में रखा गया ;

(घ) क्या इन उड्डयन क्लबों के अतिरिक्त वाणिज्यिक विमानचालकों को प्रशिक्षण देने के लिये और भी कोई सरकारी संस्था है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) इन क्लबों में एक प्रशिक्षणार्थी का वाणिज्यिक उड्डयन के लिये लाइसेंस प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त करने तक कुल कितना खर्च आता है ; और

(च) वाणिज्यिक उड्डयन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आयु-सीमा, शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं क्या आवश्यक हैं और कुल प्रशिक्षण अवधि कितनी है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) देश में 24 उपदान प्राप्त क्लब हैं । उन क्लबों के नाम, स्थान और 1966-67 और 1967-68 में उन द्वारा प्राप्त किये गये उपदान व आर्थिक सहायता को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। (परिशिष्ट 'ए') **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 808/69]**

क्लबों को निर्धारित दरों (परिशिष्ट 'बी') पर उपदान एवं आर्थिक सहायता की पात्रता प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 800 घण्टे की प्रशिक्षण उड़ान करनी पड़ती है । जब किसी उपदान प्राप्त क्लब का किन्हीं ऐसी परिस्थितियों के कारण जो इसके बस के बाहर हों, उड़ान कार्य निर्धारित सीमा से कम रह जाता है तो उसका नियत उपदान उसी अनुपात में कम कर दिया जाता है ।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना परिशिष्ट 'सी' में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 808/69]**

(घ) जी, नहीं । फिलहाल देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है । परन्तु वाणिज्यिक विमान-चालकों और विमान कर्मियों के अन्य वर्गों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये एक पूर्णांक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ङ) वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस के उम्मीदवार को आवेदन की तिथि से अव्यहित रूप से पूर्व-वर्ती पांच वर्षों की अवधि के अन्दर-अन्दर 250 घण्टे का उड़ान कार्य पूरा कर लेना पड़ता है । उड़ान शुल्क 25 रुपये प्रति घंटा अथवा 40 रुपए प्रति घंटा की दर से देय होता है, परन्तु यह उपदानित दरों पर किये जाने वाले उड़ान की मात्रा पर लगाये गये कुछ अन्य प्रतिबन्धों के सापेक्ष हैं । इसका ब्योरा परिशिष्ट 'डी' में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 808/69]**

उड़ान शुल्क के भुगतान के अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों को अपने भोजन, आवास तथा अन्य प्रासंगिक व्ययों का वहन करना पड़ता है ।

(च) वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस जारी करने की शर्तें विमान नियम, 1937 की अनुसूची II के सेक्शन 'डी' में दी गई हैं । इन नियमों के अनुसार वाणिज्यिक विमानचालक

लाइसेंस के उम्मीदवार की आयु आवेदन की तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इन नियमों में कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है परन्तु अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। उसे नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई शर्तों का अनुपालन करते हुए अपनी स्वास्थ्य परीक्षा कराके अनुमोदित मेडिकल बोर्ड से निर्धारित फार्म में शारीरिक स्वस्थता का एक प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ता है।

**गुजरात राज्य में केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपे गये मामले**

6744. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में वर्ष 1968 में केन्द्रीय जांच विभाग को कितने मामले सौंपे गये तथा उनका स्वरूप क्या है ; और

(ख) 1968 में उनमें से कितने मामलों पर केन्द्रीय जांच विभाग ने फैसला दिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) गुजरात राज्य में 1968 के दौरान अवैध आनुतोषिक की मांग, समयोपरि भत्ते के झूठे दावे, सरकारी धन का दुर्विनियोग, शुल्क के भुगतान का अपवंचन, आयात लाइसेंसों की जालसाजी और वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस पर आयातित स्टेनलेस स्टील की चादरों का दुरुपयोग, इत्यादि के विभिन्न आरोपों से सम्बन्धित 41 मामले केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपे गये।

(ख) 1968 के दौरान इन मामलों की स्थिति इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| (1) अनुशासनात्मक कार्यवाई के लिए सिफारिश किये गये मामले | 15 मामले |
| (2) उपयुक्त विभागीय कार्रवाई के लिये | 1 मामला |
| (3) न्यायालय में परीक्षण के लिये भेजे गये और जिसमें सजा मिली | 1 मामला |
| (4) 1968 के अन्त में जांच के लिए लम्बित पड़े | 24 मामले |

**इसरायल से आने वाले पर्यटकों को वीजा देना**

6745. **श्री बृजराज सिंह** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इसरायल से नेपाल अथवा सुदूर पूर्व में आने वाले पर्यटकों को विजा नहीं दिए जाते हैं ;

(ख) ऐसे कितने पर्यटक भारत आ सकते हैं जिससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा का लाभ हो ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं। निःसन्देह, हमारे विदेशों में स्थित दूतावास इसराइल से भारत को अथवा भारत में से होकर निजी यात्राओं पर जाने वाले व्यक्तियों को पर्यटक वीजा जारी करते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद**

6746. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद विदेशी संभ्रान्त व्यक्तियों के लिए स्वागत समारोहों तथा समारोहों का आयोजन करती है ;

(ख) यदि हां, तो समारोह में कभी आमंत्रित लोगों के लिए मदिरा की व्यवस्था की गई है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार की पूर्वानुमति से इसकी व्यवस्था की गई थी ; और

(घ) समारोहों में परोसी गई मदिरा तथा अन्य वस्तुओं पर कितना व्यय हुआ ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सामान्य आबकारी विनियमों का पालन करने के अलावा, ऐसी किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है।

(घ) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 809/69]**

**केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियम, 1964 का उल्लंघन**

6747. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में (वर्षवार) सरकारी कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के नियम 4 के उल्लंघन के सम्बन्ध में अर्थात् सरकारी संरक्षण प्राप्त निजी कम्पनियों में नजदीकी सम्बन्धियों को नौकरी देने के सम्बन्ध में सरकार को कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) क्या इन नियमों को पूरी तरह पालन किये जाने के लिये कड़ी जांच रखी जानी है; और

(ग) वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सरकारी सेवा से रिटायर होने के थोड़ा समय पूर्व निजी कम्पनियों में अपने सम्बन्धियों या स्वयं अपने लिये नौकरियां प्राप्त करने के लिये अपने शासकीय पदों का दुरुपयोग न करें यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने और क्या उपाय किये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग). सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के उपबन्धों का ईमानदारी से पालन करें । इन उपबन्धों के उल्लंघन को सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये उचित एवं पर्याप्त कारण माना जायेगा । ऐसी कार्यवाही तभी संभव हो सकती है जब कि उक्त नियम का कोई उल्लंघन सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में आ जाय ।

सेवा निवृत्त होने वाले जो कर्मचारी गैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरियां चाहते हैं, उनके बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं कि सेवा के दौरान कोई भी सरकारी कर्मचारी व्यापारिक रोजगार के लिये सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना बातचीत नहीं करेंगे तथा ऐसी अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक ऐसा करने के लिये विशेष कारण (आधार) न हों । इसके अतिरिक्त सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 531-बी के अन्तर्गत केन्द्रीय सिविल सेवाओं के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को सेवा निवृत्ति के दो साल के भीतर व्यापारिक रोजगार स्वीकार करने हेतु, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है । उक्त कालावधि के भीतर यदि कोई पेन्शन प्राप्त अधिकारी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति बिना व्यापारिक रोजगार स्वीकार कर लेता है तो उसे उस कालावधि के लिये जब कि वह उस रोजगार पर रहता है अथवा उससे अधिक कालावधि के लिये, जैसा कि राष्ट्रपति निदेश दें, कोई पेन्शन नहीं दी जायेगी ।

ऐसी अनुज्ञा के सभी अनुरोध परिभाषित माप दण्डों के सन्दर्भ में जांचे जाते हैं और सभी सम्बन्धित पहलुओं पर सावधानी से विचार करके निर्णय किये जाते हैं ।

**Beri Commission Report**

6748. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Beri Commission, which reported on firing in the Jaipur in March 1967, has in its Report found police action, including firing by them, unnecessary and concerned officials guilty ;

(b) whether it is also a fact that no action has so far been taken against the guilty officials by the State Government ; and

(c) if so, the reaction of Government in the matter ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) The Commission has held that the firings in Johri Bazar and in Sirehdeodi Bazar were wholly unjustified and that the firing at the Kotwali was regulated, controlled and was wholly justified.

(b) and (c). The report is under examination of the State Government.

**चित्रगुप्त रोड और आराम बाग, नई दिल्ली में चोरियां**

6749. **श्री पी० एंथनी रेड्डी :**

**श्री जी० एस० रेड्डी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्रगुप्त रोड और आराम बाग, क्षेत्रों के मकानों से हाल ही में कई एक चोरियां हुई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों के बहुत समीप ही एक थाना स्थित है; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) 1-1-1969 से 31-3-1969 तक की अवधि के दौरान पुलिस को इन क्षेत्रों से चोरी के केवल एक मामले की रिपोर्ट की गई है । इसी अवधि के दौरान सेंधमारी का कोई मामला नहीं हुआ ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) चित्रगुप्त रोड और आराम बाग के क्षेत्र में कड़ी गश्त लगाई जा रही है ।

**कर्मचारियों के लिये टिकट वारंट का जारी किया जाना**

6750. **श्री पी० एंथनी रेड्डी :**

**श्री जी० एस० रेड्डी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1956 में सरकार ने घोषणा की थी कि गृह अवकाश यात्रा रियायत के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को एक टिकट वारेंट जारी किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक टिकट वारेंट जारी न करने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये अवकाश यात्रा रियायत की योजना लागू करते समय मूल आदेशों में यह कहा गया था कि विशेष वारेंट अथवा विशेष टिकट आदेश जारी करने के लिये रेल मंत्रालय के साथ प्रबन्ध करने का विचार है ताकि इन रियायतों को पाने वाले सरकारी कर्मचारी तथा उनके परिवार रियायती दरों पर यात्रा के लिये रेल के टिकट खरीद सकें ।

(ख) इस पर विचार किया गया और चूंकि विशेष टिकट वारेंट जारी करने से रेलवे के लिये काफी अतिरिक्त काम बढ़ जायेगा और काफी गणना करनी होगी तथा अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे (विशेषत: जब कि रियायत का लाभ उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों को घर तक और घर से वापसी की यात्रा किसी भी ढंग से और किसी भी मार्ग से करने की अनुमति है), अत: इस प्रस्ताव का अनुसरण न करने का निर्णय किया गया ।

**चौथी योजना में राडारों का लगाया जाना**

6752. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

**श्री क० प्र० सिंह देव :**

**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजना अवधि में देश में आठ शक्तिशाली राडार लगाये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राडार की अनुमानित लागत तथा क्षमता कितनी होगी; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र-तटों पर आठ शक्तिशाली तूफान चेतावनी राडार स्थापित करने की एक स्कीम भारत मौसम विज्ञान विभाग की चौथी योजना के मसौदे में शामिल कर ली गई है ।

(ख) प्रत्येक राडार की अनुमानित लागत 17.46 लाख रुपया है । ये राडार 400 किलो मीटर अर्ध-व्यास के दायरे के अन्दर समुद्री तूफानों (साइक्लोंस) का पता लगा सकते हैं तथा परिमार्गण कर सकते हैं ।

(ग) एक राडार के 1969-70 के दौरान विशाखापत्तनम में स्थापित किये जाने की संभावना है । शेष सात राडारों की स्थापना करने के बारे में निर्णय चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए निधि-नियतन को अन्तिम रूप देने के बाद किया जायेगा ।

**त्रिपुरा में पुलों का निर्माण**

6753. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में सड़कों को व्यापक रूप से एक दूसरे से जोड़ने तथा उन्हें चालू होने योग्य बनाने से पहले कम से कम दस बड़े पुल बनाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है, यदि इन पुलों के बनाने का कोई कार्यक्रम है तो उसका ब्योरा क्या है और उन्हें कहां-कहां बनाया जायेगा और ये पुल कब तक तैयार हो जायेंगे; और

(ग) इस कार्य के लिए वर्ष 1969-70 की योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी धन की व्यवस्था की जा रही है ?

**संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)**: (क) से (ग). सूचना त्रिपुरा प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

## मनीपुर और त्रिपुरा में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में अनिर्णित मुकदमें

6754. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 से लेकर अब तक मनीपुर और त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में त्रिपुरा से सम्बन्धित कम से कम एक हजार मुकदमें अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने त्रिपुरा के लिये एक पृथक न्यायिक आयोग का न्यायालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है अथवा कर रही है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने यदि कोई निर्णय किया है तो वह क्या है; और

(ग) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). त्रिपुरा के लिये एक पृथक न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया है किन्तु त्रिपुरा के काम के लिये ऐसी नियुक्ति न्यायोचित नहीं है ।

## त्रिपुरा में बरामद हुये हथियार

6755. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिपुरा में गोविंदबाड़ी के निकट एक वन में पाकिस्तानी चिन्हों वाले हथियारों के एक ढेर की बरामदगी के पश्चात् त्रिपुरा के मुख्य मंत्री द्वारा अक्तूबर, 1968 में किये गये इस आशय के वक्तव्य कि संगकार्क सदस्य पूर्वी पाकिस्तान में काचलौंग प्रशिक्षण और उपकरण प्राप्त कर रहे थे, की ओर दिलाया गया है;

(ख) ऐसे तत्वों को पकड़ने और उनकी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिये इस बीच क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और कितनों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये हैं;

(घ) उनके पास से किस प्रकार के हथियार तथा गोला-बारूद बरामद किया गया है तथा ये हथियार और गोला-बारूद अनुमानतः किस देश का है;

(ङ) क्या उनके संगठनात्मक केन्द्रों और कार्यवाहियों के अड्डों का पता लगा लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो कहां-कहां और क्या उनके कोई अड्डे पाकिस्तान में हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (च). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**विदेशी छात्रवृतियों के लिये उम्मीदवारों का चयन**

6757. **श्री सिद्दय्या** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी छात्रवृतियों के देने के लिए उनके मंत्रालय में कौन-कौन-सी योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) उम्मीदवारों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) क्या यह सच है कि केवल अनुसूचित जातियों / आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को विदेशी छात्रवृत्तियां देने संबंधी योजना के मामले में ही उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) योजना का संबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित खानाबदोश और अर्द्धखानाबदोश कबीलों को विदेशों में अध्ययन के लिए समुद्र पार छात्रवृत्तियां देने से है ।

(ख) समाचार-पत्रों के जरिए योजना विज्ञापित की जाती है और उसका व्यापक प्रचार किया जाता है और साथ ही राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को भी इसकी सूचना भेजी जाती है । इसके फलस्वरूप प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच-पड़ताल की जाती है और सभी पात्र उम्मीदवारों को इण्टरव्यू के लिए बुलाया जाता है । उम्मीदवारों का इण्टरव्यू लेने तथा सिफारिश करने के लिए, विशिष्ठ क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक चुनाव समिति गठित की गई है । सिफारिशों को अनुमोदन के लिये मंत्री जी को पेश किया जाता है ।

(ग) 1954-55 से 1963-64 तक चुनाव संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये थे, किन्तु 1964-65 से चुनाव, इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किये जाते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**आसाम जाने वाले पर्यटकों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयां**

6758. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पर्यटकों को गोहाटी से आसाम की राजधानी शिलांग तक सड़क के रास्ते 75 मील से भी अधिक दूरी तक जाने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है और इस कारण ही वे प्रायः उस प्रदेश के पर्यटक केन्द्रों को जाने का विचार छोड़ देते हैं;

(ख) क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिए, सरकार बारापानी में एक हवाई अड्डा स्थापित करने की योजना बना रही है ताकि आसाम में पर्यटन का विकास किया जा सके;

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है और क्या उसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग). बारापानी के निकट वर्तमान हवाई अड्डे के विकास की योजना को नागर विमानन विभाग की चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सम्मिलित किया गया है। प्रायोजना पर एक करोड़ रुपये से अधिक का व्यय होने का अनुमान है तथा इसका कार्यान्वयन कई दौरों में किया जा सकेगा। योजना आयोग द्वारा निर्धारित परिसीमाओं के अन्तर्गत इन स्कीमों को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के बारे में जल्दी ही निर्णय किये जाने की आशा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## श्रेणी 1 और 2 के अधिकारियों को 50 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्ति

6759. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ये आदेश जारी किये हैं कि यदि लोक हित में आवश्यक समझा जाये, तो श्रेणी 1 और 2 के अधिकारियों को 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो 1969 के दौरान प्रत्येक मंत्रालय में लगभग कितने अधिकारियों पर इसका असर पड़ेगा ; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे आदेश जारी किये जाने के क्या कारण हैं जबकि सरकार ने सेवा-निवृत्ति की आयु को 58 से घटाकर 55 वर्ष करने की प्रार्थना को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) यह निर्णय किया गया है कि सम्बन्धित नियमों में (1) उन सेवाओं/पदों को छोड़कर, जिनमें सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये आयु-सीमा 35 वर्ष और उससे ऊपर है, श्रेणी I और II सेवाओं/पदों के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति 50 वर्ष की आयु हो जाने पर, यदि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक हो, तीन महीने की सूचना (नोटिस) देकर और ऐसे सरकारी कर्मचारियों को इसी प्रकार स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का तत्समान अधिकार देने ; (2) श्रेणी III सेवाओं/पदों के केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति जिन पर कोई पेंशन नियम लागू नहीं होते, उनके द्वारा तीस वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, यदि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक हो, तीन महीने की सूचना (नोटिस) देकर और ऐसे सरकारी कर्मचारियों को इसी प्रकार स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का तत्समान अधिकार देने के लिये व्यवस्था की जाय। इस सम्बन्ध में आदेश शीघ्र ही जारी किये जाएंगे।

(ख) गृह मंत्रालय को उन अधिकारियों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है जो 1969 के दौरान सम्बन्धित आयु पूरी कर लेंगे अथवा सम्बन्धित वर्षों की सेवा पूरी कर लेंगे। सम्पूर्ण भारत में ऐसे सरकारी कर्मचारियों के बारे में सूचना एकत्रित करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से यह देखा जायगा कि जब कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अधिवर्षता की आयु 58 ही रहेगी, सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को एक निश्चित आयु पूरी कर लेने पर अथवा सेवा की एक निश्चित अवधि पूरी कर लेने पर, सेवा-निवृत्ति करने का, यदि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक हो और सरकारी कर्मचारी को इसी प्रकार स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का तत्समान अधिकार देने का केवल अधिकार ले रही है।

**Rashtriya Swayam Sewak Sangh**

6760. **Shri Bal Raj Madhok :**
**Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri Hardayal Devgun :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government consider the Rashtriya Swayam Sewak Sangh to be a political Party and not a cultural party ;

(b) if so, whether it is also a fact that Government have objection to a resolution passed by the Rashtriya Swayam Sewak Sangh regarding some award ;

(c) if so, whether Government are aware of similar resolutions passed by the Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha on certain award ; and

(d) if so, whether Government propose to declare the Arya Samaj also a political institution ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) Government consider the activities of the Rashtriya Swayam Sewak Sangh to be of such a nature that participation in them by Government servants would attract the provisions of sub-rule 1 of rule 5 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 under which no Govt. servant shall be a member of or be otherwise associated with any political party or any organisation which takes part in, subscribes in aid of, or assists in any other manner, any political movement or activity.

(b) The resolution passed on the Kutch Award by the R. S. S. on 23rd and 24th March, 1968, has come to the notice of the Government. Artlcle 4 (b) of the Constitution of the Sangh says that "the Sangh, as such, has no politics and is devoted to purely cultural work". In the context of the proclaimed objective of the R. S. S., the resolution on Kutch Award is clearly political in nature.

(c) Government have no such information.

(d) Does not arise.

**Political Speeches/Anti-Indian and Pro-Pakistani Propaganda After Jumma Prayers**

6761. **Shri Balraj Madhok :**
**Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri Hardayal Devgun :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that often Jumma prayers in mosques of the cities of India, political speeches are made and anti-Indian and pro-Pakistani propaganda is done by Sheikh Abdullah and by other Muslim Political leaders ;

(b) if so, whether Government propose to make suitable arrangements so that after Jumma prayers political speeches are not made ;

(c) if so, whether Government propose to declare Jumma prayer a political gathering ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) Government are aware of certain speeches made in mosques by Sheikh Abdullah and Mirza Afzal Beg, which were political in nature. No such speeches made by any other Muslim political leaders in mosques have come to notice of the State Governments/Union Territory Administrations of Gujarat, Haryana, Tamil Nadu, Nagaland, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Laccadive Minicoy and Admindivi Islands, Manipur, NEFA and Tripura. Information from remaining States/Union Territories is awaited.

(b) to (d). Although it is regrettable that places of worship are in some cases used for the purpose of political propaganda, it would be inappropriate to make sweeping generalisations about the kind of speeches made after Jumma prayers. Enlightened public opinion is opposed to the use of places of worship for political purposes.

**अहमदाबाद महापौर का टिप्पण**

6762. **श्री रा० की० अमीन :**
**श्री द० रा० परमार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बड़ौदा में हुये अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की बैठक के समय अहमदाबाद नगर के महापौर ने कहा था कि भारत के संविधान को जला दिया जाना चाहिये क्योंकि यह केवल एक प्रतिशत जनसंख्या के ही पक्ष में है जो बड़ी सम्पत्ति की मालिक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 27 सितम्बर, 1968 को हुई महापौर बैठक में अहमदाबाद के महापौर ने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**लक्कदीव प्रशासन के भर्ती सम्बन्धी नियम**

6763. **श्री प० मु० सईद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कदीव प्रशासन में सभी श्रेणियों में अधिकारियों की भर्ती के नियम क्या हैं ;

(ख) क्या भर्ती किये गये स्थानीय कर्मचारियों तथा केरल और अन्य राज्यों के निवासी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें भिन्न होती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में लक्कदीव प्रशासन द्वारा लक्कदीव प्रशासन के अन्तर्गत पदों के लिये भर्ती के नियम बनाये जाते हैं। जब कभी इन नियमों की उद्घोषणा की जाती है तो सरकारी राजपत्र में इनको अधिसूचित किया जाता है। चूंकि पदों के अनेकों वर्ग हैं जिनमें विभिन्न प्रकार का अनुभव अपेक्षित है अतः इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). लक्कदीव प्रशासन के कर्मचारियों की शर्तें मुख्य भूमि के व्यक्तियों और द्वीपसमूह में सेवा के लिये मुख्य भूमि से भर्ती किये गये व्यक्तियों अथवा द्वीपसमूह में सेवा के लिये मुख्य भूमि पर स्थित राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों से प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को दी जाने वाली कुछ रियायतों, जैसे द्वीप-विशेष वेतन, किराया मुक्त आवास और अवकाश के दौरान कार्य-ग्रहण अवधि सहित निःशुल्क समुद्र यात्रा के अतिरिक्त एक समान है। द्वीपसमूह में, जहां मुख्य भूमि की तुलना में रहन-सहन की स्थिति समान नहीं है, सेवा के लिये मुख्य भूमि से अनुभवी और अर्हतावान व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये ये रियायतें दी जाती हैं।

**भारतीय तेलवाहक पोत को क्षति**

6764. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोकियो खाड़ी के यूरेज जलमार्ग में जापान के अयस्क वाहक पोत के साथ टक्कर से एक भारतीय तेलवाहक पोत को क्षति पहुंची है ; और

(ख) इस क्षति का अनुमान क्या है ?

**संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) 5 दिसम्बर, 1968 को टोकियों की खाड़ी में जापानी जहाज एम० वी० तोमियूरा मारू के साथ टक्कर होने के कारण भारत तेल पोत एम० टी० आदि जयन्ती को क्षति पहुंची है।

(ख) भारतीय तेल पोत की मरम्मत के कारण हुई हानि और उसमें रखे माल की हानि का अनुमान 2,63,000 रु० है।

**Surplus Money**

6765. **Shri Molahu Prasad :**
**Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri Ram Charan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had stated during the Sixth Session of Fourth Lok Sabha that he had no surplus money to reward those persons who would give information regarding Pakistani agents ;

(b) if so, whether there is any justification for spending money on foreign tours of the Central Ministers and small and big officials as also for organising seminars by the various Ministries ;

(c) the number of tours abroad and within the country undertaken by persons referred to in part (b) above during 1968 and when such tours were undertaken ; and

(d) whether the reason for not tracing Pakistani agents is due to Government's attitude towards Pakistan ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) Presumably the Hon'ble Members have in view what the Home Minister said during the course of supplementaries on starred question No. 724 asked in this House on 13th December, 1968. He did not say that he had no surplus money to reward those persons who gave information regarding Pakistani agents. When asked whether Government would extend financial assistance to the people who help in locating infiltrators in Jammu and Kashmir, the Home Minister said that Government could not throw away money like that and that money had to be made use of properly.

(b) and (c). Do not arise.

(d) No, Sir.

**Maintenance of Service Records etc. in Hindi**

6766. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the action taken by his Ministry in pursuance of the Official Languages Act and the orders issued by the Ministry of Home Affairs under the said Act to (i) publish all their publications in Hindi; (ii) maintain the Service Books of Class IV employees in Hindi ; (iii) to secure allocation of additional funds for additional translators and Hindi typists in view of the increase in load of translation works ; (iv) prepare a programme for teaching Hindi to Officers and employees under the age of 45 years on 1st January, 1961 under the Hindi Training Scheme ; (v) make it compulsory for the Hindi-knowing staff to use Hindi in official work ; and (vi) appoint Hindi-knowing persons in the ranks of Joint Secretaries, Deputy Secretaries, and Under Secretaries to implement the scheme for switching over to Hindi and Hindi Training Scheme ;

(b) the dates on which the said action was taken and results achieved thereby ; and

(c) the steps proposed to be taken to clear the anti-Hindi atmosphere in his Ministry ?

**The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh)** : (a) and (b). The orders issued by the Ministry of Home Affairs in pursuance of the Official Language Act, 1963, from time to time were circulated to all concerned and were implemented to the extent feasible. Their latest comprehensive orders dated the 6th July, 1968, based on the Official Languages (Amendment) Act, 1967, were circulated by this Ministry on the 18th October, 1968. The position in regard to the specific matters raised is as follows :

(i) The latest orders contained in Home Ministry's O. M. dated 6-7-1968 referred to above require that resolutions, general orders, rules, notifications, administrative or other reports, press communiques, official papers laid before the Parliament, contracts, agreements, licences, permits, notices and forms of tender should be issued both in English and Hindi. The returns of this Ministry for the two quarters ending 30-9-68 and 31-12-68 show that during this period only 8 resolutions and 90 notifications were issued and these were all issued both in English and Hindi.

(ii) As the orders for future entries in the Service Books of Class IV servants being made in Hindi issued by the Ministry of Home Affairs in an O. M. dated 14-8-1968 were not received in time in this Ministry and have only recently been obtained, steps are being taken to implement them as soon as possible.

(iii) The additional requirements of translators and typists have been assessed and the question of sanctioning these posts either by obtaining additional funds or otherwise is under examination.

(iv) Officers and members of staff have been sent for training under the Hindi Teaching Scheme from time to time, subject to the exigencies of service. The present position is that 100 persons have already received training under the Scheme, 10 are now under training and about 119 are yet to receive this training.

(v) As under the scheme of bilingualism envisaged in the Official Languages Act, as amended, Central Government employees can at their option use Hindi or English language for official work, it is not possible to make it compulsory for Hindi-knowing staff to use Hindi only in official work.

(vi) The knowledge of Hindi cannot be used as a criterion for appointment as Under Secretary or Deputy Secretary or Joint Secretary.

(c) There is no anti-Hindi atmosphere in this Ministry and, therefore, the question of clearing it does not arise.

## Officers working in Education Ministry

6767. **Shri J. B. Singh** : **Shri Balraj Madhok** :
**Shri Ram Singh Ayarwal** : **Shri Hardayal Devgun** :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Section Officers and employees of other categories working in the Administrative Sections of his Ministry at present ;

(b) the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Section Officers and employees amongst them and the names of the Sections in which they are working ;

(c) in case no Section Officers and employees have been posted in the Administrative Sections so far, whether Government propose to post them in the Administrative Sections in order to make them more efficient and give them administrative training ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :** Presumably the Hon'ble Member is referring to the Administration Division of this Ministry. The position is as follows :

| | | |
|---|---|---|
| (a) Section Officers | .. | 11 |
| Employees of other Categories | .. | 182 |
| (b) Section Officers | .. | Nil |
| Employees of other Categories | .. | 9 belonging to Scheduled Castes. They are working in E-I, E-III, E-IV, C. R., Cash-I & S & S Sections. There are no employees of Scheduled Tribes. |

(c) and (d). There is no restriction on the posting of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Administration Division. The postings are made according to the availability of the vacancies and the officers at that time.

## Upper Division Clerks in Education Ministry

6768. **Shri J. B. Singh :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Hardayal Devgun :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Upper Division Clerks in his Ministry ;

(b) the number of those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them separately ;

(c) whether the fixed quota of the aforesaid Castes has been completed according to the order of the Ministry of Home Affairs ; and

(d) if not, the reasons therefor and the time by which it would be completed ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :** (a) 90.

(b) Scheduled Caste : 11
Scheduled Tribe : Nil

(c) and (d). In accordance with the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, permanent vacancies occurring in the grade of UDC are to be filled from amongst persons included in the Select List in the order in which their names occur in the list. Temporary vacancies in the grade of UDC are to be filled from amongst permanent LDCs who have rendered at least 8 years approved service in the grade on the basis of their seniority in the LDC grade subject to the rejection of the unfit. The special reservation orders, therefore, do not apply in this case.

**Use of Hindi for Administrative Work**

6769. **Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri Ram Charan :**
**Shri Bal Raj Madhok :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the difficulties in the way of issuing the orders for doing the entire administrative work such as leave, explanation, promotion etc. of the Class IV employees of his Ministry and other Ministries of the Government of India originally in Hindi ;

(b) whether it is a fact that the work in the Administrative Departments of his Ministry and other Ministries of the Government of India, which is of a non-technical nature, is not being done in Hindi because of the officers of the said Departments being anti-Hindi and also there being facility in English for copying;

(c) whether he proposes to ensure that the entire work in the Administrative Department of his Ministry is done in Hindi ; and

(d) if so, by what time ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) Instructions already exist that Hindi is to be used for general orders regarding terms and conditions of service, charge sheets and instructional orders, replies to petitions received from them in Hindi and all entries in the service books, in respect of Class IV employees working in Central Government Offices located in Hindi-speaking areas.

(b) and (c). No, Sir. Under the bilingual scheme provided for in the Official Languages Act, as amended, Central Government employees are free to use either Hindi or the English language for official work.

(d) Does not arise.

**A. R. C. Chairman's Statement on Central Interference in Delhi Administration**

6770. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri P. M. Sayeed :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statement made by the Chairman of the Administrative Reforms Commission that there is undue interference by the Central Government in the affairs of the Delhi Administration ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) Yes, Sir.

(b) Government of India have laid down a general policy that Delhi Administration should be treated with understanding and cooperation and not as a body subordinate to the Central Government in regard to subjects in State and Concurrent Lists except reserved subjects. Government are not aware of any unnecessary interference with the day to day administration of Delhi.

**Scholarships to Students of Pant Polytechnics, Delhi**

6771. **Shri Om Prakash Tyagi:**
**Shri Narain Swarup Sharma:**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi:**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some students of the Pant Polytechnic run by the Delhi Administration were not paid Scholarships during 1967-68 session although they were in receipt of scholarships in 1966-67 and had obtained between 55 to 60 per cent marks in the Annual Examination of 1966-67;

(b) if so, the names of such students;

(c) whether it is also a fact that such students in the other two Polytechnics run by the Delhi Administration were paid scholarships;

(d) if so, the reasons for discriminating against these students of the Pant Polytechnics and whether Government propose to consider the question of payment of scholarships to them; and

(e) if so, when these scholarships are likely to be paid to them?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan):** (a) Yes, Sir.

(b) List of 13 names is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-810/69]**

(c) No, Sir.

(d) and (e). The renewal of scholarships is decided according to the prescribed rules and no discrimination is made between one Polytechnic and another. According to the report received from the Delhi Administration, the case of all the students have since been revived, and scholarships for ten students have been renewed so far.

**Translation of Forms and Manuals by Central Hindi Directorate**

6772. **Shri Om Prakash Tyagi:** **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
**Kumari Kamla Kumari:** **Shri Balraj Madhok:**
**Shri Narain Swarup Sharma:**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) the number of forms and manuals so far received by the Central Hindi Directorate from the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation for translation;

(b) the dates on which these forms and manuals were received and the number thereof translated and returned;

(c) whether it is a fact that there has been unnecessary delay in their translation and if so, whether any steps are proposed to be taken to translate and return them expeditiously; and

(d) if not, the reasons therefor?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan):** (a) and (b). 582 Forms and 75 Manuals were received by the Central Hindi Directorate from the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation for

translation on different dates during the years 1961 to 1968. So far, 509 Forms and 62 Manuals have been returned after translation. The remaining Forms and Manuals are under different stages of translation.

(c) and (d). The Directorate is responsible for the translation of Codes, Manuals and Forms and other Non-statutory procedural literature of all the Ministries and Departments of the Government of India hence delays sometimes do occur due to various reasons. In order to expedite the completion of the translation work, it has been decided to farm out some of the translation work to outside agencies also.

**Charging of Tuition Fee from Students of Pant Polytechnic, Delhi**

6773. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
**Shri Om Prakash Tyagi:**
**Shri Narain Swarup Sharma:**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tuition fee was charged in July 1968 from those students who have been awarded scholarships in the Pant Polytechnic at Okhla, which is being run by the Delhi Administration;

(b) whether it is also a fact that fee is not charged from those students who are awarded scholarships according to the rules ;

(c) if so, by what time the fee realised from such students is likely to be refunded to them ; and

(d) the resons for not refunding the same to them till now ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan):** (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. Students who are awarded scholarships are also exempted from payment of tuition fees and fees already paid are refunded.

(c) and (d). The fees have been refunded.

**Development of Kutch Area**

6774. **Kumari Kamla Kumari:** **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
**Shri Om Prakash Tyagi:** **Shri Raghuvir Singh Shastri:**
**Shri Narain Swarup Sharma:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to develop entire area of Kutch ;

(b) if so, the broad outlines thereof;

(c) the effective steps proposed to be taken by Government to check smuggling by Pakistani nationals through the Rann of Kutch ; and

(d) the steps being taken to prevent Pakistani infiltrators from entering into Kutch ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b). According to the Government of Gujarat, the following are some of

the important schemes for the Development of the Kutch area :—

**State Sector**

1. Sinking of irrigation wells and installation of electric pumpsets.
2. Sinking of tube-wells.
3. Construction of irrigation tanks.
4. Medium of irrigation schemes.
5. Fisheries development.
6. Establishment of industrial estates.
7. Rural industries project.
8. Linking of Kutch with the Common electrical grid in Gujarat State (transmission line from Dhuvaran to Bhuj).
9. Rural electrification.
10. Road Development.
11. Schemes for increasing and improving educational and health facilities.

**Central Sector**

1. Kandla Port Development.
2. Kandla free trade zone.
3. Construction of strategic roads and bridges.

(c) and (d). Patrolling by the Border Security Force has been intensified and the State Government have also increased the strength of the District Police Force and the C. I. D. units in Kutch District to prevent smuggling and any infiltration.

## सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार किया जाना

6775. **श्री गार्डलिंगन गौड** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा दल के कुछ कर्मचारी गैर-सरकारी कालोनियों में निजी व्यापार चला रहे हैं ;

(ख) क्या आचरण नियमों के अन्तर्गत इस बात की अनुमति है कि एक सरकारी कर्मचारी कोयला डिपो के रूप में निजी व्यापार करें ;

(ग) क्या सिविल सप्लाई विभाग को उन कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो सिविल सप्लाई विभाग से वैध परमिट अथवा लाइसेंस प्राप्त किये बिना ऐसा व्यापार कर रहे हैं ;

(घ) क्या ऐसी शिकायतों के मिलने पर कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ङ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 के अनुसार यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी को किसी व्यापार या कारोबार को परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप में शुरू करने से

पहले सरकार से अनुमति लेनी चाहिये । आगे यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को, यदि उसके परिवार का कोई सदस्य व्यापार या कारोबार कर रहा है तो उसकी सूचना सरकार को देनी चाहिए ।

(ग) से (ङ). दिल्ली प्रशासन को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि सीमा सुरक्षा दल का एक अधिकारी लाइसेंस के बगैर एक कोयले का डिपो चला रहा है । दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई जांच से ज्ञात हुआ है कि अधिकारी की पत्नी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी किये गये एक लाइसेंस के आधार पर ईंधन की दूकान चला रही थी, न कि तथाकथित कोयले का डिपो । चूंकि सम्बद्ध अधिकारी ने, जैसा कि नियमों के अन्तर्गत आवश्यक है, पत्नी द्वारा चलाई जा रही ईंधन की दूकान की सूचना नहीं दी, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की जा रही है ।

**Deductions from Salaries of School Teachers in U. P.**

6776. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
**Shri Atal Bihari Vajpayee :**
**Shri Ranjit Singh :**
**Shri Suraj Bhan .**
**Shri Brij Bhushan Lal :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri George Fernandes :**

Will the Minsiter of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1710 on the 22nd November, 1968 and state :

(a) whether the enquiry into the incidents of making compulsory deductions from the salaries of teachers in Uttar Pradesh for Congress Election Fund has since been completed ;

(b) if not, the reasons for the inordinate delay; and

(c) if so, the names of the persons found guilty and the action taken against them ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :** (a) to (c). Out of the 12 Zila Parishads, from where complaints about deductions from Salaries of school teachers of Congress Party Funds were received, results of enquiry have been received from 7. Out of these 7, complaints about 3 were not found to be correct. Position in respect of remaining four is briefly as follows :

**Gonda** — No material was available on the basis of which it could be said that the complaints were correct or incorrect.

**Jaunpur** — The Adhyaksha, Zila Parishad, personally appealed to the executive committee of the teachers association (Adhyapak Sangh) to contribute towards the Congress Election Fund. As a result of that appeal the teachers had, of their own free will, contributed towards the said fund, and sufficient money was collected in this way. It is proposed to convey the Government's disapproval of the Adhyaksha's personal appeal.

**Allahabad** — Detailed enquiries aro being made. Preliminary enquiries indicate that from the salaries of the teachers for the month of August and September, 1968 Rs. 10/- were taken.

**Budaun** — Preliminary enquiries indicate that many teachers of the Zila Parishads did contribute towards the Congress Election Fund. It could not, however, be

established whether the Adhyaksha had made any appeal and whether the teachers had given the contribution of their own free will. The quantum of the subscription could also not be known.

2. Any further information received in this connection will be laid on the Table of the Sabha when received.

**Book on Kashmir Written by Shri A. G. Noorani**

6777. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Suraj Bhan :**
**Shri Ranjit Singh :** **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Organiser' dated the 26th October, 1968 to the effect that the book written by Shri A. G. Noorani, a journalist, on Kashmir contains material supporting Pakistan's view-point ;

(b) whether Shri Noorani had been arrested during the Indo-Pak hostilities in 1965 ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Shri A. G. Noorani was detained by the Government of Maharashtra on 8th September, 1965 under rule 30 of the Defence of India Rules and was released on 25th Deeember, 1965.

**Award of Padma Shri to Mr. Gibson**

6778. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Suraj Bhan :**
**Shri Ranjit Singh :** **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mr. Gibson, Principal of Mayo College, Ajmer was awarded 'Padmashri' on 26th January, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that the Queen of England has already conferred the title of O.B.E. on him ; and

(c) if so, the grounds on which a foreigner was awarded the title of 'Padmashri'?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) Mr. Gibson was awarded Padmashri on the 26th January, 1965.

(b) Yes, Sir.

(c) Mr. Gibson was awarded Padmashri for distinguished service in the field of education in India. There is no bar to a foreigner being given a Padma award.

**Position of Indian Shipping**

6779. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Suraj Bhan :**
**Shri Ranjit Singh :** **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the place and position of Indian Shipping in the World Sea transport and in regard

to handling of Indian passenger and cargo traffic;

(b) whether Government have drawn up a scheme for special development and expansion of Shipping keeping in view the geographical situation and economic conditions of India;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu ramiah)** : (a) As on 1st July, 1968, India occupied seventeenth position among the 22 countries of the world owning more than 1 million GRT of shipping and her total tonnage was about 1% of the total world tonnage.

So far as transport of cargo and passengers by Indian ships is concerned, the latest available statistical data is given below :

**Overseas Traffic**

**Cargo** : While Indian tramps and bulk carriers operate in any routes where cargo may be available, Indian liner vessels are now plying regularly in almost all the liner routes of India's overseas trades. During 1967-68 the total volume of cargo moving in India's overseas trades was 49.791 million tonnes, out of which Indian ships carried 7.728 million tonnes i.e. about 15.5%, as against their legitimate share of 50%.

**Passengers** : Indian ships ply passenger ships only in three overseas routes **viz.** Bombay-East Africa, Madras-Malaysia and Bombay-Red Sea. In all these routes, Indian ships carried 98,684 passengers during the year 1967.

**Coastal Traffic**

**Cargo** : During 1967, the volume of dry cargo traffic on the coast was 23.14 lakhs tonnes which was carried entirely by Indian ships. In addition, there was also a traffic of 28.01 lakhs tonnes of refinery products (tanker cargo), out of which Indian ships carried only 6.31 lakhs tonnes i.e. about 22.5%.

**Passengers** : The only passenger services operating on the coast are Bombay-Panaji, Bombay-Saurashtra and Calcutta-Andamans. All these services are operated by Indian ships which carried 8,09,616 passengers during 1967.

(b) to (d). Planning for development of shipping forms a part of the various Five Year Plans. The Fourth Plan, which has yet to be finalised by the National Development Council envisages the expansion of the fleet from the present 2.1 million GRT to 4.00 million GRT by the end of the Plan period. Of this, 3.5 million GRT is to be in actual operation while the remaining 0.5 million GRT would be firmly on order and would be delivered during the next Plan period.

**Cases filed against Newspapers**

6780. **Shri Atal Bihari Vajpayee** :
**Shri Jagannath Rao Joshi** :
**Shri Ranjit Singh** :
**Shri Suraj Bhan** :
**Shri Brij Bhushan Lal** :
**Shri Om Prakash Tyagi** :
**Shri Narain Swaroop Sharma** :
**Shri Ram Swarup Vidyarthi** :
**Shri Hukam Chand Kachwai** :
**Dr. Ranen Sen** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases filed against newspapers under Section 153-A of the Indian

Penal Code during the past three years ;

(b) the number of newspapers punished ; and

(c) the cases in which certain sub-sections of this section proved ineffective and the sub-sections which proved ineffective in every case ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) Attention is invited to the answer to the Lok Sabha Starred Question No. 1046 dated 11th April, 1969.

(b) According to information received from the State Governments four cases under Section 153-A, Indian Penal Code against newspapers have ended in conviction—one in Uttar Pradesh and three in Delhi.

(c) Information regarding discharge or acquittal is being collected.

**Christian Missionaries in India**

6781. **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there has been a fall in the number of foreign Christian Missionaries coming to India during the last three years ;

(b) the reasons for not replacing the foreign missionaries leaving India by the Indian Missionaries ;

(c) whether Government have made any efforts to ascertain if the money received by these missionaries from abroad during the last three years for missionary work was utilised for that very purpose only ; and

(d) the total amount of money and assistance in any other form received from the foreign countries during the last three years for the purpose of missionary work ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) Yes, Sir.

(b) Foreign Missionaries coming in replacement of existing missionaries are admitted into India only if they possess outstanding qualifications or specialised experience and no Indians are available for such work.

(c) There is no law requiring individual missionaries to maintain and submit for scrutiny, accounts of expenditure incurred by them. The information asked for cannot, therefore, be obtained.

(d) Statistics are not maintained separately for remittances received from abroad by missionary organisations only. In the exchange accounts, these inward remittances come under the general heading 'Private Donations'. A sub-head under this head accounted for receipts by missionary, charitable institutions and other individuals. During the years 1966 and 1967, the coverage under this sub-head also included receipts under Titles II and III of PL-480 and the National Defence Remittances Scheme. The total amounts accounted for under this sub-head

during the years 1965, 1966 and 1967 were Rs. 1,227 lakhs, Rs. 6,886 lakhs and Rs. 6,630 lakhs respectively (at the prevailing rates of exchange).

Information regarding assistance received in other forms is not available.

**केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल**

6782. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सलाहकार मंडल के लिये हाल ही में एक 14 सदस्यीय स्थायी समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी हां ।

(ख) **स्थायी समिति के लक्ष्य, उद्देश्य तथा कर्तव्य** :

समिति केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड और शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के संकल्पों की क्रियान्विति का पर्यवेक्षण करेगी । इससे शिक्षा सम्बन्धी चौथी पंचवर्षीय योजना को बनाने तथा इसकी क्रियान्विति में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को मिलकर निरन्तर कार्य करने में सहायता मिलेगी ।

**सदस्य**

1. केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री — चेयरमैन
2. डा० बी० डी० नाग चौधरी — सदस्य (शिक्षा) योजना आयोग
3. डा० डी० एस० कोठारी, चेयरमैन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
4. श्री एस० चक्रवर्ती, सचिव, शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय
5. शिक्षा मन्त्री, आंध्र प्रदेश
6. शिक्षा मन्त्री, महाराष्ट्र
7. शिक्षा मन्त्री, राजस्थान
8. शिक्षा मन्त्री, उड़ीसा
9. जिस क्षेत्र में समिति की बैठक होगी उसके सभी शिक्षा मन्त्री
10. श्रीमती दुर्गाभाई देशमुख
11. श्री के० पी० सुब्राह्मण्यम, संसद् सदस्य
12. डा० एस० मिश्र, उप-कुलपति, उतकल विश्वविद्यालय
13. डा० टी० सदाशिवन, मद्रास विश्वविद्यालय
14. जे० पी० नायक, परामर्शदाता, शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय-सदस्य-सचिव

**कालावधि**

समिति की कालावधि एक वर्ष होगी अथवा जबतक बैठक की अगली बैठक न हो इन दोनों में जो पहले हों ।

**1969-70 के लिये काम का कार्यक्रम**

1969-70 के आरम्भ में समिति के पास केन्द्र, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की शिक्षा सम्बन्धी चौथी पंचवर्षीय योजनाओं का पुनर्विलोकन का काम है और केन्द्र तथा राज्यों को इन योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में परामर्श देना है ।

**ग्रामीण विश्वविद्यालय**

6783. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये उनके मन्त्रालय ने क्या मापदण्ड तथा आधार निर्धारित किये हैं ;

(ख) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद डिवीजन के मुख्यतः ग्राम-प्रधान होने तथा उस डिवीजन में कोई विश्वविद्यालय होने के तथ्य को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार का विचार फैजाबाद में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) ग्रामीण विश्वविद्यालयों को खोलने और उन्हें वित्तीय सहायता देने की शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय की कोई योजना नहीं है । किन्तु "ग्रामीण उच्च शिक्षा" नामक योजना के अधीन स्थापित ग्रामीण संस्थानों को यह मन्त्रालय वित्तीय सहायता देता है ।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो कि राज्य में विश्वविद्यालय तथा फैजाबाद में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने से सम्बन्धित है, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में बिचपुरी में पहले ही से एक ग्रामीण संस्थान मौजूद है और चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान इलाहाबाद में दूसरे ग्रामीण संस्थान को स्थापित करने का प्रस्ताव पहले ही से राज्य सरकार के विचाराधीन है । फिलहाल फैजाबाद में ग्रामीण संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

**लक्कदीव में नियुक्तियां**

6784. **श्री प० मु० सईद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री वर्ष 1962 से 1965 तक में लक्कदीव प्रशासन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में नियुक्त किये गये व्यक्तियों का श्रेणीवार

निम्नलिखित ब्योरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ;

(क) नाम, अर्हतायें, पास की गई प्रतियोगी परीक्षा, नियुक्ति का ढंग (प्रत्यक्ष अथवा प्रतिनियुक्ति) तथा मूल निवास-स्थान ;

(ख) उनमें से अभी तक कितने प्रतिनियुक्ति पर हैं ; और

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों को स्थायी बना दिया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) सूचना सभा-पटल पर रखे गये विवरण I में है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 811/69]**

(ख) और (ग). सूचना सभा-पटल पर रखे गये विवरण II में है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 811/69]**

**एयर इंडिया**

6785. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उडडयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया कारपोरेशन कब स्थापित की गई थी और उससे किन उद्देश्यों की पूर्ति की अपेक्षा थी ;

(ख) क्या एकक स्थापित करने के लक्ष्य तथा विकास लक्ष्य पूरे हो गये हैं और यदि हां, तो कब तथा कैसे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस कारपोरेशन को इस समय किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो सरकार का उन्हें कैसे दूर करने का विचार है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग) . एयर इंडिया की एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का कार्यभार लेने एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन सेवाओं का परिचालन प्रारंभ करने के उद्देश्य से एयर कारपोरेशन अधिनियम 1953 (1953 का 27) के अधीन जून, 1953 में स्थापना की गयी। इस उद्देश्य की पूर्ति हो गयी है क्योंकि एयर इंडिया विश्व की प्रमुखतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों में से एक बन गयी है। जब कभी भी कोई कठिनाइयां पैदा होती हैं तो कारपोरेशन और सरकार द्वारा उनका समाधान कर दिया जाता है।

**आसाम में विदेशी पर्यटकों पर प्रतिबन्ध**

6786. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटकों को कोसरिंग वन्य जन्तु आखेट निषिद्ध क्षेत्र जैसे कुछ विशिष्ट स्थानों के अतिरिक्त आसाम के अन्य मैदानी इलाके में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन प्रतिबन्धों को समाप्त करने का सरकार का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) विदेशियों के लिये (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अन्तर्गत उन विदेशियों को, जो असम में किसी स्थान को जाना चाहते हैं, विशेष परमिट लेना पड़ता है । ऐसे परमिट पर्यटकों को काजीरंगा और मनास तथा शिलांग स्थानों के लिये, जो पर्यटकों के लिये रुचिकर समझे जाते हैं, उदारतापूर्वक दिये जाते हैं ।

(ख) सुरक्षा के कारण ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

**फ्लाइंग क्लब, चंडीगढ़**

6787. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में एक फ्लाइंग क्लब आरम्भ करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या कभी ऐसे प्रस्ताव के बारे में सोचा गया था और उसका ब्योरा तैयार किया गया था ;

(ग) क्या चंडीगढ़ के लोग फ्लाइंग क्लब आरम्भ करने के लिये निरन्तर मांग करते रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब पूरा किये जाने की संभावना है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नागर विमानन के महानिदेशक को प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसा कोई अनुरोध सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिक्त स्थान**

6788. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बैंच में कितने स्थान रिक्त हैं ।

(ख) ये स्थान किस तारीख से रिक्त हैं ?

(ग) इन रिक्त स्थानों को भरने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) एक अतिरिक्त पद किस तारीख से बनाया गया है और कब तक नियुक्ति किये जाने की सम्भावना है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) चार ।

(ख) पहली 11 अप्रैल, 1968 से ।

दूसरी 16 नवम्बर, 1968 से ।

तीसरी तथा चौथी 28 जनवरी, 1969 से ।

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए राज्य-प्राधिकारियों से प्रस्तावों की प्रतीक्षा है ।

(घ) 16 नवम्बर, 1968 से राज्य-प्राधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद पद भरा जायगा ।

**पत्रकारों को चंडीगढ़ में प्लाटों का आवंटन**

6789. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन पत्रकारों को चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में मकानों के लिए अथवा उनके कार्यालयों के लिए प्लाट दिये गये हैं तथा उन समाचारपत्रों अथवा एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं ;

(ख) ये प्लाट उनको किस मूल्य पर दिये गये हैं ;

(ग) क्या चंडीगढ़ में एक पत्रकार कालोनी बनाने की योजना विचाराधीन थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 812/69]**

(ग) और (घ). समाचार-पत्रों की एक बस्ती स्थापित करने तथा कुछ प्रमुख समाचार पत्रों और इसके कर्मचारियों को आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन करने की एक योजना तत्कालीन पंजाब सरकार के विचाराधीन थी किन्तु ट्रिब्यून के अलावा किसी अन्य ने प्रतिक्रिया नहीं दिखाई । तदनुसार ट्रिब्यून के प्रबन्धकों ने छापाखाना व कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि खरीदी । तत्कालीन पंजाब सरकार के निर्णय के अनुसरण में केवल छः श्रमजीवी पत्रकारों को करने की एक योजना अनुमोदित की थी और इस प्रयोजन के लिए 10 पत्रकारों को प्लाट आवंटित किये गये थे । चण्डीगढ़ प्रशासन ने भी पत्रकारों को प्लाट आवंटन के नाम अनुमोदित किये दस में से पांच को अब प्लाट आवंटित कर दिये हैं । दो पत्रकारों, अर्थात् सर्वश्री माधवन नायर व केप्टन अनन्त को साहित्य अकादमी के सदस्यों के रूप में एक पृथक योजना के अधीन प्लाट आवंटित किये गये हैं ।

## द्वारकाधीश मंदिर का जीर्णोद्धार

6790. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका में द्वारकाधीश के ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार और नवीकरण का कार्य हाथ में ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जीर्णोद्धार के कार्य में कहां तक प्रगति हुई है ; और

(ग) अगर उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) :** (क) जी हां। द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर की इमारत से सम्बन्धित मरम्मत का कार्य न कि नवीकरण का, हाथ में लिया गया है।

(ख) मरम्मत का कार्य चल रहा है। फरवरी, 1969 के अन्त तक 25,214/- रुपए खर्च किए गए हैं। मरम्मत का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगा। अब तक जिन वस्तुओं की मरम्मत की गई है वे इस प्रकार हैं :— निचली मंजिल पर स्थित सरदलो, स्तम्भों आदि में संवर्धी पलस्तर को हटाना, मंदिर की कुर्सी के बाहरी भाग के क्षतिग्रस्त पत्थरों के टुकड़ों की छटाई और उन्हें हटाना, कुर्सी के लिए अपेक्षित आकार के यथापूर्वक संवारे हुए, मूल पत्थरों के अनुसार सांज सवांर कर तथा उन्हें अन्तिम रूप देकर नए पत्थरों आदि की व्यवस्था करना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## Pak Wireless Set Found in Poonch Area

6791. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Pakistani wireless set was recovered near Mandauli in Poonch area during the first fortnight of December, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that ammunition bearing Pakistani markings was also recovered in the same area during the aforesaid month ; and

(c) the number of persons arrested in this regard and the action taken against them ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) No, Sir. According to information furnished by Jammu and Kashmir Government one unlicenced transistor was recovered in Poonch District.

(b) No, Sir. The State Government have however, intimated that three handgrenades were recovered from a person in a village in district Poonch.

(c) One person has been arrested in connection with the recovery of the handgrenades and a case registered under the Arms Act is under investigation.

**Officers Suspended for Misbehaviour**

6792. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of officials belonging to the Central Services working under the Central and State Governments who have been suspended during the last three years on account of misbehaviour with the public and for other reasons; and

(b) the number of officials under suspension at present and the number of those against whom departmental and judicial action has been taken?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)**: (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as received.

**Cases Enquired into by the C. B. I.**

6793. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of cases enquired into by the Central investigation Bureau from 1st January, 1966, up-till now;

(b) the number of persons prosecuted by Government as a result of the enquiry conducted and the number of persons punished; and

(c) the number of Gazetted and non-gazetted officers, administrative officials, political leaders and Members of Parliament among them?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)**: (a) Number of cases enquired into by the Central Bureau of Investigation during the period from 1st January, 1966 to 31st December, 1968 is given below, year wise:

| | | |
|---|---|---|
| 1966 | .. | 3805 cases. |
| 1967 | .. | 3839 cases. |
| 1968 | .. | 3680 cases. |

(b) 2590 persons were prosecuted and 1075 were convicted during this period.

(c) The number of such persons among them is as follows:

| | Prosecuted | Convicted |
|---|---|---|
| (i) Administrative officers. | 7 | 3 |
| (ii) Other Gazetted officers. | 102 | 33 |
| (iii) Non-Gazetted officers. | 887 | 518 |
| (iv) Political Leaders. | 1 | — |
| (v) Members of Parliament. | 5 | 4 |

## दिल्ली में कारतूस कारखाने में विस्फोट

6794. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1968 में दिल्ली में एक कारतूस कारखाने में विस्फोट हो गया था जिसमें कुछ व्यक्ति जख्मी हो गये थे ;

(ख) क्या सरकार ने विस्फोट की कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो विस्फोट के कारण क्या थे ; और

(घ) भविष्य में ऐसे विस्फोट न हों यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् ।

(ग) पुलिस की जांच-पड़ताल से मालूम हुआ कि स्पात भरण मशीन के अन्दर सम्भवत: कुछ आकस्मिक चिन्गारियों के कारण विस्फोट हुआ ।

(घ) भविष्य में ऐसे विस्फोटों को रोकने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गये अनेकों उपाय प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

1. यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों में ऐसे लाइसेंसों की स्वीकृति न दी जाय ।
2. सम्बन्धित सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों को निदेश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले ऐसे लाइसेंसधारियों के अहातों का वर्ष में दो बार यह मालूम करने के लिये निरीक्षण करें कि लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंसों के नियम तथा शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है ।
3. शस्त्र अधिनियम के प्रपत्र 9 में सभी लाइसेंसधारियों के लिए इसके अतिरिक्त विस्फोटक नियमों के अधीन भी लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक बना दिया है क्योंकि इनके अधीन शर्तें अधिक कड़ी हैं ।
4. भविष्य में ऐसे लाइसेंस केवल नगर निगम/नगरपालिका के प्राधिकारियों द्वारा दिये गये व्यापार लाइसेंसों को प्रस्तुत करने पर ही देने का निर्णय किया गया है ।
5. यह निर्णय किया गया है कि ऐसे कारखानों में सुरक्षा की दशाओं में सुधार करने के लिए उपायों और साधनों पर विचार-विमर्श करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों और विस्फोटकों के मुख्य निरीक्षक, आगरा की नियतकालिक बैठकें की जायं ।

**बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान**

6795. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1967-68 और 1968-69 के दौरान बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो बिहार के इन विश्वविद्यालयों और कालेजों, जिनको यह अनुदान मिला है, नाम क्या हैं और अनुदान की राशि कितनी है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :** (क) और (ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 813/69]

**दिल्ली में नए कालेजों का खोला जाना**

6796. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
**श्री वी० चं० शर्मा :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में नए कालेजों को खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो नए खोले जाने वाले कालेजों की संख्या कितनी है और वे कहां खोले जाएंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार स्थिति को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :** (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने अगले शिक्षा सत्र से दिल्ली में दो नए कालेज खोलने का अस्थायी तौर पर निर्णय किया है। उनके स्थान का प्रश्न प्रशासन के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**महर्षि भवन का रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रयोग**

6797. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के कई प्रसिद्ध साहित्यकार और टैगोर परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों ने 'महर्षि भवन' को जो कि रवीन्द्र नाथ टैगोर का पैतृक घर है, रवीन्द्र भारती विश्व-विद्यालय के लिए कक्षा-भवन के रूप में प्रयोग करने का विरोध किया है ;

(ख) क्या उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को 'महर्षि भवन' को एक राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में सुरक्षित रखने का अनुरोध किया है जिसमें बंगाल और भारत के गौरवमय नवजागरण की याद दिलाने वाले राममोहन से रवीन्द्र नाथ के दिनों के संग्रह हों ;

(ग) क्या महर्षि भवन के बगीचे को खुले रंगमंच के रूप में प्रयोग करने के लिए भी अनुरोध किया गया था ;

(घ) क्या यशनया पोलोनिआ में टाल्सटाय का निवास-स्थान, फ्रंकफर्ट में गोथे का निवास-स्थान, शेक्सपीयर का स्ट्रेटफोर्ड आन-एवन और टोहर का, जो कि कला और संस्कृति में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतिभाशाली व्यक्ति था, निवास-स्थान उनके देशों द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में सुरक्षित रखा गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय को महर्षि भवन से किसी नए स्थान में ले जाने का और इस भवन को राष्ट्रीय न्यास, जो कि इस उद्देश्य के लिए गठित किया जाने वाला है, के अन्तर्गत राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में सुरक्षित रखने का है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी नहीं। रवीन्द्र नाथ ठाकुर के केवल एक सम्बन्धी ने महर्षि भवन को शिक्षण प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने पर आपत्ति की थी। नए भवन का निर्माण हो रहा था किन्तु धन की कमी के कारण इसमें देरी हो गई है। कक्षाओं में वृद्धि हो जाने पर, विश्वविद्यालय ने अनिच्छापूर्वक भवन के पिछले भाग में कक्षाएं आयोजित करने का निर्णय किया। यह केवल अस्थायी उपाय है। भवन के पूरा हो जाने पर इन कक्षाओं को वहां ले जाया जाएगा और महर्षि भवन का उपयोग संग्रहालय के रूप में किया जाएगा।

(ख) और (ङ). ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। पूरे महर्षि भवन का उपयोग, विद्यमान संग्रहालय और प्रदर्शनी कक्ष आदि के विस्तार के लिए करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां। किन्तु, कैम्पस में एक खुले रंगमंच की स्थापना के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब कि विश्व भारती प्रकाशन विभाग रवीन्द्र भारती के कैम्प में उसके द्वारा क़ब्जा की गई सम्पत्ति को खाली कर देगा।

(घ) टालस्टाय, गोथे और शेक्सपीयर के ग्रहों को उनकी संबंधित सरकारों द्वारा स्मारक संग्रहालयों के रूप में रखा जा रहा है। कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतिभाशील व्यक्तियों के गृहों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

## इंडिया टूरिस्ट डिवेलपमेन्ट कारपोरेशन, अशोका होटल्स लिमिटेड तथा जनपथ होटल लिमिटेड के अध्यक्षों की अर्हतायें तथा भत्ते

6798. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1967 से 5 अक्तूबर, 1968 तक की केवल एक वर्ष की अवधि में

इंडिया टूरिज्म डिवेलपमेंट कारपोरेशन, अशोका होटल्ज लिमिटेड तथा जनपथ होटल्ज लिमिटेड, इन सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों के अध्यक्षपद पर नियुक्त किये गये श्री रोमेश थापर की अर्हतायें क्या हैं ;

(ख) निदेशक के शुल्क, दैनिक भत्ते तथा यात्रा-भत्ते के रूप में इन तीनों उपक्रमों में से प्रत्येक अब तक श्री थापर को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के इन तीनों उपक्रमों के अध्यक्ष के नाते, श्री थापर किराये के बिना निवास प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और यदि हां, तो उन्हें दिये गये निवास का ब्योरा क्या है तथा इस निवास का मासिक किराया क्या है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) श्री रमेश थापर एक 25 वर्ष का अनुभव रखने वाले बुद्धिजीवी पत्रकार हैं ।

(ख) अक्तूबर, 1967 से अब तक श्री थापर को तीनों संस्थानों द्वारा भुगतान किया गया कुल धन निम्न प्रकार से है :—

| | निदेशक मंडलों तथा उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिये शुल्क | दैनिक भत्ता | यात्रा भत्ता | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | रु० | रु० | रु० | रु० |
| भारत पर्यटन विकास निगम | 525.00 | 916.57 | कुछ नहीं | 1,441.57 |
| अशोक होटल्स लिमिटेड | 650.00 | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 650.00 |
| जनपथ होटल्स लिमिटेड | 175.00 | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 175.00 |
| कुल .. | 1,350.00 | 916.57 | कुछ नहीं | 2,266.57 |

(ग) जी, नहीं ।

**एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष की नियुक्ति**

6799. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रोमेश थापर को एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स का अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख). एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बोर्डों के नये अध्यक्षों की नियुक्ति, अथवा मौजूद अध्यक्षों की पुनः नियुक्ति का प्रश्न, वर्तमान बोर्डों की अवधियों के समाप्त होने के बाद ही उठेगा ।

**राज्य स्तर पर एकता परिषदें**

6800. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
**श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्य मंत्रियों को राज्यस्तर पर एकता परिषदों का गठन करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इन परिषदों के ढांचे के बारे में कोई सुझाव दिया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, मनीपुर तथा त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने राज्यस्तर पर एकता परिषदों का गठन किया है । अन्य राज्यों में यह मामला विचाराधीन है ।

(ग) राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार राज्य-स्तर एकता परिषदें, मोटेतौर पर राज्य, जिला व नगरपालिका स्तर के नेतृत्व को प्रतिनिधित्व देकर, राष्ट्रीय एकता परिषद के लिये अपनाये गये नमूने के अनुसार होंगी । यह परिकल्पना की गई है कि राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री और जिला स्तर पर कलक्टर/जिला दण्डाधीश इस प्रयोजन के लिए पहल कर सकते हैं । राष्ट्रीय एकता बढ़ाने वाली सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं और समुदायों की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना तथा उद्गम स्थानों पर राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति से और बाधाओं तथा कठिनाइयों से, यदि कोई इस प्रक्रिया में सामने आती हैं, परिषद को सूचित रखना राज्य स्तर की परिषदों के मुख्य कार्य होंगे ।

**गृह मंत्री की स्वविवेकीय निधि**

6801. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 के दौरान गृह मंत्री की स्वविवेकीय निधि से व्यक्तियों को कुल कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनको ये अनुदान दिये गये हैं और इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क)

| | |
|---|---|
| 1966-67 | 171,478.00 रुपये |
| 1967-68 | 198,900.00 रुपये |

(ख) लाभ-भोगियों को ऐसी उलझनों से बचाने की दृष्टि से, जो उनके लिये उत्पन्न हो सकती हैं, उनके नाम प्रकट करना हमारी प्रथा नहीं है ।

**कटक में साम्प्रदायिक दंगे**

6802. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

**श्री नि० रं० लास्कर :**

**श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969 के दौरान केन्द्रपाड़ा में, जो कटक में एक सब डिवीजनल शहर है, साम्प्रदायिक दंगे हुए थे ;

(ख) गोली चलाये जाने से कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए ;

(ग) क्या इस शहर में सम्प्रदायिक शक्तियां सक्रिय हैं ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में साम्प्रदायिक प्रवृतियों को दबाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रपाड़ा में 30 जनवरी, 1969 को एक साम्प्रदायिक घटना हुई ।

(ख) पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारण चार व्यक्ति मारे गये और तीन व्यक्ति घायल हुये ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार इस समय ऐसी कोई शक्तियां सक्रिय नहीं हैं ।

(घ) कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने और सम्प्रदायों के बीच शांति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्राधिकारियों ने कार्यवाही की है ।

**भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 1947 का विमान सेवा करार**

6803. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

**श्री नि० रं० लास्कर :**

**श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा फ्रांस की सरकारों ने वर्ष 1967 के विमान

सेवा करार में संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधन किये गये हैं ; और

(ग) ये संशोधन दोनों देशों के लिए किस सीमा तक लाभप्रद होंगे ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्यन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, हां । 1967 के भारत-फ्रांस हवाई सेवा करार को जुलाई, 1967 में संशोधित किया गया था ।

(ख) और (ग). नई व्यवस्था के अनुसार एयर फ्रांस को अधिकार दिया गया था कि वह तुरन्त ही सप्ताह में दिल्ली से होकर तीन सेवाओं तथा कलकत्ता से होकर एक सेवा परिचालित करने के अपने पहले के अधिकार के बदले दिल्ली से होकर तीन सेवाएं तथा बम्बई से होकर एक सेवा परिचालित कर सकेगा । यह भी तै किया गया था कि अप्रैल 1969 से एयर फ्रांस बम्बई से होकर एक अतिरिक्त अर्थात् पांचवीं सेवा परिचालित कर सकेगा । इसके बदले में एयर इंडिया को यह अधिकार दिया गया था कि वह तुरन्त ही सप्ताह में पेरिस से होकर चार सेवाओं के परिचालित करने के अपने पहले के अधिकार के बदले पांच सेवाएं परिचालित कर सकेगा । यह भी तै किया गया था कि एयर इंडिया अप्रैल 1969 से पेरिस होकर छठी सेवा परिचालित कर सकेगा । एयर फ्रांस द्वारा कलकत्ता के बजाय बम्बई को सेवाएं परिचालित करने के एयर इंडिया को इस प्रकार एक अतिरिक्त सेवा परिचालित करने का लाभ प्रदान किया गया ।

## मध्य एशिया पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

6804. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** :
**श्री शिवचन्द्र झा** :
**डा० सुशीला नैयर** :
**श्री क० लकप्पा** :
**श्री ए० श्रीधरन** :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 फरवरी, 1969 को नई दिल्ली में मध्य एशिया पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सम्मेलन में चर्चित विषयों की रूपरेखा क्या है और क्या निर्णय लिये गये हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी हां । यह सम्मेलन 11 से 15 फरवरी, 1969 तक हुआ था ।

(ख) अफगानिस्तान, ईरान, भारत, इटली, मंगोलिया, तुर्की, अमेरिका, इंगलैण्ड और रूस ।

(ग) सम्मेलन का मुख्य विषय "पूर्व ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक मध्य

एशिया के देशों के बीच लोगों का आना-जाना और विचारों के आदान-प्रदान" था। मध्य एशिया में पुरातत्व विज्ञान, ऐतिहासिक अध्ययन, साहित्य और कलाओं के विकास पर चर्चा की गई थी। सम्मेलन में निबन्धों और वाद-विवादों में मध्य एशिया में विचारधाराओं के इतिहास पर विशेष ध्यान दिया गया था। जहां तक सम्मेलन में लिये गये निर्णयों का सम्बन्ध है, विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें सम्मेलन के निष्कर्ष और उसकी सिफारिशें दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 814/69]

**हिन्दी सीखने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार**

6805. **श्री सीताराम केसरी :**
**श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दी सीखने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो दिये जाने वाले पुरस्कारों का स्वरूप क्या होगा ; और

(ग) वर्ष 1969-70 में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी सीखने के लिये निम्न-लिखित पुरस्कार स्वीकृत किये गये हैं :—

**नकद पुरस्कार** : हिन्दी न जानने वाले उन कर्मचारियों को, जो प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षाओं में विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण होते हैं, 100 रु० से 300 रु० तक नकद पुरस्कार दिये जाते हैं। हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशुलिपि परीक्षाएं दक्षता के साथ पास करने वाले कर्मचारियों को भी नकद पुरस्कार दिये जाते हैं।

**एक मुश्त पुरस्कार :** 1965 में उन परिचालन कर्मचारियों के लिये एक मुश्त पुरस्कार भी स्वीकृत किये गये थे जो कार्यालय के समय हिन्दी कक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए नहीं छोड़े जा सकते हैं किन्तु जिन्होंने स्वयं अपने ही प्रयासों द्वारा निर्धारित हिन्दी परीक्षाएं पास की हों। सितम्बर, 1968 की परीक्षाओं से एक मुश्त पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी गई है। बढ़ाई गई दरें इस प्रकार हैं :—

| | |
|---|---|
| प्रवोध | 250 रु० |
| प्रवीण | 250 रु० |
| प्राज्ञ | 300 रु० |

दिसम्बर, 1968 की परीक्षा से उन कर्मचारियों द्वारा हिन्दी परीक्षाएं पास करने के लिये एक मुश्त पुरस्कारों की एक नई योजना चलाई गई है जो उन स्थानों पर नियुक्त हैं जहां हिन्दी,

हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण केन्द्र नहीं हैं। एक मुश्त पुरस्कारों की दरें वही हैं जो अब परिचालन कर्मचारियों के लिए स्वीकृत की गई हैं।

(ग) नकद पुरस्कार देने के लिये 1969-70 के बजट प्राक्कलन में 1,75,000 रु० की व्यवस्था की गई है। एक मुश्त पुरस्कारों पर व्यय भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है।

## अन्तर्देशीय नौवहन विभाग

6807. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्तर्देशीय नौवाहन के विकास के लिये विश्व बैंक ने कोई धनराशि प्रदान करना स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## नीचे के स्तर के पदों की भर्ती पर प्रतिबन्ध

6808. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री रणजीत सिंह :**
**श्री बलराज मधोक :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में फालतू कर्मचारियों, जिनकी संख्या कई सौ है, के कारण उत्पन्न समस्या का समाधान करने हेतु वहां नीचे स्तर के पदों के लिये नई भर्ती पर वस्तुतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की श्रेणीवार तथा विभागवार संख्या क्या है ; और

(ग) उनको अन्य कहीं नौकरी देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रशासनिक सुधार लागू करने, वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षक दल द्वारा किये गये अध्ययन कार्य के माप के स्वतः अध्ययन तथा स्थाई अथवा दीर्घकालीन संगठनों की समाप्ति के परिणामस्वरूप हुए फालतू कर्मचारियों की पुनः तैनाती की सुविधा के लिए सभी पदों की पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरने पर 1966 से कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं कि जब तक

कक्ष से ये प्रमाण-पत्र नहीं लिया जाता है कि उसके पास देने के लिए कोई उपयुक्त अधिकारी नहीं है । फिर भी, ये प्रतिबन्ध अनुसचिवीय संवर्गों की भर्ती पर सामान्य साधनों जैसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षा के जरिये भर्ती पर लागू नहीं होते हैं ।

(ख) 14-4-1969 को केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) कक्ष की सूची पर व्यक्तियों की कुल संख्या 63 थी । इन 63 व्यक्तियों की श्रेणी और विभागवार ब्योरे नीचे दिए हुए हैं :

| विभाग | श्रेणी | | | |
|---|---|---|---|---|
| | श्रेणी-1 | श्रेणी-2 | श्रेणी-3 | जोड़ |
| 1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय | — | 1 | 1 | 2 |
| 2. श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) | — | — | 61 | 61 |
| जोड़ | — | 1 | 62 | 63 |

(ग) 14-4-1969 को नियुक्ति के लिए 63 व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनमें से 37 व्यक्तियों को अन्य संगठनों में रिक्तियों पर भेजा है । शेष 26 व्यक्तियों को भी कक्ष उपयुक्त रिक्तियां सूचित होते ही भेज दिया जाएगा ।

**केन्द्रीय विशेष पुलिस दल का संगठन**

6809. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री रणजीत सिंह :**
**श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री बलराज मधोक :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**

**क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा राज्यों में अपने कानूनों को लागू करने हेतु एक विशेष पुलिस दल का गठन करने के लिये संविधान में अनुमति होने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न की जांच कर रही है कि क्या संसद् कानून द्वारा जांच करने वाली किसी केन्द्रीय एजेंसी को संघ की सूची की मदों से सम्बन्धित कानूनों के अधीन अपराधों तथा समवर्ती सूची की मदों से सम्बन्धित कानूनों के अधीन कुछ विशिष्ट श्रेणी के अपराधों की जांच करने और मुकदमा चलाने का कार्य सौंपने के लिए सक्षम होगी ।

## नौवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

6810. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि बर्मा की क्रांतिकारी सरकार ने देश में कार्य कर रही 24 गैर-सरकारी नौवहन एजेन्सियों को अपने अधिकार में ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार यहां पर भी ऐसा ही कदम उठाने का है ?

**संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) प्रश्नगत समाचार हमारे ध्यान में नहीं आया है परन्तु हमें वैसे भी जानकारी है कि 24 गैर-सरकारी पोत परिवहन एजेन्सियों का 1969 में बर्मा की क्रांतिकारी सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया था ;

(ख) जी नहीं ।

## शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

6811. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के राज्यपाल डा० पी० वी० चेरियन ने उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, में दिये गये अपने दीक्षांत भाषण में यह कहा था कि, "यद्यपि 20 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी हम शिक्षा के बारे में किसी एक राष्ट्रीय नीति पर सहमत नहीं हो सके हैं" ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी हां ।

(ख) शिक्षा आयोग की रिपोर्ट तथा उस पर हुई चर्चा के आधार पर, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी एक संकल्प जारी किया है जिसे 24 जुलाई, 1968 को संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था ।

## केरल में गोपाल सेना

6812. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी मिलती है कि केरल में पिछले कुछ समय से गोपाल सेना नामक एक संगठन कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संस्था ने केरल के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रशिक्षण केन्द्र

खोल दिये गये हैं तथा प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण-कार्यक्रम में गोली चलाने का प्रशिक्षण तथा माओ के विचारों का पठन-पाठन भी शामिल है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संगठन की गतिविधियों को रोकने में केरल सरकार की सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केरल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) 16 फरवरी, 1968 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 731 के भाग (क) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार स्वयं सेवकों को सैनिक कवायद, लाठी चलाना, संगीन भोंकना, बिना शस्त्र की लड़ाई इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । मार्क्सवादी नेताओं द्वारा नियमित रूप में उनकी अध्ययन कक्षायें ली जाती हैं ।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने पुलिस को कड़ी हिदायतें दी हैं कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय जो कानून का उल्लंघन करते हैं ।

**सड़क परिवहन से यात्रा करने वाले व्यक्ति**

6813. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961 और 1969 में कितने व्यक्तियों ने सड़क परिवहन द्वारा यात्रा की ;

(ख) देश में कुल यात्री यातायात कितना है ;

(ग) राजकीय परिवहन उपक्रमों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है और उससे कुल कितना राजस्व प्राप्त होता है ; और

(घ) उस पूंजी पर कुल कितना लाभ होता है ?

**संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) संगत अवधि में सड़क यात्री यातायात का अनुमान इस प्रकार है :

| वर्ष | यातायात |
|---|---|
| 1960-61 | 5,70,000 यात्री कि०मी० (लाख में) |
| 1968-69 | 10,00,000 ,, ,, |

(ख) देश में अनुमानित कुल यात्री यातायात (रेल और सड़क) इस प्रकार है :

| वर्ष | रेल | सड़क | कुल |
|---|---|---|---|
| 1960-61 | 77,665 | 57,000 | 134,665 |
| 1968-69 | 113,000 | 100,000 | 213,000 |

(ग) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में 31-3-1968 को अन्त होने वाले वर्ष के लिये लगी पूंजी और उनसे प्राप्त कुल राजस्व का अनुमान क्रम से 208 करोड़ रुपये से अधिक और 200 करोड़ रुपये है ।

(घ) 1967-68 के लिये पूंजी पर कुल प्रतिलाभ का अनुमान 5 प्रतिशत से अधिक है ।

**महाराष्ट्र तथा मैसूर के सीमा विवाद के बाद केन्द्रीय मंत्रियों को बम्बई में प्रवेश न करने दिया जाना**

6814. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
**श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
**श्री मुहम्मद इस्माइल :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :**
**श्री अ० कु० गोपालन :**
**श्री उमानाथ :**
**श्री सी० के० चक्रपाणि :**
**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों को बम्बई नगर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था और मंत्रियों के सामने ही जनता पर आंसू गैस छोड़ी गई, लाठी चार्ज किया गया तथा गोली चलाई गई ;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्यों के बीच सीमा-विवाद को हल करने में केन्द्र सरकार के अनिश्चय के कारण ही यह गड़बड़ हुई ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(घ) केन्द्रीय मंत्रियों को अपना कर्त्तव्य पूरा करने के लिये आने-जाने की स्वतन्त्रता तथा उचित संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये, कानून के रूप में, अथवा देश में राज्यों का सम्मेलन आयोजित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) यह सच नहीं है कि प्रधान मंत्री और केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को बम्बई में प्रवेश नहीं करने दिया था। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पुलिस ने केन्द्रीय मंत्रियों के सामने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस नहीं छोड़ी थी अथवा गोली नहीं चलाई थी । किन्तु जब एक उपद्रवी भीड़ उप-प्रधान मंत्री की गाड़ियों पर पथराव कर रही थी तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए 7 फरवरी, 1969 को पुलिस ने बेंत चलाई ।

(ख) शिव सेना ने महाराष्ट्र, मैसूर सीमा विवाद पर एक आन्दोलन की घोषणा की थी ।

(ग) अभी तक कोई फैसला नहीं किया है किन्तु सरकार इस पेचीदा और नाजुक मामले को शीघ्र अतिशीघ्र तय करने के लिए चिन्तित है ।

(घ) सभी राज्य सरकारें राज्यों में केन्द्रीय मंत्रियों के दौरे के सम्बन्ध में आवश्यक सुरक्षात्मक प्रबन्ध करती हैं ।

**Payment of Dearness Allowance to State Government Employees at Central Rates**

6815. **Shri Himatsingka :**
**Shri Valmiki Choudhary :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the States which have announced to pay the same dearness allowance to their employees from the 1st January, 1968 as paid by the Central Government to their employees ;

(b) the names of the State Governments which are paying the Dearness Allowance to their employees at the rates at which the Central Government employees are paid such allowance ;

(c) whether it is a fact that such non-gazetted officers and other employees as are on deputation to various Ministries and Departments under the Central Government have not so far been paid the increased dearness allowance by the Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and Madhya Pradesh Governments, which have announced to pay Central dearness allowance to their employees ; and

(d) if so, the reasons for non-payment of this amount to such non-gazetted officers and employees of the State Governments as are on deputation to various departments under the Home Ministry, and the time by which it is likely to be paid to them ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) and (b). Since 1-1-1968, the Central Government revised the rates of Dearness Allowance for their employees only once i. e. with effect from 1-9-68. The following States are paying Dearness Allowance exactly at these (Central) rates with effect from the dates shown against each :—

1. Haryana .. 1-9-68
2. Punjab .. 1-9-68
3. Rajasthan .. 1-9-68

In addition, the following States are paying Dearness Allowance at Central rates with slight difference in certain slabs :

1. Andhra Pradesh .. 1-2-69
2. Madras .. 1-1-69

(in the slab Rs. 90-109, the rate is Rs. 98/- and Rs. 1000-1018, the rate is Rs. 100/-) Both for Andhra Pradesh and Madras.

3. Mysore.....1-4-69 (In the slab Rs. 90-109, the rate is Rs. 85/-, and Rs. 1000-1018, the rate is Rs. 100/-).

4. Madhya Pradesh.....1.3.69 (in the slab Rs. 1000-1018, the rate is Rs. 100/-).

(c) and (d). Under the existing orders, the State Government employees who come over on deputation to the Centre are entitled to the Dearness Allowance under the rules of the State Governments or under the rules of the Central Government according as they retain the scales of pay under the State Government or draw pay in the pay scales attached to the posts under the Central Government. If the rates of dearness allowance are revised by any State Government, the revised orders would be given effect to in the case of personnel on deputation

to the Centre who have elected to retain State Government scales of pay, by the Administrative Ministries/Departments/Offices in which they are on deputation. No case about non-payment of Dearness Allowance has come to the notice of the Ministry of Home Affairs.

## युवकों सम्बन्धी क्रियाकलाप

6816. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के नये युवक सेवा विभाग द्वारा युवकों सम्बन्धी कौन-कौन से विभिन्न क्रियाकलाप किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या हाल में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ सुझाव दिये गये थे कि युवक-कार्यक्रमों के विकास की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) युवक सेवा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय आयोजना में निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गयी हैं :

1. कैम्पस कार्य प्रायोजनाएं ।
2. आयोजना फोरम ।
3. स्काउटिंग तथा गाइडिंग ।
4. युवक सेवाओं के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता ।
5. देश के एक भाग के विद्यार्थियों से दूसरे भागों के विद्यार्थियों का दौरा विनिमय ।
6. विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित किए गए युवक कल्याण बोर्डों को सहायता ।
7. राष्ट्रीय सेवा कोर तथा राष्ट्रीय खेल संगठन ।

यह मंत्रालय एक व्यापक आयोजना बनाने का विचार कर रहा है, जिसके ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं ।

(ख) और (ग). अप्रैल, 1967 में नई दिल्ली में हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि एन० सी० सी० राष्ट्रीय सेवा कोर अथवा खेलों में प्रत्येक विद्यार्थी को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए । तदनुसार विश्वविद्यालय और कालेजों के छात्रों में राष्ट्रीय चेतना तथा अनुशासन भावना और श्रम प्रतिष्ठा की भावना को पैदा करने के लिये राष्ट्रीय सेवा कोर तथा राष्ट्रीय खेल संगठन के कार्यक्रम बनाये गये हैं । इस योजना में यह व्यवस्था है कि डिग्री पाठ्यक्रम के पहले तथा दूसरे वर्ष के छात्र एक अथवा तीन अन्य कार्यक्रमों में अर्थात् एन० सी० सी०, एन० एस० सी०, एन० एस० ओ० में भाग लेंगे, यद्यपि राष्ट्रीय खेल संगठन का कार्यक्रम खेलकूद में दक्षता प्राप्त करने वाले चुने गए छात्रों तक ही सीमित किया गया है ।

**Hindi Sahitya Sammelan, Prayag, Allahabad**

6817. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi Sahitya Sammelan, Prayag, Allahabad is facing acute economic stringency ;

(b) whether it is also a fact that the financial assistance which use to be extended to the Sammelan is not being given to it for the past some time ;

(c) if so, the reasons therefor:

(d) if it is still being given, when it has been given and the amount thereof ; and

(e) whether the quantum of assistance is sufficient for the Sammelan ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :** (a) No, Sir. Not as far as the Union Ministry of Education is aware.

(b) to (e). Financial assistance to the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad, in the form of a maintenance grant is now being given on the basis of the deficit incurred by the Sammelan every year in its day-to-day working. The last grant was given in 1967-68 for the year 1966-67. Grants for subsequent years could not be sanctioned, as the Sammelan has not yet furnished complete audited accounts.

**Demotion of Teachers in Jammu and Kashmir**

6818. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether in November, 1968 he had received any representation from discontented trained Kashmiri Pandit Graduate teachers ;

(b) if so, the action taken thereon ;

(c) whether the Jammu and Kashmir Government have implemented the Supreme Court Judgement dated the 23rd April, 1968 **in toto** which has also been referred to in the said representation ;

(d) whether all the 61 petitioners have been demoted after the Supreme Court's Judgement ;

(e) in case all of them have not been demoted, the reasons for not implementing the judgement of the Supreme Court ;

(f) whether only sixty junior teachers (petitioners) have been demoted and they are still working on their old posts as Head Masters and Tehsil Education Officers ; and

(g) whether after issuing the orders for demotion of only sixty teachers instead of eighty-one, the Jammu and Kashmir Government have not given any relief to those who have been superseded since 1951 and who are entitled for promotion to the gazetted cadre on the basis of their seniority ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):** (a) Yes, Sir. A copy of the representation under reference has recently been received by me as forwarded by a Member of the Lok Sabha.

(b) to (g). The State Government have informed that the orders of the Supreme Court were that the promotions granted to 81 persons are void and that the petitioners be paid costs. The State Government have reported that they had reverted all the 81 teachers in compliance of the orders of the Supreme Court in June 1968, and that the claims regarding costs were not preferred by the petitioners.

**Promotion of Junior Teachers in Jammu and Kashmir State**

6819. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Shri A. K. Gopalan:**
**Shri Umanath:** **Shri Mohammad Ismail:**
**Shri Ganesh Ghosh:** **Shri Shri Chand Goyal:**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Jammu and Kashmir have again promoted about three dozen junior teachers on the same communal and provincial grounds after 23rd April, 1968, notwithstanding the decision of the Supreme Court and whether it is not in contravention of Article 16 (1) and (4) of the Constitution;

(b) if so, whether it shows that the Government of Jammu and Kashmir are not implementing the decision of the Supreme Court in letter and spirit;

(c) whether it is also a fact that more than 200 senior trained graduate teachers have been deprived of their promotion in the gazetted cadre as a result of the policy of communal representation in the matter of promotions in services, followed by that Government since 1947; and

(d) if so, the action taken by that Government (after the decision of the Supreme Court) to remove the long standing grievance of those more than 200 trained graduate teachers in regard to promotions?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):** (a) to (d). Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House, when received.

**Memorandum Submitted by Delhi Non-Gazetted Police Employees' Union**

6820. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Non-Gazetted Police Employees' Union has submitted a memorandum to Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government to accept their demands?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

**भारत तथा श्रीलंका का अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड**

6821. **श्री मधु लिमये :**
**श्री शशि भूषण :**

**क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा श्रीलंका के अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड के कृत्य क्या हैं तथा बोर्ड ने अब तक क्या काम किया है ;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा कितनी राशि का अनुदान किया गया और बोर्ड ने उसका किस प्रकार उपयोग किया है ;

(ग) बोर्ड के सचिव ने किस हैसियत से एक वर्ष तथा छः महीने की अवधि में ही अमरीका, आस्ट्रेलिया और हांगकांग की यात्रा की ;

(घ) क्या उनकी यात्राओं से देश में उच्च शिक्षा के सुधार में कोई सहायता मिली है ; और

(ङ) बोर्ड ने प्रधान के जोकि देश की उच्च शिक्षा के प्रशासन से सक्रिय रूप से सम्बन्धित हैं, विदेशों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में न भेजे जाने और उनके स्थान पर सचिव को जिसका उच्च शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं है; भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेजे जाने के क्या कारण हैं?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव)** : (क) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि बोर्ड के क्या कर्त्तव्य हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 815/69] बोर्ड ने अपने कार्यों के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रम तथा कार्यकलापों को हाथ में ले लिया है।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान बोर्ड को उसके अनुरक्षण के खर्च के हिस्से को पूरा करने के लिए निम्नलिखित अनुदान दिए गए थे :

| | रुपये |
|---|---|
| 1964-65 | 10,000 |
| 1965-66 | 28,000 |
| 1966-67 | 46,843 |
| 1967-68 | 50,000 |
| 1968-69 | 50,000 |

ये अनुदान उस कार्य के लिए उपयोग में लगाए गए जिनके लिए वे मंजूर किए गए थे।

(ग) बोर्ड के सचिव को 1967 में डनफोर्थ प्रतिष्ठान द्वारा अमेरिका में विश्वविद्यालयों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था। अगस्त, 1968 में वह भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के एक सदस्य के रूप में आस्ट्रेलिया में हुई दसवीं राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय-कांग्रेस में शामिल हुए थे। हांगकांग के लिये सचिव का दौरा निजी हैसियत में था। सभी मामलों में, उनके विदेशी दौरों को बोर्ड ने स्वीकृति दी थी।

(घ) इन दौरों से सचिव बोर्ड को अन्य देशों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान विचार-धारा में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, यह समझने में मदद मिली है। इससे सूचना में आदान-प्रदान के लिए सह संस्थाओं तथा एजेन्सियों के साथ सम्पर्क रखने में भी बोर्ड को मदद मिलती है।

(ङ) बोर्ड के सचिव जो पहले विश्वविद्यालय में अध्यापक थे देश की उच्च शिक्षा के कार्यक्रम के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध हैं फिर भी उन्होंने अमेरिका के दौरे में देश का प्रति-निधित्व नहीं किया था। आस्ट्रेलिया के दौरे के लिए उन्हें भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में बोर्ड द्वारा नामजद किया गया था।

**मनीपुर में मोंगल्हन में विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़**

6822. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्की मशीन गनों तथा अन्य स्वचालित हथियारों से लैस विद्रोही नागाओं को एक बड़े गिरोह ने 29 जनवरी, 1969 को मनीपुर की उखरूल सब-डिवीजन के उत्तरी भाग में मोंगल्हन नामक स्थान पर ग्रामीण स्वयंसेवक दल की एक चौकी पर अचानक हमला कर दिया था और थोड़ी देर की गोलीबारी के पश्चात् वे उस चौकी से आठ राइफलें तथा गोला बारूद लेकर भाग गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). 29 जनवरी 1969 को लगभग दस सशस्त्र संदिग्ध मीजो कुकी विद्रोहियों ने मनीपुर सदर सब डिवीजन के मोंगल्हम नामक स्थान पर ग्रामीण स्वयंसेवकों की एक चौकी पर हमला किया और 8 रायफल तथा कुछ गोला बारूद ले गये। इस गिरोह का पीछा किया गया जिसे 4 फरवरी, 1969 को घेरे में डाला गया। कुछ गोला-बारूद के साथ 8 में से 6 रायफल बरामद की गईं और 2 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और आगे जांच चल रही है।

**अवैध रेडियो पारेषण केन्द्र**

6823. **श्री बलराज मधोक** :
**श्री वेणी शंकर शर्मा** :
**श्री रणजीत सिंह** :
**श्री दी० चं० शर्मा** :
**श्री हरदयाल देवगुण** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि भारत में अवैध रेडियो पारेषण केन्द्र अथवा उपकरण हैं, जिनसे समय-समय पर विदेशों को विशेषतया पाकिस्तान को, गुप्त सूचना भेजी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उनका पता लगाने और उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो, इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार कोई ऐसा गुप्त प्रेषण केन्द्र अथवा उपकरण ध्यान में नहीं आया है। जम्मू व कश्मीर, केरल, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों तथा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

## उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान सम्बन्धी विषयों के विकास के बारे में शिक्षा आयोग की सिफारिशें

6824. **श्री क० लकप्पा :**
**श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान सम्बन्धी विषयों के विकास के बारे में शिक्षा आयोग की सभी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) और (ख). यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिनके पास आयोग की सिफारिशें उनके विचारार्थ तथा कार्यान्वयन के लिए भेजी गई थीं।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने 1964—69 के दौरान 6.78 करोड़ रुपये की सहायता के जरिए, माध्यमिक स्कूलों की विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ तथा विज्ञान अध्यापकों के सेवा-कालीन प्रशिक्षण में राज्यों की सहायता की है। चौथी अयोजना के दौरान यह योजना राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने विद्यमान उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए नमूने का पाठ्यक्रम तथा कुछ पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं, और उन्हें राज्य सरकारों के पास यथोचित उपयोग के लिए भेज दिया गया है।

## Class IV Mutual Benefit Society, Kasturba Nagar, New Delhi

6825. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the behaviour of the President of Class IV Mutual Benefit Society, Government of India, Kasturba Nagar, New Delhi and its other workers is not good towards the residents of that place ;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government against the said persons ;

(c) If not, action is proposed to be taken, the reasons therefor ;

(d) whether Government propose to dissolve the said Society ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) :** (a) A complaint has been received to this effect.

(b) and (c). One of the two Welfare Associations in Kasturba Nagar, is Bharat Sarkar Chaturth Shreni Parasparik Sahyog Samiti, which was formed in 1966-67 as a rival body to the older Welfare Association. Recently a complaint was received, alleging unsatisfactory behaviour of the workers of the Samiti. Such complaints are not uncommon when there are more than one Welfare Associations functioning in a particular area. Since the Samiti does not receive grant from the Government and is not recognised, no action is proposed to be taken.

(d) and (e). In view of the reply to parts (b) and (c), the question does not arise.

## Tourists Centres in Madhya Pradesh

6826. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open certain new important tourist centres in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the location and names thereof ; and

(c) the time by which Government propose to implement this scheme ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):** (a) to (c). In the Fourth Five Year Plan, it is tentatively proposed to take up integrated development of Khajuraho, Kanha-Kisli and Sanchi. In view of the limited resources, there is no proposal to take up the development of any new tourist centres in Madhya Pradesh.

## Number of ICS/IAS/IPS, Officers in Madhya Pradesh

6827. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of I.C.S., I.A.S. and I.P.S. Officers in Madhya Pradesh as on the 31st January, 1969 ;

(b) the number out of them, separately, belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(c) whether the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Officers is in proportion to the quota reserved for them ; and

(d) if not, the action being taken in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) I.C.S.—8 ; I.A.S.—205 ; I.P.S.—173.

(b)

| | Scheduled Castes | Scheduled Tribes |
|---|---|---|
| I.C.S. | — | — |
| I.A.S. | 12 | 3 |
| I.P.S. | 10 | 3 |

(c) and (d). The reservation in favour af Scheduled Castes/Scheduled Tribes against the direct recruitment quota in I.A.S. and I.P.S. is made on an all India basis and not State-wise. During the past few years they are being recruited upto the number of vacancies reserved for them. Out of them, a proportionate number of recruits are being allotted to Madhya Pradesh.

**Archaeological Survey and Excavation Work in Madhya Pradesh**

6828. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether more efforts were made in 1967-68 and 1968-69 to undertake archaeological surveys or excavation work in Madhya Pradesh;

(b) if so, the places where such work was undertaken and the results thereof ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to undertake exploratory work in regard to the Narmada Valley Civilization in Madhya Pradesh ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh )** : (a) and (b). During 1967-68, the Archaeological Survey of India continued village-to-village suvey of antiquities in District Jabalpur and antiquities ranging from the Stone Age to the Medieval period were brought to light. The work was continued during 1968-69 as well. No excavation was, however, undertaken by the Archaeological Survey of India on any site in Madhya Pradesh during these years.

It may, however, be added that during 1967-68 excavations were conducted by the Saugar University and the Vikram University in collaboration with the Deccan College and the Post-Graduate Research Institute, Poona, at Tripuri, District Jabalpur, and at Kayath, District Ujjain respectively. A brief report of these excavations has since been published in Indian Archaeology 1967-68. In addition, sporadic explorations were conducted in Districts Damoh, Raisen, Satna and Ujjain by the State Department of Archaeology and the Saugar University.

During 1968-69, the Saugar University continued its excavation at Tripuri. Reports of works from other agencies are still awaited.

(c) Archaeological Survey of India itself has not carried out any excavation in Madhya Pradesh as there is only one Excavation Branch which was fully occupied with other programmes during these two years.

(d) At present the Archaeological Survey of India has no such proposal.

**Riots in Madhya Pradesh**

6829. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of communal riots that took place in Madhya Pradesh during the period from 1967 to the 31st January, 1969 and the number of persons killed in these riots;

(b) whether Government have conducted any enquiry in this regard directly or through the State Government ; and

(c) the details of the action taken, if any, against the mischievous elements ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) According to information received from the State Government since 1967 communal incidents have taken place at Ratlam on 28th September, 1967, at Mansa in Mandsaur district on 2nd November, 1967, at Mandsaur on 19th March, 1968, at Ratlam on 9th and 10th April, 1968 and at Indore from 31st December, 1968 to 3rd January, 1969. No person was killed in any of these incidents.

(b) and (c). Prosecution have been launched against 99 persons in connection with the first three incidents mentioned above. Three cases were registered in connection with the fourth incident. In connection with the fifth incident 319 persons were arrested under Sections 188 and 287 of the Indian Penal Code and 32 under the preventive provisions of the Code of Criminal Procedure.

**भारत में हिप्पी**

6830. **श्री देवेन सेन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 से अब तक भारत में कुल कितने हिप्पी आए हैं तथा वे किस-किस देश के हैं ;

(ख) उनकी आय का जरिया क्या है, वे किस प्रकार अपना निर्वाह करते हैं ;

(ग) उनमें से कितने पुरुष हैं तथा कितनी स्त्रियां हैं ; और उनका इस देश में आने का उद्देश्य क्या है ;

(घ) क्या सरकार को कोई सूचना प्राप्त हुई है, कि उनमें से कई भारत जासूसी की कार्यवाइयां कर रहे हैं ; और

(ङ) क्या कोई ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि उनमें से कोई सामाजिक कार्य करते हैं जिनसे उनके आस पास रहने वाले व्यक्तियों की नैतिकता पर कुप्रभाव पड़ता है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) से (ग). हिप्पियों के जिस शब्द का प्रयोग अनुमानत: उन विदेशी राष्ट्रिकों के लिए किया गया है जो सामान्यत: स्वीकृत पोशाक इत्यादि के स्तर के अनुसार नहीं रहते हैं, भारत में आगमन के कोई पृथक आकड़े नहीं रखे जाते हैं । अतएव पूछी गई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) कुछ ऐसे विदेशी, नशीली वस्तुओं, बिना लाइसेन्स के हथियारों इत्यादि को अवैध रूप से अपने पास रखने जैसी अवैध गतिविधियों के लिए, ध्यान में आए हैं।

**Religious Propaganda by Father Ferrer in Andhra Pradesh**

6831. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6618 on the 30th August, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that Father Ferrer has been allowed to carry on religious propaganda in Andhra Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that the Arya Pratinidhi Sabha (Central South), Andhra Pradesh has strongly opposed this and many other organisations and prominent citizens have also opposed this ; and

(c) the reasons for allowing him to indulge in anti-national activities by disregarding public sentiments ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla :** (a) Father Ferrer is reported to have come for social and educational work.

(b) The Arya Pratinidhi Sabha Madhya Dakshin Hyderabad and some others are said to have opposed his stay in Andhra Pradesh.

(c) No anti-national activities on his part have come to notice.

**बीकानेर तथा दिल्ली के बीच फासला कम होना**

6832. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि झमपो (हरियाणा) तथा हिसार (हरियाणा) के बीच 28 मील लम्बी बजरी की सड़क पर तारकोल बिछा दी जाए तथा यातायात को मोड़ने के लिए सभी पहलुओं से तैयार कर ली जाए तो पर्यटकों तथा अन्य सड़क यातायात के लिए बीकानेर और दिल्ली के बीच का रास्ता लगभग 60 मील कम किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रुकावट को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) सड़क के झमपो-हिसार भाग पर बजरी तथा तारकोल डालने का काम शुरू कर दिया गया है और दिसम्बर, 1968 तक 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था।

## बंगलौर में हरिजन की हत्या

6834. **श्री देवेन सेन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में क्यासनाकरे ग्राम पंचायत के हरिजन सदस्य, श्री हलप्पा द्वारा अपनी जान को खतरा समझने पर सुरक्षा के लिये प्रार्थना करने के 22 दिन पश्चात् उसकी हत्या कर दी गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त श्री हलप्पा ने 6 सितम्बर, 1968 को प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय खाद्य मंत्री को उनकी सुरक्षा के लिये लिखा था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

## Writing of Confidential Reports of Employees of Survey of India

6835. **Shri Shiv Kumar Shastri**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only the Class I Officers are authorised in Survey of India to write annual confidential reports even when the employees concerned are much lower in rank to them and have not direct contact with them and also that there are many other Gazetted and non-Gazetted Officers to supervise the work of the employees in question ; and

(b) whether the said procedure does not violate the provisons of para 7 of the Home Ministry's Office Memorandum No. F.51/14/60-ESTS(A), dated the 31st October, 1961 wherein it has been made abundantly clear that the confidential report of all employees should be written only by that officer under whom the said employee is working directly, irrespective of the fact whether that officer is a Gazetted Officer or a non-Gazetted one ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan)**: (a) The practice so far has been for the officers in charge of field parties to write the confidential reports of all members of the field parties, because of frequent changes in the duties of camp parties from season to season under different camp officers. The same practice has been followed in the case of Circle Offices and Drawing Offices where the Deputy Directors and the Superintending Surveyors respectively write the reports.

(b) Instructions have been issued to the Department to follow strictly the provisions of the Ministry of Home Affairs' O.M. No. F.51/14/60-ESTS(A), dated 31st October, 1961 in future.

**भूतपूर्व मद्रास राज्य के अधिकारियों द्वारा लेख याचिकायें दायर की जाना**

6836. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री क० अनिरुद्धन :**
**श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास तथा केरल राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप भूतपूर्व मद्रास राज्य से केरल को दिये गये अधिकारियों द्वारा केरल उच्च न्यायालय में कितनी लेख याचिकायें दायर की गई थीं ; और

(ख) उनमें से कितनी याचिकाओं को निपटा दिया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**तूतीकोरिन पत्तन का निर्माण**

6837. **श्री जेवियर** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतीकोरिन पत्तन के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ग) 1969-70 के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(घ) निर्माण पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

**संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह)** : (क) कार्य की प्रगति नीचे दी जा रही है :—

**प्रारम्भिक और अपतटीय निर्माण कार्य**

क्षेत्र जांच, भूमि अधिग्रहण, पहुंचमार्ग, आंतरिक सड़कें, खदानों को जाने वाली सड़कें, खदानों पर रेलवे साइडिंग, क्वार्टरों 232 क्वार्टरों की प्रथम और द्वितीय प्रावस्थाएं, अस्थायी कार्यालय, पानी-वितरण, मल व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, नीचे धरातल वाले क्षेत्रों की भराई, इत्यादि, जैसे प्रारम्भिक निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं ।

**अपतटीय निर्माण कार्य**

1. **उत्तरी पनकट का निर्माण**

उत्तरी पनकट का निर्माण कार्य तट से कुल 4142 मी० में से 1215 मी० पूरा हो गया है । 1215 मी० से 1365 मी० तक के भाग पर कार्य जारी है ।

2. **दक्षिणी पनकट का निर्माण**

दक्षिणी पनकट का निर्माण कार्य तट से कुल 3797 मी० में से 1143 मी० पूरा हो गया है। 1143 मी० से 1321 मी० तक के भाग पर काम जारी है।

3. **पहुच वांह**

पहुंच वांह का उद्धरण कार्य चार्ट दत्त से—2 मी० तक पूरा हो गया है।

(ख) इस परियोजना के प्रारम्भ होने से मार्च, 1969 के अन्त तक कुल 966 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

(ग) 300.00 लाख रुपए।

(घ) योजना आयोग के परामर्श में और उपलब्ध साधनों के प्रकाश में इस परियोजना के लिए वर्ष प्रतिवर्ष किये गए वार्षिक आवंटनों के आधार पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

**स्नातकोत्तर कक्षाओं में उपस्थिति**

6838. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका विचार यह है कि स्नातकोत्तर कक्षा में उपस्थिति पर आग्रह करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है ;

(ख) क्या उनके विचार वर्तमान प्रणाली में विशेषतया केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में, सुधार के किसी सरकारी प्रस्ताव का द्योतक है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के सहयोग से इस सुझाव की क्रियान्विति की वांछनीयता पर विचार किया गया है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :** (क) और (ख). पहली मार्च, 1969 को दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षा सुधार तथा अनिवार्य उपस्थिति सम्बन्धी एक सेमिनार का उद्घाटन करते समय मैंने इस बारे में एक सुझाव दिया था। मेरी राय में उच्चतर शिक्षा में अधिकाधिक कुशलता लाने के लिए मौजूदा शिक्षा पद्धति को बन्द करना एक उपयोगी मार्ग सिद्ध होगा।

(ग) जी, नहीं।

**आसनसोल में केन्द्रीय रक्षित पुलिस का भेजा जाना**

6839 **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः मास में आसनसोल के कोयला खान क्षेत्र में केन्द्रीय रक्षित पुलिस को भेजना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय रक्षित पुलिस के वहां रहने के कारण कोयला खान क्षेत्र में स्थिति में सुधार हुआ है ; और

(ग) किन परिस्थितियों के कारण केन्द्रीय रक्षित पुलिस को वहां तैनात करना आवश्यक हो गया था और उन कारणों में कहां तक कमी हुई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**Intrusion of Pakistanis near Calcutta**

6840. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 6th March, 1969 a group of Pakistanis harvested the crop of Indian Nationals on the Indo-Pak border near Calcutta ran away with crop worth thousands of rupees ; and

(b) the number of our Border Security guards posted on that border ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) Facts are being ascertained from the State Government.

(b) Adequate number of border out-posts have been established for guarding the Indo-Pak border. It will not be in public interest to disclose the details.

**उड़ीसा के विश्वविद्यालयों को अनुदान**

6841. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्कल, सम्बलपुर तथा ब्रह्मपुर विश्वविद्यालयों के लिए वर्ष 1969-70 के लिए अनुदान की कितनी-कितनी राशि निर्धारित की गई थी ; और

(ख) उड़ीसा के उन तीन विश्वविद्यालयों में जिन परियोजनाओं के लिए ऐसे अनुदान की राशि आवंटित की गई है, उनके नाम क्या हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को वर्ष के आधार पर अनुदान नहीं देता है । ऐसा आमतौर पर दौरा करने वाली समितियों की, जिनको विश्वविद्यालयों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए नियुक्त किया जाता है, सिफारिशों पर योजना अवधि के लिए किया जाता है । अनुमोदित परियोजनाओं की क्रियान्विति में हुई प्रगति और उन पर हुए व्यय को देखते हुए अनुदान दिए जाते हैं ।

आयोग ने दौरा करने वाली समितियों की, जिनको उड़ीसा में विश्वविद्यालयों की विकास

सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए नियुक्त किया गया था, सिफारिशों पर 1970-71 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित अनुदान मंजूर किये हैं :

| | | | लाख रुपयों में |
|---|---|---|---|
| उत्कल विश्वविद्यालय | ... | ... | 78.92 |
| ब्रह्मपुर ,, | ... | ... | 37.70 |
| सम्भलपुर ,, | ... | ... | 48.26 |

1966-67 से 1970-71 की अवधि के लिए आयोग द्वारा दी जाने वाली राशि को देखते हुए विश्वविद्यालयों को ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया है जिनको इस राशि के 70 प्रतिशत भाग से क्रियान्वित किया जा सके। उत्कल विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को जिसको इस राशि के 70 प्रतिशत भाग से क्रियान्वित किया जा सकता है आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया है परन्तु अन्य दोनों विश्वविद्यालयों से ऐसे कार्यक्रमों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) आयोग ने विज्ञान के विषयों, मानव शास्त्र तथा समाज विज्ञान, पुस्तकालय की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, उपकरणों, विभागीय भवनों, छात्रावासों अन्य सुविधाओं, कर्मचारियों के निवास स्थान और कुछ अन्य विविध कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने के लिए अनुदान दिया है।

**राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39**

6842. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 तथा 1968-69 में नागालैंड तथा मनीपुर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 की मरम्मत के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ;

(ख) नागालैंड तथा मनीपुर के लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त अवधि के लिए स्वीकृत राशि में से वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) उक्त अवधि में कितनी राशि प्रयोग में नहीं लाई जाने के कारण व्ययगत करनी पड़ी ?

**संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) और (ख). जानकारी नीचे दी गई है :

| राज्य | मंजूर की गई राशि लाखों में | | वास्तव में खर्च की गई राशि लाखों में | |
|---|---|---|---|---|
| | 1967-68 | 1968-69 | 1967-68 | 1968-69 |
| नागालैण्ड | 8.00 | 24.00 | 8.68 | आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं |
| मनीपुर | 7.00 | 10.04 | 12.57 | ,, |

(ग) 1968-69 में नागालैण्ड सरकार के लिए मूलत: 25 लाख रुपये रखे गये थे। इस बारे में सूचना मिलने पर राज्य सरकार ने 24 लाख रुपये की मांग की, जो स्वीकार कर ली गई। शेष एक लाख रुपया अन्य काम पर लगाया गया है।

**राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39**

6843. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 कई दिनों तक बन्द हो गया था और उसके परिणामस्वरूप सामान्य यातायात अस्त-व्यस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष सड़कों में ऐसी रुकावट रोकने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या मनीपुर राज्य परिवहन को मनीपुर के लिए खाद्यान्न की हजारों बोरियां आवधिक दर पर पहुंचाने में भारी व्यय करना पड़ा था ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी बोरियां पहुंचाई गईं तथा सड़क बन्द रहने के दिनों में उक्त सौदे पर कितना व्यय किया गया ; और

(ङ) क्या मनीपुर राज्य परिवहन ने यह माल अपने साधनों से भिजवाया था अथवा किसी फर्म द्वारा ठेके पर ?

**संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) जी हां। नागालैण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 39 के 42वें मील का कुछ भाग।

(ख) पिफिमा से कोहिमा तक का भाग भूमि ज्ञान त्रुटि रेखा में पड़ता है और उसमें बार-बार धसन और खिसकन होते रहते हैं—30वें और 44वें मीलों के बीच का भाग सबसे अधिक कमजोर भाग है। द्वितीय विश्व युद्ध काल में इस क्षेत्र में निर्मित उपमार्ग की मरम्मत करने और उसे जीपों और 15 हंडरवेट की मोटर गाड़ियों के लिए उपयुक्त बनाकर तुरन्त राहत की व्यवस्था की गई। बाद में और सुधार करने के लिए 14 लाख रुपये के अनुमानों को मंजूर किया गया। इस सुधार में कुछ मीलों का पुनर्संरेखण और शेष को सशक्त और चौड़ा करना शामिल है जिससे वह सामान्य यातायात के उपयुक्त बन जाय। भारत के भूज्ञान सर्वेक्षण के परामर्श में इस सम्पूर्ण भाग का पुनर्संरेखण का प्रश्न विचाराधीन है। तथापि पुन: चालू किये गये उपमार्ग का रख रखाव बनाए रखा जाएगा जिससे वह सेवा देने योग्य बना रहे।

(ग) जी, हां।

(घ) (1) लगभग 9500 बैग ।

(2) लगभग 30,300 रुपये ।

(ङ) केवल नौकांतरण के लिए एक ठेकेदार द्वारा ।

## सामूहिक पर्यटन कार्यक्रम (पैकेज टूवर्ज)

6844. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी तथा यूरोप के अन्य देशों से सामूहिक पर्यटन कार्यक्रम में भारत को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स भारत में पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों के एक सप्ताह के दौरे के लिये 60 व्यक्तियों के लिये स्थान देने का आश्वासन नहीं दे सकता; और

(ख) इंडियन एयरलाइन्स में स्थान पूरी तरह भरे होने पर भी वह विदेशी विमानों को चार्टर उड़ानें जारी रखने की, जिससे अन्य देशों से विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, अनुमति क्यों नहीं दी जाती ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं । योरूप में जर्मनी व अन्य देशों से सामूहिक पर्यटन कार्यक्रमों (पैकेज टूअरों) में भारत भी सम्मिलित होता है । इस वर्ष जनवरी में हालैण्ड, फिनलैण्ड, रूस, पश्चिम जर्मनी, बल्गारिया और डेनमार्क से 7 पर्यटक चार्टर परिचालित हुए हैं ।

1969 में जनवरी से मार्च तक की अवधि में इंडियन एयरलाइंस ने 480 से अधिक पर्यटक दलों का निर्वाह किया है जिनमें से प्रत्येक में औसतन 23 सदस्य थे । इनमें से 20 दलों में 50 से अधिक सदस्य थे ; ऐसे दलों को अनुसूचित सेवाओं में जगह दी गयी तथा उनके साथ-साथ कुछ अतिरिक्त सेवाएं भी परिचालित की गयीं ।

(ख) सामान्यतया कोई देश विदेशी परिचालकों को अपने भू-भाग के अन्तर्गत स्थानों के बीच परिचालन की अनुमति नहीं देता । इसलिये सामान्यतया इंडियन एयरलाइन्स भी विदेशी विमानों को इस देश के अन्तर्गत पर्यटन खण्डों (टूरिस्ट सेक्टरों) के बीच से होकर चार्टर उड़ानों को जारी रखने की अनुमति नहीं देती । अगर कहीं ऐसा कर दिया जाये तो इस प्रकार की चार्टर उड़ानें कारपोरेशन के पर्यटन खण्डों में रिक्तता की स्थिति उत्पन्न कर देंगी । परन्तु, जब कभी आवश्यकता होती है, कारपोरेशन पर्यटकों के बड़े-बड़े दलों की आवश्यकता पूर्ति के लिये अतिरिक्त उड़ानें अवश्य परिचालित करती हैं ।

**पर्यटक होटलों के लिये विकास ऋण**

6845. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी द्वारा पूर्वी अफ्रीका में जिस प्रकार स्थानीय पूंजी के साथ विभिन्न साधनों से विदेशी पूंजी लगाई गई है, उसी आधार पर पर्यटक होटलों के विकास के लिए ऋण लेने का सरकार का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार पर्यटक समूहों के लिए पर्यटन केन्द्रों पर मुनासिब दरों पर स्थान उपलब्ध करने की व्यवस्था कर रही है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) होटल विकास ऋण योजना इस प्रकार की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करने के बाद बनाई गई थी और सरकार की राय में उक्त योजना भारत में विद्यमान परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ।

(ख) केन्द्रीय एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा उन स्थानों पर जहां कि जगह सामान्य दरों पर उपलब्ध है, कई पर्यटक बंगले बनाये गये हैं । साधनों के परिसीमित होने के कारण सरकार इस मामले में अधिक कुछ नहीं कर सकती, अतएव इस कमी को गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पूरा किया जाना होगा जिसे कि उदार प्रोत्साहन प्रदान किये गये हैं ।

**राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर चलने वाली बस सेवा**

6846. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर दीमापुर-मनीपुर रोड से इम्फाल तक तथा इम्फाल से दीमापुर-मनीपुर रोड तक चलने वाली बस सेवा कैसी है ;

(ख) इस राजमार्ग पर प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की बस सेवा न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या लोक हित के लिए सरकार का ऐसी सेवा चलाने का विचार है ?

**संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

**मनीपुर में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में मुकदमों का निपटाया जाना**

6847. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायिक आयुक्त, मनीपुर के न्यायालय में मुकदमे निपटाने में

अत्यधिक विलम्ब होता है यहां तक कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना पत्र लगभग एक वर्ष से निलम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस न्यायालय में उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के प्रार्थनापत्रों सहित कितने मुकदमें निलम्बित हैं ; और

(ग) मुकदमों के निपटाने में विलम्ब से बचने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) न्यायिक आयुक्त, मनीपुर के न्यायालय में मुकदमों को निपटाने में कुछ विलम्ब हुआ है ।

(ख) 1 अप्रैल, 1969 को उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने के लिए दो प्रार्थनापत्रों सहित 396 मुकदमें ।

इन दो प्रार्थनापत्रों को निपटाने के लिये 23 व 24 अप्रैल, 1969 की तारीखें निश्चित की गई हैं ।

(ग) समय पर निपटान करने की दृष्टि से पुराने व आवश्यक मुकदमों को प्राथमिकता दी जा रही है ।

## मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद करने के लिये विशेष कर्मचारी

6848. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि सरकारी काम-काज में हिन्दी का दिन प्रति दिन अधिक प्रयोग किया जाये, मार्च के अन्त तक केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों में अनुवाद करने के लिये विशेष कर्मचारी रखने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इससे कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में पहले से ही हिन्दी अनुवाद के कार्य के लिए कुछ कर्मचारी हैं । इनकी संख्या को आवश्यकतानुसार और अधिक बढ़ाया जा रहा है ।

(ख) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग ने इस प्रयोजन के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त कर्मचारी बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की है अथवा कर रहा है । इस सम्बन्ध में स्थिति पर नजर गृह मंत्रालय में प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के द्वारा रखी जाती है ।

(ग) गृह मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 6 जुलाई, 1968 के पश्चात् स्वीकृत अनुवाद कर्मचारियों पर अतिरिक्त व्यय लगभग 5·6 लाख रुपये वार्षिक होने का अनुमान है ।

**काकीनाडा और कुड्डालोर के बीच जलमार्ग में सुधार**

6849. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकीनाडा और कुड्डालोर के बीच जलमार्ग में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह)** : (क) से (ग). अनुमानतः यह प्रश्न बकिंघम नहर के सुधार से सम्बन्ध रखता है जो आन्ध्र प्रदेश और तामिलनाडू राज्यों से होकर गुजरती है और उत्तर में काकीनाडा और दक्षिण में मार्कनामा के चढ़े हुए जल के बीच नौगम्य मार्ग की व्यवस्था करती है। कुड्डालोर जो आगे दक्षिण की ओर है, इस नहर के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है।

पिछली योजना अवधियों के अन्तर्गत निकर्षण पोत (ड्रेजर्स) खरीदे गये थे और इन कार्यों के खर्च के एक भाग को पूरा करने के लिए यानी सरकार द्वारा दिए गये अनुदानों दोनों राज्य सरकारों द्वारा कुछ सुधार किये गये थे जैसे पाटों का निर्माण नाविकों के लिये विश्राम सायवान (शेड) स्नानागृह, संयुक्त दीवारें आदि ।

जहां तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से व्यापारिक जीवन-क्षम नदी सेत्राओं को चालू करने की योजनाओं को तैयार करने के लिए आग्रह किया गया है। आन्ध्र प्रदेश और तामिलनाडू सरकारों के प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

**Closure of Dharamshala Transit School**

6850. **Shri Kushok Bakula**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the Government of India propose to close the Dharamshala Transit School ;

(b) whether it is also a fact that about 300 Tibetan children are still studying in the aforesaid Transit Camp and that there is no other arrangement for their education and their financial condition is very pitiable ; and

(c) whether Government propose to reconsider the aforesaid decision to close the said Transit School ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan)** : (a) to (c). The Government of India is not concerned with the Dharamshala Transit School. It was started by the Council for Tibetan Education of His Holiness the Dalai Lama and it had a strength of 655 Tibetan children. On the transfer

of 646 bonafide Tibetan refugee children from this school to some other schools run by the Tibetan Schools Society sponsored by the Government of India, the Council closed down their Transit School.

The remaining Tibetan children, who are not refugees, are being looked after by the Council itself.

**School Facility for Tibetan Children**

6851. **Shri Kushok Bakula**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there are 3,000 Tibetan Children with the Tibetan Schools Society, for whom there is no schooling facility ;

(b) whether it is a fact that the Tibetan Schools Society has requested voluntary organisation in India and abroad to help in this work ; and

(c) whether Government are considering any proposal to extend financial help or educational facilities to the said Society ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Sepvices (Shri Bhakt Darshan)**: (a) The Tibetan Schools Society caters only to Tibetan refugee children. The number of Tibetan refugee students receiving education in the schools run by this Society was 5512 as on 31-12-1968. The Society is not responsible for the education of Tibetan children, who are not refugees.

(b) No, Sir.

(c) The entire expenditure of the Society is met from the grant-in-aid given by the Government of India. In addition, some assistance in the shape of food-stuffs, medicine etc. is received from voluntary organisations through the Central Relief Committee (India).

**सीमा सड़क विकास बोर्ड में स्थानान्तरित किये गये अधिकारियों को लाभ**

6852. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सीमा सड़क विकास बोड के बारे में तथा अर्द्ध-स्थायी सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में 26 जुलाई, 1968 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 1278 तथा 1279 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के ऐसे अधिकारियों की संख्या तथा उनका अन्य विवरण क्या है जो अपनी वरिष्ठता निर्धारण के मामले में गृह-कार्य मंत्रालय के आदेश का लाभ प्राप्त करने के हकदार थे ;

(ख) क्या ऐसे सभी अधिकारियों को गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशानुसार उनका देय लाभ उन्हें दे दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कौन-कौन से मामले हैं जिन्हें अभी लाभ नहीं दिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या बिना भेदभाव के सभी अधिकारियों के साथ न्याय करने हेतु तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) चूंकि इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों का कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों का उत्तरदायित्व है, अतः गृह मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). गृह मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई विशिष्ट मामला नहीं लाया गया है जहां उनके द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन न किया गया हो ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**सरकारी कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता**

6853. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मामलों में सरकारी कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये कोई सिद्धान्त तथा प्रक्रिया निर्धारित है जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले में आरक्षण करने की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस बारे में कभी किसी सरकारी विभाग को परामर्श दिया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को दर्शाने वाली भर्ती सूची को वरिष्ठता का आधार नहीं माना जाना चाहिये और इन कर्मचारियों के स्थायीकरण की सूची उनकी पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित नहीं करेगी ;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) क्या पिछले स्थायी हुए कर्मचारियों की अपेक्षा वास्तव में बाद में स्थायी किये गये कर्मचारियों को सैद्धान्तिक वरिष्ठता देने की कोई व्यवस्था है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). आरक्षित रिक्तियों में स्थायी किये गये अनुसूचित जाति तथा आदिम जातियों के उम्मीदवारों की वरिष्ठता गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/45/60-ईस्ट (डी०) दिनांक 20 अप्रैल, 1961 में दिये गये आदेशों के अनुसार निर्धारित की जाती है, जिसकी एक प्रतिलिपि सदन के सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 816/69]**

(ग) और (घ). भूतपूर्व गृह विभाग द्वारा अगस्त, 1946 में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/आदिम जाति के उम्मीदवारों की वरिष्ठता साम्प्रदायिक सूची के आधार पर निश्चित करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि सूची का उद्देश्य केवल उन अनुपातों को लागू करना है जिनमें अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के उम्मीदवारों को भर्ती करना है

और इसका इरादा वरिष्ठता नियंत्रण करने का नहीं है। अतः जिन मंत्रालयों/विभागों ने इस सम्बन्ध में गृह-मंत्रालय से परामर्श किया था उन्हें समय-समय पर तदनुसार सलाह दी गई थी।

(ङ) गृह मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1959 में तैयार किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार जो अब लागू हैं, किसी ग्रेड में स्थायी कर्मचारियों के बीच वरिष्ठता स्थायीकरण के क्रम में नियंत्रित होती है। अतएव पहले स्थायी बनाया गया व्यक्ति बाद में स्थायी बनाए गये व्यक्ति से वरिष्ठ होगा।

सैद्धान्तिक वरिष्ठता देने का प्रश्न तब उठता है जब कोई कनिष्ठ कर्मचारी गलती से उससे वरिष्ठ कर्मचारी के स्थायीकरण की तारीख से पहले की किसी तारीख से स्थायी बना दिया गया हो। दिसम्बर, 1959 की वरिष्ठता के उपरोक्त सिद्धान्तों में सैद्धान्तिक वरिष्ठता के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। ऐसे मामलों में मामले के तथ्यों पर ध्यान देते हुए गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

**भारतीय न्यायिक सेवा**

6854. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय न्यायिक सेवा बनाने के प्रस्ताव के बारे में सभी राज्यों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों/सरकारों ने अब तक उत्तर भेजे हैं तथा क्या उत्तर भेजे हैं ; और

(घ) शीघ्र निर्णय करने तथा शीघ्र सेवा बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त सभी राज्यों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं।

(ख) और( ग). बिहार, हरियाणा, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु की सरकारें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के प्रस्ताव से सहमत हैं ; आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैंड और पश्चिम बंगाल की सरकारें प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश से उत्तर प्राप्त होने के बाद निर्णय किया जायेगा। राज्य सरकार को निरन्तर स्मरण कराया जा रहा है।

**बिहार में पर्यटन स्थलों का विकास**

6855. **श्री बाल्मीकी चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1969-70 की वार्षिक योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में

विकसित किये जाने वाले पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं ; और

(ख) प्रत्येक योजना की लागत कितनी है ; और

(ग) इनको कार्यान्वित करने के लिए ऋण और अनुदान के रूप में कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में बोधगया राजगीर-नालन्दा का समेकित विकास प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। राजगीर में रज्जु-मार्ग के निर्माण का कार्य, जो कि तीसरी योजना की एक अवशिष्ट स्कीम है, 1969-70 की वार्षिक योजना में जारी रखा जायेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटक रुचि के चुने हुए स्थानों पर और अधिक आवास एवं परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रारम्भ की जाने वाली स्कीमों के बारे में, उनकी लागत सहित, ब्यूरों को योजना परिव्यय (प्लान आउटले) के अनुमोदित हो जाने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

(ग) 1-4-69 से राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान करने की प्रणाली समाप्त कर दी गयी है तथा समस्त योजनागत पर्यटन स्कीमों की वित्तीय व्यवस्था या तो पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा और या पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

## राज्यपालों की शक्तियों को कम करना

6856. **श्री गणेश घोष :** **श्री उमानाथ :**
**श्री के० रमानी :** **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्कसिस्ट) के जनरल सेक्रेटरी श्री पी० सुन्दरैया के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि राज्यपालों का चुनाव विधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार राज्यपालों की शक्तियों में कमी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) सरकार ने श्री सुन्दरैया के वक्तव्य की प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) सरकार का यह विचार नहीं है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्तमान संवैधानिक उपबन्धों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है।

(ग) से (ङ) 31 मार्च, 1969 को सदन में गृह मंत्री ने अपने उत्तर में इन पहलुओं पर विचार किया था।

**Development of Airports in Rajasthan**

6857. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount allocated in the Fourth Five Year Plan for the development and improvement of airports in Rajasthan ;

(b) the amount earmarked for the development and improvement of Jaipur airport out of the above amount ; and

(c) the outline of the scheme for the development and improvement of Jaipur airport ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):** (a) to (c). Plan allocations for improvements to airports are not made statewise but on the basis of the works required to be undertaken at Civil Aerodromes throughout India. There are three civil aerodromes—at Jaipur, Udaipur and Kotah—in Rajasthan under the control of the Civil Aviation Department. Proposals for strengthening the main runway at Jaipur to LCN 30 and acquisition of land for its further extension as well as for extension and strengthening of the main runway at Udaipur are being considered for inclusion in the Fourth Plan of the Civil Aviation Department.

**धनुषकोडी पुल (पायर)**

6858. **श्री शशिभूषण :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर धनुषकोडी पुल (पायर) के निर्माण को पुनः आरम्भ किया जायेगा ;

(ख) क्या इसे पुनः बनाते समय पुराने अनुभवों के आधार पर धनुषकोडी पर दैवी प्रकोप, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात और उसे होने वाली असुविधा जैसे पहलुओं पर विचार कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसे पुनः बनाए जाने पर कुल कितना व्यय होगा ;

(घ) क्या रामेश्वरम से अनुषकोडी तक रेल पटरी का भी पुनः विकास किया जायगा,

(ङ) क्या अन्य अच्छे स्थानों जैसे मण्डपम उत्तर और रामेश्वरम् पर भी विचार किया जा रहा है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)** : (क) से (ग). सितम्बर, 1968 में भारत सरकार ने तामिल नाडू सरकार से परामर्श में श्रीलंका से स्वदेश लौटने वालों की अगवानी की सुविधा के लिए धनुषकोडी पर के पाये पुनर्पाटन के लिये लगभग 17 लाख रुपये का व्यय मंजूर किया था। यथोचित अवतरण सुविधाओं के पुनर्स्थापन के लिए यह प्रबन्ध सबसे तीव्र समझा गया।

(घ) धनुषकोडी और रामेश्वरम् के बीच की रेल पटरी को पुनर्स्थापन न करने का निश्चय किया गया है।

(ङ) और (च). धनुषकोडी के पुनर्नवीकरण के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए अन्य स्थलों पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

**बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रेजिडेंसी नगरों में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार**

6859. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के तीन प्रेजीडेंसी नगरों में उच्च न्यायालयों के मूल क्षेत्राधिकार को समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; **और**

(ख) यदि हां, तो कब ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं। श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**पालम हवाई अड्डे पर नियंत्रण बुर्ज (कण्ट्रोल टावर)**

6860. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम के नियन्त्रण बुर्ज (कण्ट्रोल टावर) द्वारा असैनिक उड्डयन अधिकारियों को जनता को आगे सूचना देने के लिए पालम में विमानों के आने का ठीक समय न बताए जाने के कारण जनता को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि यह नियन्त्रण बुर्ज अकस्मात् ही जनता के लिए क्यों उपयोगी नहीं सिद्ध हो रहा ; और

(ग) सामान्य स्थिति कब तक आ जाएगी ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) पालम स्थित कंट्रोल टावर का संचालन नागर विमानन विभाग के कर्मचारियों द्वारा होता है और वह इस प्रकार की सूचना सीधे जनता के सदस्यों को नहीं देता। आगमन और प्रस्थान का प्रत्याशित समय और वीथी

संख्या (बे—नम्बर) जहां विमान रुकेगा सूचना केन्द्र (ब्रीफिंग सेंटर) द्वारा हवाई अड्डे पर स्थित एयरलाइनों के सम्बद्ध कार्यालयों को पहुंचा दी जाती है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास बेकार विमान**

6861. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
**श्री रणजीत सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री वेणीशंकर शर्मा :**
**श्री बलराज मधोक :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के पास कुछ विमान इतने पुराने हो गए हैं कि उनका लगातार प्रयोग अलाभप्रद हो गया है तथा इससे उसे भारी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे विमानों की संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ग) इन विमानों का विक्रय मूल्य क्या है तथा गत तीन वर्षों में उनके कारण प्रतिवर्ष उसे कितनी हानि हुई है ; और

(घ) क्या इन विमानों को बेचने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो कब ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) और (ख). तीनों डी० सी०—4 (स्काईमास्टर) विमानों को भूमिस्थ कर दिया गया है, और 5 डी० सी०—3 (डेकोटा) विमानों को, जिन्हें फिलहाल इण्डियन एयरलाइंस की आंतरिक अनुसूचित विमान सेवाओं पर परिचालित किया जा रहा है, अगले साल दो साल में हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स मिलिटेड, कानपुर द्वारा निर्मित एच० एस०—748 विमानों द्वारा बदल देने का प्रस्ताव है।

(ग) डी० सी०—3 और डी० सी०—4 जैसे पिस्टन इंजन वाले विमानों की मांग बहुत कम है, इसलिए यह अंदाजा लगा सकना बड़ा कठिन है कि उनकी कितनी कीमत मिल सकेगी। पिछले तीन सालों में डी० सी०—3 और डी० सी०—4 विमानों के परिचालन से हुई हानि का ब्योरा निम्न प्रकार से है :

| | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 |
|---|---|---|---|
| | | (लाख रुपयों में) | |
| डी० सी०—3 | 233.09 | 326.74 | 275.32 |
| डी० सी०—4 | 21.47 | 30.35 | 26.18 |

(घ) इंडियन एयरलाइंस द्वारा इन विमानों को बेचने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

**दयाल आयोग का प्रतिवेदन**

6862. **श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री रणजीत सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री बलराज मधोक :**

क्या गृह-कार्य मंत्री साम्प्रदायिक दंगों के बारे में दयाल आयोग के प्रतिवेदन के बारे में 7 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2084 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दयाल आयोग की सिफारिशों पर, जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). मामला अभी विचाराधीन है।

**राज्य विधान सभा मण्डलों की कार्यवाही का वृत्तान्त प्रकाशित करने तथा प्रसारित करने के लिये उन्मुक्ति देने हेतु विधान**

6863. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि विधान मंडलों की कार्यवाही के वृत्तान्त का प्रतिनिधायी रूप में प्रकाशन तथा प्रसारण करने के लिये समाचार पत्रों तथा आकाशवाणी को उन्मुक्ति देने के लिए संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन की सुरक्षा) अधिनियम, 1956 के आधार पर सरकार एक विधान प्रस्तुत करे ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में किन-किन राज्य सरकारों ने विधान पारित किये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). राज्य विधान मण्डलों की कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त भारत में समाचार पत्रों की रिपोर्टों को संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन की सुरक्षा) अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कानून बनाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के विचार मांगे थे। असम, मद्रास व पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त सभी राज्य इस प्रस्ताव से सहमत हो गये। चूंकि केवल कुछ राज्य विधान मण्डलों की कार्यवाही की रिपोर्टों के प्रकाशन के लिए 1956 के अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून का पक्षपात-पूर्ण कानून के रूप में विरोध हो सकता है अतः अपेक्षित विधान बनाया नहीं जा सकता।

(ग) उड़ीसा और मैसूर। महाराष्ट्र विधान मण्डल ने अभी हाल ही में ऐसा ही विधेयक पारित किया है जो हाल ही में राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्राप्त हुआ है।

## हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

6864. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : **क्या नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबन्धकों ने (एक) कर्मचारी संघ तथा (दो) मजदूर संघ के प्रधानों को एक पत्र, संख्या पी० डी०/10/138 दिनांक 9 दिसम्बर, 1968 भेजा था जिसमें उन्हें सूचित किया गया था "संघ का काम करने के लिए पदाधिकारियों तथा समिति के सदस्यों सहित किसी भी कर्मचारी को बिना वेतन छुट्टी नहीं दी जायेगी" ;

(ख) क्या यह पत्र भीतरी नेतृत्व को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के विरुद्ध तथा डाक व तार विभाग एवं रेलवे विभाग में जिन्हें अत्यावश्यक सेवायें समझा जाता है, प्रचलित प्रथा के प्रतिकूल नहीं है ;

(ग) क्या प्रबन्धकों ने मजदूर संघ द्वारा किये गये एक अवैतनिक प्रधान के चुनाव पर, जो हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का कर्मचारी है, इस आधार पर आपत्ति की थी, कि निर्वाचित व्यक्ति बाहर का नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)** : (क) जी हां। फिर भी प्रबन्धकों ने पुनर्विचार पर प्रत्येक श्रम संघ तथा स्टाफ एसोसिएशन के एक पदधारी को व्यापार संघ की गतिविधि के हेतु एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम पन्द्रह दिन की बिना वेतन की छुट्टी देने का निर्णय किया है।

(ख) रेलवे प्रशासन को काम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेलवे कर्मचारी को जो मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ का प्रतिनिधि हो, संघ की उचित रूप से होने वाली बैठकों में उपस्थित होने के लिये आकस्मिक छुट्टी देने की शक्ति है और कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों की जब उन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा बुलाई गई बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाये, विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का भी रेलवे प्रशासन को शक्ति है। जहां तक डाक व तार विभाग का सम्बन्ध है संघों के पदाधिकारियों को संघ के सम्मेलनों, कार्यकारी समिति की बैठकों और चेयरमैन तथा मन्त्रियों के साथ साक्षात्कार के लिये एक वर्ष में अधिकतम 20 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जाती है। जहां तक प्रबन्धकों द्वारा वर्तमान निर्णय में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता का प्रश्न है, इस पर अन्य सरकारी उपक्रमों में चल रही प्रथा की रोशनी में गार्डे के प्रबन्धकों के साथ परामर्श करके विचार किया जा सकता है।

शिपयार्ड ने यह भी निर्णय किया है कि यदि संस्था/संघ पदाधिकारी की सेवाओं का पूरे

समय के लिए उपयोग करना चाहे तो प्रबन्धक रेलवे तथा डाक व तार विभाग की तरह उसकी संस्था/संघ में अन्य विभाग की सेवा की शर्तों पर एक वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।

(ग) और (घ). जी हां। हिन्दुस्तान शिपयार्ड संघ के नियमों तथा विनियमों में इस बात की अनुमति नहीं है कि शिपयार्ड में नियुक्त किसी व्यक्ति को कार्मिक संघ का अवैतनिक प्रेजिडेंट चुना जाये, अतः शिपयार्ड के प्रबन्धक सम्बन्धित कर्मचारी को इस बात को मान्यता नहीं देते। फिर भी प्रबन्धकों द्वारा कार्मिक संघों के रजिस्ट्रार, आन्ध्र प्रदेश के परामर्श से इस प्रश्न पर आगे विचार किया जा रहा है।

**दिल्ली विश्वविद्यालय में एल०एल० बी० पाठ्यक्रम में दाखिला**

6865. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में 31 जुलाई, 1968 तक विधि पाठ्यक्रम की एल०एल० बी०, प्रथम वर्ष (सांध्य कालीन) कक्षा में कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया गया;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये कितने स्थान आरक्षित थे;

(ग) कुल आरक्षित स्थानों में से कितने स्थान भरे गये;

(घ) क्या यह सच है कि कुल आरक्षित कोटा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के आवेदनकर्ताओं में से नहीं भरा गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :** (क) 220

(ख) 44

(ग) 32

(घ) जी हां।

(ङ) आरक्षित स्थानों के लिए चुने गए 44 उम्मीदवारों में से केवल 30 ने प्रवेश स्वीकार किया था और वास्तव में वे ही पाठ्यक्रम में दाखिल किए गए थे। प्रतीक्षा सूची के छात्रों में से दाखिले के लिए अन्य दो व्यक्तियों को बाद में चुना गया था। इनके अतिरिक्त 7 अनुसूचित जाति/आदिम जाति के छात्रों को सामान्य पूल से योग्यता के आधार पर दाखिल किया गया था। इस प्रकार कुल 39 अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के छात्र दाखिल किए गए।

## केरल के लोगों के पूर्व-इतिहास की जांच

6866. **श्री बासुदेवन नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा 1968 में केरल राज्य के कितने उम्मीदवारों का नौकरी देने के लिये चयन किया गया था;

(ख) क्या गृह मंत्रालय द्वारा उन सबके चरित्र तथा पूर्व इतिहास की जांच केरल राज्य सरकार द्वारा की गई जांच के अलावा की गई थी; और

(ग) क्या जांच रिपोर्टों के आधार पर चुने गये किन्हीं व्यक्तियों को रोजगार देने से इंकार किया गया था और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों में नियुक्ति के लिए चयन किये गये उम्मीदवारों के चरित्र तथा पूर्व इतिहास की जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाए गये संशोधित सिद्धान्तों के आधार पर करने के लिए राज्य सरकार ने जिला प्राधिकारियों को कोई अनुदेश नहीं दिये हैं । अतएव केरल राज्य के ऐसे उम्मीदवारों के चरित्र तथा पूर्व इतिहास की जांच करने के लिए केन्द्र सरकार को अपने अभिकरण का प्रयोग करना पड़ता है ।

## केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को राज्यों में भेजना

6867. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के हिन्दी भाषी तथा हिन्दी जानने वाले अधिकारियों को लेना बन्द कर दिया है ;

(ख) ऐसे तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को राज्यों में भेजने के क्या नियम हैं; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों को कोई अधिकारी भेजने से पहले सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ सलाह करना आवश्यक है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को आवंटित अखिल भारतीय सेवा के हिन्दी भाषी अथवा हिन्दी जानने वाले अधिकारियों को लेने से इन्कार नहीं किया है ।

(ख) और (ग). भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली के नियम 5 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा के सदस्यों का आवंटन करती

है । केन्द्रीय सरकार के अधिकारी बहुत ही कम राज्य सरकार के अधीन काम करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं जो अनिवार्यत: सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से होता है ।

**सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सेक्शन आफिसरों जैसा पदनाम लागू करना**

6868. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कुछ ऐसे पद हैं जहां केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के सैक्शन आफिसरों जैसे पदनाम का प्रयोग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता को कैसे दूर करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों के अतिरिक्त अधिकांश सम्बद्ध कार्यालय भी केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में भाग ले रहे हैं । तदनुसार, भाग लेने वाले सम्बद्ध कार्यालयों में अनुभाग अधिकारियों के पदों की विद्यमानता केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के ढांचे के अन्तर्गत है । फिर भी, कुछ ऐसे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय हैं जो इस योजना में सम्मिलित नहीं है और जिनमें ऐसे पद हैं जिनका पदनाम अनुभाग अधिकारी है । किन्तु इससे कोई विषमता उत्पन्न नहीं हुई है ।

**वाणिज्यिक विमानचालकों के प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय उड्डयन प्रशिक्षण संस्था**

6869. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
**श्री चित्ति बाबू** :
**श्री वि० नरसिन्हा राव** :
**श्री रामावतार शर्मा** :
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :
**श्री रा० कृ० बिड़ला** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी० सी० आर्य समिति ने वाणिज्यिक विमान चालकों के प्रशिक्षण के लिये शीघ्र एक 'केन्द्रीय उड्डयन प्रशिक्षण संस्था' स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) वाणिज्यिक विमानचालकों के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्रीय उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने से संबंधित प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं :—

(i) उड़ान प्रशिक्षण स्कूल आवश्यक निपुण स्टाफ तथा नीचे दी गई पाठ्यक्रम की सूची में बतायी गयी नागर विमानन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधाओं सहित एक पूर्ण प्रशिक्षण संस्था होनी चाहिये ।

## प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सूची

(क) वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस तक उड़ान प्रशिक्षण ।

(ख) इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के लिये उड़ान प्रशिक्षण ।

(ग) इंसट्रक्टर्स रेटिंग के लिये उड़ान प्रशिक्षण ।

(घ) मूल दो इंजनों वाले विमान पर परिवर्तन (कन्वर्जन) के लिए उड़ान प्रशिक्षण ।

(ङ) एयरलाइन परिवहन विमानचालक स्तर तक स्थल प्रशिक्षण (ग्राउंड ट्रेनिंग) ।

(च) फ्लाइट इंजीनियरों का प्रशिक्षण ।

(छ) रेडियो टेलीफोनी आपरेटरों का प्रशिक्षण ।

(ज) विमान संधारण इंजीनियरों के लिये प्रशिक्षण ।

(झ) उद्योग की आवश्यकतानुसार कर्मी-दल के किसी भी अन्य वर्ग के लिये प्रशिक्षण ।

(ii) इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया की और अनुसूचित परिचालकों एवं फ्लाइंग-क्लबों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिनमें फसल पर छिड़काव करने वाले सम्मिलित नहीं हैं, स्कूल की प्रति वर्ष 50 योग्यता-प्राप्त वाणिज्यिक विमानचालकों, जिन्हें 250 घंटे की उड़ान का अनुभव हो, को प्रशिक्षित करने की क्षमता होनी चाहिए जिनमें से प्रत्येक का 250 घण्टे का उड़ान अनुभव हो । मांग के अनुसार इसका समय-समय पर पुनरालोकन किया जाय ।

(ग) समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है ।

## Holding of Function by K. G. B. in India

6870. **Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that K. G. B., a Soviet Intelligence Agency, is celebrating a function of its own in India ;

(b) whether it has sold some tickets to the people also ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Yidya Charan Shukla):** (a) Government have no such information.

(b) and (c). Do not arise.

## नवीकृत पालम हवाई अड्डे के उद्घाटन चित्रों का प्रदर्शन

6871. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नवीकृत पालम हवाई अड्ड को इसके तैयार हो

जाने के बाद देश में एक महिला विमान चालिका द्वारा विमानों के लिये खोला गया था तथा प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के अनेक चित्र वहां प्रदर्शित किये गये थे; और

(ख) कितने चित्र प्रदर्शित किये गये थे, उन पर कितना व्यय हुआ था तथा उनके प्रदर्शन का क्या प्रयोजन था ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख). नवीकरण के पश्चात्, पालम हवाई अड्डे पर स्थित टर्मिनल बिल्डिंग भारत की एकमात्र महिला वाणिज्यिक विमानचालक द्वारा औपचारिक रूप से खोली गई। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के 16 चित्र (पोर्ट्रेट्स) 704.00 रुपये की कुल लागत से पालम हवाई अड्डे पर लगाये गये हैं। ये चित्र राज्य की कार्यकारी प्रमुख व सरकार के प्रमुख के चित्रों के प्रदर्शन की सामान्य प्रथा के अनुसार लगाये गये हैं।

**Small Scale and Cottage Industries and Occupation Centres**

6872. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether any occupation Centres/Small Scale or Cottage Industries have been established with a view to provide facilities to students for earning while learning ;

(b) if not, whether it is proposed to do so ;

(c) if so, when ;

(d) whether it is a fact that under the present education system, students find themselves unemployed after they have completed their education ; and

(e) if so, whether it is proposed to set up such occupation centres ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr V. K. R. V. Rao)** : (a) The Government of India has not drawn up any programme in this regard.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) and (e). This is not universally true, though the employment opportunities available are not commensurate with the demand. The University Grants Commission on the suggestion of Education Minister, has recently set up a Committee to consider the establishment of a college in Delhi as a pilot project, which would offer selected employment oriented courses leading to a degree.

**पंजाब इंजीनियरी कालिज के प्रधानाचार्य की नियुक्ति**

6873. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब इंजीनियरी कालिज के प्रधानाचार्य का पद नवम्बर, 1967 में रिक्त हुआ था;

(ख) क्या इस पद पर गैर-इंजीनियर व्यक्ति को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है जो सम्बद्ध करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता तथा नियमों के विरुद्ध है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस पद पर नियुक्ति करने का अनुरोध संघ लोक सेवा आयोग से किया गया था और उसके तुरन्त बाद यह वापिस ले लिया गया था क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग ने इस पद के लिये इंजीनियरी की अर्हता होने की सलाह दी थी जो कि वर्तमान प्रधानाचार्य के पास नहीं है;

(घ) क्या यह भी सच है कि वर्तमान प्रधानाचार्य को सीनेट की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह अपेक्षित अर्हता प्राप्त व्यक्ति नहीं है और इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ङ) उक्त पद पर नियमित आधार पर कब नियुक्ति की जायेगी और इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) उन्होंने कितने कर्मचारियों की तदर्थ आधार पर पदोन्नति की है, उनके नाम क्या हैं और उनको पदोन्नत किये जाने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी हां।

(ख) इस पद पर अस्थायी रूप से कालेज के एक वरिष्ठ प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है। प्रोफेसर व्यवहारिक विज्ञान में विशेषज्ञ हैं, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित औपचारिक इंजीनियरी की अर्हताएं उनके पास नहीं हैं।

(ग) जी हां।

(घ) क्योंकि विश्वविद्यालय ने वर्तमान प्रिंसिपल को अभी तक मान्यता नहीं दी है, इसलिए वह सिनेट की कार्यवाहियों में भाग लेने में समर्थ नहीं हैं। किन्तु, कालेज के प्रिंसिपल तथा अन्य कर्मचारी, विश्वविद्यालय के इंजीनियरी संकाय और अध्ययन बोर्ड में सेवा कर रहे हैं, जहां पर वे छात्रवृत्तियों के हितों की भली-भांति देख-भाल कर सकते हैं।

(ङ) विश्वविद्यालय और संघ लोकसेवा आयोग के परामर्श से निर्धारित की जाने वाली अर्हताओं के प्रश्न के अन्तिम रूप देते ही, पद नियमित तौर पर नियुक्ति की जाएगी।

(च) प्रिंसिपल द्वारा किसी भी कर्मचारी की तदर्थ आधार पर पदोन्नति नहीं की गई है, किन्तु प्रशासन द्वारा कालेज के अध्यापन कार्य के हित में और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसी पदोन्नतियां की गई हैं।

**Committee on Reforms in Examination System**

6874. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Expert Committee was appointed to bring about reforms

in examination System for students and that its report was sent to the various Universities in the country for implementation and advice ;

(b) if so, the names of universities where recommendations contained in the report were implemented and the extent to which these recommendations were implemented and advice sent ; and

(c) if not, whether Government have taken any action in this regard ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :** (a) The University Grants Commission appointed an Expert Committee in September 1957 to suggest necessary changes in the examination system. The Committee submitted its report in 1961. The report was circulated to the Universities for their comments in May 1962.

(b) and (c). The comments and suggestions received from the Universities on the report of the Committee are given in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT-817/69]** The latest position with regard to the implementation of the recommendations of the Committee is being ascertained from the Universities.

**Correspondence Courses**

6875. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have ascertained as to the amount spent per student and the number of persons benefited from Correspondence Courses introduced by some Universities in the country ;

(b) whether it is also a fact that large-scale misuse of public money has taken place as a result of introduction of such courses and expected results have not been achieved ;

(c) whether Government propose to take any steps to check such misuse ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :** (a) Correspondence Courses have so far been started by Delhi, Rajasthan and Punjabi Universities. According to information available, the cost per student in the Correspondence Courses of Delhi University worked out at Rs. 160.06 during 1967-68. The corresponding figures in respect of Rajasthan and Punjabi Universities for 1968-69 (the year in which these courses were started) are Rs. 288.56 and Rs. 226.31 respectively.

The number of students enrolled in these courses, since their inception in the three Universities, is as follows :

| Year | Delhi University | Rajasthan University | Punjabi University |
|---|---|---|---|
| 1962-63 | 1,112 | — | — |
| 1963-64 | 2,226 | — | — |
| 1964-65 | 3,467 | — | — |
| 1965-66 | 4,424 | — | — |
| 1966-67 | 6,174 | — | — |
| 1967-68 | 8,218 | — | — |
| 1968-69 | 13,000 | 314 | 2,121 |

(b) The Government is not aware of complaints of misuse of public money in administration of correspondence courses in these Universities. These courses have been popular and are fulfilling a genuine need.

(c) and (d). Do not arise.

**Development of Education**

6876. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute scarcity of foreign exchange in view of the need for progressively increasing research work in the country, development of specialised studies in the academic field and necessary equipment therefor, resulting in heavy odds in the development of education ;

(b) whether it amounts to an attitude of utter indifference towards removing the educational backwardness of the country ; and

(c) if not, the amount of foreign exchange required to import equipment used in education since 1967 so far and the amount thereof made available in proportion to such requirements ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :** (a) and (b). Although there is scarcity of foreign exchange, every effort is being made to meet the requirements of educational and research institutions for scientific equipment through various aid programmes, trade agreements and from our own free foreign exchange resources. Indigenous manufacture of scientific equipment also has made substantial progress.

(c) In addition to specific project assistance from various agencies, the requirements of foreign exchange for educational and research purposes for 1967-69 were estimated at about Rs. 22.60 crores and the allocations made were about Rs. 16.02 crores. A major part of the gap is being filled through a special dollar-loan from U. S. A.

**होटलों में रहने के स्थान में वृद्धि**

6877. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

**श्री बृजराज सिंह :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्षों में देश में आने वाले पर्यटकों को ठहरने के लिए स्थान उपलब्ध करने के लिये होटलों में स्थान बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(ख) इस समय पर्यटकों के रहने के लिये कितने स्थान हैं; और

(ग) होटल चलाने वालों को भूमि, बिजली, उत्पादन शुल्क, ऋण और प्रतिक्रिया संबंधी समस्याओं के मामलों में क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) और (ग). होटल उद्योग में पूंजी लगाने के लिए उत्साहित करने की दृष्टि से सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रस्तुत किये हैं, जिनमें आयकर से पर्याप्त छूट; उदार मूल्य-ह्रास दरें; विकास कटौती की मंजूरी; होटल उद्योग की सभी आवश्यकताओं के लिए अग्रता प्रदान करना; दिल्ली क्षेत्र में सरकारी जमीन की रियायती दरों पर बिक्री; और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक होटल

विकास ऋण योजना सम्मिलित है । सरकारी क्षेत्र में भी, भारत पर्यटन विकास निगम और एयर इंडिया की, चौथी योजना की अवधि के दौरान होटल बनाने की योजनाएं हैं ।

(ख) एक से पांच स्टार वाली श्रेणियों के होटलों में 15016 होटल शय्याएं ।

**पथकर वाली सड़क तथा पुल**

6878. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने के लिये पथ-कर वाली सड़कें और पुल बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

**संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)** : भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**कन्टेनर प्रकार के जहाजों के रखने का कार्यक्रम**

6879. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार नौवहन उद्योग द्वारा कन्टेनर प्रकार के जहाजों के रखने के चरणवार कार्यक्रम के लिये धन उपलब्ध करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). दिसम्बर 1968 में हुए सेमिनार द्वारा जिन अध्ययनों की सिफारिश की गई थी उनके परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् ही कन्टेनर जहाज चलाने के बारे में सरकार की नीति का निर्णय किया जायेगा । आवश्यक अध्ययन आरम्भ करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । प्रस्तावित अध्ययनों के पूरा होने तथा सरकार द्वारा उन पर निर्णय किये जाने के पश्चात् ही इस बात का पता लगेगा कि योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कन्टेनर जहाज रखने के लिए नौवहन उद्योग की सहायता के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी और इस धन को किन साधनों से जुटाया जा सकता है ।

**भारतीय विश्वविद्यालयों में पश्चिम जर्मनी के प्राध्यापक**

6880. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जहां भारतीय विश्वविद्यालयों में पश्चिम जर्मनी के प्राध्यापक हैं;

(ख) वे किन-किन करारों के अन्तर्गत भारत में नियुक्त हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि भारत स्थित पश्चिम जर्मनी के दूतावास समेत पश्चिम जर्मनी की संस्थाएं हमारे विश्वविद्यालयों के आन्तरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप कर रही हैं;

(घ) क्या ऐसे भी मामले हैं जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय में जर्मन भाषा के भारतीय प्राध्यापकों को मैक्समूलर भवन जैसी पश्चिम जर्मनी की संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है, यद्यपि ये लोग भारतीय विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक कर्मचारी हैं;

(ङ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में समारोह आयोजित किये जाते हैं तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को जानकारी दिये बिना ही वहां पर पश्चिम जर्मनी की संस्थाओं द्वारा भारी मात्रा में मुद्रित साहित्य हमारे छात्रों को वितरित किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) किसी हस्तक्षेप का मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(घ) जर्मन भाषा में किसी भारतीय प्राध्यापक का केवल एक ही मामला है जिसे प्रारम्भ में मेक्समूलर भवन में एक वर्ष के लिये अंशकालिक शिक्षण कार्य करने की अनुमति दी गई थी । किन्तु वह विश्वविद्यालय को सूचित किये बगैर एक वर्ष की अवधि के बाद भी भवन में शिक्षण कार्य करते रहे । यह मामला तथा मेक्समूलर भवन से उन्हें प्राप्त राशि का प्रश्न विश्वविद्यालय के विचाराधीन है ।

(ङ) सांस्कृतिक तथा साहित्यिक समारोहों का आयोजन विश्वविद्यालयों के विभागों द्वारा किया जाता है, जिन अवसरों पर श्रोताओं को कभी-कभी विश्वविद्यालय द्वारा उन अवसरों के लिये उपयुक्त साहित्य वितरित किया जाता है । इन समारोहों का आयोजन उप-कुलपति की अनुमति से किया जाता है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

## गैर-सरकारी एयरलाइनों द्वारा संकट का सामना

6881. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ानों की संख्या में कमी, फालतू पुर्जों के न मिलने, आयात पर प्रतिबन्ध, रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप संचालन लागत में वृद्धि आदि कारणों से देश में बहुत-सी गैर-सरकारी एयरलाइनों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है और विशेषत: 'एयरवेज इंडिया' और मैसर्स जामीर एण्ड कम्पनी लिमिटेड जैसी कम्पनियों के शीघ्र बन्द होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी एयरलाइनों के बन्द हो जाने की स्थिति में उनके कर्मचारियों को भारतीय एयरलाइनों में नौकरी देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या देश में गैर-सरकारी एयरलाइनों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो वह कब से और उसका ब्योरा क्या है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) तीन मुख्य अनुसूचित परिचालकों, अर्थात् कलिंग एयरलाइन्स, एयरवेज इंडिया और जाम एयर कम्पनी के यातायात के आंकड़ों से जो नीचे दिये जाते हैं, यह निर्दिष्ट नहीं होता कि उनके शीघ्र बन्द होने की आशंका है।

**1968 के यातायात के आंकड़े**

| | यात्री | माल (किलोग्राम) |
|---|---|---|
| कलिंग एयरलाइन्स | 10,356 | 31,73,056 |
| एयरवेज (इंडिया) | 14,392 | 33,14,841 |
| जाम एयर कम्पनी लि० | 48,277 | 52,51,600 |

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**Shri Dharma Teja's Share in Jayanti Shipping Company**

6882. **Shri Mrityunjay Prasad**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Dharma Teja had shares worth crores of rupees of the Jayanti Shipping Company against cash payment or had owned them in the capacity of the founder of that company without any payment or had got them in lieu of his service after paying some nominal amount of money ; and

(b) if so, the details thereof?

**The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah)** : (a) and (b). Dr. Dharma Teja held 2,12,472 fully paid up shares of the face value of Rs. 2,12,47,200 in the Jayanti Shipping Company. According to the records of the company, all these shares were allotted to him against cash payments and not without any payment or against only nominal payment in his capacity as founder of the company or in lieu of his services to the company. However, the investigations made after the management was taken over by Government in June 1966, have shown that Dr. Teja and his associate one Mr. Kulukundis who is the next largest shareholder indulged in questionable transactions to finance their purchases of the shares. The investigations relating to one transaction were completed and two separate civil suits against Dr. Teja were filed by

the Jayanti Shipping Company Limited in October, 1968 in the Bombay High Court for the recovery of £ 5,16,477 plus interest. In the case filed against Mr. Kulukundis all his 70,825 shares in the company have been attached by the Court, before judgement. Similar orders for the attachment of all the 2,12,472 shares held by Dr. Teja had already been passed by the Bombay High Court in 1966 in two other civil suits, one of which has since been decreed for Rs. 82.92 lakhs against Dr. Teja.

Another transaction involving purchase of shares by Dr. Teja and Mr. Kulukundis is still under investigation and legal advice is being obtained about the steps to be taken.

## गांधीधाम (कच्छ) में लाल सेना के सदस्यों की गिरफ्तारी

6883. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1969 में गांधीधाम, कच्छ में लाल सेना के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी गिरफ्तारी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री या दस्तावेज प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (घ). राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुजरात में कहीं पर 'लाल सेना' नामक कोई संगठन नहीं है। फिर भी तीन लड़के लाल सेना के नाम में धमकी भरे पोस्टर निकालते पाये गये थे जिनमें लाल हथौड़े और दराती के चित्र थे। 16 मार्च, 1969 को उन्हें गांधीधाम के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 507, 436 और 511 के अन्तर्गत दर्ज अपराधों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया। उनसे कोई आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है।

## पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय सभ्यता के अवशेषों की खोज

6884. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्बोडिया में अंकोरभट्ट के काल की तथा जावा में बोरदोदूर काल की सभ्यता के अवशेष हाल में मलयेशिया में पाये गये हैं;

(ख) क्या भारतीय सभ्यता के इन अवशेषों की उचित ढंग से खुदाई की जायेगी और उन्हें परिरक्षित रखा जायेगा;

(ग) क्या यह ऐतिहासिक कार्य करने के लिये मलेशिया सरकार ने अमरीका से सहयोग मांगा है;

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये सभी अवशेष भारतीय सभ्यता और इतिहास से सम्बंधित हैं, भारत सरकार एक महान सांस्कृतिक महत्व के स्थान के रूप में इन अवशेषों की खुदाई तथा उनके परिक्षण में संयुक्त प्रयास के लिये सहयोग देने का प्रस्ताव करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बंध में सरकार की क्या योजना है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहां आरा जयपाल सिंह)** : (क) से (ग). सरकार को इस खोज का पता नहीं है और न उसे यह मालूम है कि मलेशिया सरकार इन स्थलों की खुदाई तथा परिरक्षण के लिये क्या कदम उठाना चाहती है।

(घ) और (ङ). मलेशिया सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव न होने के कारण इस मामले में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

**जेब कतरने वाली लड़की का गिरफ्तार किया जाना**

6885. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 12 मार्च, 1969 को दिल्ली में एक लड़की को जेब कतरने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके नाम में लाकरों से क्या मूल्यवान वस्तुएं पकड़ी गई;

(ग) क्या इस बारे में कुछ और गिरफ्तारियां की गई हैं ;

(घ) क्या यह लड़की चलती गाड़ियों में जेब कतरने वाले एक अन्तर्राज्यीय जेब कतरा गिरोह की एक सदस्य है ; और

(ङ) सरकार देश में ऐसे गिरोहों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) 9 मार्च, 1969 को, दिल्ली में जेब कतरने के आरोप में एक लड़की को गिरफ्तार किया था।

(ख) 20,000 रु० के मूल्य के जेवर और नकद धन बरामद हुआ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ङ). इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा दर्ज मामले की अभी जांच हो रही है।

**अन्दमान के अधिवासी व्यक्तियों की सेवा की शर्तें**

6886. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'भारत अधिवासी व्यक्ति' शब्दावली में अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य भूमि से द्वीपों में सेवा के लिये विशेष रूप से भर्ती/नियुक्त किये गये अन्दमान में जन्म लेने वाले व्यक्ति कार्यग्रहण अवधि और छुट्टी में निःशुल्क समुद्र यात्रा के अधिकारी होंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). अनुपूरक नियम 294-क के साथ पठित अनुपूरक नियम 144 के अनुसार अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को छुट्टी के दौरान वर्ष में एक बार निःशुल्क समुद्र यात्रा और कार्यग्रहण अवधि की सुविधायें मिलती हैं। ये सुविधायें द्वीपसमूह में सेवा के लिये मुख्य भूमि से कर्मचारी प्राप्त करने के लिये आकर्षण अथवा प्रोत्साहन के इरादे से दी गई हैं। यद्यपि अनुपूरक नियम 294-क में आने वाली शब्दावली "सरकारी कर्मचारी जो भारत अधिवासी हैं" में अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में जन्म लेने वाले व्यक्ति प्रत्यक्षतः सम्मिलित होंगे तो भी यह प्रश्न कि क्या ऐसे व्यक्तियों को, यदि मुख्य भूमि से भर्ती किया जाय, ये रियायतें दी जायें, नियम के पीछे के इरादे के अर्थ पर निर्भर है, जिसकी परीक्षा की जा रही है।

**कपूर आयोग को उप-प्रधान मन्त्री का पत्र**

6887. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप-प्रधान मन्त्री ने अपने पत्र में कपूर आयोग को लिखा था कि श्री बालूकाका कानितकर ने स्वर्गीय श्री बी० जी० खेर को महात्मा गांधी की सम्भावित हत्या के प्रयास के बारे में कोई पत्र नहीं लिखा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपने साक्ष्य में उन्होंने यह स्वीकार किया था कि स्वर्गीय श्री खेर को एक पत्र प्राप्त हुआ था और यद्यपि वह उन्हें दिखाया नहीं गया था, लेकिन स्वर्गीय श्री खेर ने उसमें लिखी बातें उन्हें बता दी थीं ;

(ग) क्या श्री देसाई का पत्र सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ग) का उत्तर सकारात्मक है, तो सरकार के पास इन परस्पर विरोधी बातों का क्या उत्तर है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). उक्त आयोग ने बताया है कि प्रश्न में पूछी गयी सूचना एक ऐसे मामले के सम्बन्ध में है जिसकी आयोग द्वारा जांच की जा रही है और जिस पर आयोग को अपने निष्कर्ष की घोषणा करनी है और यह कि इस अवस्था में पूछताछ की सत्यता अथवा असत्यता के बारे में कुछ भी प्रकट करना उचित न होगा।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

**Payment of Salaries to Teachers of Government and Government-Aided Schools in Delhi**

6888. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that the teachers in many Government and Government aided schools in Delhi do not get their monthly pay in time ;

(b) whether Government's attention has also been drawn to the fact that the teachers of a school in Ramakrishnapuram, New Delhi have not received their pay for the last two months ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :** (a) Yes, Sir, in some cases.

(b) No, Sir.

(c) Whenever any instance of such delays comes to the notice of the Education Department of Delhi Administration/Delhi Municipal Corporation/New Delhi Municipal Committee necessary action is taken to get the payment made immediately.

**Arrest of Pakistanis**

6889. **Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani citizens who had been arrested during the last year from such areas or cities in the country for entering which they did not possess visas ;

(b) the details of the investigation made by Government to know the purposes of their going from such places for which they had visas to other places ; and

(c) the details of the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों का कलकत्ता से गौहाटी को और गौहाटी से कलकत्ता को तबादला**

6890. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने 1968-69 में कलकत्ता से गौहाटी को और गौहाटी से कलकत्ता को कर्मचारियों के तबादले में कितनी धनराशि व्यय की ; और

(ख) इतने शीघ्र तबादलों के क्या कारण हैं?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) और (ख). इस कारण हुआ कुल व्यय 22,237.63 रुपये है, जिसमें से 14,936.50 रुपये इंजिनीयरों के परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण इधर-उधर जाने आने के संबंध में हुआ है । शेष 7,301.13

रुपये का व्यय गौहाटी के सम्बन्ध में कार्यकर्ताओं के संघों के साथ परामर्श करके तैयार की गयी सामान्य स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है, तथा इसमें वे अस्थायी स्थानांतरण भी सम्मिलित हैं जो तकनीकी कर्मचारियों के अवकाश काल में स्थानापन्न नियुक्तियों के कारण किये जाते हैं।

**भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक गतिविधियां**

6891. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार का सांस्कृतिक कार्य मंत्री मैडम फुर्टसेवा ने यह सुझाव दिया है कि एक दूसरे के देश में संगीत नृत्य तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में अधिकाधिक लोगों को जानकारी दी जानी चाहिये, और दोनों देशों की संस्कृति को जनता तक पहुंचाने के लिये मार्गोपाय निकाले जाने चाहिए।

(ख) क्या फिल्मों के आदान-प्रदान को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) भारतीय तथा रूसी प्रतिनिधियों के बीच परस्पर विचार-विमर्श के बाद ऐसे आदान प्रदान सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के विषय बन जाते हैं। हर साल आगामी वर्षों के लिये सांस्कृतिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के प्रयत्न किये जाते हैं। जहां भी सम्भव हों, इसका अनुसरण उपयुक्त एजन्सियों के द्वारा, यदि वे विद्यमान हों, अथवा सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

**शेख अब्दुल्ला के भाषण**

6892. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री दी० चं० शर्मा:**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान शेख अब्दुल्ला द्वारा जम्मू में शरणार्थियों के समक्ष गजेन्द्र गडकर आयोग के प्रतिवेदन के बारे में दिये गये भाषणों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). महन्त दिग्विजय नाथ तथा अन्य द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और उसके पूरक प्रश्नों के उत्तर में 6 मार्च, 1969 को लोक सभा में गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 6170 के सम्बन्ध में 11 अप्रैल, 1969 को सदन में दिये गये उत्तर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

## होटलों की स्थापना के लिये पश्चिम जर्मनी की एक फर्म की सलाहकार के रूप में नियुक्ति

6893. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पश्चिम जर्मनी की एक फर्म को जो कई होटल चला रही है, सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने पड़ौसी देशों में होटल बनाने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ग). सरकार सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत होटलों के सुधार के लिये एक परामर्शदात्री सेवा सहित, भारत में पर्यटन के विकास के लिये पश्चिम जर्मनी की सरकार के साथ सहयोग के बारे में कुछ प्रस्ताव तैयार कर रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

## कोटा (राजस्थान) में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के छात्रों से ज्ञापन

6894. **श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र कोटा (राजस्थान) के विद्यार्थियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसके साथ एक संसद् सदस्य का दिनांक 22 मार्च, 1969 का व्याख्या पत्र संलग्न है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना को संशोधित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे कि विद्यार्थियों को उपयोगी व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सके और राष्ट्र को योजना से अधिक समय तक लाभ प्राप्त हो सके ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी हां।

(ख) विद्यार्थियों की मुख्य शिकायत यह है कि कोटा केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम में पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता है और वहां अधिकतर सैद्धान्तिक ही होता है।

(ग) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय और सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के एक-एक अधिकारी ने प्रशिक्षण केन्द्र का दौरा किया है और उन्होंने बताया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा उचित ढंग से तैयार की गयी है और व्यवहारिक कार्य पर मुख्य रूप से बल दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों की शिकायत न्यायसंगत नहीं हैं।

## नीदरलैंड में कृषि और अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा की योजनाओं को स्थगित करना

6895. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नीदरलैंड में कृषि और अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को स्थगित अथवा समाप्त कर दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो नीदरलैंड में अर्थशास्त्र और कृषि में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को भेजने सम्बन्धी राज्य सरकारों की सिफारिशों पर गत दो वर्षों में विचार न करने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## दिल्ली में मोटर दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में दावे

6896. **श्री प० मु० सईद** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दिल्ली (तीस हजारी) के समक्ष कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे, जिनमें दिल्ली में मोटर दुर्घटनाओं के शिकार हुये लोगों ने मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत मुआवजे के लिये दावे दायर किये हैं ;

(ख) ऐसे कितने मामले (1) 6 महीनों से अधिक समय से, (2) एक वर्ष से अधिक समय से, (3) 2 वर्षों से अधिक समय से, (4) तीन वर्षों से अधिक समय से, (5) चार वर्षों से अधिक समय से, (6) पांच वर्षों से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण, दिल्ली की कार्यवाही शीघ्रकारी है और क्या सरकार ने इस प्रकार के मामले को अन्तिम रूप से निपटाने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की है अथवा करने का विचार किया है ?

**संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) मोटर अधिनियम धारा 110 सी के अन्तर्गत दावा न्यायाधिकरण, किसी भी नियम के जो इस सम्बन्ध में बनाया जाय के आधीन ऐसी सर-सरी कार्यविधि जो उन्हें उचित जचे का अनुसरण कर सकती है। सरकार ने कोई समय सीमा नियत नहीं की है जिसके अन्दर दावा न्यायाधिकरण को मामला अन्तिम रूप से निर्णय कराना है और न ऐसा करने का प्रस्ताव है।

## दिल्ली में मोटर दुर्घटनाओं के दावे

6897. **श्री प० मु० सईद** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त मोटर गाड़ी के चालक अथवा मालिक से वह मुआवजा वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है जिसके लिये दावेदार के पक्ष में फैसला किया गया हो, और क्या मोटर गाड़ी अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, और इससे पीड़ित पक्ष को मुआवजे के भुगतान का मामला निरर्थक होकर रह गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन कराने का है, ताकि दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त मोटर गाड़ी के चालक अथवा मालिक से दावेदार के पक्ष में, जिसको मुआवजे देने का निर्णय किया गया हो, उसे वसूल करने का अधिकार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को दिया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)** :

(क) जी हां। मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 110 वी के अनुसार दावा न्यायाधिकरण उन व्यक्तियों को विशिष्टरूप से बतलाना है कि किसको मुआवजा दिया जायेगा और विशिष्टरूप से वह रकम बतलानी है जो बीमा करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जायेगा। धारा 110 ई प्रवर्तन धारा है जिसके अधीन दावेदार भूमि राजस्व के रूप में बीमाकर्त्ता से देय मुआवजा वसूल कर सकता है।

(ख) सरकार ने विधान को संशोधन करने का काम पहले ही हाथ में ले लिया है और मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक 1968 को राज्य सभा ने पारित कर लिया है। उसके खंड 60 और 63 उद्देश्य पूर्ति के लिये अधिनियम के उपरोक्त खंडों को संशोधन करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## दिल्ली में मोटर दुर्घटनाओं से सम्बन्धित दावे

6898. **श्री प० मु० सईद** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पास ऐसे अनेक मामले पड़े हैं जिनमें मोटर गाड़ी दुर्घटना से शिकार हुए लोगों के मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत मुआवजे के दावे हैं ;

(ख) मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे के मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में विचाराधीन पड़े मामलों की बड़ी भारी संख्या को कम करने के उद्देश्य से सरकार का विचार दिल्ली में दिल्ली के जिला जजों और अतिरिक्त जिला जजों को पदेन रूप में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियुक्त करने का है ?

**संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## राष्ट्रीय राजपथ विकास तथा विस्तार प्रणाली

6899. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में देश के सभी भागों को एक राष्ट्रीय राजपथ के साथ मिलाने का कोई कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथ विकास तथा विस्तार योजना के अन्तर्गत जो नई सड़कें बनाई जायेंगी उनका ब्योरा क्या है और उनमें से कौन-कौन सी सड़कें बिहार में होगी ; और

(ग) इन नई सड़कों की कुल लम्बाई कितनी होगी और उनमें से कितने मील सड़कें बिहार में होंगी ?

**संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)** : (क) से (ग). देश में पहले ही से राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली मौजूद है जिसमें लगभग 15000 मील लम्बी सड़कें शामिल हैं जो देश को विभिन्न मार्गों से जुड़ाती हैं। इन लगभग 15000 मील लम्बी सड़कों में से 1167 मील लम्बी सड़कें बिहार में हैं। उपलब्ध निधि के अन्तर्गत यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले ही से इस प्रणाणी के विकसित करने के लिए

कदम उठाए जा रहे हैं और इस दिशा में चतुर्थ योजना अवधि के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाती रहेगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रीय राजपथ प्रणाली में चौथी योजना अवधि के अन्दर कुछ नई सड़कों की वृद्धि करने का भी विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है और चतुर्थ योजना आवंटन को अन्तिमरूप देने के बाद ही इसका विस्तृत विवरण सूचित किया जा सकता है क्योंकि नई अतिरिक्त सड़कों का निर्माण उस निधि पर निर्भर करता है जो इस उद्देश्य के लिये चतुर्थ योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होगी।

**पश्चिम बंगाल नेताओं के बुतों को खराब किया जाना**

6900. **श्री समर गुह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव के परिणामों की घोषणा होने के तुरन्त बाद कलकत्ता में श्याम बाजार के चौराहे पर स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बुत को लाल रंग के झंडों और लाल रंग के चिह्न से सजाया गया था ;

(ख) क्या प्रायः उसी समय दुर्गापुर में डा० बी० सी० राय के बुत का सिर अलग कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह बताया गया था कि पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा को फारवर्ड ब्लाक के झण्डों और गरदन के चारों ओर लाल दुपट्टे से सजाया गया था।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 16 फरवरी, 1969 को दुर्गापुर के विश्वकर्मा नगर के निवासियों ने देखा कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने डा० बी० सी० राय की प्रतिमा का सिर अलग कर दिया था।

(ग) डा० बी० सी० राय की प्रतिमा को हुए नुकसान के सम्बन्ध में दुर्गापुर के थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427, 489 और 379 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच प्रगति पर है।

**हिमाचल प्रदेश का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण**

6901. **श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात विस्तृत हिमाचल प्रदेश का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विश्वाचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). विस्तृत हिमाचल प्रदेश का कोई प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**बिहार विद्यापीठ से स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की स्मृति में संग्रहालय की स्थापना**

6902. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्री जय प्रकाश नारायण ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की स्मृति में पटना स्थित बिहार विद्यापीठ में एक संग्रहालय स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी स्मृति को निरन्तर बनाये रखने के लिये इसे अपने नियन्त्रणाधीन लेने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी हां । भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर, राजेन्द्र स्मृति समिति द्वारा जिसके अध्यक्ष श्री जय प्रकाश नारायण हैं, पटना में बिहार विद्यापीठ में एक संग्रहालय की स्थापना की गई है ।

(ख) समिति से ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय अथवा राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) इसलिये, संग्रहालय का प्रबन्ध हाथ में लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

**भारत स्थित चीनी दूतावास से माओवादी लोगों को सहायता**

6903. **श्री राम गोपाल शालवाले** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीनी दूतावास ने केरल में माओवादी क्रान्ति के लिये हथियार दिये हैं ;

(ख) क्या यह सच कि त्रिवेन्द्रम रेडियो संवाददाता के अनुसार कालीकट के जिलाधीश को शिकायत का एक पत्र दिया गया है जिसमें गत नवम्बर में पुलपल्लि और तेल्लिचेरी में किये गये आक्रमणों की चर्चा की गई है ;

(ग) क्या इस आक्रमण के सम्बन्ध में पहला अभियुक्त कुन्नीकल नारायणन का चीनी दूतावास से सीधा सम्बन्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) नवम्बर, 1968 में केरल में पुलपल्लि की बाहरी चौकी तथा तेल्लिचेरी पुलिस थाने पर आक्रमणों से सम्बन्धित मामलों में प्रस्तुत किये गये आरोप-पत्रों के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ प्रेस रिपोर्ट देखी हैं। ऐसे आरोप-पत्रों की प्रतिलिपियां भेजने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।

(ख) आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र द्वारा समाचार प्रसारण के वास्तविक मजमून का पता लगाया जा रहा है।

(ग) केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलपल्लि की बाहरी चौकी तथा तेल्लिचेरी पुलिस थाने पर आक्रमण से सम्बन्धित जांच-पड़ताल के समय यह पता लगा कि श्री कुन्नीकल नारायणन दिल्ली स्थित चीनी दूतावास से सम्पर्क तथा नियमित पत्र-व्यवहार कर रहा था।

(घ) पुलपल्लि की बाहरी चौकी तथा तेल्लिचेरी पुलिस थाने पर आक्रमण से संबन्धित मामले न्यायाधीन हैं।

## स्कूलों में दक्षिणी भारत की भाषाओं की शिक्षा

6904. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार का विचार स्कूलों में अनिवार्य रूप से दक्षिणी भारत की भाषाओं की शिक्षा आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय एकता के हित में सरकार अन्य राज्यों से सिफारिश करेगी कि वे उत्तर प्रदेश का अनुसरण करें ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से अब तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## भाखड़ा बांध का नियंत्रण

6905. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित राज्यों के बीच भाखड़ा बांध के नियंत्रण के प्रश्न को हल करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या हरियाणा सरकार ने हाल में इस मामले में सम्बन्धित अन्य राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रगति की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)**:(क) से (घ). हरियाणा सरकार द्वारा अन्य सम्बन्धित राज्यों से इस विवाद पर बात-चीत करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि सम्बन्धित सरकारों के बीच इस विवाद को हल करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है अतः इस मामले में केन्द्रीय सरकार के लिए कोई पहल करना सम्भव नहीं हुआ है।

**Ancient Remains in Maharashtra**

6906. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether ancient remains in Maharashtra are in a neglected state at present ;

(b) the number of ancient remains being looked after and the number of those being repaired in Maharashtra ;

(c) whether Government are aware that the ancient shrine of Lord Dattatraya at Mahur is in need of urgent attention by the Archaeological Department ; and

(d) if so, the steps being taken in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh)**: (a) No, Sir. The monuments in Maharashtra are maintained in a good state of preservation within the funds available.

(b) The total number of sites and monuments looked after by the Archaeological Survey of India are nearly 3,500. There are 279 protected monuments of national importance, including seven ancient sites, in the State of Maharashtra which are looked after by the Archaeological Survey of India. Under a programme of conservation initiated during the last year, 30 monuments in Maharashtra were taken up for repair. In addition normal annual maintenance work were taken up in respect of other monuments according to necessity.

(c) The temple of Lord Dattatraya at Mahur is not a Centrally protected monument and therefore it is not maintained by the Archaeological Survey of India.

(d) Does not arise.

**दिल्ली विश्वविद्यालय में नक्सलवादी इश्तहार**

6908. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1969 के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की दीवारों पर "पावर्स ग्रो आउट आफ दी बैरल आफ ए गन" "थिंक आफ योर सेल्फ" "डाउन विद टैंक इम्पीरियलिज्म" आदि नारों वाले इश्तिहार जिनमें नक्सलवादी नेता कानू सान्याल की रिहाई की मांग की गई

थी चिपका कर माओवादी क्रांति लाने के लिये उस विश्वविद्यालय में नक्सलवादियों की गति-विधियां चल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) सरकार ने समाचार देखा है ।

(ख) पूछ-ताछ की गई थी किन्तु इश्तिहारों को लगाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का पता न चल सका । उग्रवादी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर कानून के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जायेगी ।

## दिल्ली से हैदराबाद तक इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान के समय जेवरात की चोरी

6909. **श्री द० ब० राजू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 नवम्बर, 1968 को दिल्ली से हैदराबाद के लिये इंडियन एयरलाइंस की उड़ान के दौरान जेवरात की चोरी के बारे में कोई शिकायत मिली थी ;

(ख) यदि हां, तो ये जेवरात कितने मूल्य के थे ;

(ग) जांच के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिए सरकार क्या विशेष उपाय कर रही है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) खोई गयी घोषित की गयी सोने की वस्तुओं का मूल्य 48 सावरेन बताया गया ।

(ग) दिल्ली और हैदराबाद, दोनों स्थानों पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन खोई हुई वस्तुएं अभी तक नहीं मिली हैं ।

(घ) सामान (बैगेज) नियमों के अधीन यात्रियों को अपने साथ ले जाये जाने वाली मूल्यवान वस्तुओं को सामान के ही एक भाग के रूप में घोषित करना होता है । मौजूदा मामले में यात्री द्वारा ऐसा नहीं किया गया । यातायात कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा और कड़ी निगरानी रखी जाने लगी है ।

## 20 Rajasthan Families Left for Pakistan

6910. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the Statement made by

Shri Haripad Bharati, Ex-M.L.A. in which he has stated that about 20 families of the villages on the border of Rajasthan have left for Pakistan ;

(b) whether Government have looked into the matter ; and

(c) if so, the details thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)**: (a) to (c). Information from the Government of Rajasthan is awaited It will be laid on the Table of the House on receipt.

## अन्तरिक्ष इन्जीनियरों तथा राकेट-विज्ञान के छात्रों को अधिछात्रवृत्तियां

6911. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाओं में अन्तरिक्ष इन्जीनियरी तथा राकेट विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को सरकार ने स्नातकोत्तर अधिछात्रवृत्तियां देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में संस्थावार उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) प्रति छात्र कितनी धनराशि स्वीकृत की जाती है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव)** : (क) जी हां ।

(ख) **स्वीकृत अधिछात्रवृत्तियों की संख्या**

| | 1968-69 | 1969-70 |
|---|---|---|
| भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर | 10 | 1968-69 के छात्रों को प्रदान की गई अधिछात्र-वृत्तियों को जारी रखने के साथ-साथ नए दाखिल विद्यार्थियों को दस तक अधिछात्रवृत्तियां दी जाएंगी । |
| बिरला टेक्नालाजी संस्थान, रांची | 8 | पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को अधिछात्रवृत्तियां जारी रखने के साथ-साथ, नए दाखिल विद्यार्थियों को दस तक अधिछात्र-वृत्तियां दी जाएंगी । |

(ग) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर में पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 250 रुपये मासिक और पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में 300 रुपये मासिक की अधिछात्रवृत्तियां हैं। रांची स्थित संस्थान में, पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में 25 रुपये मासिक की अधिछात्रवृत्तियां हैं।

**बौद्ध पर्यटक केन्द्रों का विकास**

6912. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चौथी पंचवर्षीय योजना में बौद्ध पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए पृथक् रूप से धन नियत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) उड़ीसा में बौद्ध पर्यटन केन्द्रों के विकास के हेतु उस राज्य के लिए कितना धन नियत किया गया है; और

(घ) इन पर्यटन केन्द्रों के नाम क्या हैं तथा कितनी धनराशि नियत की गई ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (घ). बौद्ध धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण बड़े केन्द्रों पर पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत 65 लाख रुपये निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस नियतन का विस्तृत ब्योरा योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद तैयार किया जायेगा।

**राजस्थान में पर्यटन स्थल**

6913. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से जिन पर्यटन स्थलों पर इस समय पर्यटक प्रायः जाते रहते हैं, उनके अतिरिक्त क्या सरकार ने अन्य पर्यटन स्थलों का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और उन स्थलों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग). सरकार को राजस्थान में, उन स्थानों को छोड़कर जो कि आजकल पर्यटकों में लोकप्रिय हैं, अन्य स्थानों की भी पर्यटन विषयक संभावनाओं की जानकारी है। लेकिन चौथी योजना में साधनों के परिसीमित होने के कारण, उनके विकास कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना संभव नहीं है।

**बम्बई में किराये पर हेलीकाप्टर विमान सेवा**

6914. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई में नरिमन प्वाइंट से किराये पर हेलीकाप्टर विमान सेवा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी सेवा आरम्भ करने की किसी गैर-सरकारी कम्पनी की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका पूरा ब्योरा क्या है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**एयर इंडिया की स्कैन्डिनेविया के लिये विमान सेवा योजनायें**

6915. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की कोई ऐसी योजनायें हैं कि उसके विमान स्कैन्डिनेविया के कुछ स्थानों से होकर जायें;

(ख) क्या ऐसा करने की व्यावहारिकता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग). स्कैन्डिनेविया को, तथा वहां से बाहर को जाने वाले संभावित यातायात का मूल्यांकन करने के लिए एयर इंडिया के एक सर्वेक्षण दल ने हाल ही में स्कैंडिनेवियन देशों की यात्रा की है । दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

**बम्बई में होटल**

6916. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में कितने होटलों की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है;

(ख) इन होटलों के नाम क्या हैं तथा उनके सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया भी सान्ताक्रूज में एक होटल बना रहा है; और

(घ) इन होटलों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (घ). बम्बई में कई नये होटलों की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है, जिनमें एयर इंडिया द्वारा बनाये जाने वाले दो होटल—एक सान्ताक्रूज में और दूसरा जुहू समुद्रतट पर—भी सम्मिलित हैं। इन प्रायोजनाओं के चौथी योजना की अवधि के पूरा हो जाने की संभावना है।

**Extension of Roads in Madhya Pradesh**

6917. **Shri Ram Singh Ayarwal**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are 20 miles of roads per 100 square miles of area in Madhya Pradesh on average, whereas such an average comes to 38 miles per 100 square miles of area in respect of the entire country ;

(b) if so, whether Government propose to sanction additional grant to Madhya Pradesh for the extension of roads there and, if so, the amount thereof ;

(c) whether it is also a fact that the role of roads has been of great significance in the industrial and economic progresss achieved by Madhya Pradesh during the last 20 years and, if so, whether any special grants would be made available to that State whose one-third population comprises of Harjan and Adivasis ; and

(d) whether some special provision would be made in the Fourth Five Year Plan for the extension of roads in Madhya Pradesh so that it could develop industrially as plenty of natural resources and mineral wealth already exist there ?

**The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh)** : (a) No, Sir. According to the Basic Road Statistics, 1967, the length of roads in Madhya Pradesh works out to 24 miles per 100 square miles of area as against 44 miles for the country as a whole. In terms of population, however, the road mileage for Madhya Pradesh is almost on par with the country as a whole, i. e. about 107 miles per lakh of population.

(b) and (c). The Central Government do not provide any financial assistance for roads forming part of State Plans except by way of overall Central financial assistance for State Plans which could be utilised by State Government for roads also if they so desired. The Government of India however, give grants-in-aid for some selected State roads from the Central Road Fund (Ordinary) Reserve and under the Central aid Programme of State Roads of inter-State or economic importance. A grant-in-aid of Rs. 30 lakhs had been earmarked for road works to be financed in Madhya Pradesh from the Central Road Fund (Ordinary) Reserve during the Fourth Plan period. The extent to which it will be possible to held Madhya Pradesh under the Central Aid Programme of State Roads of inter-State importance can however be indicated only after the Fourth Plan has been finalised. Necessary infor-

mation regarding the exact role of roads in the industrial and economic development of Madhya Pradesh is being collected from the State Government.

(d) It is mainly for the State Government to consider the financial allocation for roads within the overall State Plan ceiling, which will be finalised only after the Fourth Plan is approved.

**Illiteracy in Madhya Pradesh**

6918. **Shri Ram Singh Ayarwal:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are 171 literates per one thousand persons in Madhya Pradesh, whereas all-India average is 240 and, if so, whether any special grant is proposed to be given or Centrally-run educational institutions proposed to be given or Centrally-run educational institutions are proposed to be opened to remove illiteracy from there ;

(b) whether a University is proposed to be set up in Madhya Pradesh where in all facilities of boarding, lodging books would be extended to the Harijan, Adivasi and poor Students and where some work would also be given to students so as to enable them to meet the expenses that would be incurred on them ; and

(c) if so, when and the details of the proposal in this regard ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):** (a) Yes, according to the 1961 census, the percentage of literacy in Madhya Pradesh was 17.1 as against the all-India average of 24.

A worker's Social Education Institute is functioning in Indore from 1960 to promote adult education. The Institute received 100% grant from the Ministry of Education, through the Government of Madhya Pradesh. Under Kisan Saksharta Yojna, a Centrally-sponsored Scheme, literacy classes have been opened by the Madhya Pradesh Government in Raipur District. The Ministry of Education meet 100% cost of this project. Further, voluntary organisations in Madhya Pradesh can take advantage of the Ministry's scheme to assist programmes of literacy and adult education.

(b) No, Sir, there is no such proposal.

(c) The question does not arise.

**पतवार से चलाई जाने वाली नौका दल द्वारा अन्दमान तक समुद्र यात्रा को मान्यता**

6919. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पतवार से चलाई जाने वाली नौका द्वारा अन्दमान तक समुद्र यात्रा करने वाले दो सदस्यीय दल को जिसने वह अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है, क्या कोई मान्यता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसे अभियानों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) और (ख). शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों के महत्वपूर्ण केन्द्रों के लिए लेफ्टी० जार्ज अलबर्ट ड्यूक तथा श्री पिनाकी रंजन चटर्जी के भाषण दौरे का आयोजन किया है। इस यात्रा का व्यय इस मंत्रालय द्वारा उठाया जा रहा है। रहने तथा खाने का व्यय या तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अथवा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है।

(ग) यह मंत्रालय इस प्रकार के अभियानों को प्रोत्साहन देने को तैयार है। विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर इस प्रयोजन के लिए वास्तविक कदम उठाये जाने का निश्चय किया जायेगा।

**दिल्ली में हवाई हमले का अभ्यास**

6920. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मार्च, 1969 को दिल्ली में हवाई हमले का अभ्यास किया गया था;

(ख) क्या यह प्रयोग सफल रहा था; और

(ग) देश के अन्य प्रमुख नगरों में इस प्रकार का अभ्यास करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अभ्यास काफी हद तक सफल रहा।

(ग) राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दो महीने में एक बार चुने हुये शहरों में ऐसे नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने की सलाह की गई है।

**दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ अनुसचिवीय कार्यकारी सेवा, 1967**

6921. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नवनिर्मित दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ अनुसचिवीय कार्यकारी सेवा 1967 में नियुक्ति पदोन्नति वरिष्ठता निर्धारण आदि के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ताकि प्रभावित व्यक्तियों के प्रति न्याय हो ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली प्रशासन की अधीनस्थ अनुसचिवीय तथा कार्यकारी सेवाओं के चार वर्गों की अस्थायी वरिष्ठता सूचियां प्रशासन द्वारा तैयार की गई थीं और उन्हें आपत्तियां व्यक्त करने के लिये परिचालित किया गया। प्राप्त हुये अधिकांश अभ्यावेदन अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता

के निर्धारण तथा उनके प्रारम्भिक गठन पर सेवाओं में उनके समावेश से संबंधित थे। कुछ अभ्यावेदन उन अधिकारियों से प्राप्त हुये थे जिनका अगले उच्च वर्ग में पदोन्नति के लिये अतिक्रमण कर दिया गया था।

(ग) प्राप्त हुये अभ्यावेदन दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ अनुसचिवीय कार्यकारी सेवा नियम, 1967 के उपबन्धों के अनुसार दिल्ली प्रशासन द्वारा निपटाये गये हैं अथवा निपटाये जा रहे हैं।

**मध्यावधि चुनावों में विदेशी धन का उपयोग**

6922. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई पता लगाया है कि देश में हाल के मध्यावधि चुनावों में विदेशी धन ने किस हद तक प्रभावित किया है;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित जांच का ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) मध्यावधि चुनावों में विदेशी धन के प्रयोग के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

**Registration of Theft Cases in Delhi**

6923. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints to the effect that the Police Officers in the Police Stations of Delhi do not register reports regarding incidents of thefts and if at all they register, they register incomplete reports and hesitate to take action on them ;

(b) whether complaints have also been received that the police officer ill-treat the persons who go to the Police Stations to lodge reports with them ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) and (b). There have been some complaints of these types.

(c) Departmental instructions have been issued to all Station House Officers to entertain all complaints and also treat the complaints with sympathy. Strict action is taken for breach of these instructions. Whenever any such complaint is received, it is looked into and action is taken in accordance with law and departmental regulations. Supervising officers exercise control through surprise checks and test cases.

**पटना में गंगा नदी पर पुल**

6924. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में पटना में गंगा नदी पर पुल बनाने के संबंध में बिहार सरकार ने अपनी प्रार्थना दोहराई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह योजना सर्व-प्रथम 1913 में बनाई गई थी और तबसे इस पर कई बार विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस समय यह योजना किस स्थिति में है और क्या निकट भविष्य में इस पर कार्य आरम्भ करने का विचार है ?

**संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) पटना में गंगा नदी के ऊपर प्रस्तावित पुल बिहार सरकार से सम्बन्धित है क्योंकि यह राज्य सड़क पर है यह राज्य सरकार की चौथी योजना में पहले ही शामिल है परन्तु वे अपने निजी साधनों से आर्थिक सहायता देने में असमर्थ हैं। इसलिए वे इसके लिए आर्थिक सहायता के लिये जोर देते हैं और उन्होंने अभी हाल ही में अपनी इस प्रार्थना को दुहराया है।

(ख) जी, हां। सन् 1913 में जो प्रस्ताव किया गया था वह वास्तव में पटना में रेल-पुल निर्माण से संबंधित था जो कि विशेषज्ञों के परामर्श में स्वीकृत नहीं किया जा सका। बाद में राज्य सरकार सड़क पर एक पुल निर्माण के लिये जोर देती रही।

(ग) राज्य सरकार की प्रार्थना पर जांच की जा रही है।

**पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोली चलाई जाना**

6925. **श्री न० रा० देवघरे :** **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
**श्री मधु लिमये :** **श्री रमेशचन्द्र व्यास :**
**श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** **श्री रा० बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 तथा 23 मार्च, 1969 को पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स ने मालदह जिला में रामगोला सेक्टर में भारतीय सुरक्षा दल पर गोली चलाई थी;

(ख) यदि हां, तो दोनों ओर के कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तीन भारतीय पुलिस कर्मचारी गोलियों से घायल हुए। पाकिस्तान की ओर हताहत व्यक्तियों की सूचना ज्ञात नहीं है।

(ग) सेक्टर कमाण्डर, सीमा सुरक्षा दल के महानिरीक्षक तथा राज्य सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने-अपने प्रतिपक्षों से विरोध प्रकट किया है । सीमा सुरक्षा दल उस क्षेत्र में जोरदार गश्त लगा रही है और सतत् निगरानी बरत रही है ।

**दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को वेतन का भुगतान**

6926. **श्री न० रा० देवघरे :**
**श्री शशि भूषण :**
**श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को गत तीन महीनों से उनका वेतन नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अध्यापकों ने अपनी शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिये आन्दोलन करने की धमकी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) कुछ समाचार पत्रों में ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ।

(ग) यह समझा जाता है कि सरकारी सहायता प्राप्त अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी परिषद को पेश किया गया ज्ञापन दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

**दिल्ली में हत्याएं**

6927. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में दिल्ली में हत्या के प्रयत्नों के कितने मामले हुए ; हत्या के इन मामलों के फलस्वरूप कितने व्यक्ति मरे ;

(ख) इनमें कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे और कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ; और

(ग) वर्ष 1968 में दिल्ली में प्रतिदिन हत्या के औसत मामले कितने हुए ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (क) हत्या संबंधी मामले | — | — | — | 86 |
| हत्या के प्रयत्नों के मामले | — | — | — | 76 |

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 818/69]

(ग) लगभग 0.24 मामले ।

**Sheikh Abdullah**

6928. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the name of person to whom the residence which was allotted to Sheikh Abdullah by Government during his detention has been allotted after his release ;

(b) whether Sheikh Abdullah has any property in Delhi at present and, if so, the details including the exact location thereof ; and

(c) the place where Sheikh Abdullah stays while in Delhi and what is the sources of his income ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) After the lifting of restrictions on Sheikh Abdullah, the residence where he was interned since allotted in his own name.

(b) The Government have no knowledge of any such property.

(c) The Sheikh stayed at the residence allotted to him when he visited Delhi last.

About the source of the Sheikh's income, the Government keep on receiving intelligence; these reports are not for public disclosure.

**Expenditure Incurred on Sheikh Abdullah during his Detention**

6929. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the expenditure incurred by Government on Sheikh Abdullah during the period of his detention month-wise and item-wise ;

(b) whether Government used to give financial and other help to the wife and son of Sheikh Abdullah and also to others during the aforesaid period and if so, the details thereof in each case, monthwise ; and

(c) whether it is a fact that Sheikh Abdullah took away with him after his release the goods purchased by him with the financial help and grant given by Government and, if so, the details of the goods taken away by him and also of those left by him ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-819/69].** This includes expenditure on members of Sheikh Abdullah's family and close relations who were allowed to stay with him for certain periods or visit him at Government expense during his internment.

(c) Government have no information of the purchases made by him out of the grant given to him.

## हवाई अड्डों में रोशनी की व्यवस्था का अभाव

6930. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने हवाई अड्डों में रोशनी की व्यवस्था का अभाव है ;

(ख) हवाई अड्डों पर ऐसी व्यवस्था का अभाव होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन हवाई अड्डों पर ऐसी व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) कोई नहीं, यद्यपि कुछ हवाई अड्डों में बिजली की प्रकाश व्यवस्था नहीं है अपितु वहां केवल-हंस-ग्रीवा प्रदीप, (गूजनेक फ्लेयर्स) हैं।

(ख) और (ग). विद्युत प्रकाश व्यवस्था महंगी हैं, लेकिन जब भी निधि उपलब्ध होती है, बिजली के प्रकाश की व्यवस्था करने के प्रयत्न किए जाते हैं।

## Demand for Construction of Bridge on Ganges at Umrasoo (U. P.)

6931. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister has received any memoranda signed by 5,000 persons of 'Kandvalasyun Patti' in hilly district Pauri of Uttar Pradesh, which was sent by them on the 10th January, 1969 by post ;

(b) if so, the nature of demands made by them therein ;

(c) whether it is a fact that in the said memorandum they have made a demand for construction of a bridge over the river Ganges at Umrasoo ;

(d) whether it is also a fact that this bridge would be of strategic importance in addition to being of benefit to the public ;

(e) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(f) in case no action has been taken so far, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) :** (a) No, Sir.

(b) to (f). Do not arise.

## केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर वार्ता

6932. **श्री मधु लिमये :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में पुनः बातचीत आरम्भ करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में बाद में क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थाई समिति की गत बैठक में प्रधान मंत्री ने बतलाया था कि कुछ कार्यकारी सूत्रों के आधार पर समिति द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। यह भी बतलाया था कि सरकार केन्द्र राज्य संबंधों पर प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है। आयोग से अपना प्रतिवेदन शीघ्र देने के लिए अनुरोध किया गया है।

**मनीपुर में इण्डो-वर्मा पायनीयर मिशन**

6933. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डो-वर्मा पायनीयर मिशन नामक एक अमरीकी मिशन ने एक कालेज चलाने के नाम पर इम्फाल नगर में भूमि के लिए आवेदन-पत्र भेजा है ;

(ख) क्या उपरोक्त मिशन ने मनीपुर की सरकार सहित सब सम्बंधित व्यक्तियों को कोई कारण बताए बिना चुराचन्दपुर में सीएलमैंट क्रिश्चियन कालेज बन्द कर दिया है ;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने पहले इस कालेज को कोई तदर्थ अनुदान दिया था ;

(घ) इस कालेज को बन्द करने और नगर में भूमि के लिए आवेदन-पत्र देने से सम्बंधित मिशन की कार्यवाही की ओर मिशन की इस प्रकार की गतविधियों को जो इस देश के हित में नहीं हैं, की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या सरकार न्यू लेम्पलेट नगर के मध्य में इस विदेशी मिशन को भूमि दे चुकी है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी हां, मनीपुर सरकार को इण्डो-वर्मा पयोनियर मिशन तथा दि इंडिपेंडेंट आफ इंडिया द्वारा संचालित सलिमत क्रिश्चियन कालेज के लिए, खुमान लम्पाक, इम्फाल में भूमि के लिए 27-11-1968 को एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था। ये दोनों अमरीकी मिशन न होकर भारतीय मिशन हैं तथा इनके मुख्य कार्यालय चूराचन्द्रपुर में हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, केवल 1966-67 में 22,000 रुपए।

(घ) मनीपुर प्रशासन ने इसकी जांच की थी, जिससे पता चला कि मिशन के सदस्यों में भूमि और सम्पत्ति के स्वामित्व के बारे में आपस में आन्तरीक झगड़े थे, किन्तु राष्ट्र के अहित में कोई कार्यकलाप नहीं थे। भूमि के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र मनीपुर प्रशासन के पास आस्थगित पड़ा है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

## दिल्ली में गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं द्वारा सरकारी अनुदानों का दुरुपयोग

6934. **श्री के० एम० अब्राहम :**
**श्री अ० कु० गोपालन :**
**श्री मुहम्मद इस्माईल :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मानवस्थली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली जैसी गैर-सरकारी संस्थाओं को दिए जाने वाले सरकारी अनुदानों के दुरुपयोग के बारे में पता है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) क्या इन संस्थाओं के श्रेणी चार के कर्मचारियों को वही वेतनक्रम देने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है, जो वेतनक्रम श्रेणी चार के सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं ।

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी, हां । दिल्ली प्रशासन को तथाकथित शिकायत मिली थी जिसमें आरोप था कि मानवस्थली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली के अमान्यता प्राप्त स्कूल के प्रबन्धों द्वारा स्कूल-फर्नीचर तथा विज्ञान उपस्करण का प्रयोग किया गया है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा विभागीय जांच समिति स्थापित की गई है ।

(ग) सहायता प्राप्त स्कूलों में और उनके प्रतिरूप स्कूलों में सरकारी स्कूलों के वेतनमानों के अनुसार वेतनक्रम पहले ही लागू हैं ।

## सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आई० सी० एस०/आई० ए० एस०/आई० ए० एण्ड ए० एस० के अधिकारी

6935. **श्री गणेश घोष :** **श्री नम्बियार :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री के० रमानी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने उप-क्रमों में आई० सी० एस०, आई० ए० एस० तथा आई० ए० एण्ड ए० एस० अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में ऐसे कितने अधिकारी हैं ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों में उपरोक्त संवर्गों के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) 50

(ख) जैसा संलग्न विवरण में है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 820/69]**

(ग) 34

**राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों तथा अन्य केन्द्रीय छात्रवृत्तियों की राशि लौटाना**

6936. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में प्रत्येक राज्य ने शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों तथा अन्य केन्द्रीय छात्रवृत्तियों की वास्तव में पृथक-पृथक कितनी राशि का उपयोग किया था ; और

(ख) उपर्युक्त राशियों का किस प्रकार उपयोग किया गया था ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) यह मंत्रालय राज्य सरकारों के जरिए तीन राष्ट्रीय और केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन करता है जैसा कि संलग्न तीन विवरणों में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 821/69]**

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राशि का उपयोग नई छात्रवृत्तियों की अदायगी तथा पिछले वर्ष में दी गई छात्रवृत्तियों के नवीकरण के लिए किया गया था।

**प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेना के अधिकारी**

6937. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 3 वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

(ख) वे किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ;

(ग) उनमें उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो एक मंत्रालय/संगठन में एक ही पद पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और जिनका कार्यकाल एक से अधिक बार बढ़ाया गया है ;

(घ) क्या इन अधिकारियों का एक ही मंत्रालय/संगठन में तीन वर्ष की अवधि के बाद कार्य करते रहना इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका कार्य-काल बढ़ाए जाने क्या कारण हैं ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 822/69]

(ग) से (ङ). नियमों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यकाल की अवधियां तीन से पांच वर्ष तक की होती हैं। ऐसे आदेश नहीं हैं जिनके अन्तर्गत एक अधिकारी के, नियत कार्य में जो एक पद पर तीन साल से अधिक कार्य कर रहा हो, परिवर्तन करना आवश्यक है।

## भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद में छंटनी

6938. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद का विचार अपने कुछ कर्मचारियों की छंटनी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो आवश्यकता से अधिक अथवा छंटनी किए गए कर्मचारियों को दूसरी नौकरी देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है/की जाएगी ; और

(ग) कर्मचारियों की छंटनी के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) से (ग). भारतीय संस्कृतिक सम्बंध परिषद के कर्मचारियों के बारे में वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने जांच की थी : कुछ कर्मचारी फालतू पाए गए थे। कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिशों की भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद का शासी निकाय द्वारा स्थापित समिति की जांच की जा रही है। इस विषय में शासी निकाय को अन्तिम अधिकार प्राप्त है।

## उपूसी (नेफा) में चीनी घुसपैठ का खतरा

6939. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपूस (नेफा) में चीनी घुसपैठ का खतरा बढ़ता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**केरल में पेकिंग समर्थक प्रकाशन**

6940. **श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने कालीकट में एक पेकिंग समर्थक प्रकाशन-गृह को पत्र लिखकर कुछ माओवादी प्रकाशनों के प्रति केरल के पाठकों की प्रतिक्रिया पूछी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है और क्या मूल पत्र सरकार के पास है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलपल्लि की बाहरी चौकी तथा तैल्लिचेरी पुलिस थाने पर आक्रमणों से संबंधित जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस द्वारा पकड़े गए कागजातों में मार्कसवादी प्रकाशन, कालीकट, को सम्बोधित दिनांक 19 मई, 1967 के भारत में स्थित चीनी दूतावास का पत्र था जिसमें केरल में कुछ लेखों के प्रति पाठकों की प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, पूछी गई थी ।

(ख) मूल पत्र केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है । भाग (क) में उल्लिखित घटनाओं के सबंध में दर्ज मामले विधि न्यायालय में जांच के लिए लम्बित पड़े हैं ।

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

**लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1969 तथा विनियोग लेखा (सिविल), 1967-68**

**उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अधीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1969 की एक प्रति ।

(2) विनियोग लेखे (सिविल), 1967-68 की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय के रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 802/69]**

**अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना**

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री ( डा० एरिंग) :** मैं श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 919 की एक प्रति जो दिनांक 2 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश मोटा

अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1964 को विखण्डित किया गया, सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 803/69]**

**अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें**

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली की परिषद, पंजाब (पुनर्रचना तथा पुनर्गठन) आदेश, 1969 जो दिनांक 31 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1301 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 1304 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पंजाब श्रमिक कल्याण बोर्ड (पुनर्रचना तथा पुतर्गठन) आदेश, 1969 जो दिनांक 31 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1302 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 1305 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पंजाब भूदान यज्ञ बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश, 1969 जो दिनांक 31 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1303 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 1306 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

**[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 804/69]**

**आयोजन तथा वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन**

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहां आरा जयपाल सिंह)** : मैं आयोजन तथा वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखा विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 805/69]**

---

## लोक लेखा समिति
## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

**46वां तथा 51वां प्रतिवेदन**

मैं लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के वैदेशिक प्रचार विभाग द्वारा किए गए खर्च के बारे में लोक लेखा समिति के 57वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 46वां प्रतिवेदन।

(2) विनियोग लेखे (प्रतिरक्षा सेवाएं) 1965-66 तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवाएं) 1967 के बारे में लोक लेखा समिति के 51वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 15वां प्रतिवेदन।

## सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
### 42वां प्रतिवेदन

**श्री गु० सिं० ढिल्लों** (तरनतारन) : मैं मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 42वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

## निर्देश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य और मंत्री द्वारा उसका उत्तर
## STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND MINISTER'S REPLY THERETO

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Ujjain): On 23-4-1968 Shri Parimal Ghosh had stated in reply to Starred Question No. 1384 that he had resigned from all those firms before 1967 in which he was a director or an officer.

On 7th May, 68 Shri Fakhruddin Ali Ahmad, had stated in reply to Unstarred Question No. 10042 that uptil 28-5-1967. Shri Parimal Ghosh was the Director of M/S Himalaya Paper and Board Mills Private Limited.

The above two statements are contradictory to each other and on the basis of this I sought permission to raise the question of privilege which I was denied.

Shri Parimal Ghosh has tried to mislead the House by tendentious misstatement of facts.

**रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री परिमल घोष)** : निर्देश 115 के अन्तर्गत दी गई अधिसूचना में मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मंत्री बनने के बाद भी मैं हिमालय पेपर एण्ड बोर्ड मिल्ज में निदेशक रहा । यह सच है कि मैंने 23-4-1968 के अपने वक्तव्य में यह कहा था कि मैंने चुनाव लड़ने से पूर्व हिमालय पेपर (मशीनरी) प्राइवेट लिमिटेड और हिमालय पेपर एण्ड बोर्ड मिल्ज (पी०) लिमिटेड में निदेशक के पदों से त्याग-पत्र दे दिया था । मेरा वक्तव्य पहली कम्पनी के बारे में सत्य था । मुझे खेद है कि दूसरी कम्पनी के बारे में भूल से ऐसा कहा गया ।

जहां तक मेरी कार्ड बोर्ड प्रिंटिंग एण्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता का निदेशक होने का सम्बन्ध है, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं 1 सितम्बर, 1967 से इस कम्पनी का निदेशक नहीं रहा । अत: मुझ पर लगाया गया यह आरोप कि मैंने जानबूझ कर सभा को गुमराह किया है, सत्य नहीं है ।

---

## सामान्य आय-व्ययक—अनुदानों की मांगें—जारी
## GENERAL BUDGET DEMANDS FOR GRANTS—Contd.
### सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

**वर्ष 1969-70 के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि रु० |
|---|---|---|
| 62 | सूचना और प्रसारण मंत्रालय | 19,82,000 |
| 63 | प्रसारण | 9,93,82,000 |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि रु० |
|---|---|---|
| 64 | सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 5,39,81,000 |
| 122 | सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय | 4,31,70,000 |

**श्री जे० मुहम्मद इमाम** (चित्रदुर्ग) : देश की एकता को बनाये रखने तथा एक शक्तिशाली संचार माध्यम के रूप में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का बहुत बड़ा महत्व है।

आकाशवाणी से इस समय केवल ध्वनि प्रसारण ही किया जाता है। टेलीविजन प्रसारण केवल दिल्ली तक ही सीमित है। अत: अन्य देशों के स्तर तक आने के लिये हमें टेलीवीजन प्रसारण के क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। लोगों का विचार है कि कुछ साम्यवादी देश इस देश में अपने विचारों के प्रचार के लिये इस मंत्रालय से अनुचित लाभ उठाते हैं।

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair ]

सरकार द्वारा नोवोस्टी के साथ करार किया गया था। मंत्री महोदय को याद होगा कि उस पर इस सभा में कितना हंगामा हुआ था। करार का आधार यह बताया गया कि रूस में भारतीय साहित्य का परिचालन किया जाये और भारत में रूसी साहित्य का। किन्तु इसका असर यह हुआ है कि रूस ने इस अवसर से पूरा फायदा उठाया है। हमें इस प्रकार के करार की कोई आवश्यकता नहीं थी। सारा देश आज रूसी साहित्य से भरा हुआ है। रूस को हम पर अपनी विचारधारा लादने का यह एक अच्छा अवसर मिल गया है।

हमारी फिल्म डिवीजन सोसाइटी ने "ब्लैक माउन्टेन" नाम का एक चित्र तैयार करने के लिये रूस के साथ करार किया है। इस चित्र में भारत की कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई जायेंगी जो भारत के सम्मान को घटाती हैं। इसकी कुछ शूटिंग भारत में और रूस में होंगी। इसका निदेशक एक रूसी होगा। रूसी सहयोग से बच्चों के लिये ऐसा चित्र तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेनिन ने एक बार कहा था यदि बच्चों के मन को काबू कर लिया जाये तो वे पक्के साम्यवादी बन जायेंगे। इस चित्र को देखने पश्चात बच्चों के मन पर वह असर पड़ेगा जो कभी मिटाया नहीं जा सकेगा।

सरकार द्वारा साम्यवादी प्रचार को प्रोत्साहन दिये जाने का मैं एक और उदाहरण देता हूं। हाल ही में आकाशवाणी के 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम में श्री सी० आर० दास की वार्ता थी, जो कि पक्के साम्यवादी हैं। उनकी वार्ता में बंगाल सरकार के प्रति केन्द्रीय सरकार के रवैये की घोर निन्दा की गई है और बंगाल सरकार और 'बंद' का समर्थन किया गया है।

स्पष्ट है कि आकाशवाणी साम्यवादी विचारधारा का सक्रिय रूप से समर्थन कर रही है।

**श्री धीरेश्वर कलिता** (गोहाटी) : क्या उसे केवल स्वतंत्र पार्टी की सरकार का ही समर्थन करना चाहिए ?

**श्री जे० मुहम्मद इमाम** : जी, नहीं । मैंने यह नहीं कहा है । परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा देश स्वतंत्र दल के हाथों में तो सुरक्षित है परन्तु साम्यवादी दल के हाथों में सुरक्षित नहीं है ।

रूस पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, इसके बावजूद सरकार समझती है कि वे हमारे मित्र हैं । यही बात चीन के साथ मित्रता के सम्बन्ध में हुई थी । साम्यवादी देशों के लोगों को अपने देश की बजाय अपनी विचारधारा से अधिक प्रेम है । साम्यवादी, साम्राज्यवाद फैल रहा है और इसका साम्यवादी देशों के आस-पास वाले प्रगतिशील देशों को बड़ा भारी खतरा है । हमें अब उनके भुलावे में नहीं आना चाहिए । हमारे देश के एक भाग में साम्यवादी दल का शासन है और इससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

जहां तक आकाशवाणी से प्रसारणों का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि आकाशवाणी ने अच्छा कार्य किया है । परन्तु चूंकि यह सरकार के नियंत्रणाधीन है और सरकार के नियंत्रणाधीन का अर्थ हुआ कि यह सत्तारूढ़ दल के नियंत्रणाधीन है । यह निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रही है । यह निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि इसे एक निगम के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए । वास्तव में, इस सभा में यह मांग की गई थी और चन्दा समिति ने भी सिफारिश की थी कि इसे निगम का रूप दिया जाना चाहिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके जैसा कि ब्रिटेन तथा अन्य देशों में व्यवस्था है । सरकार अपनी नीति को आकाशवाणी द्वारा लोगों पर लादना चाहती है और यही कारण है कि वह इसे निगम का रूप नहीं दे रही है । अभी हाल ही में क्या हुआ ? पहले काफी समय से अंग्रेजी के समाचार प्रातः 8 बजे प्रसारित किए जाते थे और बाद में प्रातः 8.15 बजे हिन्दी के समाचार प्रसारित किए जाते थे । परन्तु हिन्दी में समाचारों का प्रसारण प्रातः 8.15 बजे की बजाए प्रातः 8 बजे होने लगा है और अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण प्रातः 8 बजे की बजाए 8.15 बजे करना आरम्भ कर दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा परिवर्तन करने के क्या कारण थे ? क्या इसमें कोई प्रशासनिक कठिनाइयां थीं ? क्या यह ठीक नहीं है कि यह केवल हिन्दी को प्राथमिकता देने के लिए किया गया है ?

**श्री जेवियर** (तरुनलवेल्लि) : मद्रास सरकार के केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि समाचारों का प्रसारण उसी समय पर किया जाना चाहिए जिस पर पहले किया जाता था । परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसका अब तक कोई उत्तर नहीं दिया है । उन्हें समय में परिवर्तन कर देना चाहिए ?

**श्री जे० मुहम्मद इमाम** : इससे दक्षिण भारत के लोगों के विश्वास को भारी धक्का लगा है । ऐसी चीजें नहीं की जानी चाहिए जिससे कोई लाभ होने की बजाए हानि हो । दूसरी शिका-

यत यह है कि आकाशवाणी से अधिकांशतः हिन्दी में ही प्रसारण होते हैं। अन्य भाषाओं का भी समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए।

आकाशवाणी के कर्मचारियों को वे सभी सुविधायें दी जानी चाहिए जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

जनता को शिक्षित करने के बारे में समाचार-पत्रों की जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। अतः इन लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। समाचार-पत्र सराहनीय कार्य कर रहे हैं परन्तु इतना जरूर कहूंगा कि समाचार-पत्रों को अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में प्रतिकूल बयान प्रकाशित नहीं करने चाहिए क्योंकि इनका उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ कि मुसलमान देश में राष्ट्रीय कलंक हैं। एक अन्य समाचार-पत्र में यह प्रकाशित हुआ कि एक बड़ी आयु के मुसलमान मंत्री ने एक युवती से विवाह किया था। ऐसी बातों को प्रकाशित करना राष्ट्रीय एकता के हित में नहीं है। अन्यथा समाचार-पत्र सराहनीय कार्य कर रहे हैं और आशा है कि वे भविष्य में भी ऐसा ही कार्य करते रहेंगे।

**Shri Nar Deo Snatak** (Hathras) : There is so much freedom of expression that it is creating dangerous situations. There must be some control over it.

It is regretted that we have no control over the cinema films particularly foreign films which are adversely affecting the morals and character of our people and distorting our civilization and culture. It is, therefore, of crucial importance that we must have some control over such films as promote vices of theft, robbery and mischief-mongering. There should also be control over the cinema houses which show films right from 12 noon to midnight. The students often play truant and find their way into cinema houses. There should be no shows before 4 P.M. as well as on holidays. The students should not be allowed to visit cinema houses before 4 P.M.

So far as use and propagation of Hindi is concerned,A.I.R. has done a commendable job. But whenever dignitaries from our country such as the President or the Prime Minister, visit other countries, the news and newsreel coverage is done in English. For this purpose, we should depute such people as could cover their visits in Hindi, so that the common people might benefit.

Even today after 20-22 years of our independence English is being taught to our people through the medium of A. I. R. It is understood that the English programmes broadcast by A. I. R. are prepared by B.B.C. Instead of English, regional languages should be taught through this medium.

The Brij region around Mathura has a population of about 3½ crores. But the unit of A.I.R. serving this region is very weak and it cannot cover the whole population of that region. It should, therefore, be strengthened.

Veda mantras should be broadcast from the A.I.R. daily in the morning followed by its interpretation. This would have a good impact upon our people who are religious minded.

With these words, I support the Demands for grants of the Ministry of Information and Broadcasting.

**Shri Bharat Singh Chauhan** (Dhara) : I rise to oppose the Demands of the Ministry of Information and Broadcasting because it has failed in its duties. It is functioning very inefficiently. There nepotism and corruption is rampant in regard to appointments, promotions and transfers. The recommendation of the Chanda Committee that the A.I.R. should be converted into a corporation, has not so far been implemented. It is obvious that the Congress Government do not want to lose its hold on this media of publicity because it is propagating the interests of the party in power. While so much coverage is given to the Prime Minister and Home Minister. etc., no reference is given to the speeches made by the leaders of opposition parties. The A.I.R. must be impartial and just to every section of the people and to every party. The basis of our all programmes should be Indian culture and character-building. Powerful transmitters should be installed so that we are able to highlight our image abroad more effectively. Suitable steps should be taken to propagate our national language.

The children's films as are being produced by the children's Film Society now-a-days are adversely affecting the morals and character of our children and distorting our civilization and culture. Our children like to emulate actors and actresses in their behaviour, dress, manners etc. They know nothing about our traditions. Such films known as "Jaise ko Taisa" and "Jawab Aayega" pervert the minds of our children. The films should be instructive ones so that they are helpful in making our children good citizens.

Similarly a children's film "Black Mountain" being produced with the collaboration of Russia is nothing but a slur on the face of our country. It is simply a distortion of our culture. Till 1962, the Children's Film Society under the Chairmanship of Pandit Kunzru and Shri Diwakar, had produced good films such as "Jal-deep", "Aikta", "Gulab ka Phool". "Id Mubarak", "Chetak", "Meerabai", "Tulsidas", "Samrat Ashoka", "Dilli ki Kahani etc. but the standard of the children's films has been deteriorating since then. We should make films which can entertain as well as inspire and educate our children and instil in them the feelings of patriotism and national integration. To achieve this end, a committee consisting of some Members of Parliament, Social Workers, educationists and some film people should be formed to see that good films are produced and shown to our children.

**इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प०**
**तक के लिए स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.**

**लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर 2.05 मिनट म० प०**
**पुनः समवेत हुई ।**

**The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock**

[ **श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
**Shri Thirumal Rao in the Chair** ]

**Shri Tulsidas Jadhav** (Baramati) : Today, we are faced with the problem of casteism and regionalism which has raised its ugly head to such an extent that the very unity and

integrity of our country is in danger. In order to develop harmonious relations among our various communities and thus ensuring national unity, the need of the day is that special programmes should be broadcast from the All India Radio drawing the attention of the people towards the above-mentioned evils and impressing upon them the need for national unity which is in the best interests of our country. But it is regretted that the programmes as are being broadcast now-a-days are entertainment oriented and no heed is being paid towards the values that promote the nationalism harmony and fellow-feelings among the various communities of our country. It is true that the element of entertainment should be there but more attention should be paid towards the things which are in our national interest. Similarly films can be produced with this object in view. Good films have good impact on the people and are highly instructive. Through them we can teach civic sense to our children.

Today our youths have forgotten their ideals. They are going in a wrong direction. My submission is that in order to impress the people good films should be produced. Moreover it is Gandhi Centenary year and therefore it is proper that vigorous steps should be taken to eradicate untouchability from the country—a cause which was very dear to Mahatma Gandhi. Even today we see that Harijans are being subjected to many atrocities. In Madhya Pradesh the huts of Harijans were set on fire. In Andhra Pradesh one Harijan boy was burnt alive. In U. P. one Harijan woman and her two children were thrown in to a well. In Maharashtra also an inhuman incident has happened in which Harijan women were forced to walk naked in the streets. So it is very regrettable that even today incidents of atrocities on Harijans are taking place in various parts of the country. All these things are happening because no politcal party or political leader is ready to go to the masses and educate them. If good films are produced impressing upon the people that untouchability is a bad thing it will be of a great help in eradicating untouchability.

The incidents that has recently happened at Ravindra Sarovar in Calcutta was the most ugly. I have never heard in my life. Though the Central Government is not directly responsible for it, yet I mean to say that this tendency that no body is going to own the responsibility, whatever may happen any where is suicidal for the country. Such incidents can be checked by producing good films.

The Members of Parliament is as much as 750. But only a few members of Parliament are given chance to have their speech over AIR. I would request the hon. Minister the talents of Members of Parliament should be utilised. They should be asked to give talks on various subjects over the All India Radio.

Next I would like to say that those news papers which are serving the rural areas should be given special support. Governments advertisements should be given to them. The postage charges levied on them are on the high side. They should be reduced.

So far as prohibition is concerned the merits of prohibition should be propagated through the All India Radio and the films. The bad effects of drinking should be made known to the public.

Lastly I would like to say that in news broadcasts from the All India Radio preference should be given to females because their voice is comparatively better and more clear than the male announcers.

**Shri Ishaq Sambhali** (Amroha) : We are all aware that the role of this Ministry is of paramount importance. The Ministry of Information and Broadcasting has a big role to play not only in cultural and political field, but it has also a very important part to play for promoting national integration as well as strengthening the Centre State relations. I was surprised to hear the speech of Shri Vishnu Dutt from the Calcutta station of All India Radio. That was a poisonous speech. I want to make it clear that the Congress is losing its popularity and as such it should be prepared to adjust with other parties which are coming to power in the States. Though All India Radio can play very important role in promoting national integration and strengthening Centre-State relation, but it is not being properly utilised rather it is being misused. I want to give you an instance. Recently a talk by Shri Vishnu Dutt of the Times of India was broadcast from the Calcutta Station of All India Radio. It was a damaging speech. In that speech serious charges were levelled against the Government of West Bengal. Such things spoil the Centre-State relations instead of improving them. It is evident from the speech of the Information Minister of West Bengal that the Central Government are taking such steps which are detrimental to congenial Centre-State relations. The Government of West Bengal has not been consulted when a Committee for Calcutta Radio Station was formed. So it is clear that it is the Centre which is responsible for the deterioration of Centre-State relations. It is the responsibility of the Centre to have adjustments with the States and see that nothing is done which may make their relations strained.

The All India Radio is one of the biggest organisations of the world, but it is not biggest so far as quality is concerned. The condition of its artistes is pitiable. They are not being given the same facilities as are given to the regular employees of Central Government, though it is written in their contracts that they are full time workers. When the dearness allowance of Central Government employees was merged, they also demanded for it, because they were full time workers. But their demand was rejected. It is a gross injustice which should be ended. Nearly 2500 artistes have been effected by this.

It has been demanded again and again that All India Radio should be made an autonomous corporation. But I fail to understand why Government is not going to do so. The Chanda Committee has also recommended very strongly that it should be made an autonomous corporation. Even then Government is not prepared to do so. I fail to understand what is the difficulty in implementing this recommendation. The fact is that today Congressmen are losing faith even in themselves.

As I have already said that the department of Information and Broadcasting can play very important part in promoting national integrations. But actually what is being done ? The All India Radio has not given full coverage in its news to the National Integration Conference held in Srinagar, which was a very good conference and whose decisions were of a far reaching importance. The working of this department is unique. It is regrettable that no action is being taken against the papers which are propagating communal hatred. It is all the more regrettable that instead of punishing such papers action is taken against those papers which voiced the grievances of the down-trodden people.

Next I would like to point out that great injustice is being done in the distribution of advertisements and newsprint quota. I want to give you an example. There is a newspaper in Assam which has a circulation of more than 10,000 but you will be surprised to know that that newspaper has never been given any quota.

The Urdu programmes of the All India Radio are very much liked by the people. Even those people who do not understand Urdu properly like this programme very much. But it is very regrettable that very little time has been allotted for it. I want to submit that in order to make All India Radio more popular special encouragement should be given to Urdu and other regional languages. The grievances of its employees should be redressed.

The Department of Communications is also under the charge of the hon. Minister of Information and Broadcasting. Therefore I would appeal to the Minister that those employees of the P & T Department who were thrown out of employment for taking part in the strike of 19th September should be taken back in service because their children are facing starvation. The Hon. Minister has already given an assurance in this regard. That assurance should be implemented.

**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : महोदय, मैं अपना भाषण आरम्भ करने से पहले एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यद्यपि मंत्रालय का वर्तमान नाम सूचना, प्रसारण तथा संचार मंत्रालय है, तथापि संचार मंत्रालय की मांगों को पृथक रखा गया है। इसके क्या कारण हैं?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : मैं माननीय सदस्य का भ्रम दूर करना चाहता हूं। यह मंत्रालय एक नहीं है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय एक मंत्रालय है तथा संचार विभाग एक अलग विभाग है, यद्यपि इन दोनों के मंत्री वही हैं।

**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : जब एक मंत्री के अधीन कई विभाग हैं, तो उन सब पर टिप्पणियां करने का हमें अधिकार है।

**सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : आपको अपना मत व्यक्त करने के पूरे अधिकार हैं, परन्तु मेरे से तो उन ही प्रश्नों के उत्तरों की आशा की जा सकती है, जो इन मांगों से संबंधित हैं।

**सभापति महोदय** : मैं स्थिति को समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्या मंत्री महोदय दोनों विभागों के लिए जिम्मेदार हैं?

**श्री सत्य नारायण सिंह** : मांगें तो भिन्न-भिन्न हैं। जब वे मांगें सभा के सामने आयेंगी तो तत्संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।

**सभापति महोदय** : संचार विभाग पर चर्चा के दौरान आपको वे बातें कहने का अवसर मिलेगा।

**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : संचार विभाग पर चर्चा होगी ही नहीं, क्योंकि तब तक मुखबन्द लागू कर दिया जाएगा।

**सभापति महोदय** : इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। समय के अभाव के कारण कई मंत्रालयों की मांगों पर मुखबन्द लागू किया जाएगा।

**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : जैसा कि अभी माननीय मित्र ने बताया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने तथा देश में और विदेशों में देश की तस्वीर पेश करने में अपने विभिन्न साधनों जैसा कि आकाशवाणी, प्रकाशन प्रभाग, प्रेस सूचना ब्यूरो तथा विभिन्न अन्य प्रभागों के द्वारा महत्वपूर्ण काम कर सकता है। मंत्रालय के विभिन्न एककों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसे समूचे रूप से संतोषजनक कहा जा सकता है। परन्तु इनमें अभी सुधार की गुंजाइश है और इन पर जो धन खर्च किया जा रहा है, उसी धन का सदुपयोग करके काम में सुधार किया जा सकता है।

इस मंत्रालय का प्रशासन अव्यवस्थित स्थिति में है। सर्वप्रथम मंत्री महोदय को इसके प्रशासन को व्यवस्थित करना चाहिए। कुछ वर्ष पहले इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सूचना सेवा बनाई गई थी। उस समय सभा में यह बताया गया था कि इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में कार्यदक्षता लाने तथा उनका सुधार करने के लिए इस सेवा का गठन किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिक परीक्षा के माध्यम से इस संवर्ग में चुनिंदा युवक लिए गए थे। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि इस संवर्ग के व्यक्तियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य केन्द्रीय संवर्गों के समान उपलब्धियां तथा सुविधायें प्राप्त होंगी। परन्तु इस मंत्रालय के उच्च स्तर पर नौकरशाही का बोलबाला होने के कारण इस संवर्ग के व्यक्तियों के साथ न्याय तथा उचित व्यवहार नहीं किया गया है। इस मंत्रालय में तदर्थ नियुक्तियों की प्रणाली अपनाई गई है। संवर्ग के बाहर से नियुक्तियां किए जाने का क्या औचित्य है, जब कि संवर्ग में ही व्यक्ति उपलब्ध हैं। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, हालांकि उन्हें मेरे से अधिक जानकारी होगी कि ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि इस संवर्ग में लोगों के उपलब्ध होते हुए भी उनकी अवहेलना की गई है और संवर्ग के बाहर के व्यक्तियों की पदोन्नतियां की गई हैं। मुझे बताया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की गत सात वर्षों में कोई बैठक नहीं हुई है। मंत्री महोदय को इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि मंत्रालय के प्रशासन में सुधार नहीं किया गया और केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारी उचित सीमा तक संतुष्ट नहीं रहे, तो मंत्रालय के काम में, जिसमें पहले ही नुकसान हो रहा है और अधिक नुकसान होगा।

अब मैं आकाशवाणी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आकाशवाणी का काम संतोषजनक रहा है। इसमें समाचारों तथा अन्य कार्यक्रमों में काफी सुधार किया गया है। यह बड़ी खुशी की बात है कि आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से वाणिज्यिक सेवा आरम्भ कर दी गई है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि अन्य केन्द्रों से भी वाणिज्यिक सेवा आरम्भ की जाए।

मैं एक अथवा दो बातों के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। आकाशवाणी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से विशेष विषयों पर वार्ताओं के लिये वक्ताओं को आमंत्रित करती है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा किस आधार पर किया जाता है और इन लोगों का चयन कौन करता है।

मैं इस मंत्रालय को परीक्षण के तौर पर नई दिल्ली में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने

के लिये बधाई देता हूं। हमें यह मालूम नहीं है कि यह परीक्षण कब तक जारी रहेगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह सभा को यह बतायें कि देश में टेलीविजन सेवा का विस्तार करने के लिये उनका भावी कार्यक्रम क्या है ? श्रीनगर में एक टेलीविजन केन्द्र कायम किया जाना चाहिए। यह कार्य जितनी जल्दी किया जाये, उतना ही अच्छा होगा।

टेलीविजन कार्यक्रमों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कृषि संबंधी जो कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं, वे बहुत अच्छे हैं, परन्तु अन्य कार्यक्रमों में काफी सुधार की गुंजाइश है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

आकाशवाणी का गीत और नाटक प्रभाग कोई उपयोगी कार्य नहीं कर रहा है। इस प्रभाग को पर्याप्त सुविधायें दी गई हैं, परन्तु इसका काम संतोषजनक नहीं है।

रिपोर्ट में सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसारण का उल्लेख है। मेरे सीमावर्ती राज्य में दो केन्द्र हैं, एक जम्मू में और दूसरा श्रीनगर में। जब जम्मू केन्द्र हमारे सीमा क्षेत्र में ही प्रसारण के लिये शक्तिशाली नहीं है, सीमा के पार प्रसारण का उद्देश्य कैसे पूरा कर सकता है। पीकिंग रेडियो और विशेष रूप से पाकिस्तानी रेडियो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके प्रसारण बिना किसी रुकावट के समस्त पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर में साफ सुनाई देते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सीमावर्ती राज्यों में आकाशवाणी के केन्द्रों को अधिक शक्तिशाली बनाया जाये ताकि हमारे प्रसारण अधिक कारगर हों।

कुछ वर्षों पहले जम्मू तथा काश्मीर के सामुदायिक श्रवण (रेडियो) केन्द्रों के कर्मचारियों को आकाशवाणी द्वारा अपने अधीन लेते समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनका वेतन और अन्य सुविधायें आकाशवाणी के ऐसे अन्य कर्मचारियों के बराबर कर दी जायेंगी परन्तु सात-आठ वर्ष हो जाने पर कुछ भी नहीं किया गया है। मेरी माननीय मंत्री से अपील है कि वे इस ओर ध्यान दें। मैं आशा करता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सूचना और प्रसारण माध्यमों में सुधार होगा।

**श्री क० अनिरुद्धन** (चिरियन्कील) : यह मंत्रालय अपने सभी विभागों को, जिसमें आकाशवाणी, समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार, नाटक विभाग, प्रेस सूचना ब्यूरो, दृश्य-श्रव्य प्रचार के निदेशक शामिल हैं, एक विशेष प्रकार का प्रचार करने के लिये प्रयोग किया जा रहा है। अब तो देश में कुछ राज्यों में निर्वाचित लोकतंत्रीय सरकारों के विरुद्ध भी प्रचार आरम्भ कर दिया गया है। मंत्रालय ने कांग्रेस में ही एक दल की असहनीय और अक्षम्य गतिविधियों के बारे में प्रचार आरम्भ कर दिया है।

हाल में दिवाकर समिति ने छोटे समाचारपत्रों के बारे में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिवेदन दिया है और अनेक सिफारिशें की हैं। इस देश में एकाधिकार समाचारपत्रों पर नियंत्रण करना सरकार की घोषित नीति है, इन समाचारपत्रों पर बड़े व्यापार गृहों का अधिकार है

और उनका विदेशी एजेंसियों से सम्पर्क है, जो इस देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिये इस बड़े समाचारपत्रों के प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं। दिवाकर तथा अन्य शक्तिशाली समितियों ने सिफारिश की है कि इन बड़े समाचारपत्रों को प्रसार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार ने गत वर्ष रिपोर्ट दी थी कि 800-90 समाचारपत्रों ने जिनमें दैनिक समाचारपत्र भी शामिल हैं, अपना प्रकाशन बन्द कर दिया है। मेरे छोटे-से राज्य केरल में ही अनेक समाचारपत्रों ने जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, प्रकाशन बन्द कर दिया है। एक प्रमुख समाचारपत्र 'मलायली', जो 40 वर्षों से प्रकाशित हो रहा था, हाल में प्रकाशन बन्द कर दिया है हालांकि यह पद्म भूषण से अलंकृत किये गये श्री मन्नाथ पद्मनाभन् द्वारा ले लिया गया था। हमारे राज्य के अनेक मुख्य मंत्रियों ने समाचार-पत्रों का प्रकाशन आरम्भ किया और जब वे प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। गत दस वर्षों में एक दर्जन से अधिक दैनिक समाचारपत्रों का प्रकाशन बन्द हो गया है। आप छोटे समाचारपत्रों की क्या यही सहायता कर रहे हैं।

बड़े समाचारपत्र अखबारी कागज बेच रहे हैं। मुझे डर है कि वे कुछ अन्य देशों को अखबारी कागज न बेचते हों। सरकार को ऐसे समाचारपत्रों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें एक पक्का निर्णय करना चाहिए कि 10 वर्ष से निरन्तर प्रकाशित हो रहे समाचारपत्रों का प्रकाशन बन्द नहीं होने दिया जायेगा। सरकार को ऐसे समाचारपत्रों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। हाल में दृश्य-श्रव्य प्रचार के निदेशक ने छोटे समाचरपत्रों को कुछ विज्ञापन देने आरम्भ किये हैं। मुझे मालूम हुआ है कि 60 से 70 प्रतिशत विज्ञापन बड़े समाचारपत्रों को जा रहे हैं। इन सात अथवा आठ समाचारपत्रों को बड़े व्यापारगृहों द्वारा चलाया जा रहा है और उन्हें बाहर की एजेंसियों से सहायता प्राप्त हो रही है। यह एक खतरनाक बात है।

हाल में समाचारपत्र उद्योग के श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों ने अपनी उचित मांगे रखी थीं, जिन्हें छोटे और मध्यम स्तर के समाचारपत्रों ने तो स्वीकार कर लिया परन्तु बड़े समाचार पत्रों ने उनकी उचित मांगों को स्वीकार नहीं किया और मजूरी बोर्ड के निर्णय को मानने से इंकार कर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय उन्हें अधिक अखबारी कागज और विज्ञापन देकर सरकार उनकी सहायता कर रही है। वे अपने राजनीतिक और निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिये इन समाचारपत्रों को खरीद रहे हैं।

कुछ वर्ष पहले संयुक्त बम्बई राज्य में एक व्यक्ति श्री सेट ने वर्ग पहेलियों से बहुत-सा धन कमाया। उस पर 16 लाख रुपए की मनोरंजन कर की राशि बकाया थी। जब उसे पता लगा कि बम्बई राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री इन पहेलियों पर प्रतिबन्ध लगाने वाले हैं, तो उसने बड़ौदा से 'लोकसत्ता' और अहमदाबाद से 'जनसत्ता' पत्रों का प्रकाशन आरम्भ कर दिया। इस व्यक्ति को उस समय भाषायी आन्दोलन में श्री मोरारजी देसाई और उनके कांग्रेसी साथियों

का समर्थन करने के लिये कहा गया और इसके बदले में श्री मोरारजी देसाई मनोरंजन कर की 16 लाख रुपए की बकाया राशि में कुछ छूट और किश्तों में भुगतान करने के लिये सहमत हो गये। मुझे मालूम हुआ है कि इसमें से 8 लाख रुपए की राशि अब भी बकाया है। अब मंत्रालय ने प्रेस परिषद अथवा किसी जिम्मेदार संगठन अथवा संसद् से सलाह लिये बिना ही इस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का ऋण देने का निर्णय किया है। इससे विचार व्यक्त करने की समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर इस प्रकार प्रभाव डाला जा रहा है।

आकाशवाणी के बारे में स्टाफ आर्टिस्टों से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यदि वे अपने उच्च अधिकारियों की मन चाही बातों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनका तबादला और पदावनति भी कर दी जाती है। कुछ के करारों का नवीकरण नहीं किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि श्री सत्यनारायण सिंह इस ओर ध्यान देंगे।

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**: श्रीमन्, आज मुझे श्री महन्त दिग्विजय नाथ के कटौती प्रस्ताव को पढ़कर बहुत दुख हुआ, जो इस प्रकार है :

गांधी जन्म शताब्दी कार्यक्रमों पर धन और श्रम के व्यय को रोकने की आवश्यकता।

इस देश में हमें गर्व है कि गांधी जी जैसे महान आत्मा ने इस भूमि पर जन्म लिया और हम इस वर्ष उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उनकी स्मृति से हमारे दिल और आत्मा आज भी दीप्तिमान हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि हमारी संसद् में कोई व्यक्ति एक ऐसा कटौती प्रस्ताव रखता है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि मंत्रालय ने महात्मा गांधी के उपदेशों और विचारधारा पर प्रकाश डालने के लिये क्या कार्यवाही की है। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित 'महात्मा' नाम की $5\frac{1}{2}$ घण्टे की एक फिल्म बनाई गई है जिसे देखने वाले सभी लोगों ने इसकी सराहना की है। हम इस फिल्म के आधार पर छोटी फिल्में बनाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये सभी फिल्में लोगों के लाभार्थ सभी गांवों और शहरों में दिखाई जायें। दृश्य-श्रव्य प्रचार विभाग ने गांधी डायरी जैसे अनेक प्रकाशन निकाले हैं और गांधीजी के जीवन पर 12 चित्र तैयार किये गये हैं। 72 खण्डों में सम्पूर्ण गांधी वाङ्गमय प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें से 30 खण्ड तो प्रकाशित भी किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमने रोमेन रौवेल्ड द्वारा लिखित "महात्मा गांधी"; "दी मैसेज आफ महात्मा गांधी"; "बापू का आशीर्वाद"; महात्मा गांधी एल्बम तथा 'दी गांधी स्टोरी' आदि अनेक प्रकाशन निकाल रहे हैं। ये सभी राजसहायता प्राप्त प्रकाशन हैं। हमारे क्षेत्र प्रचार संगठनों ने गांवों और छोटे शहरों का दौरा किया है। गांधीजी के बारे में 120 सेमिनार और विचार गोष्ठियां की गई हैं। 307 फिल्म शो और 49 फिल्म समारोह किये गये हैं। 96 निबन्ध और वृत्त प्रतियोगिताएं तथा 37 भाषण मालायें की गई हैं।

हम इस वर्ष जलियांवाला बाग अर्ध शताब्दी की ओर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय जीवन में एक नया मोड़ था। तब से ही देश को मुक्त कराना संभव हो सका। इस समारोह को सफल बनाने के लिये टेलीविजन और फिल्म डिवीजन, संगीत और नाटक डिवीजन, फिल्म डिवीजन सभी ने इस अवसर को सफल बनाने के लिये समारोहों में भाग लिया है।

प्रेस का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार में प्रेस जितना शक्तिशाली होगा, उतना ही लोकतन्त्र सुदृढ़ होगा। हमारा यह भी कर्त्तव्य है कि प्रेस को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो और उस पर आन्तरिक अथवा बाहरी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने प्रेस की ऐसे प्रभाव से रक्षा करना चाहते हैं।

इस देश में समाचारपत्र और पत्र-पत्रिकाओं की संख्या बढ़ रही है। गत वर्ष की 10,977 की संख्या की तुलना में 1968 में इनकी कुल संख्या 11,678 थी। 1966 में कुल परिचालन 2·52 करोड़ था। 1962 से 1966 तक इसमें 11·4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम चाहते हैं कि समाचारपत्रों के एकाधिकार पर नियंत्रण रखा जाये ताकि छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्र पनप सकें। हम समाचारपत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहते हैं। यह तब ही संभव है जबकि श्रमजीवी पत्रकारों और सम्पादकों को उचित स्तर प्राप्त हो और वे अपने वेतन आदि पर नियंत्रण रखने वाले लोगों के हस्तक्षेप के बिना जो विचार चाहें व्यक्त कर सकें। 1962 में समान स्वामित्व वाले समाचारपत्रों की संख्या 130, जो 1967 में बढ़कर 159 हो गई। आठ प्रमुख यूनिटों का, जो 30 दैनिक समाचारपत्रों के मालिक हैं, महानगरों से प्रकाशित होने वाले सभी दैनिक समाचारपत्रों के 67·3 प्रतिशत परिचालन पर और समस्त दैनिक प्रेस के 31·4 प्रतिशत परिचालन पर नियंत्रण है। हमने इस मामले को प्रेस परिषद् के विचारार्थ सौंप दिया है। वे इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। इस समस्या को हल करने का एक तरीका अखबारी कागज के नियतन और विज्ञापन देने में एक सहानुभूतिपूर्ण नीति अपनाकर छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों को सुदृढ़ करना है। हम इस दिशा में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार छोटे समाचारपत्रों को सहायता देने के लिये यथासंभव प्रयास कर रही है। बड़े समाचारपत्रों में अपने विज्ञापन, जो 1966-67 में 47·7 प्रतिशत थे, 1968 में घटाकर 34·71 प्रतिशत कर दिये गये हैं तथा मध्यम और छोटे समाचारपत्रों के लिये ये 1966 में 52·3 प्रतिशत से बढ़कर 1968 में 65·29 प्रतिशत हो गये हैं।

हम भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। 1966-67 में अंग्रेजी समाचारपत्रों को हमने लगभग 45 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था, जिसे 1968-69 में 31 दिसम्बर तक घटाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया। हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के समाचारपत्रों को हमसे 1966-67 में लगभग 32 लाख रुपए के विज्ञापन मिले और 1968-69 के अन्त तक 34 लाख रुपए के विज्ञापन मिले। छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों के विकास के साथ-साथ हम चाहते हैं कि भारतीय भाषाओं में

अधिक से अधिक समाचारपत्र प्रकाशित हों, क्योंकि इनके ही माध्यम से जनता को जानकारी प्राप्त होती है।

मेरे विचार से प्रत्येक व्यक्ति देश में बढ़ती हुई इस प्रवृत्ति की निन्दा करेगा जिससे साम्प्रदायिक घृणा को बढ़ावा मिले। श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद के सम्मेलन के बाद विशेष कदम उठाये गये हैं।

इस सभा में चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, इस बात से वह सहमत होगा कि समाचार-पत्र इस प्रकार का कोई भी समाचार न छापें जिससे साम्प्रदायिक द्वेष व घृणा पैदा हो।

अखबारी कागज की स्थिति वस्तुतः खराब है क्योंकि हमारा अखबारी कागज का उत्पादन इसकी मांग से कम है। पिछले वर्ष हमें विदेशों से 1,20,000 मीट्रिक टन अखकारी कागज का आयात करना पड़ा। पेपर मिल्स से 30,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज प्राप्त हुआ।

एक परियोजना केरल में और दूसरी भाखड़ा के पास स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। इनकी स्थापना होने के बाद अखवारी कागज की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा।

छोटे तथा बीच के दर्जे के अखबारों के साथ अखबारी कागज के नियतन के मामले में भेदभाव नहीं बरता जाता बल्कि उनको प्राथमिकता दी जाती है।

नोवोस्टी के बारे में श्री इमाम ने उल्लेख किया है। इस बारे में माननीय सदस्यों के सन्देह को मैं दूर करना चाहता हूं। नोवोस्टी और प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो के बीच 1967 में एक करार हुआ था। इस करार की मुख्य बातें ये हैं :

"जहां तक नोवोस्ती से प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो को प्राप्त सामग्री का सम्बन्ध है, इसका वितरण प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो द्वारा नहीं किया जाता अपितु इसको केवल निर्देश के प्रयोजनार्थ पुस्तकालय में रख दिया जाता है।"

प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो द्वारा सप्लाई किये जाने वाले लेखों, फ़ोटो और अन्य सामग्री के बारे में नोवोस्टी ने प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो को सूचित किया है कि वह प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो द्वारा सप्लाई की जाने वाली सामग्री को नियंमित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सूचना बुलेटिनों में शामिल कर रही है।

समाचार-पत्रों के पंजीयक ने विदेशी दूतावासों द्वारा प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं सम्बन्धी प्रश्न का विस्तृत अध्ययन किया है। मैं बताना चाहूंगा कि 76 देशों में से 24 देशों ने 1968 में 103 पत्रिकायें प्रकाशित की हैं। सबसे अधिक पत्रिकायें रूस और अमरीका ने प्रकाशित की हैं। 1963 से 1967 तक विदेशी दूतावासों की पत्र-पत्रिकाओं का परिचलन 39.1 प्रतिशत बढ़ गया। 1967 में यह 5.6 प्रतिशत बढ़ा।

अभी और अध्ययन चल रहा है और जैसे ही मुझे अग्रेतर जानकारी प्राप्त होगी, मैं सभा को सूचित करूंगा ।

**Shri K. N. Tiwari :** May I know whether any study has been made about the number of our journals and periodicals being published in USSR and USA and their circulation position ?

**Shri Maharaj Singh Bharati :** How many periodicals are in free circulation ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** क्योंकि मंत्रालय भारत के विदेशी प्रचार की देखभाल नहीं करता अत: मेरे लिये आंकड़े देना कठिन है । इस विषय का अध्ययन किया जा रहा है । हम इस बात के इच्छुक हैं कि ये अध्ययन जारी रहे और हम यह जान सकें कि इस देश में कितना विदेशी प्रभाव है और हम उसका किस प्रकार मुकाबला कर सकते हैं ।

छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को सीधी सहायता देने के प्रश्न पर कुछ आशंकायें व्यक्त की गई थीं । अत: इस मामले को प्रेस परिषद को उसकी राय जानने के लिये भेजा गया था । प्रेस परिषद ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जिसका सरकार अध्ययत कर रही है । निर्णय करने के बाद मैं सभा को स्थिति से अवगत करूंगा ।

मेरे इस विचार से यहां विद्यमान सभी दल सहमत होंगे कि केवल उन्हीं समाचार-पत्रों को पनपने का मौका दिया जाना चाहिए जो समूचे देश के लिये हितकर हों ।

दिवाकर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है । इस समिति को यह सिफारिश विचाराधीन है कि छोटे समाचार-पत्रों को रेडियो पर श्रुतलेख की स्पीड से खबरें दी जानी चाहिए जिनको वे अपने समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर सकें ।

फिल्म उद्योग का देश के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है । सरकार ने वृत्ति चित्रों और छोटी फिल्लों के प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया है । पिछले वर्ष फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित 11 वृत्त चित्रों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिये गये हैं । इस वर्ष हम प्रेरक फिल्मों के निर्माण पर अधिक ध्यान दे रहे हैं । हम कृषि प्रधान फिल्में तैयार करना चाहते हैं ताकि किसानों को लाभ पहुंचे । हम इस काम में वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों का सहयोग भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं ।

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker in the Chair** ]

हम शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सम्बन्धी फिल्में भी बना रहे हैं । दिल्ली तथा अन्य स्थानों में हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि जिन स्कूलों में प्रोजैक्टर और हाल उपलब्ध हैं । हम फिल्म अधिकारी नियुक्त करें जो विशिष्ट फिल्मों के प्रदर्शन की व्यवस्था करें ताकि इन प्रोजैक्टरों का सदुपयोग किया जा सके । रविवारों को युवकों के लिये सस्ती और अच्छी फ़िल्मों की व्यवस्था करने की भी कोशिश की जा रही है ।

इस वर्ष नवम्बर अथवा दिसम्बर में हम यहां एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह भी आयोजित करने वाले हैं । फिल्म परिषद की स्थापना के लिये इस सभा के समक्ष एक विधान लाने का प्रश्न भी सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

प्रकाशन डिवीजन में इस वर्ष इस बात पर बल दिया जा रहा है कि प्रादेशिक और राष्ट्र भाषाओं तथा हिन्दी में अधिक से अधिक सामग्री का प्रकाशन किया जाये। हम अगले सप्ताह अथवा दस दिन में 'योजना' पत्रिका का तमिल संस्करण निकालने वाले हैं। हम **इण्डियन डाइजेस्ट** को समस्त भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करना चाहते हैं।

भारतीय जन संचार संस्था ने सार्वजनिक प्रचार में विशेषज्ञों को विशेषीकृत शिक्षा प्रदान करने और विशिष्ट अध्ययन करने में काफी अच्छा काम किया है।

केन्द्रीय सूचना सेवा इस मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है और इसमें ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी योग्यता और क्षमता हमारे लिये बहुत मूल्य की हैं और जिन पर हमें गर्व है। यदि उनकी सेवा की शर्तों में कुछ कठिनाई है तो हम उनकी ओर अवश्य ध्यान देंगे।

पश्चिम बंगाल के सूचना मंत्री के साथ जो हमारी वार्ता हुई थी, उसमें हमारा ध्येय यह रहा कि पश्चिम बंगाल प्रचार विभाग और इस मंत्रालय के कार्यकरण के बीच सामंजस्य होना चाहिए।

**श्री स० मो० बनर्जी** : आकाशवाणी की सलाहकार समिति के बारे में क्या रहा ?

**श्री इ० कु० गुजराल** : आकाशवाणी की प्रत्येक सलाहकार समिति को अखिल भारतीय स्तर के अनुरूप होना है। इन समितियों का सभापति राज्य का सूचना मंत्री होगा, विधान सभा के सदस्य और संसद् सदस्य और विभिन्न कार्यकलापों में 12 व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। इन समितियों की स्थापना भारत सरकार करेगी। इन समितियों के संचालन के परिणामों का अध्ययन करने के बाद इस बारे में पुनः विचार किया जायेगा।

संगीत और नाटक विभाग की स्थापना कुछ वर्ष पहिले ही हुई है। जहां इतने अधिक व्यक्ति काम करते हों, वहां तनाव की बातों का होना स्वाभाविक है। उनकी ओर ध्यान दिया जा सकता है। यह विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। श्री जार्ज फरनेन्डीज ने कुछ व्यक्तियों की कठिनाइयों की ओर मेरा ध्यान दिलाया है। मैं उनकी ओर ध्यान दे रहा हूं।

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 6 | श्री प्रकाशवीर शास्त्री | आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिन्दी की उपेक्षा। | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 7 | श्री प्रकाशवीर शास्त्री | हिन्दी में जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, उनमें ताल-मेल का अभाव । | 100 रुपये |
| 63 | 8 | श्री प्रकाशवीर शास्त्री | आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में कुछेक व्यक्तियों को ही बार-बार विशेष रूप से आमन्त्रित किया जाना । | 100 रुपये |
| 63 | 9 | श्री प्रकाशवीर शास्त्री | अब तक शक्तिशाली ट्रांस-मीटर न लगा पाना । | 100 रुपये |
| 63 | 10 | श्री प्रकाशवीर शास्त्री | समाचारों के प्रसारण में कुछ विशिष्ट विचारधाराओं को विशेष रूप से प्रोत्साहन देना । | 100 रुपये |
| 64 | 15 | श्री प्रकाशवीर शास्त्री | आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में कर्मचारियों को लाने-ले जाने वाला भारी व्यय । | 100 रुपये |
| 64 | 16 | श्री प्रकाशवीर शास्त्री | कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में किसी निश्चित नीति का अभाव । | 100 रुपये |
| 62 | 19 | श्री यशवन्त सिंह कुशवाह | हिन्दी के प्रसारण के लिये एक अलग उप-विभाग खोलने में असफलता । | 100 रुपये |
| 62 | 20 | श्री यशवन्त सिंह कुशवाह | प्रसारण सेवा में भारत-विरोधियों को बनाये रखना । | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 22 | श्री ओम प्रकाश त्यागी | जन्म-दिवस मनाने के लिये आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रीय नेताओं के चयन के विषय में पक्षपात बरतना । | 100 रुपये |
| 62 | 23 | श्री ओम प्रकाश त्यागी | विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए सशक्त प्रसारण केन्द्र खोलने में असफलता । | 100 रुपये |
| 62 | 24 | श्री ओम प्रकाश त्यागी | आकाशवाणी में विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ प्रसारण के विषय में पक्षपात करना । | 100 रुपये |
| 62 | 25 | श्री ओम प्रकाश त्यागी | संसद समीक्षा के बारे में कोई निश्चित नीति निर्धारित करने की बजाय उसको रिपोर्टरों की दया पर छोड़ना । | 100 रुपये |
| 62 | 26 | श्री ओम प्रकाश त्यागी | आकाशवाणी में हिन्दी-अंग्रेजी प्रसारण के बारे में पक्षपात । | 100 रुपये |
| 62 | 27 | श्री ओम प्रकाश त्यागी | आकाशवाणी से वेदोपदेश की उपेक्षा । | 100 रुपये |
| 63 | 28 | श्री यशवन्त सिंह कुशवाह | हिन्दी प्रसारणों को पर्याप्त समय और महत्व प्रदान करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 63 | 29 | श्री यशवन्त सिंह कुशवाह | वार्ता के लिए वक्ताओं को आमंत्रित करते समय हिन्दी के वक्ताओं के प्रति भेदभाव की नीति । | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 34 | श्री ओम प्रकाश त्यागी | आकाशवाणी के उर्दू कार्यक्रम में आकाशवाणी के स्थान पर "आल इण्डिया रेडियो" शब्दों का प्रयोग । | 100 रुपये |
| 63 | 35 | श्री ओम प्रकाश त्यागी | काश्मीर प्रसारण केन्द्र से "आकाशवाणी" के स्थान पर "काश्मीर रेडियो" शब्दों का प्रयोग किया जाना । | 100 रुपये |
| 63 | 36 | श्री ओम प्रकाश त्यागी | प्रत्येक भाषाई और राज्य-क्षेत्रीय यूनिट में रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 63 | 37 | श्री ओम प्रकाश त्यागी | भारतीय द्वीपसमूहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेडियो स्टेशन स्थापित करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 62 | 40 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे | पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत के हिन्दी समाचार-पत्रों को और पूर्वी तथा उत्तरी भारत के दक्षिणी भाषाओं के समाचार-पत्रों को और अधिक सरकारी विज्ञापन देने की आवश्यकता । | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाए |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 41 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे | सरकारी क्षेत्र में एक ऐसे निगम की जो सभी राज्यों की राजधानियों में दैनिक समाचार-पत्रों के प्रकाशन का काम सम्भाल सके, स्थापना करने के बारे में एक व्यापक अध्ययन करने के लिए "प्रेस (फोर्थ एस्टेट)" से सम्बन्धित संसद्विदों की एक समिति बनाने की आवश्यकता । | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय |
| 62 | 42 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे | छोटे समाचार-पत्रों को सस्ती दरों पर दीर्घावधि सरकारी ऋण देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता । | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय |
| 62 | 43 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे | अखवारी कागज के संगठनों द्वारा छोटे समाचार-पत्रों को अखबारी कागज उधार देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता । | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय |
| 62 | 44 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे | एकाधिकारवादियों के समाचार-पत्रों की होड़ से छोटे समाचार-पत्रों विशेष-कर जिला समाचार-पत्रों की रक्षा करने के लिए एक निश्चित नीति बनाने की आवश्यकता । | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 45 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे | समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति निर्धारित करने की आवश्यकता । | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय |
| 62 | 47 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे | आकाशवाणी केन्द्र, पणजी गोआ में कलाकारों और विद्वानों के कार्यक्रम देने के सम्बन्ध में किया जाने वाला भेदभाव । | 100 रुपये |
| 62 | 48 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे | पणजी के आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र से संसद् सदस्यों तथा गोआ विधान सभा के सदस्यों को प्रसारण के लिये न चुने जाने के बारे में पूरी-पूरी जांच करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 62 | 49 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे | श्री दादा राने तथा मिस्टर फ्रांसिस्को ल्युई गोम्स की जन्म शताब्दी के समय उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 62 | 50 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे | देश में पशुवर्ग तथा वनस्पति के चित्रों वाले डाक टिकटों की अनुक्रमिका जारी करने में असफलता । | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 51 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे | गोआ के पणजी के आकाशवाणी केन्द्र के प्राधिकारियों द्वारा बरते गये पक्षपात के विरुद्ध की गई टीका-टिप्पणियों की ओर समुचित ध्यान देने में सरकार की असफलता । | 100 रुपये |
| 62 | 52 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे | आकाशवाणी पणजी गोआ के मौजूदा कर्मचारी वर्ग विशेष रूप से गोआनी अधिकारियों को उनके द्वारा भाषाई विवाद अर्थात् मराठी और कोंकणी भाषाओं के सम्बन्ध में वाद-विवाद उत्पन्न किये जाने के कारण उनका स्थानांतरण करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 62 | 53 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे | गोआ के पणजी आकाशवाणी केन्द्र में शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 62 | 54 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे | गोआ के "दि नवहिन्द टाइम्स" "गोमन्तक" तथा "राष्ट्रमत" दैनिक पत्रों द्वारा जो कि गोआ के खान मालिकों के हैं, खनन उद्योग के सम्बन्ध में किये जाने वाले एकतरफा प्रचार को देखते हुए इन पत्रों को सरकार द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापन सम्बन्धी उसके निर्णय में संशोधन करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती का राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 55 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे | आकाशवाणी पणजी को पुर्तगाली तथा स्पेनिश भाषाओं में समाचार तथा रूपकों के प्रसारण का कार्य सौंपने की आवश्यकता । | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये । |
| 63 | 56 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे | आकाशवाणी के पणजी गोआ केन्द्र में हिन्दी में प्रसारण के लिये पर्याप्त समय देने की आवश्यकता । | राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये । |
| 63 | 58 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे | अकाशवाणी के पणजी केन्द्र में मराठी में प्रसारण के लिये कुल समय का 75 प्रतिशत समय निश्चित करने तथा उसमें से प्रसारण के लिये 25 प्रतिशत से अधिक समय न देने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 63 | 59 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे | आकाशवाणी में गोआ के कलाकारों तथा लेखकों को विशेष रूप से उन कार्यक्रमों में जो गोआ के राजनीतिक तथा समाजिक जीवन से सम्बन्धित हों, तरजीह देने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 63 | 60 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे | आकाशवाणी, के पणजी, गोआ केन्द्र को पर्याप्त धन-राशि देने की आवश्यकता ताकि वह केन्द्र गोआ से बाहर रहने वाले गोआनियों की सेवाओं का उपयोग कर सके । | 100 रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 61 | श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे | पणजी के आकाशवाणी केन्द्र को प्रथम श्रेणी के केन्द्र में परिवर्तित करने की आवश्यकता क्योंकि गोआ समस्त भारत में ललित कलाओं के केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध है। | 100 रुपये |

**Shri S. M. Joshi** (Poona) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to say that the Ministry of Information and Broadcasting is very important one. But what I see is that the Minister incharge of this Ministry is often changed. The experienced hand retires and the new Minister comes to take its charge. It is being ignored by Government. The Chanda Committee recommended that this Ministry should be turned into a Corporation. If it is not possible it should be made an autonomous body. No decision has yet been taken on this matter. In the report of this Department labour problems have been given the least attention. Labourers staff artistes transmission executives and some other categories of employees have their grievances to be redressed. The method of recruitment adopted in it is not good. The recommendations of Chanda Committee in this respect should be implemented.

Today our democracy is facing a test or challenge. To make democracy a success in India we should follow a set programme. First of all we should formulate a policy and thereafter it should be given due publicity in order to make people familier with it. But such a thing is not being done by our radio service. Here publicity is given to individuals to make them popular or great. But people often forget that greatmen are born and not made. Unless our radio service educate people about our policies, ways of their implementation and the success achieved thereby, there will be no proper utility of broadcasting service.

I want to say something about external services or broadcasts made for the people of other countries. I have been told that there are 21 languages including 6 Indian languages in which broadcasts are made for foreign countries. The time given to Sinhali, Burmi and Chinese languages is respectively 30 minutes, 15 minutes and 45 minutes. I suggest more time should be given to Chinese language and to the languages of South-East Asia. External broadcasts should be made competently and in a good and attractive manner. The work of field publicity is not being carried properly. Recently our Principal Information Officer went to border areas to make inspection of the work of field publicity alongwith some of his three or four junior officers. But what did he do there ?

In this Department those, who work in Hindi or other national languages, are required to have knowledge of English. While it is not essential to know Hindi for those who work in English,

Those who know both languages should be given preference over those who know only English. Lastly, I want to say that the dearness allowance of the employees working in All India Radio should be merged with their pay, because they are also Government servants. With these words I conclude.

**Shri Prem Chand Verma** (Hamirpur) : We should be given time and the time for it should be extended.

**श्री रणधीर सिंह** (रोहतक) : चाहे समय कम दिया जाये परन्तु हमें समय दिया जाना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा, बाद में देखेंगे । अब समय बर्बाद करने से कोई लाभ न होगा । श्री समर गुह ।

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्री और इस मंत्रालय के भूतपूर्व मंत्री श्री के० के० शाह को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने आजाद हिन्द फौज की रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण करवाया और नेताजी तथा आजाद हिन्द फौज के सम्बन्ध में 14 भाषाओं में विवरणिका निकलवाई है । वह धन्यवाद के पात्र इसलिये हैं कि उन्होंने एक गलत परम्परा को तोड़ा । गत 22 वर्षों से आकाशवाणी से नेता सुभाष चन्द्र बोस से सम्बन्धित कार्यक्रमों के प्रसारण पर प्रतिबन्ध लगा था । इस सम्बन्ध में मेरा यह अनुरोध है कि सरकार नेताजी के वे भाषण जो उन्होंने आजाद हिन्द फौज के जमाने में दिए थे, सुरक्षित रखें तथा नेताजी पर वृत्त चित्र बनाये । इसके लिए सामग्री जापान और जर्मनी के सरकारी संग्रहालयों से ली जा सकती है । नेताजी और आजाद हिन्द फौज से सम्बन्धित अनेक दस्तावेज और वृत्त चित्र वहां से मिल सकते हैं । जो दस्तावेज वहां से मिल सकते हैं, जो वहां से प्राप्त हों, उन्हें प्रकाशन द्वारा प्रकाशित करवाया जाना चाहिए ।

आकाशवाणी एक ऐसा साधन है जिससे जनमत तैयार किया जा सकता है या राष्ट्र को रचनात्मक कार्य के लिए तैयार किया जा सकता है । दुर्भाग्य से इस साधन का ठीक से सदुपयोग नहीं किया जा रहा है ।

मनोवैज्ञानिकों का यह कथन है कि युवा मस्तिष्क पर नेत्रों और कानों के माध्यम से अधिक प्रभाव पड़ता है । आजकल पश्चिमीय आदर्श के जो गन्दे किस्म के चलचित्र हमारे यहां दिखाये जाते हैं, उनसे युवक पीढ़ी पर दुष्प्रभाव पड़ता है । आज छात्रों में जो अशान्ति व्याप्त है, उसका कारण यही है । इस बात से विश्वविद्यालय के उपकुलपति और प्रोफेसर सभी चिन्तित हैं । सरकार का ध्यान भी इस ओर गया है । इस सम्बन्ध में संसद् सदस्यों का मत जानने के लिए उनके पास एक प्रश्नावली भेजी गई थी । मेरा यह अनुरोध है कि रेडियो और सिनेमा के माध्यम से पशुता के स्थान पर मानवता का प्रचार किया जाये । जब तक सरकार द्वारा चलचित्रों का ठीक से सेंसर नहीं किया जायेगा तब तक उनसे इसी प्रकार के खतरे पैदा होते रहेंगे । मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह ऐसा कार्य करे जिससे बच्चों के लिए ऐसे चलचित्र और रेडियो कार्यक्रम तैयार किये जायं जिनसे उनके मस्तिष्क पर शुभ प्रभाव पड़े । उनमें सांस्कृतिक चेतन का उद्रेक हो और राष्ट्र के प्रति उनका दृष्टिकोण रचनात्मक हो ।

सरकार रूस की सहायता से 2 लाख रुपये लागत से 'ब्लैक माउन्टेन' नामक एक चल-चित्र बच्चों के लिए बनवाना चाहती है। परन्तु उस चित्र में भारत को महाराजाओं, हाथियों और चीतों और निर्धन गांवों का देश चित्रित किया गया है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि उस चित्र को नष्ट कर दिया जाये क्योंकि ऐसे चित्र से बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बम्बई में एक बाल चलचित्र सोसायटी है। उसका प्रतिवेदन देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ। इस सोसायटी को 35 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है जिसका 50 प्रतिशत प्रशासनिक व्यवस्था पर खर्च कर दिया गया है। उसके हिसाब खाते में अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं। उसके एक कर्मचारी श्री जैन ने 20,000 रुपये के मूल्य के प्रोजेक्टरों का गबन किया था परन्तु उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

मंत्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रकाशन विभाग और विज्ञापन विभागों ने सभी भारतीय भाषाओं पर एक समान ध्यान नहीं दिया है। हिन्दी में विज्ञापनों पर 6.4 लाख रुपये खर्च किये गये जबकि 13 लाख रुपये अन्य 13 भारतीय भाषाओं में दिये गये विज्ञापनों पर खर्च किये गये। प्रकाशन विभाग ने कुल 96 प्रकाशन निकाले जिनमें से 38 हिन्दी में थे और 58 अन्य 13 भारतीय भाषाओं में। विविध भारती कार्यक्रम के बारे में भी शिकायतें आ रही हैं कि वहां से अधिकतर हिन्दी के गाने प्रसारित किये जाते हैं और अन्य भारतीय भाषाओं के कम। पश्चिमी बंगाल में प्रसारणों की स्थिति शोचनीय है। उसमें सुधार के लिए सरकार द्वारा एक समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए।

**Shri Prem Chand Verma** (Hamirpur): Mr. Speaker, Sir, I support the demands of the Ministry of Information and Broadcasting. I congratulate Shri K. K. Shah the former Minister of this Ministry, because he brought about a number of reforms in this Department. I hope Shri Satya Narain Sinha and Shri Gujaral will follow his foot steps as the policy followed by the former Minister was good.

I have got a report of this Ministry. On page 149 there is a difference of 20,000 in calculations. It is not good. Another point I would like to mention is that a number of publications remain unsold and they were treated as wastepapers. It has been stated in the P.A.C. report also that "the departments concerned do not give adequate publicity regarding availability of publications." Government should see in the matter of publications and the expenditure thereon.

While giving loans or assistance to news agencies like P.T.I. and U. N. I. etc. discrimination should not be made. Simultaneously giving of aid should conform to our national policy. Moreover I would like to know the budget allocations made for 1965-66, 1966-67 and 1967-68 for advertisements, and the amount actually spent out of the allotted money every year? Government should be sympathetic to small newspapers so that they may go on working. More attention should be paid to newspapers of Indian languages. Till now more attention is being paid to the newspapers of English language.

I would like to make some suggestions. D. A. V. P. and Information Bureau should be organised and run on new pattern. The decisions of the Registrar of Newspapers and the Minister of Information and Broadcasting should be final in matters relating to the Press. No other Ministry should be allowed in the matter. There are 26 Committees in the Ministry at present. Their number should be reduced as much as possible. Thank you.

**Shri Randhir Singh** (Rohtak): Sir, first of all I offer my thanks to the Minister of Information and Broadcasting as he gave a news about opening an All India Radio Station at Rohtak. Moreover I want to give some suggestion in regard to the programmes which are broadcasted from All India Radio. In agricultural programmes more scientists should be invited to give lectures on new varieties of seeds and on other matters relating to agriculture. The time of Panchayati Programme should be extended from 40 minutes to 60 minutes. Such programmes should be broadcasted more frequently as will help in eradicating the untouchability. In programme meant for soldiers only heroic songs should be relayed to boost their morale. Our propaganda should counteract fully the propaganda programme of China. In light and sound programme played at Red Fort should include the name of Neta Subash Chandra Bose and his I.N.A. I hope the Minister will pay attention to what I suggested.

**Shri Achal Singh** (Agra): Sir, I want to suggest that obscene films and songs should not be allowed to be screened and sung, because they are damaging the character of people in our country. Instead films and songs full of patriotic and national feelings should be allowed. I also want that an All India Radio Station should be opened at Agra.

**Shri Prakash Vir Shastri** (Hapur): Sir, I want to know whether the English broadcasts are still prepared by B.B.C. Secondly, I want to know why the All India Radio Station at Srinagar broadcasts 'this is Radio Kashmir' while the other stations all over India broadcast as 'this is All India Radio.'

I would like to know whether the discrimination shown in giving loan to news agencies—like P.T.I., U.N.I,, Samachar Bharati and Hindustan Samachar conform to the policy of giving encouragement to Indian languages.

Is there any fixed policy to select news for broadcast ? Sir, the extracts of the speech delivered by you in Rotary Club were broadcasted in morning news bulletin. Some Officer of A. I. R. objected to it and thereafter the extracts of the speech were not included in any other newsbulletin. Is it fair on their part ?

In 1962 it was assured that a separate unit for Hindi programmes and broadcasts will be set up. That scheme has been cancelled in the name of economy, while the new recruitment is being made on English side. There is only one correspondent present here to report Hindi speeches made in Lok Sabha while there are 11 correspondents to report English speeches. How long will continue this favouritism ?

**Shri George Fernandes** (Bombay South): We want Government to explain the circumstances in which the script of Hon. Speaker's speech was cut down.

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): जिस अधिकारी ने ऐसा करवाया है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

**श्री इ० कु० गुजराल :** मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। परन्तु मेरा विचार है कि विभाग के किसी अधिकारी में इतना साहस नहीं है कि वह आपका या सभा का अपमान करे। फिर भी इस मामले में जांच की जायेगी।

बाल चलचित्र सोसायटी के हिसाब-किताब पर लोक लेखा समिति ने टिप्पणी की है। उसके अनुसार कुछ मामलों की जांच करवाई गई है। 'दी ब्लैक माउन्टेन' नामक चलचित्र का भी जिक्र किया गया है। यह चलचित्र एक रूसी निदेशक श्री जगुरिदी के निदेशकत्व में मैसूर में फिल्माई जा रही है। इस चलचित्र का मुख्य आशय हाथियों के झुंड के माध्यम से एक जाति के संयम और निष्ठा का प्रदर्शन करना है। यह कोई नई बात नहीं है हमारे पंचतंत्रों में भी पशु-पात्रों के माध्यम से कहानियां कही गई हैं। ऐसा करना हमारे राष्ट्रीय जीवन के विरुद्ध नहीं है। इससे जो आय होगी वह उक्त सोसायटी को दी जायेगी।

---

## संविधान (संशोधन) विधेयक
## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
### अनुच्छेद 39 (1969 का 33वां विधेयक)

**Shri Om Prakash Tyagi** (Moradabad) : Sir I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**Shri Om Prakash Tyagi :** Sir, I introduce the Bill.

---

## संविधान (संशोधन) विधेयक
## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
### अनुच्छेद 39 में संशोधन (1969 का 32वां विधेयक)

**Shri Om Prakash Tyagi :** Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि संविधान में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

**Shri Om Prakash Tyagi :** Sir, I introduce the Bill.

## पहचान-पत्र विधेयक
## IDENTITY CARD BILL

**Shri Maharaj Singh Bharati** (Meerut): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the issue of identity cards to all the voters.

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सभी मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**Shri Maharaj Singh Bharati**: Sir, I introduce the Bill.

---

## संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक
## SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

**Shri P. L. Barupal** (Ganganagar): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954.

**अध्यक्ष महोदय** : निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं बड़े दुख के साथ इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विरोध कर रहा हूं। श्री बारुपाल तथा अन्य सदस्य मुझे गलत न समझें। जो समिति इस प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी उसके प्रतिवेदन के साथ हमारे दल के प्रतिनिधि श्री वासुदेवन नायर की विमति की टिप्पणी भी जुड़ी है। श्री बारुपाल ने विधेयक के 'उद्देश्य और कारण विवरण' में समिति की सिफारिशों का तो उल्लेख किया है परन्तु विमति की टिप्पणियों का उल्लेख नहीं किया गया है।

मेरे विचार से संसद सदस्य को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो उनके कर्त्तव्य-निर्वाह के लिए नितान्त अपेक्षित हों। यह भी आश्वासन दिया गया था कि इस सम्बन्ध में कोई भी कानून समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों के आधार पर बनाया जायेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस समय पूरे ब्योरे में न जायें।

**श्री स० मो० बनर्जी** : श्री बारुपाल का कहना है कि संसद सदस्य को 'ए' टाइप का बंगला, नौकरों के लिए क्वाटर और गैराज दी जानी चाहिये। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि संसद् सदस्य को एक ऐसा पास दिया जाये जिसके आधार पर वह अपने राज्य की किसी भी बस में किसी समय यात्रा कर सके। कुल मिलाकर मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : इस समय मैं इस पर वाद-विवाद करने की अनुमति नहीं दूंगा। अब मैं इसे सभा में मतदात के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

मेरे विचार से प्रस्ताव के पक्ष में मत अधिक हैं।

**कुछ माननीय सदस्य** : इसके विपक्ष में मत अधिक हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मत विभाजन के लिये दीर्घाएं खाली करवाई जायें। अब दरवाजे बन्द किये जा चुके हैं। प्रश्न यह है :

"संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में आगे संसोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ**

**The Lok Sabha divided**

**पक्ष में** 84; **विपक्ष में** 19

Ayes 84 ; Noes 19

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**श्री प० ला० बारुपाल** : श्रीमान् मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

## उच्चतम न्यायालय के अपीलीय (आपराधिक) क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक

## ENLARGEMENT OF THE APPELLATE (CRIMINAL) JURISDICTION OF THE SUPREME COURT BILL

**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री मुल्ला के उपरोक्त विधेयक पर विचार किया जायेगा। श्री मुल्ला अपना भाषण पूरा करें।

[ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy-Speaker in the Chair** ]

**श्री आनन्द नारायण मुल्ला** (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए हर्ष हो रहा है क्योंकि इसमें यह प्रयास किया गया है कि भारत के नागरिकों को वे स्वतंत्रताएं या अधिकार प्राप्त हो जायें जो संविधान द्वारा उन्हें दी गई हैं परन्तु दुर्भाग्य से जो शासक दल द्वारा उनसे छीन ली गई हैं। इससे न केवल विधि-शासन की स्थापना होगी, अपितु इस देश के लाखों गूंगे लोगों के अधिकार दिलाने का पुण्य भी इससे कमाया जा सकेगा। यह

विधेयक एक कसौटी का काम भी करेगा जिसके आधार पर यह आंका जा सकेगा कि शासक दल नागरिकों को स्वतंत्रता देने में विश्वास करता है या नहीं ।

न केवल विदेशी आक्रमण से स्वाधीनता को खतरा पैदा होता है, बल्कि लोगों के अधिकारों को कम करने वाली विधि-व्यवस्था से स्वतंत्रता को अधिक खतरा उत्पन्न होता है। उनके अधिकार इस चतुराई से छीने जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलने दिया जाता । अब मैं, हमारे देश में जो विधि-व्यवस्था इस समय वर्तमान है, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं ।

वर्ष 1947 में दंड प्रक्रिया संहिता में धारा संख्या 417 थी जिसके अधीन राज्य को विमुक्ति के विरुद्ध अपील करने का हक दिया गया था । परन्तु मेरा अनुभव है कि राज्य इस का अधिकार प्रयोग विरल स्थितियों में ही करता था । पहले आम चुनाव के पश्चात् 1955 में इसमें संशोधन किया गया और उक्त धारा में 'किसी भी मामले में' शक जोड़ दिये गये । इस संशोधन के बाद से प्रत्येक विमुक्ति के मामले में राज्य द्वारा अपील की जाती है । अधिकतर मामलों में पुलिस और वादी में एक गुप्त समझौता हो जाता है और पुलिस अपने उच्च अधिकारियों द्वारा राज्य को अपील करने के लिए मना लेती है । सरकार द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया जाता, कि वास्तव में मामला अपील करने योग्य है या नहीं । पहले तो विमुक्ति का आदेश प्रायः अन्तिम समझा जाता था । परन्तु उपरोक्त संशोधन के बाद तो लगभग प्रत्येक विमुक्ति के मामले में राज्य द्वारा अपील की जाती है ।

यदि ब्रिटेन, अमरीका अथवा यूरोप के किसी अन्य देश के कानून को देखें तो पता लगेगा कि उनके कानून में दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध अपील करने की बहुत कम गुंजायश है । हमारे विधि आयोग का यह कहना कि प्रीवी काउंसिल की प्रक्रिया को इस दिशा में लागू करने में कोई गलती नहीं है, तर्कहीन है । वह यह बात भूल गये कि ब्रिटेन के कानून में तथ्यों के निष्कर्ष एक जज द्वारा नहीं बल्कि जूरी द्वारा निकाले जाते हैं । मैं विश्वास करता हूं और सब इस बात से सहमत होंगे कि लोकतंत्रात्मक ढांचे में अपराधी के लिए उचित परीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए । अन्यथा ऐसा न करने का अर्थ यह होगा कि हम सभ्य राज्य के रूप में काम नहीं कर रहे हैं ।

अपने आपकी रक्षा करने का अवसर एक मानवीय अधिकार है। जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार, 1450 का मांग पत्र स्वीकार किया गया था तो उसमें स्वयं की रक्षा को मूल अधिकार समझा गया था । अतः हमें यह देखना है कि क्या देश के विद्यमान कानून में हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है अथवा नहीं ।

अपनी रक्षा करने के अधिकार में अपीलीय अवस्था में अपनी रक्षा करने का अधिकार भी शामिल है । जांच की परिमापण में केवल जांच न्यायालय ही नहीं बल्कि अपीलीय न्यायालय भी शामिल है । अपीलीय न्यायालय में और आगे जांच होती और इस प्रकार अपील में भी तथ्यों की सुनवाई होती है । अतः रक्षा का अधिकार जहां जांच न्यायालय में दिया जाता है वहां यह अधिकार अपीलीय न्यायालय में भी दिया जाता है ।

यह एक बहुत ही असाधारण बात है कि जिस व्यक्ति को जांच न्यायालय के आदेशों को रद्द करके प्रथम बार आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाता है उसको बड़े न्यायालय में अपील करने के अधिकार से वंचित रखा जाता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि यह अधिकार इस कारण नहीं दिया जाता क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास बहुत अधिक काम होता है। अतः उनके पास और काम भेजना ठीक नहीं है। परन्तु यह तर्क उच्च न्यायालयों के बारे में भी दिया जा सकता है। उनके पास भी बहुत अधिक काम होता है। अतः जांच न्यायालयों द्वारा उनके पास और अधिक काम नहीं भेजा जाना चाहिए।

अपराधी के अपीलीय अधिकार को बढ़ाने के लिए विधि आयोग ने दो कारण दिये हैं। एक के बारे में अर्थात् प्रीवी काउंसिल की प्रक्रिया के बारे में मैं पहले ही अपनी बात कह चुका हूं। आयोग द्वारा दूसरा कारण यह बताया गया है कि हमें उच्च न्यायालय के महत्व की रक्षा करनी है और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी प्रतिभा में कमी हो। मेरा निवेदन है कि ऐसा लोगों के मूल अधिकारों को खत्म करके नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की प्रतिभा के बचाव के लिए हमें लोगों के अधिकारों का बलिदान नहीं देना चाहिए। अतः लोगों के प्रतिनिधियों अर्थात् हम सब पर यह जिम्मेदारी आती है कि हम लोगों के अधिकारों को प्राथमिकता दें। संविधान का अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में अपील के बारे में है और संविधान का ही अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में अपील करने के बारे में है। अनुच्छेद 133 के अन्तर्गत पीड़ित पार्टी को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है यदि इस मामले में 20,000 रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त हो। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि एक व्यक्ति 20,000 रुपये के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है परन्तु वह 20 वर्ष के कारावास के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकता। हम लोगों को इस भेदभाव का विरोध करना चाहिए। यदि संविधान के दोनों अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ा जाये तो ऐसा लगेगा कि हम उस व्यक्ति की रक्षा करना चाहते हैं जिसकी सम्पत्ति को खतरा हो परन्तु उस मामले में हम रक्षा करना नहीं चाहते जिनमें उच्च न्यायालय ने गलती की हो।

**श्री गोविन्द मेनन** : उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय को अपील की जाती है।

**श्री आ० ना० मुल्ला** : इस प्रकार के मामलों में अभियुक्त सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकता क्योंकि दण्ड विधि के अन्तर्गत अपराधी को सन्देह का लाभ दिया जाता है। जब उच्च न्यायालय दोषसिद्धि का आदेश पास करता है तो उसके पास दो तरीके होते हैं—एक तो यह कि वह लोअर न्यायालय के आदेश की पुष्टि करता है अथवा दूसरा यह कि उसके द्वारा दोषमुक्ति के आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। अतः ऐसे निर्णय को अन्तिम नहीं समझा जाना चाहिए, और बड़े न्यायालय में अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

**श्री गोविन्द मेनन** : मैंने यह कहा था कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 का उल्लेख इस मामले से सम्बन्धित नहीं है। इसके अन्तर्गत दोषमुक्ति के मामलों में उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है परन्तु सर्वोच्च न्यायालय में नहीं।

**श्री आ० ना० मुल्ला** : ऐसा लगता है कि हम दोनों इस मामले पर सहमत नहीं हो सकते अथवा एक दूसरे को समझ नहीं सकते। एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी एक मामले में दोनों न्यायालय एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे तो उस मामले को समाप्त समझा जाना चाहिए क्योंकि न्यायालय द्वारा गलती होने की आशंका है परन्तु यदि दोनों न्यायालय एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे तो इसमें गलती होने की सम्भावना लगभग नहीं के बराबर होती है। परन्तु धारा 417-2 के अन्तर्गत राज्य को न केवल जांच न्यायालय बल्कि अपीलीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध भी अपील करने का अधिकार है। अतः जहां तक राज्य का सम्बन्ध है यदि दोनों न्यायालय इस प्रकार के एक ही निष्कर्ष पर भी पहुंच जाते हैं कि अपराधी के विरुद्ध मामला सिद्ध नहीं हुआ तो भी वह अपील कर सकता है।

जहां तक अमरीका के कानून का सम्बन्ध है वहां यह विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। आमतौर वहां पर कई राज्यों में दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का अधिकार नहीं है परन्तु कुछ राज्यों में यह अधिकार विद्यमान है। परन्तु ऐसी अपीलें बहुत कम दायर की जाती हैं। हमारे देश में भी यदि इस प्रकार की अपीलें बहुत कम हों तो सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान संख्या इन अतिरिक्त अपीलों का निपटान कर सकता है। मैं उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं। परन्तु यह कहना कि उच्च न्यायालय गलती नहीं कर सकता गलत है। लोगों के स्वतंत्रता के हित में एक अन्य उच्चत्तर न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। जिस किसी मामले में दो न्यायालयों के निष्कर्ष पृथक-पृथक हों उनके लिए तीसरा न्यायालय होना चाहिए जिसमें तथ्यों की सुनवाई हो सके तथा इस बात का फैसला हो सके कि क्या मामला है अथवा नहीं।

**श्री नि० चं० चटर्जी** (बर्दवान) : संविधान के अनुच्छेद 134 के खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील की जा सकती है। परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील करने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को उच्च न्यायालय से इस आरोप का प्रमाणपत्र लेना पड़ेगा कि यह सर्वोच्च न्यायालय में में अपील करने के लिए उचित मामला है। जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री मुल्ला ने कहा खण्ड (ग) न्याय के सिद्धान्तों के असंगत है। अतः सम्बन्धित व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का सीधा अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1950 में एक निर्णय में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय आमतौर आपराधिक मामलों में अपील करने की विशेष अनुमति नहीं देगा जब तक उसके लिए विशेष तथा असाधारण परिस्थितयां न हों यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। इस मामले पर सभा को सावधानी से विचार करना चाहिए। यदि जांच न्यायालय का जज अपराधी को साक्ष्य सुनने के बाद दोषमुक्त कर देता है और अपीलीय न्यायालय जिसने कि साक्ष्य को देखा नहीं अथवा सुना नहीं पृथक निष्कर्ष पर पहुंचता है तो क्या हमें उसके निर्णय से संतुष्ट हो जाना चाहिए ? मेरे विचार में इसके लिए और बड़े न्यायालय में अपील करने का अधिकार देना चाहिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के अनुसार सरकारी अभियोजक दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। अत: मेरे माननीय मित्र ने जो कुछ कहा वह बहुत सीमा तक ठीक है।

इंग्लैण्ड में दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसी प्रथा है। परन्तु अब समय आ गया है जबकि हमें इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

चुनाव सम्बन्धी मामलों से भी सर्वोच्च न्यायालय पर बोझ बढ़ा है। परन्तु इसका यह अथ नहीं कि इसको चुनाव सम्बन्धी और मामले न भेजे जायें। केवल यही कहा गया है कि खण्ड (ग) में उचित संशोधन किया जाये और आजीवन कारावास तथा दस वर्ष अथवा इससे अधिक वर्षों के कारावास के लिए प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए। मेरे विचार में यह बहुत अच्छा सुझाव है और हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए।

**श्री हनुमन्तय्या** (बंगलौर) : मैं वादकारी की स्थिति के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में आने के लिये जो प्रक्रिया अपनानी पड़ती है हमें उस पर विचार करना चाहिए। मैं न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता का चाहे वे उच्च न्यायालय के हों अथवा सर्वोच्च न्यायालय के मैं उनकी स्वतन्त्रता का बहुत सम्मान करता हूं परन्तु हमारे यहां ऐसी पद्धति है कि मुवक्किल को भारत के सभी भागों से दिल्ली में आना पड़ता है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उसको यात्रा तथा दिल्ली में ठहरने पर कितने रुपये खर्च करने पड़ते होंगे। इसके बाद मुवक्किल को दो प्रकार के वकील करने पड़ते हैं एक वरिष्ठ वकील तथा दूसरा रिकार्ड का विधिवक्ता। इसी प्रकार दोनों को शुल्क भी देना पड़ता है। आजकल सर्वोच्च न्यायालय के वकील का शुल्क लगभग 1,000 रुपये प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त रिकार्ड को मुद्रित कराना पड़ता है। इस प्रकार एक मामले पर बहुत अधिक रुपया खर्च करना पड़ता है। मुवक्किल इसको वहन नहीं कर सकता। उसको अपनी सम्पत्ति को गिरवी रखना अथवा बेचना पड़ता है। हमारे यहां एक कहावत है कि कचहरी से जो विजय प्राप्त कर लेता है वह पराजित के समान ही होता है और पराजित व्यक्ति वृत के समान। अत: यदि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर दिया जाता है तो इसके वकीलों आदि को ही लाभ होगा और न्यायाधीशों को यह संतोष होगा कि उनका क्षेत्राधिकार बढ़ गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुकदमेबाजी की लागत के अतिरिक्त जैसा कि श्री चटर्जी ने कहा राज्य को अपील करने की अनुमति दी जाती है जबकि निजी व्यक्ति को इससे रोक दिया जाता है। अत: यह सिद्धान्त का प्रश्न है।

**श्री हनुमन्तय्या** : प्रश्न केवल सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। यदि इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया जाता है और मुवक्किलों को और अधिक धन व्यय करना पड़ेगा। मैं

प्रक्रिया की तकनीक मैं नहीं जाना चाहता । अतः हमें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित करना चाहिए और अपीलों की संख्या को भी कम करना होगा । न्याय प्रभावशाली अथवा उचित ढंग से तभी किया जा सकता है यदि इसको शीघ्र किया जाय तथा घटनास्थल के निकट किया जाये । अन्यथा सैद्धान्तिक बातों पर अधिक विचार किया जायेगा ।

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार एक औपचारिकता है जिससे कानून की बारीकियों आवश्यकताएं ही पूरी होंगी । परन्तु इससे मुवक्किल को कोई लाभ नहीं होगा । वास्तव में हमें ऐसी न्यायिक पद्धति बनानी चाहिए जिसमें एक ही बार जांच हो और एक ही बार अपील हो । मैं चाहता हूं कि जहां तक सम्भव हो मुकदमेबाजी की भावना को उच्च न्यायालय तक ही सीमित रखा जाये । यदि कोई अनुसंतुलन राज्य के पक्ष में है तो उसमें कटौती की जानी चाहिए न कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाना चाहिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसमें एक मूल सिद्धान्त का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिये राज्य के अधिकार तथा नागरिक के अधिकार में कुछ विभेद है । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने विचार इसी बात तक सीमित रखें ।

**श्री कृ० मा० कौशिक** (चन्दा) : मैं श्री मुल्ला द्वारा प्रस्तुत विधेयक का तथा उनके तथा श्री चटर्जी द्वारा दिये गये तर्कों का समर्थन करता हूं । हम इस समय इस बात पर विचार नहीं कर रहे कि मुकदमेबाजी पर कितनी लागत आती है अथवा मुवक्किल इसको वहन कर सकता है अथवा नहीं । मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 134 के अन्तर्गत मामले विशेष में ही अपील करने का अधिकार है । केवल मृत्यु दण्ड के मामले में ही अपील की जा सकती है । परन्तु दस वर्ष के कारावास के मामले में अपील करने का अधिकार क्यों नहीं है । दस वर्ष के कारावास का अर्थ है कि व्यक्ति को धीरे-धीरे मरने को कहा जाता है । यह तो मृत्यु दण्ड से भी बुरा दण्ड है । अतः मेरा निवेदन है कि आजीवन कारावास अथवा दस वर्ष के कारावास के मामलों में भी अपील की अनुमति दी जानी चाहिए । इस विधेयक में भी थोड़ी-सी उदारता होनी चाहिए । इस विधेयक के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं ।

**श्री रणधीर सिंह** (रोहतक) : मेरे माननीय मित्र श्री मुल्ला ने इस विधेयक को प्रस्तुत करके 'बैंच' और 'बार' तथा मुकदमों से सम्बन्धित लोगों की बड़ी सेवा की है । मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मामूली दण्ड पाने वाला अपराधी तो अपील कर सकता है परन्तु वह व्यक्ति जिसको उच्च न्यायालय द्वार दस वर्ष का दण्ड दिया जाता है वह अपील नहीं कर सकता । यह एक अनुचित बात है और लोगों को समान अवसरों से वंचित करना है । हमारे कानून में यह एक गम्भीर त्रुटि है ।

हमारा प्रगतिशील समाज है । ब्रिटिश कानून को भारत की परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता । ब्रिटेन में 'जूरी' द्वारा जांच की जाती है जबकि भारत में जांच का काम न्यायाधीश द्वारा किया जाता है । दूसरी बात यह है कि यह प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय समानता तथा अच्छी अंतर्भावना के सिद्धान्तों के संगत नहीं है ।

स्वयं संविधान में व्यक्ति को अपनी रक्षा का अधिकार दिया गया है, अपराधी अपनी रक्षा स्वयं अथवा वकील द्वारा कर सकता है । यदि सत्र न्यायालय से मामला वापस ले लिया जाता है अथवा सत्र न्यायालय द्वारा मामला समाप्त कर दिया जाता है तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है । और यदि उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि कर दी जाती है तो ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती जबकि दण्ड आजीवन कारावास का होता है । हमें इस स्थिति पर ध्यान देना है ।

लोग राज्यों में जांच अभिकरणों के कर्मचारियों से षडयन्त्र करके किसी प्रकार उच्च न्यायालय में अपील दायर करने से सफल हो जाते हैं । इस प्रकार उच्च न्यायालयों में अपीलों की संख्या बढ़ती जाती है । इस प्रकार जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है । यदि किसी निर्दोष व्यक्ति की दोषसिद्धि हो जाती है तो यह हजार बन्दियों को जेल से मुक्त करने से भी बुरा है ।

श्री मुल्ला ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि हमारे कानून में स्वतन्त्रता से सम्पत्ति अधिक महत्वपूर्ण है । आजीवन कारावास का दण्ड पाने वाले व्यक्तियों को अपील करने का कोई अधिकार नहीं है । इसमें निश्चय ही विचार यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को एक साधारण अपीलीय न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता । परन्तु मेरा कहना है कि लोगों की मूल स्वतन्त्रतां सर्वोच्च न्यायालय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और नागरिकों को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए उसके लिये हमें सर्वोच्च न्यायालय में चाहे कितने ही न्यायाधिपति क्यों न नियुक्त करने पड़ें ।

मैं श्री मुल्ला द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का पूरी तरह समर्थन करता हूं । यदि आप आवश्यक समझें तो आप इस विधेयक को प्रवर समिति को भी सौंप सकते हैं अन्यथा लोगों की राय जानने की प्रक्रिया बहुत लम्बी है । इसका अर्थ विधेयक को पास करने में विलम्ब करना ही हो सकता है । मैं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों तथा विधि मंत्री से इस विधेयक पर पुनः विचार करने की अपील करूंगा । यह न केवल स्वयं संविधान में बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया में भी त्रुटि है । इससे देश के नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है ।

**श्री हुमायून कबिर** (बसिरहाट) : मैं भी श्री मुल्ला के विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं । उन्होंने दो बातों को पूर्णतया स्पष्ट करके कहा है, पहली बात यह कि राज्य तथा नागरिकों को दिये गये अधिकारों में विभेद है । राज्य तो अपील कर सकता है जबकि सम्बन्धित

मामले में दो बार पहले ही अपील की गई है। इसके बावजूद राज्य सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील दायर कर सकता है। परन्तु किसी नागरिक को यह अधिकार नहीं है। यह स्पष्ट विभेद है। दूसरे हमारे कानून में मानव स्वतन्त्रता से अधिक मानव सम्पत्ति की अधिक चिन्ता है।

श्री हनुमन्तय्या ने इन बातों में से किसी एक बात का भी उत्तर नहीं दिया है। यदि किसी व्यक्ति को आजीवन अथवा दस वर्ष का कारावास दे दिया जाता है तो जीवन मृत्यु के ही समान है। लगभग 170 वर्ष पूर्व मिर्जा अब्दुल अली खां ने कहा था कि एक समय था जबकि सारे विश्व में न्यायाधीशों को मुकदमेबाजों द्वारा भुगतान किया जाता था। शेक्सपीयर के लेखों से पता लगता है कि किस प्रकार न्यायाधीश धन लेकर एक अथवा दूसरे पक्ष के साथ मिल जाया करते थे, इस प्रकार राज्य ने महसूस किया कि न्यायाधीशों को सरकार द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। 1793 ई० में उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि वकीलों को भी सरकार द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। इससे हनुमन्तय्या की बात का उत्तर आ जाता है। परन्तु बात यह है कि कोई भी किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिये मजबूर नहीं कर रहा है। यह तो केवल एक व्यक्ति को यदि वह समझे कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार दिया जा रहा है। किसी को इस अधिकार से वंचित रखना न्याय के साथ धोखा करना होगा। मैं माननीय विधि मंत्री से अपील करूंगा कि वह इस अवस्था में भी, यदि सम्भव हो, तो इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। मैं ऐसे विधेयक को तुरन्त पास करने के पक्ष में नहीं हूं। इसको प्रवर समिति को भेजने के सिद्धान्त को मान लिया जाना चाहिए।

**Shri Rabi Ray** (Puri) : I also whole heartedly support Shri Mulla's Bill. There was no substance in the arguments put forward by the hon. Law Minister. Shri Mulla has raised very pertinent question. It is a question of the rights of individual on the one hand and the right of the State to appeal on the other hand.

The Constitution makers were more concerned about the property than the human liberty because they were big lawyers. I congratulate Shri Mulla who in this Bill has highlighted this point also.

A strange argument has been given by the Law Commission that if this right to appeal in the Supreme Court is given to the people, it will be burdened. I would say that the members of the Law Commission should have thought for the liberties and rights of the people than the burben of the Supreme Court. I would appeal to the hon. Law Minister to have a second thought over this Bill. He should agree to refer this Bill to Select Committee.

**श्री तेन्नेटि विश्वनायम** (विशाखापत्तनम) : अपराध में राज्य को ही पीड़ित पक्ष माना गया है इसीलिए दाण्डिक कानून उसके कुछ अधिक पक्ष में है। यही कारण है कि राज्य को कुछ मामलों में निजी व्यक्तियों की अपेक्षा अपील करने का अधिक अधिकार दिया गया है। यही कारण है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की शब्दावलि इस प्रकार की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपील का अधि-

कार बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हमारे संविधान में दिया गया है। जहां तक अपराधिक मामलों का सम्बन्ध है, हमने भारत सरकार के पुराने अधिनियमों और प्रक्रियाओं तथा प्रीवी काउंसिल द्वारा दिये गये निर्णयों की नकल ही की है। प्रीवी काउंसिल में अपराधिक अपीलों को नहीं लिया जाता, इसी कारण इस प्रक्रिया को यहां पर भी सर्वोच्च न्यायालय पर लागू कर दिया गया।

जैसा श्री मुल्ला द्वारा बताया गया है कि लोगों को यह अधिकार न दिये जाने के लिये यह कारण बताया गया है कि इससे उच्च न्यायालयों की गरिमा समाप्त हो जायेगी। परन्तु अवमूल्यन के इस समय में 20,000 के मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने से इसकी गरिमा नष्ट नहीं होगी। मालाबार अथवा आन्ध्र प्रदेश में दो एकड़ भूमि का मूल्य 20,000 रुपये हो जाता है। 20,000 रुपये की सम्पत्ति के लिये तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है परन्तु एक नागरिक को अपराधिक मामले में इस अधिकार से वंचित रखा गया है। इस विभेद में कोई सारभूत सिद्धान्त नहीं अपनाया गया है। अब परिस्थितियां बदल रही हैं। सम्पत्ति के साथ-साथ मानव की स्वतंत्रता भी मूल्यवान है।

केवल मृत्यु दण्ड के मामले में ही कोई नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। श्री मुल्ला ने इस अधिकार को बढ़ाने का प्रयास किया है न कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को। अतः इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका माननीय विधि मंत्री को विरोध करना चाहिए। इस विधेयक को तुरन्त रद्द नहीं कर देना चाहिए। इसको प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। संभ्य समाज में किसी नागरिक को ऐसे अधिकार से वंचित रखना शोभा नहीं देता। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** (परभणी) : श्री मुल्ला द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। श्री मुल्ला ने यह विधेयक लाकर वास्तव में दण्ड विधि की शानदार सेवा की है।

हमारे संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार देने में बड़ी उदारता दिखाई गई है और उनको एक विशेष अध्याय में रखा गया है। राज्य के विरुद्ध इनको लागू करने के लिए भी इसमें उपबन्ध बनाये गये हैं।

यही संविधान न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में थोड़ा अनुदार है और उन व्यक्तियों की बजाय जिन पर दाण्डिक अपराध का आरोप लगाया गया हो इसका मालिकों तथा भूस्वामियों के पक्ष में अर्थ लगाया है।

अपील करने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है और अनुच्छेद 134 के अन्तर्गत उप-खण्ड (क) और (ख) के अधीन आने वाले मामलों में भी उपखण्ड (ग) लागू हो जाता है और भारत के उच्च न्यायालय हालांकि वे अनुदार हैं, अपील करने का प्रमाण-पत्र देने में एकमत हैं। विभिन्न न्यायालयों द्वारा जिन नियमों का पालन किया जाता है उनके अन्तर्गत यह सच है कि

वादकारी को उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिये प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु उसी बैंच के पास जाना पड़ता है। क्या यह कोमल हृदयता नहीं है कि वही न्यायाधीश एक दिन कहेगा कि उसने जो निर्णय दिया था, वह गलत था ? इसलिये जब तक इस विधेयक के आधार पर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं किया जाता, तब तक दाण्डिक मामलों में वादकारी को शायद कुछ मूलभूत स्वतंत्रताओं से, जो संविधान द्वारा उसे दी गई हैं, वंचित रहना पड़ेगा।

मैं श्री मुल्ला के इस विधेयक का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। मैं श्री मुल्ला से विशेष रूप से यह निवेदन करूंगा कि वह उचित समय पर एक संशोधन लायें कि ऐसे मामलों में जिनमें मृत्यु दण्ड दिया गया हो, सम्बन्धित व्यक्ति को स्वत: ही अपील करने के लिये प्रमाण-पत्र मांगने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

**श्री नारायण रेड्डी** (निजामाबाद) : मैं इस विधेयक का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं जिसे श्री मुल्ला ने पेश किया है और जो न्यायाधीश के पद पर काम कर चुके हैं। श्री हनुमंतैया को छोड़कर सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। श्री हनुमंतैया ने कानूनी समस्या के लिये आर्थिक तर्क पेश किये हैं। मैं मानता हूं कि उच्च न्यायालयों में ऐसे अवसर कभी-कभी ही आते हैं। परन्तु ऐसे अवसरों के लिये भी संविधान में उपबन्ध होना चाहिये। अनुभव से ही त्रुटि का पता लगता है और पता लगने पर उसे दूर किया जाना चाहिये। इस विधेयक के पारित होने पर उच्चतम न्यायालय के काम में कुछ वृद्धि अवश्य होगी परन्तु उसके कारण इस संशोधन को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। उसके लिये तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किये जा सकते हैं।

मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि कभी-कभी काम की अधिकता के कारण ठीक न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिये केवल इसी कारण कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हम नागरिकों को उनके एक मूल्यवान अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। माननीय विधि मंत्री को कम से कम इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए।

**श्री एस० एम० कृष्ण** (मंडया) : प्रस्तावक महोदय ने विधेयक के समर्थन में बहुत ही युक्तिसंगत तर्क उपस्थित किये हैं। इस देश में मुकदमेबाजी पर बहुत अधिक व्यय होने लगा है जिसके कारण ऐसी स्थिति आ गई है जब कि गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल सकता। यदि इस चीज को रोका नहीं जायेगा तो यह एक दिन खतरनाक रूप धारण कर लेगी। इस विधेयक के द्वारा उसे न्याय पाने का एक और अवसर मिल जायेगा।

यह कहा गया है कि कुछ वर्तमान कानून वैयक्तिक अधिकारों की बजाय सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों को अधिक महत्व देते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा अधिकतर उच्च न्यायालय अपील करने का प्रमाण-पत्र देने के पक्ष में नहीं हैं। कई मामलों में यह कहा गया है कि अनुच्छेद

134 (1) (ग) के अन्तर्गत अपील करने का प्रमाण-पत्र देने के लिये स्वविवेक का प्रयोग करने के बारे में कोई खास शर्तें निर्धारित नहीं की जा सकतीं परन्तु इस स्वविवेक का बहुत ही कम उपयोग किया जाना चाहिए और उच्चतम न्यायालय को दाण्डिक अपील न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु यदि उच्चतम न्यायालय को दाण्डिक अपील की सुनवाई का अन्तिम न्यायालय बना दिया जाये तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती।

उच्च न्यायालयों की प्रतिष्ठा तभी बनी रह सकती है जब लोगों को वहां न्याय मिले। इसलिये मंत्री महोदय को इस सारे मामले पर नये सिरे से विचार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये और उन्हें इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये।

**श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा** (मारमागोआ) : यहां पर दो बातों पर बार-बार जोर दिया गया है। एक यह है कि न्यायिक निर्णय से अपील के मामले में राज्य और व्यक्ति के बीच अन्तर है। यह अन्तर नहीं होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि इस देश में सम्पत्ति को स्वातंत्र्य से अधिक महत्व दिया जाता है। यदि इस विधेयक से यह स्थिति पलट जायेगी तो मैं श्री मुल्ला को यह विधेयक लाने के लिये बधाई देना चाहूंगा।

श्री हनुमंतैया ने कहा है कि हमारे देश में न्याय बहुत महंगा पड़ता है। मैं उनसे सहमत हूं कि हमारे यहां मुकदमेबाजी पर बहुत अधिक व्यय होता है और उसे कम किया जाना चाहिये ताकि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ने से लोग उसका लाभ उठा सकें।

मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**Shri George Fernandes** (Bombay South) : I support this Bill wholeheartedly. On this occasion, I want to draw the attention of the Hon. Minister to two points. For a long time it is being complained both inside and outside the house that courts take a long time in disposing cases and the result is that cases remain pending in the courts for years. There is a well-known proverb in English that 'justice delayed is justice denied'. It has been suggested time and again that the number of judges should be increased. But nothing has been done so far and the cases are piling up. This matter cannot brook any more delay. The hon. Minister should seriously consider it and take a decision soon.

My second point is about the salaries of judges. I do not say that their salaries are less. But after deduction of incometax the way they have to lead their lives, is something which deserves consideration. Government should seriously think in terms of provision of adequate retirement benefits for them so that they are not compelled to seek a job after retirement.

Many hon. Members have referred to litigation expenses in our country. Justice has become so expensive that it is almost out of the reach of an ordinary man to get justice. In the case filed by Shri S. K. Patil against my election to Lok Sabha, I had to spend Rs. one lakh in the Bombay High Court and Rs. 50,000 in the Supreme Court. Under such circums-

tances, how can an ordinary man fight an election ? Therefore it is very necessary that the question of reducing litigation expenses should be considered **de-novo.**

**विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : मैं शुरू में ही यह कह देना चाहता हूं कि श्री मुल्ला के संशोधन में काफी सार है। श्री मुल्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 का उल्लेख किया है। मान लो कि सत्र न्यायालय कत्ल के किसी अपराधी को दोष से बरी कर देता है तो इस धारा के अन्तर्गत न कि 1955 में किये गए संशोधन के अन्तर्गत राज्य ऐसे मामले में उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। वास्तव में निचोड़ यह है कि प्रत्येक दाण्डिक मामले में राज्य फरियादी समझा जाता है और यदि बरी करने के किसी मामले में न्याय न मिलने का सन्देह होता है तो राज्य को धारा 417 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील करने की शक्ति दी गई है। यह हो सकता है कि ऐसी अपील दायर करने के किसी मामले में राज्य द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग हो जाए। कत्ल के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा अपराधी को बरी किए जाने पर धारा 417 के अन्तर्गत अपील के परिणामस्वरूप यदि उच्च न्यायालय अपराधी को सजा देता है अर्थात् आजीवन कारावास की सजा देता है तो संविधान के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामले में अपराधी को दो उपबन्धों का सहारा लेना पड़ता है। अनुच्छेद 134 (ग) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय से अपील करने का प्रमाण पत्र मांगना और यदि प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में जाना। हो सकता है बहुत से मामलों में उन्हें न्याय मिले। मृत्यु दण्ड के बारे में अपील करने का अधिकार है। परन्तु क्या आजीवन कारावास के मामले में अपील करने का अधिकार होना चाहिए। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उच्चतम न्यायालय दाण्डिक अपील न्यायालय नहीं है। अनुच्छेद 133 के अन्तर्गत आने वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय दाण्डिक अपील न्यायालय का भी काम करता है।

श्री मुल्ला के संशोधन का अर्थ यह है। यदि उच्च न्यायालय मूल न्यायालय के रूप में या अपील किए जाने पर प्रथम बार दस वर्ष या इससे अधिक समय तक की सजा देता है तो क्या ऐसे मामले में अपील का अधिकार नहीं होना चाहिए ? उनकी इस बात में काफी वजन है। मेरी आपत्ति तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 की व्याख्या के बारे में थी जिसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय में अपील का उपबन्ध किया गया है। उसके अन्तर्गत राज्य और व्यक्ति के बीच कोई अन्तर नहीं किया जाता है। क्योंकि यदि राज्य यह महसूस करता है कि समुदाय के साथ अपराध किया गया है और अपराधी को बरी नहीं किया जाना चाहिए तो उसे उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होना चाहिए।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार का क्या निहित स्वार्थ हो सकता है ? मैंने विधि आयोग से वर्तमान दण्ड प्रक्रिया संहिता में पूर्णरुपेण संशोधन करने का अनुरोध किया है। आयोग के सभापति ने मुझे बताया है कि वे अपना प्रतिवेदन शीघ्र ही पेश करने

वाले हैं। यह मामला दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधन के अन्तर्गत आ सकता है। अनुच्छेद 138 कहता है कि अनुच्छेद 132 और 133 के अन्तर्गत आने वाले मामलों के अलावा अन्य मामले भी उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाए जा सकते हैं। यदि माननीय सदस्य तब तक प्रतीक्षा कर सकें तो इस पर अभी जोर न दें। यदि वे चाहते हैं कि इस पर तुरन्त विचार हो तो मुझे इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री रणधीर सिंह** (रोहतक) : मैं नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 75 (2) (क) को, जहां तक कि उसके अन्तर्गत यह संशोधन कि श्री आनन्द नारायण मुल्ला का उच्चतम न्यायालय के अपीलीय (आपराधिक) क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक, 1968 प्रवर समिति को सौपा जाए, आरम्भिक प्रक्रम में पेश करना अपेक्षित है, निलम्बित किया जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 75 (2) (क) को, जहां तक कि उसके अन्तर्गत यह संशोधन कि श्री आनन्द नारायण मुल्ला का उच्चतम न्यायालय के अपीलीय (आपराधिक) क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक, 1968 प्रवर समिति को सौंपा जाए, आरम्भिक प्रक्रम में पेश करना अपेक्षित है, निलम्बित किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**श्री रणधीर सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार करने वाला श्री आनन्द नारायण मुल्ला का विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें 22 सदस्य हों, अर्थात् :—श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी, श्री कृष्ण कुमार चटर्जी, श्री सी० सी० देसाई, श्री शिवाजीराव एस० देशमुख, श्री श्रीचन्द गोयल, श्री के० हनुमन्तैया, श्री एस० एम० जोशी, श्री एस० एम० कृष्ण, श्री कृष्णन मनोहरन, श्री विक्रम चन्द महाजन, श्री भोलानाथ मास्टर, श्री पी० गोविन्द मेनन, श्री बाकर अली मिर्जा, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्रीमती शारदा मुकर्जी, श्री आनन्द नारायण मुल्ला, श्री के आनन्द नम्बियार, श्री मृत्युंजय प्रसाद, श्री के० नारायण राव, श्री शिवनारायण, श्री तेन्नेटि विश्वनाथम और चौधरी रणधीर सिंह,

और उसे अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार करने वाला श्री आनन्द नारायण मुल्ला का विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए,

जिसमें 22 सदस्य हों, अर्थात् :—श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी, श्री कृष्ण कुमार चटर्जी, श्री सी० सी० देसाई, श्री शिवाजीराव एस० देशमुख, श्री श्रीचन्द गोयल, श्री के० हनुमन्तैया, श्री एस० एम० जोशी, श्री एस० एम० कृष्ण, श्री कृष्णन मनोहरन, श्री विक्रम चन्द महाजन, श्री भोला नाथ मास्टर, श्री पी० गोविन्द मेनन, श्री बाकर अली मिर्जा, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्रीमती शारदा मुकर्जी, श्री आनन्द नारायण मुल्ला, श्री के० आनन्द नम्बियार, श्री मृत्युंजय प्रसाद, श्री के० नारायण राव, श्री शिव नारायण, श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्, और चौधरी रणधीर सिंह,

और उसे अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

---

## संविधान [संशोधन] विधेयक
## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

### (अनुच्छेद 75/64 आदि का संशोधन)

**Shri Kameshwar Singh** (Khagaria): While moving for the consideration of this Constitution (Amendment) Bill I shall first read out some passages from the Bill.

[ **श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
**Shri Thirumal Rao in the Chair** ]

"संविधान के अनुच्छेद 75 में खण्ड (1) में "प्रधान मंत्री नियुक्त किया जायेगा" शब्दों के स्थान पर "प्रधान मंत्री जो लोक सभा का एक निर्वाचित सदस्य होगा, नियुक्त किया जाएगा" रखा जाएगा ।"

Second Amendment is :

"संविधान के अनुच्छेद 164 में, खण्ड (1) में, "मुख्य मंत्री नियुक्त किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "मुख्य मंत्री, जो विधान सभा का एक निर्वाचित सदस्य होगा, नियुक्त किया जाएगा" रखा जाएगा ।"

The Third Amendment which is also important is :

"संविधान के अनुच्छेद 326 में "इक्कीस" के स्थान पर "अठारह" रखा जायेगा ।"

India is the biggest democracy in the world. We have a parliamentary system of Government in our country. We should lay down healthy democratic traditions in our country. It is a bitter truth that the present Prime Minister at first had to take refuge in the Rajya Sabha. It is highly undemocratic that persons not directly elected by the suffrage of the people should head the popular Governments in the country. Therefore, the Prime Minister and Chief Ministers should always be elected Members of the Lower Houses. The Committee on Defections has also made a recommendation to this effect. The Constitution should be amended to make a provision in this regard.